राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का उनतालीसवां दिवस [संख्या: 14

गुरुवार,

02 मार्च 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ में जुलूस निकालने पर रोक

246. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के कौन-कौनसे गांवों में किस-किस स्थान के पास से राजनैतिक, धार्मिक व सामाजिक जुलूस, मार्च निकालने व ध्वनि यंत्र बजाने पर पाबन्दी है? उक्त के संबंध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो पुलिस द्वारा जुलूस निकालने व ध्वनि यंत्र के प्रयोग से क्यों रोका जाता है? क्या सरकार उक्त संबंध में कोई कदम उठाने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में किसी भी गांव के किसी भी स्थान पर राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक जुलूस, मार्च निकालने व ध्वनि यंत्र बजाने पर पाबंदी नहीं है।

(2) राज्य सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 08/04/2022 व 06/07/2022 की पालना में राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक जुलूस, मार्च निकालने के संबंध में पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जल्दी क्यों कर रहे हैं आप?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मेरे सवाल का मंत्री जी ने जवाब दिया कि किसी स्थान पर राजनैतिक, धार्मिक व सामाजिक जुलूस, मार्च निकालने पर पाबंदी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि 19 दिसम्बर, 2021 को बिजौलिया में पद संचलन निकला था, उसको पुलिस ने रोका था। पुलिस से रास्ता तय होने के बाद और रात को 35 जनों पर केस दर्ज हुआ। ये आपका जवाब क्या है और वहां पर क्या हुआ? आप बताने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपको ये जानकारी है क्या कि उन्होंने अनुमति ली है या नहीं ली? प्रश्न ये है कि क्या उन्होंने अनुमति ली थी?

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): अनुमति ली थी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप बताइए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिजौलिया की बात कर रहे हैं आप? मैं आपको बिजौलिया का पूरा पढ़ देता हूं। 27/02 को परमिशन दी गयी, 18/02 को दी गयी, 18/02 को फिर दी गयी, 18/02 को तीन बार फिर दी गयी, 17/02 को दी गयी, 01/02 को दी गयी, 25/01 को दी गयी, 23/01 को दी गयी, 28/12 को दी गयी, 11/12 को दी गयी, 21/11 को दी गयी, 17/11 को दी गयी, 17/11 को दी गयी, फिर उसके बाद 04/11 को और 28/11, 24/06, 07/06, 16/05, 28/04, 05/04, 02/04 और 27/03, बिजौलिया ही नहीं बिजौलिया के अलावा मांडल भी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका प्रश्न है 19 तारीख के बारे में है। खाली 19 तारीख के जुलूस के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई रिजेक्ट नहीं की गयी। एक भी अनुमति, जो मांगी गयी, आपके तीनों जगह पर, आपके ये तीन हैं, बिजौलिया है, कोटड़ी उप खण्ड है और माण्डलगढ़ है। बिजौलिया में 23 आवेदन प्राप्त हुए, सबको अनुमति दी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

गयी। कोटड़ी उप खण्ड में 5 आवेदन प्राप्त हुए, सबको अनुमति दी गयी। माण्डलगढ़ उप खण्ड में 46 आवेदन प्राप्त हुए, सबको अनुमति दी गयी। एक भी अनुमति आपने मांगी हो और उसको रिजेक्ट कर दिया हो, वह बता दें आप।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): मेरा प्रश्न यह है कि अनुमति ली और जुलूस निकला, पद संचलन निकला।

श्री अध्यक्ष: अनुमति नहीं है। उस तारीख में मेंशन नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं है मेंशन।

श्री अध्यक्ष: 19 तारीख को अनुमति नहीं ली गयी है। अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण

247. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण कब से नहीं हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बित आवेदनों के आधार पर उक्त शिक्षकों के स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विगत वर्षों में सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण के आवेदन लिये थे? यदि हां, तो उक्त आवेदनों को लेने के पीछे क्या विचार था तथा स्थानान्तरण क्यों नहीं किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में वर्ष 2018 के पश्चात् तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं हुए हैं।

(2) वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक प.5(1)प्रसु/अनु-1/2018 जयपुर, दिनांक 04.01.2023 के अनुसार राज्य सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की सूचना दिनांक 14.08.2021 द्वारा इस विभाग के अधीन कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2021 तक लिये गये थे। (परिशिष्ट-क)

तत्समय नीतिगत निर्णय नहीं होने के कारण उन आवेदनों के आधार पर स्थानांतरण नहीं किये जा सके।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अध्यक्ष जी, क्या यह सही है कि सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने का वादा किया था? यदि हां, तो वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे? नंबर दो, झुंझुनूं जिले में 635 पद खाली हैं। मेरी विधान सभा में 100 पद खाली हैं। इनको कब तक भरने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक? तीसरा मेरा है नीतिगत निर्णय जो इन्होंने बताया है।

श्री अध्यक्ष: तीनों जो लिखे हुए प्रश्न हैं, वे हटा दें। बैठिए आप, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14/08/2021 को तत्कालीन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा एक सूचना जारी की गयी थी। उसमें लिखा था कि ये आवेदन करने की प्रक्रिया मात्र है, स्थानांतरण का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जो रिक्त पदों की बात की है, मैंने कल ही विधान सभा में शिक्षा की मांग का प्रत्युत्तर देते हुए पूरे सदन को बताया कि 48 हजार पदों की रीट लेवल-2 की परीक्षाएं हो चुकी हैं, जैसे ही इसका परिणाम आएगा, हम जल्दी से जल्दी उनकी काउंसलिंग करके, जो भी एल-1 के रिक्त पद हैं, 39,000, वे सारे के सारे पद भर दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरपत सिंह राजवी।

द्रव्यवती नदी के सौन्दर्यीकरण की योजना

248. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत चार वर्षों में द्रव्यवती नदी के उद्धार के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो क्या व उक्त के विकास के लिये क्या-क्या कार्य कब-कब किये गये? व्यय का मदवार एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त अवधि में द्रव्यवती नदी के सौन्दर्यीकरण के लिए योजना बनाई गई है? क्या यह सही है कि द्रव्यवती नदी पर अतिक्रमण एवं तोड़फोड़ की घटनाएं घटित हुई हैं? यदि हां, तो कहां व कब? उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या द्रव्यवती नदी के किनारे बसी कालोनियों में वर्षा का पानी भरने की घटनाएं हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन कालोनियों में कब-कब? उक्त समस्या के समाधान के लिए किये गये उपायों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। विगत चार वर्षों में द्रव्यवती नदी पर किये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2015 में द्रव्यवती नदी के सौन्दर्यीकरण के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसी के तहत कार्य किया जा रहा है। उक्त अवधि में द्रव्यवती परियोजना क्षेत्र में अतिक्रमणों को हटाने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है, लेकिन जो मैंने परिशिष्ट 'ब' आपको दिया है, उसमें एक अतिक्रमण छूट गया था, जिसको मैं बताना चाहता हूं कि ये अतिक्रमण अयप्पा मंदिर के पास था, जिसको दो साल पहले जे डी ए के द्वारा नोटिस दिया गया था, लेकिन हटाया नहीं। जब आपका प्रश्न आया, प्रश्न आने के बाद में जब मैंने पूछा तो फिर जाकर कल उसको हटाया है।

क्या द्रव्यवती नदी के किनारे बसी कालोनियों में वर्षा का पानी भरने की घटनाएं हुई हैं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, खण्ड 3 का आप तो उत्तर दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सॉरी, साहब।

(3) जी हां। द्रव्यवती नदी के किनारे लो-लाइंग में बसी हुई कालोनियों राजीव नगर, महादेव नगर, सुन्दर नगर, प्रताप नगर, जमना नगर व सरस्वती नगर में वर्षा का पानी भरने की घटनाएं हुई हैं। वर्षाकाल में उक्त कालोनियों में वर्षा का पानी भरने पर ट्रैक्टर पम्प के द्वारा पानी की निकासी की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, सरकार

(श्री नरपत सिंह राजवी)

और टाटा एजेंसी के बीच में करार हुआ। उसमें बिट्स एंड पीसेज कम्पलीट करने का नहीं था, पूरा करना था। वह पूरा अभी तक नहीं हुआ। पानीपेच के पास में इतना बड़ा पेच है, जहां पर पानी भरता है, गंदगी रहती है और बार-बार लोग वहां पर परेशान भी हुए हैं, डूबे भी हैं। उस पर कार्यवाही शीघ्र होनी चाहिए। द्रव्यवती नदी पर कचरा डालने पर रोकथाम के प्रयास किये? उसके सीमांकन परिसर में विगत चार वर्षों में कुछ कच्ची बस्तियां तो हटाईं, लेकिन और भी अतिक्रमण हैं। सीमांकन के हिसाब से अगर आप हटाएंगे तो वह ज्यादा साफ रहेगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं जे डी ए वालों से कहता हूं कि इसका सर्वे कर लें दुबारा। अगर कोई ऐसी बस्ती उस क्षेत्र में आती है, तो निश्चित तौर पर उसको हटाया जावेगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): कांक्रीटिंग तो करवाएं पानीपेच के पास में जो हुआ है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कांक्रीटिंग के काम तो काफी करवाये गये हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): वहीं पड़ा है चार साल से।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह अलग बात है। वो रह गया होगा। बाकी जितने भी काम करवाये हैं, उसकी भी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। आप कहें तो पढ़ कर बता दूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री धर्मनारायण जी जोशी।

उदयपुर में चीरवा घाटा वन सुरक्षा समिति का प्रबन्धन

249. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर में पुरोहितों का तालाब व फूलों की घाटी (चीरवा घाटा) का वन सुरक्षा समिति को प्रबन्धन कब से सौंपा गया है? विगत तीन वर्ष का आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन कब-कब हुआ? क्या उक्त समिति में विभाग के कर्मचारी व अधिकारी भी पदाधिकारी हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

(3) उक्त समितियों को विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि व सुविधा कब-कब उपलब्ध कराई गई व उक्त द्वारा अपने स्तर पर टिकट की आय के अलावा कितनी राशि जुटाई गई? उक्त समिति में वेतनभोगी व समाज सेवी (अवैतनिक) कार्मिकों के वेतन का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) उदयपुर में पुरोहितों का तालाब का प्रबन्धन दिनांक 01.09.2017 व फूलों की घाटी (चीरवा घाटा) का प्रबन्धन दिनांक 03.06.2018 को वन सुरक्षा समिति अम्बेरी को टिकटिंग एवं संधारण कार्य हेतु सौंपा गया, जिसका विगत तीन वर्ष का आय व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है।

(2) समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन दिनांक 22.11.2003 को हुआ, जिसके बाद समिति निरन्तर कार्य कर रही है। जी हां। उक्त समिति में वन विभाग के वनपाल, नाका-अम्बेरी सचिव है।

(3) उक्त समिति के माध्यम से पार्क निर्माण एवं संधारण हेतु विभाग द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार है। उक्त समिति द्वारा टिकट के अलावा अपने स्तर पर कोई राशि नहीं जुटाई है।

उक्त समिति में समाज सेवी (अवैतनिक) कार्मिकों के मानदेय का विवरण संलग्न परिशिष्ट-स अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समिति के चुनाव 22.11.2003 को हुए, 20 वर्ष हो गये। क्या उसके बाद समिति के चुनाव नहीं हुए हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): यह सही है, उसके बाद समिति के चुनाव नहीं हुए। दो साल के अन्दर समिति के चुनाव हो जाने चाहिए लेकिन यह चुनाव नहीं हुए। अब मैं निर्देश दूंगा कि वह जल्दी ही इसके चुनाव करवा दें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, आय-व्यय में वहां एम पी ने भी 10 लाख रुपये दिए, सारा डवलपमेंट यू.आई.टी. ने करवाया, उसका आय-व्यय में कहीं लिखा हुआ नहीं है। मेरा निवेदन है, क्या आप उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे, जिन अधिकारियों ने आपको रिपोर्ट दी है?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): आय-व्यय का ब्योरा आपको दे दिया, उसमें आपका क्या कहना है?

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): उसमें आय में, यू.आई.टी. और एम पी कोटे से डवलप हुआ है, उसका कहीं उल्लेख नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): वह आय में नहीं आता है। वह तो उसके डवलपमेंट के लिए खर्चा हुआ, उसके बारे में आपने नहीं पूछा। आपने तो इसमें जो आय होती है, जो व्यय हुआ, उसके बारे में पूछा है। उसके बारे में आपको सूचना दे दी है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। आप सुन लें। वहां का अध्यक्ष जिसको बना रखा है, वह वहां का कर्मचारी है। मेरे पास वहां का वीडियो है। वह वहां का कर्मचारी है। सारी मिलीभगत वन विभाग के अधिकारियों की है। जब मैंने कलेक्टर को जांच के लिए कहा तो कलेक्टर ने कोटा के एक रेंजर को जांच अधिकारी बना दिया। वह क्या रिपोर्ट देगा? मेरा आपसे निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण की आप जांच करवाएं। जिस अधिकारी की उसमें मिलीभगत है, दूसरी एजेंसी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): आपके स्तर पर आप जांच करवाएं।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इसके बारे में शिकायत है, तो आप जिस अधिकारी से, मुख्यालय से, जिस अधिकारी से आप चाहें, उस अधिकारी से जांच करवा दूंगा। आप उसका नाम दे दें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जिसको नियुक्त करो, जांच करवा दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह गलत है। मंत्री खड़े हैं और आप खड़े हो गये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): आप स्वयं नियुक्त करें, मुझे आप पर भरोसा है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं। यह गलत परम्परा है।

अगला प्रश्न। श्री पुखराज।

रामगढ़ बांध (जयपुर) का संरक्षण

250. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है जिला जयपुर में स्थित रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण, पक्के निर्माण होने से बांध का अस्तित्व संकट में है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा बांध के संरक्षण के लिए किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रामगढ़ बांध के संरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया है? यदि हां, तो निर्णय की अनुपालना में सरकार द्वारा की गई पालना रिपोर्ट का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में वर्तमान में कोई अतिक्रमण, पक्के निर्माण चिह्नित नहीं होने से बांध का अस्तित्व संकट में नहीं है। विगत वर्षों में बांध के संरक्षण के लिए हटाये गये अतिक्रमण, पक्के निर्माण का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। रामगढ़ बांध के संरक्षण से सम्बन्धित याचिका संख्या 11153/2011 में माननीय न्यायालय द्वारा कई आदेश जारी किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों की अनुपालना में की गई मुख्य कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ बांध का अस्तित्व बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि रामगढ़ बांध के कैचमेंट क्षेत्र में होटल व्यापारी, भू-माफियाओं ने मिलीभगत से भू-आबंटन करवा लिए हैं, उनको निरस्त करवाने के लिए राजस्व मण्डल में 300 प्रकरण लम्बित हैं। उनका जल्द व समयबद्ध निस्तारण करवाने के लिए आपके विभाग के पास क्या कार्ययोजना है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना है कि 300 प्रकरण राजस्व विभाग में लम्बित हैं, मैं इनको यह जानकारी देना चाहूंगा कि 338 में से 336 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। दो प्रकरण वे रह गये हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन हैं।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि शाहपुरा में 47.54 हैक्टेयर अतिक्रमण हमने पकड़े और 216 आदमियों को बेदखल किया। विराटनगर में 90.78...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तो उत्तर में है। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पूछना है? आपको प्रश्न पूछना है?

श्री पुखराज (भोपालगढ़): अगला, बांध के कैचमेंट एरिया के अन्दर जो अतिक्रमण चिह्नित हुए हैं, उनमें कितने कच्चे, कितने पक्के हैं? उनको कब तक...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बता दिया दो बचे हैं। कोर्ट के अलावा बाकी तो सब डिस्पोज हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी, कुछ कहना चाहते हैं?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

रेवदर में रबी व ख़रीफ़ फ़सलों की समर्थन मूल्य पर खरीद

251. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रेवदर में रबी एवं खरीफ की फसलों की बम्पर पैदावार हुई है तथा समय पर समर्थन मूल्य पर खरीददारी प्रारम्भ नहीं करने से किसानों को अपनी फसलें ओने-पौने दामों पर बेचने को बाध्य होना पड़ा है? यदि हां, तो क्यों? विगत चार वर्षों के दौरान रबी व खरीफ की कौन-कौनसी फसलों की खरीद कितने दिन से प्रारम्भ की गई थी? इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अवधि में रबी व खरीफ की पैदावार का समर्थन मूल्य पर उचित समय पर सरकारी खरीद प्रारम्भ नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वर्ष 2023 में उक्त फसलों का समय पर समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) विगत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रेवदर में रबी एवं ख़रीफ़ की फ़सलों की पैदावार का विवरण कृषि विभाग की सूचनानुसार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

विगत चार वर्षों में रेवदर विधान सभा क्षेत्र के क्रय केन्द्र रेवदर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। खरीद अवधि का वर्षवार/जिन्सवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त वर्षों में इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) विगत चार वर्षों में रेवदर विधान सभा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में क्रय केन्द्र पर जिन्स विक्रय हेतु उपस्थित होने वाले सभी पंजीकृत किसानों की जिन्सों की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। अत: कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी नहीं है।

वर्ष 2023-24 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत खरीफ एवं रबी सीजन में भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार खरीद की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आपने 2019, 2020, 2021 व 2022 का भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद के लिए, उत्पादन आपने टनों में बताया है, 2019 में 1562 बताया, 2020 के अन्दर 2447 बताया, 2021 में 3116 बताया, 2022 में 1919 टन बताया। मंत्री महोदय, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इन चार वर्षों के अन्दर रेवदर विधान सभा क्षेत्र का समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद कितना हुआ है? यह बताएं आप।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने का कोई प्रावधान भारत सरकार की तरफ से हमें नहीं मिला हुआ है। बाजरा राजस्थान सरकार आदेश देती है तो करते हैं, बाकी भारत सरकार तो बाजरा नहीं खरीदवाती। बार-बार यही मुद्दा बनता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): बाजरा समर्थन मूल्य पर भारत सरकार नहीं खरीदवाती, इसलिए कोई आंकड़े आपको नहीं दिये गये हैं। पैदावार का तो कृषि विभाग द्वारा दिया गया आंकड़ा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, इसमें ऑलरेडी बताया हुआ है। भारत सरकार को आपने चिट्ठी लिखी क्या? वह भी आप बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब भारत सरकार बाजरा खरीदने का कर ही नहीं रही।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बैठें।

अगला प्रश्न। समाराम गरासिया।

श्री जगसी राम (रेवदर): मेरा दूसरा प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठें। प्लीज आप बैठें। आपको कह दिया, आप बैठें। प्लीज बैठें,। मैंने दूसरा प्रश्न बुला लिया। आप बैठें।

सिरोही में आगजनी के पीड़ितों को सहायता

252. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला सिरोही में आकस्मिक आगजनी पर केवल पशुओं की मृत्यु होने पर ही सहायता राशि दी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार आकस्मिक आगजनी के पीड़ितों को पशुओं के अतिरिक्त अनाज, चारा व अन्य सामान की भी जांच करवाकर उचित मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): आकस्मिक आगजनी से क्षति पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस डी आर एफ नोर्म्स अनुसार सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

एस डी आर एफ नोर्म्स अनुसार अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से जन/पशु/आवासीय/घरेलू सामान/बर्तनों/कपड़ों की क्षति पर सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह कहूंगा कि आकस्मिक आगजनी से सारा अनाज और फसल जल जाती है। इसके बारे में लिखा हुआ है, उसका कोई जवाब तक नहीं दिया।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आगजनी की घटनाओं एवं पशु, चारे की क्षति होने पर एस डी आर एफ नोर्म्स के अनुसार सहायता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई गम्भीर घटना हो जाती है, अगर उस परिवार को कहीं पर कैम्प बनाकर रहना पड़ता

(श्री गोविंद राम)

है, दुधारू पशु है, 80 रुपये प्रतिदिन देंगे और छोटा पशु होता है, 45 रुपये उसके चारे के लिए देंगे।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार आदिवासी क्षेत्र में जिसके लकड़ी के सामान होते हैं, वे जल जाते हैं तो वह मजदूरी करेगा, झोंपड़ी बनायेगा या क्या करेगा? मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि जिस प्रकार यह सारा सामान जल जाता है, सारा नष्ट हो जाता है तो वह घास कहां से लायेगा? आप तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद भी श्रीनाथजी के भक्त हैं, तो कम से कम इस पर सरकार के नियम बनें। आप यह नियम बनाओ कि सरकार इसकी क्या व्यवस्था करेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने बहुत अच्छी बात कही है, श्रीनाथजी से यह प्रार्थना करेंगे कि नियम बनाये जायें।

प्रश्न संख्या 253

अगला प्रश्न। श्री सुरेश सिंह रावत।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

निजी खेल एकेडमी को प्रोत्साहन

254. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में निजी खेल एकेडमी निर्माण हेतु निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में निजी खेल एकेडमी के निर्माण हेतु भूमि आबंटन किये जाने का प्रस्ताव अजमेर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) वर्तमान में प्रदेश में निजी खेल एकेडमी निर्माण हेतु निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(2) जी हां। अजमेर विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार निजी खेल एकेडमी निर्माण हेतु ईस्ट पाइन्ट स्कूल सोसायटी, अजमेर का स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स हेतु 3.5 बीघा भूमि आबंटन करने का आवेदन पत्र अजमेर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है। जिस पर अजमेर विकास प्राधिकरण का पत्र क्रमांक 1987, दिनांक 19.05.2022 द्वारा उक्त स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स हेतु भूमि आबंटन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश/मार्गदर्शन भिजवाने हेतु नगरीय विकास विभाग को लिखा गया।

नगरीय विकास विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1.(76)नविवि/अविप्रा/2022 दिनांक 18.01.2023 द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण को अवगत करवा दिया है कि भू-आबंटन नीति, 2015 में खेलकूद मैदान अथवा स्पोर्ट्स क्लब के लिए कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से सरकार खेलों को बढ़ावा देना चाहती है तो यह भू-आबंटन नीति 2015 जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनायी गयी थी, क्या वर्तमान सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस भू-आबंटन नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह अवगत करवाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारी सरकार खेलों के प्रति ज्यादा सजग है। माननीय सदस्य, मैं एक डिटेल भी आपको देना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल में मात्र एक करोड़ रुपये का इंडोर स्टेडियम अजमेर शहर के अन्दर सैंक्शन हुआ, वहीं अभी सरकार ने चार साल में साढ़े सात करोड़ का इंडोर स्टेडियम अजमेर शहर के लिए दिया है और उसका काम चालू हो गया और एस.आर.डी.सी. द्वारा काम चालू है।

नीति के ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं है, जब होगी तो मैं आपको बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

विद्युत उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज

255. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कालीचरण सराफ)

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो उक्त अवधि में कब-कब, कितनी-कितनी राशि बढ़ाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फ्यूल चार्ज के बढ़ाये जाने से उक्त अवधि में कितने उपभोक्ताओं पर कितना आर्थिक भार पड़ा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ रेगुलेशन की अनुपालना में विद्युत खरीद की निर्धारित दर एवं वास्तविक खरीद मूल्य में अन्तर की राशि को फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूल किये जाने का प्रावधान है। फ्यूल सरचार्ज का निर्धारण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

विगत तीन वर्ष में वसूलनीय फ्यूल सरचार्ज का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण निगमों के कृषि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं पर लगाये गये फ्यूल सरचार्ज राशि का वर्षवार एवं निगमवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। कृषि उपभोक्ताओं पर लगाये गये फ्यूल सरचार्ज की राशि को कृषि उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की जाकर राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर ही वहन की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा, आपने अपने जवाब में यह बताया है कि गत तीन वर्षों में 1 करोड़ 35 लाख 23 हजार 818 उपभोक्ताओं से 3,749 करोड़ रुपये आपने वसूल किये हैं, इनमें घरेलू उपभोक्ता तो कितने थे, औद्योगिक उपभोक्ता कितने थे और कामर्शियल उपभोक्ता कितने थे?

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि जो आपने यह बताया है कि कृषि उपभोक्ताओं पर लगाये गये फ्यूल चार्ज को सरकार वहन करेगी, तो क्या डोमेस्टिक उपभोक्ताओं का जो फ्यूल चार्ज है उसको भी सरकार वहन करने की मंशा रखती है या नहीं रखती है?

तीसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभी दो का तो जवाब आने दो।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मूल प्रश्न के परिशिष्ट-ब में वर्षवार वर्ष 2019-20 से लेकर अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक का इसमें दिया गया है। इसमें 1 करोड़ 24 लाख 66 हजार 876 उपभोक्ताओं से कुल 3,749 करोड़ रुपये की राशि फ्यूल सरचार्ज के रूप में ली गयी है और इसमें कृषि उपभोक्ताओं के अलावा सभी श्रेणी के, जैसा कि आपने बताया कि घरेलू, कामर्शियल और औद्योगिक, सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज जो हमारे नियामक आयोग के रूल्स हैं, उनके अनुसार लिया जा रहा है। कृषि उपभोक्ताओं पर जो खर्चा आता है, वह सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। उसके अलावा डोमेस्टिक को कृषि की तरह, जैसा कि आपने पूछा है कि डोमेस्टिक को कृषि की तरह सरकार वहन करने का विचार रखती है, तो इसमें यह निवेदन है कि रेगुलेटर के द्वारा निर्धारित नियम बनाये जाते हैं और उसमें जो निर्देश दिये जाते हैं, उनके अनुसार हम कृषि के अलावा सभी तरह के उपभोक्ताओं से जो यह डिस्काम्स हैं, वे फ्यूल सरचार्ज, जो अतिरिक्त खर्चा आता है उसको फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूल करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उन्होंने यह पूछा है कि जो उपभोक्ता हैं, जो तीन तरह के उपभोक्ता हैं उनकी सूचना आपके पास है क्या? कामर्शियल कितने हैं, इंडस्ट्रियल कितने हैं और डोमेस्टिक कितने हैं?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उनकी इकजाई सूचना मैंने मूल प्रश्न में दी है। अलग से माननीय विधायक ने पूछी नहीं है तो मैं इनको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि पड़ोसी राज्य गुजरात और हरियाणा, वहां तो फ्यूल चार्ज में राहत दी गयी है और आप निरंतर हर तीन महीने बाद यह फ्यूल चार्ज बढ़ाते हो, तो इसके पीछे कारण क्या है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में भी मैंने यह जवाब दिया है कि जो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग है, उनके द्वारा टैरिफ रेगुलेशन जारी किया जाता है और उसकी अनुपालना में ही, 2013 से 2018 में माननीय विधायक भी थे, उस

(श्री भंवर सिंह भाटी)

समय से ही यह लिया जा रहा है। विनियामक आयोग के जो निर्देश हैं, जो टैरिफ तय करती है विनियामक आयोग, उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, रेगुलर खर्चे के अलावा रेल भाड़े में वृद्धि हो जाती है या दूसरी जो वृद्धि होती है, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कोस्ट आती है, उसको फ्यूल चार्ज के रूप में वसूल किया जाता है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर आदमी हैं, यह काफी है।

अगला प्रश्न। श्री अभिनेश महर्षि।

रतनगढ़ (चूरू) में विधि महाविद्यालय की स्थापना

256. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में नवीन विधि महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ मुख्यालय में विधि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) नवीन विधि महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित नहीं है, तथापि आवश्यकता, गुणावगुणों एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विधि महाविद्यालय खोलने पर यथोचित निर्णय लिया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ मुख्यालय में विधि महाविद्यालय खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि चूरू जिले में कुल कितने विधि महाविद्यालय संचालित हैं? क्या पूरे जिले में अभी और विधि महाविद्यालयों की आवश्यकता नहीं है? ये मानदंड जो हैं, इनमें गुणावगुणों की क्या परिभाषा है? अभी तक खोले गये विधि महाविद्यालयों में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक साथ ही सब बातें पूछ लेंगे? रतनगढ़ में नहीं खोल रहे हैं। अब आप आगे प्रश्न पूछें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सर, मैंने यह पूछा है कि यह गुणावगुणों की क्या परिभाषा है और अभी क्या आवश्यकता नहीं है क्या? पहला प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, काफी है। बस, हो गया। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): चूरू जिले में सरकारी विधि महाविद्यालय एक है और पूरे राजस्थान में 16 हैं जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर हैं। जो प्राइवेट विधि महाविद्यालय है चूरू में, मैं उसकी लिस्ट आपको उपलब्ध करवा दूंगा। बी.सी.आई. (बार काउंसिल आफ इंडिया) ने 2019 में बंद कर दिये थे। उन्हीं के मानदंड और उन्हीं के कानून के हिसाब से यह लागू होता है और 2021 में उन्होंने दुबारा खोले हैं और अगर आपको कोई ऐसा लगता है तो आप मेरे को भेज दें, मैं उसको देखकर उस पर कार्यवाही करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: आपको रिलीफ मिल गयी, आप इनको भेज दें। आप बैठें। आपके रतनगढ़ के बारे में बोल दिया। नहीं सुन रहे आप? I will not allow it. आपको रिलीफ मिल गयी, यह बात समझ में नहीं आ रही है? आप लिखकर भेज दें, वे देख लेंगे। इसके बाद आप क्या चाहते हैं?

अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील।

मेरपुर उप तहसील (उदयपुर) को रजिस्ट्री का अधिकार

257. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या पंजीयन एवं मुद्रांक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की कोटडा तहसील के अन्तर्गत उप तहसील, मेरपुर में जमीन बेचान की रजिस्ट्री होती है? यदि नहीं, तो उक्त उप तहसील को रजिस्ट्री करने का अधिकार क्यों नहीं है? क्या सरकार उक्त उप तहसील को रजिस्ट्री करने का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में बिन्दु संख्या 238 में नयी तहसील एवं उप तहसील का गठन होते ही उनको पंजीयन करने का अधिकार देने की घोषणा की गई है। इसकी पालना में

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
दिनांक 10.02.2023 को अधिसूचनाएं जारी कर उप तहसील, मेरपुर को पंजीयन के अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नई तहसील व उप तहसील का गठन होते ही पंजीयन का अधिकार दे दिया जाता है तो मेरपुर उप तहसील को यह अधिकार अब तक क्यों नहीं दिये गये थे?

श्री अध्यक्ष: दे दिया न अब 10.02.2023 को।

अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह।

गोपालबाड़ी (जालौर) के संस्कृत विद्यालय में रिक्त पद

258. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जालौर में कितने संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र आहोर में संचालित राजकीय संस्कृत विद्यालय, गोपालबाड़ी में कितने पद स्वीकृत हैं व कितने कार्यरत एवं रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण छात्र संख्या में गिरावट आ रही है? यदि हां, तो उक्त की रोकथाम हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जालौर ज़िले में कुल 32 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आहोर में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, गोपालबाड़ी में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	वरिष्ठ अध्यापक	01	01	00
2	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1	02	00	02
3	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2	02	00	02

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल प्रथम के 272 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 216 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है तथा शेष पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है।

अध्यापक लेवल द्वितीय के 1,505 पदों को भी भरने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इन पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती हेतु सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। विद्यालय में विगत कुछ वर्षों में भी नामांकन वर्तमान नामांकन के समतुल्य रहा है, तथापि रिक्त पदों को यथाशीघ्र भर दिया जायेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री छगनसिंह (आहोर): अध्यक्ष महोदय, मैंने 2021 व 2022 में भी यह प्रश्न लगाया था। मेरे क्षेत्र में मात्र यह एक विद्यालय है। उस समय 5 में से 2 पद भरे हुए थे, 3 पद खाली थे। मुझे यही सूचना दी थी कि 1,700 पद भरेंगे, 200 भरेंगे। एक पद था, वह भी खाली हो गया। पिछले चार वर्षों से इस विद्यालय में एक अध्यापक है और वह भी कहीं न कहीं व्यवस्था में लगा रहता है तो वास्तव में यह पद पूरे पांच वर्ष तक यूं ही रहेंगे या इनकी कोई व्यवस्था होगी?

श्री अध्यक्ष: अब तो पांच में से छह महीने बचे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस विद्यालय में मात्र 29 विद्यार्थी हैं। यहां मुकेश कुमार जी व गोविन्द सिह जी, ये दो आदमी कार्यरत थे। 28 तारीख को एक गम्भीर शिकायत के आधार पर मुकेश कुमार जी को वहां से निलम्बित कर दिया। दो अध्यापक, अशोक कुमार ओडवाड़ा व नवल किशोर मंजल, बाड़मेर से इन दोनों को कार्य व्यवस्था हेतु लगाने के आदेश 01 मार्च को जारी कर दिये गये हैं। यहां पर 29 विद्यार्थी हैं और 3 अध्यापक लगे हुए हैं। जैसे-जैसे हमारे पास रीट भर्ती के सलेक्शन आएंगे, हम बाकी पदों को भी भर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। हरीश चन्द्र मीना।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठें। जब टीचर ही नहीं हैं, कहां भर्ती करें? आप बैठें। आप बार-बार बात पूछेंगे। आप कह रहे हो चार साल तक नहीं है तो अभी कहां इमिजिएटली होगा।

अगला प्रश्न। हरीश चन्द्र मीना।

उनियारा नगरपालिका में पक्के नालों का निर्माण

259. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के उनियारा नगरपालिका क्षेत्र में अब तक पक्के नाले नहीं होने के कारण पूरे शहर में बरसाती पानी की निकासी में समस्या आती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान के लिए उनियारा शहर में पक्के नालों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के उनियारा नगरपालिका क्षेत्र में मुख्य नाले कच्चे होने एवं ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने के कारण पानी निकासी की समस्या उत्पन्न होती है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट भाषण के बाबत घोषणा की गई है कि प्रदेश के 50 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्रों में Drainage एवं Grey Water Treatment हेतु 200 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। नगरपालिका उनियारा कस्बे में पानी निकासी हेतु पक्के नालों संबंधित कार्य उक्त बजट घोषणा के अंतर्गत करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि क्या ये कार्य इसी वित्तीय वर्ष में चालू करा दिये जाएंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): निश्चित तौर पर इसी वित्तीय वर्ष में चालू करा दिये जाएंगे।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हमीर सिंह भायल।

हरित प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति

260. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीर सिंह भायल)

(1) क्या यह सही है कि हरित प्राधिकरण द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के माध्यम से जोधपुर-पाली-बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों पर आरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई है? यदि हां, तो किस-किस पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली कर राजकोष में जमा करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यावरण मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी हां। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के माध्यम से जोधपुर, पाली एवं बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों पर पिछले 3 वर्षों में अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा प्रकरण संख्या 358/2013 (DBCWP No. 8074/2010) आदि (लक्ष्मी सूटिंग जोधपुर व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 01.05.2014 को पारित आदेश में जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में एवं औद्योगिक क्षेत्रों के आस-पास राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की बिना सहमति से चलने वाली 378 औद्योगिक इकाइयों पर रु. 5.00 लाख प्रति इकाई की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई थी।

इस आदेश की अनुपालना में आज दिनांक तक 378 औद्योगिक इकाइयों में से 326 औद्योगिक इकाइयों द्वारा राशि रु. 16.30 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के पेटे रीको इकाई कार्यालय, जोधपुर में जमा करवाई जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) क्षतिपूर्ति वसूली कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या-1 की सूचना में संलग्न परिशिष्ट '1' एवं '2' के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, 24.03.2021 के आदेश के बाद राशि एक दो पार्टी की शून्य रही, उसमें क्या कार्यवाही करेंगे? दूसरा, मेरा प्रश्न है, इतनी कार्यवाही के बाद भी अवैध इकाइयां अभी भी चल रही हैं, उनको कब तक बंद करवा देंगे?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो वसूली करनी थी

(श्री हेमाराम चौधरी)

वह सब वसूली कर ली गई है। आप कह रहे हो कि अवैध चल रही है, कोई भी हमारी जानकारी में आती है या आप भी हमारे ध्यान में लाएंगे, तो उनके खिलाफ निरन्तर कार्यवाही की जाती है। राजस्थान पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा निरन्तर निगरानी के समय औद्योगिक इकाइयों पर नियमों के उल्लंघन हेतु वर्ष 2019 से करीब 10 करोड़ की पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूल की गयी है। आगे भी अगर वह इसका उल्लंघन करेंगे, तो उन पर क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जाएगी।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ निवेदन ही कर रहा हूं। आज भी लूनी नदी सूकड़ी नदी से लगाकर पाली, बालोतरा व जोधपुर का गंदा पानी, यह नदी के फेफड़े...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं कि पशु पक्षी के लिए, ये इकाइयां बंद नहीं होंगी, जब तक लूनी नदी, महागंगा को अपवित्र किया जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। कुएं जल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका निवेदन सुन लिया। आपने प्रश्न तो पूछा ही नहीं। अगला प्रश्न।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): इसको कब तक बंद करवाएंगे?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़ में एटा सिंगरासर माइनर

261. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के टिब्बा बेल्ट क्षेत्र में काफी वर्षों से किसान एटा सिंगरासर माइनर निकालने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर को निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पूर्णत: पक्की होने के उपरांत जो पानी की मात्रा बढ़ेगी उसमें प्राथमिकता एटा सिंगरासर माइनर को दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) जी हां। इ.गा.न.प. में जल की उपलब्धता एवं तकनीकी आंकड़ों के अध्ययन हेतु विशेषज्ञ राजस्थान रिवर बेसिन एवं प्रोजेक्ट प्लानिंग अथोरिटी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा 5 सदस्य समिति, जिसमें 2 कृषक प्रतिनिधि सम्मिलित थे, का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जल उपलब्धता से इ.गा.न.प. के सीमित किये गये 16.17 लाख हैक्टेयर सी.सी.ए. में ही सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है, इसके अलावा किसी भी नये क्षेत्र को पानी दिया जाना सम्भव नहीं हैं। अत: एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। इ.गा.न.प. में प्रस्तावित जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने के उपरांत पानी की बचत से इ.गा.न.प. के निर्धारित किये गये सिंचित क्षेत्रों में डिजाइन अनुसार सिंचाई सघनता अर्जित की जा सकेगी तथा इ.गा.न.प. की नहरों के अंतिम छोर पर निर्धारित मात्रा में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि 16.17 लाख हैक्टेयर जमीन जो सी सी ए में कमाण्ड है, उसके अलावा पानी नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ, सरकार खुद ही 26 मार्च, 2012 को एटा सिंगरासर लघु सिंचाई परियोजना का लगभग 1 हजार 966 हैक्टेयर सिंचाई हेतु निर्माण करवाया जाएगा, यह घोषणा बजट में मुख्य मंत्री की है।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी रिवाइज बजट के अन्दर दिनांक 04.03.2021 को 30 गांवों को पानी देने के लिए डी पी आर बनाने की घोषणा की गई है। रिवाइज बजट में मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया था। हम नोहर, भादरा और तारानगर के 30 गांवों के खिलाफ नहीं हैं, पर सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। सीधा है, आप पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए बात कर रहे हैं। अब इर्रिगेशन की बात कर रहे हो। माननीय मंत्रीजी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सरकार खुद ही उलझ रही है। सरकार खुद घोषणा पर घोषणा करती जा रही है।

श्री अध्यक्ष: वह पीने के पानी की घोषणा है। आप दो बातों को अलग कर रहे हैं। आप एक तरफ तो पीने के पानी की बात कर रहे हैं और प्रश्न इर्रिगेशन का पूछ रहे हैं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

महोदय, माननीय सदस्य बात कह रहे हैं, यह सही है। बजट के अन्दर घोषणा जरूर हुई है, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.04.2016 को एक विशेष कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के अध्ययन के बाद रिपोर्ट यह सामने आयी कि इससे ज्यादा पानी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम नये क्षेत्र को नहीं खोलेंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सरकार ने वादा किया था। सिंचाई सचिव ने मौके पर जाकर आन्दोलनकारियों के सामने आश्वासन दिया था कि दस वर्ष तक बढ़ा हुआ पानी सिंगरासर माइनर को दिया जायेगा। यह आश्वासन सरकार का है, मेरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सरकार का है तो सरकार को ढूंढ लेते हैं।

अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

जिन्सों की खरीद पर बोनस

262. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार किन-किन जिन्सों की खरीद पर कितना-कितना बोनस देती है? विगत चार वर्षों में जिन्सवार कितना-कितना बोनस दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार चना, सरसों, गेहूं की खरीद पर किसानों को चार सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि जिन्सों की खरीद पर बोनस नहीं दिया जा रहा है। विगत चार वर्षों में किसी भी जिन्स की खरीद पर बोनस नहीं दिया गया है।

(2) चना, सरसों एवं गेहूं की खरीद पर किसानों को चार सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि पूर्व सरकार ने वर्ष 2018-19 में चना पर 200 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पर 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया? इसी तरह से वर्ष 2017-18 में मूंगफली पर 200 रुपये प्रति

(श्री कन्हैया लाल)

क्विंटल, मूंग पर 200 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द पर 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि शीतलहर की वजह से सरसों में 50 परसेंट से ज्यादा नुकसान हुआ है और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने की वजह से इस बार चना और गेहूं में नुकसान होने की वजह से पैदावार और उपज कम होगी। क्या सरकार इन पर 300-400 रुपये का बोनस देने का विचार रखती है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): बोनस देने का कोई विचार सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल मीना। प्रशासनिक सुधार मंत्रीजी। डा. राजकुमारजी का जवाब कौन दे रहा है? प्रशासनिक सुधार मंत्रीजी। प्रश्न गोपालजी पूछ रहे हैं। मंत्रीजी, इधर देख कर बोलो। मैंने अलाउ किया उनको, उनकी जगह प्रश्न पूछने के लिए।

शीघ्रलिपिकों के रिक्त पद

263. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़) (डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) के स्थान पर): क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में शीघ्रलिपिक (निजी सहायक ग्रेड द्वितीय) के कितने पद किस-किस विभाग में रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विभागवार रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निजी सहायक, निजी सचिव संवर्ग का कैडर पुनर्गठन किये जाने के कारण सीधी भर्ती के शीघ्रलिपिक (निजी सहायक ग्रेड द्वितीय) के पद विभिन्न विभागों में कम कर दिये गये? यदि हां, तो कितने? क्या सरकार कम हुए उक्त पदों के स्थान पर नये पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार शीघ्रलिपिक भर्ती से संबंधित नियमों में संशोधन कर शीघ्रलिपि विषय को अधिक वेटेज देने व शीघ्रलिपि में अधिकतम अशुद्धियों की सीमा 10 प्रतिशत तय करने हेतु नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री (श्री गोविंद राम):-(1) विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में शीघ्रलिपिक (निजी सहायक ग्रेड द्वितीय) के 102 विभागों में 289 पद रिक्त हैं।

जी हां। सभी विभागों से वर्गवार/रोस्टर अनुसार शीघ्रलिपिक (निजी सहायक ग्रेड द्वितीय) के रिक्त पदों की सूचना मंगवाई जा रही है। रिक्तियां इकजाई होने के पश्चात् अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाने की कार्यवाही की जायेगी।

विभागवार रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-क पर एवं शेष विभागों की सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(2) जी हां। अधीनस्थ विभागों के निजी सहायक संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन किये जाने हेतु वित्त विभाग की अशा टीप क्रमांक एफडी/ई-2/डीओपी/() 2022-23 दिनांक 04.10.2022 के द्वारा निर्धारित नोर्म्स के अनुसार शीघ्रलिपिक (निजी सहायक ग्रेड द्वितीय) के कैडर पुनर्गठन की कार्यवाही अधिकांश विभागों में प्रक्रियाधीन है। (परिशिष्ट-ग)

उपरोक्त विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार 05 विभागों में शीघ्रलिपिक के 124 पद कम हुए हैं। (परिशिष्ट-घ)

शीघ्रलिपिक (निजी सहायक ग्रेड द्वितीय) संवर्ग के पुनर्गठन उपरांत विभागों द्वारा अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार पदों के सृजन संबंधी कार्यवाही की जा सकती है।

(3) शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा हेतु विद्यमान नियमों में शीघ्रलिपि को वेटेज देने एवं अशुद्धियों की सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन हेतु प्रकरण का परीक्षण कार्मिक विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(विवरण एवं सूची पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 29 विभाग, जिन्होंने पदों की सूचना नहीं दी है, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है? अब कब तक रिक्तियों की सूचना मंगवाकर बोर्ड को विज्ञापन हेतु भिजवा दी जायेगी?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार शीघ्रलिपिक हेतु लिखित परीक्षा 100 अंक की तथा शीघ्रलिपि की परीक्षा 200 अंक की करने का विचार रखती है?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह सूचना पूरे प्रदेश से आनी है। 102 विभागों में 289 रिक्त पद हैं, इसकी सूचना आ गयी और जो मैंने परिशिष्ट-ख पर डिटेल दी है, वे करीब 29 विभाग हैं जहां से सूचनाएं अभी तक नहीं आयी हैं। समय कम मिला है इसलिए प्रदेश से पूरी सूचना नहीं आ रही है। माननीय सदस्य ने जो चिन्ता की है, उसके लिए मैं पुन: इनको लिखूंगा और समय पर जो सूचना नहीं भेजेगा, उन विभागों के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे और जब तक विभागों का पुनर्गठन नहीं हो जाता, तब तक हम भर्ती के लिए कर्मचारी बोर्ड को नहीं लिख सकते।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ओम प्रकाश हुड़ला। ट्रांसपोर्ट मंत्रीजी। प्रश्नकर्ता का नाम बदल गया है।

थानागाजी में नवीन बस स्टैण्ड की स्थापना

264. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा) (श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी) के स्थान पर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वर्तमान में उप खण्ड मुख्यालय थानागाजी में बस स्टैण्ड का अभाव होने के कारण यात्रियों को कई वर्षों से असुविधा हो रही है? क्या सरकार उक्त मुख्यालय पर नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): वर्तमान में उप खण्ड मुख्यालय थानागाजी में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें अलवर-शाहपुरा मुख्य सड़क मार्ग पर कार्यालय, उप खण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी के सामने सड़क किनारे से संचालित की जा रही हैं।

निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण निगम स्तर पर थानागाजी में बस स्टैण्ड का निर्माण कराने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं में बेरोजगारों को देय भत्ता

265. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो जिला जयपुर में वर्ष 2020 से 2022 तक

(श्री रामलाल शर्मा)

कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र चौमूं के युवा बेरोजगारों को भत्ता दिया गया है? यदि हां, तो कितनों को? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिला जयपुर में बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन करने वालों की संख्या अधिक है व भत्ता मिलने वालों की संख्या कम है? यदि हां, तो उक्त जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितनों का निस्तारण किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) जी हां। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत वर्ष जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022 तक 31,675 पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया है। विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार सूचना का संधारण नहीं किया जाता है। अतः पोर्टल के अनुसार तहसीलवार सूचना निम्नानुसार है-

Tehsil	**Grand Total**
Amber	3,391
Chaksu	1,310
Bassi	2,610
Chomu	6,027
Jamwa Ramgarh	2,697
Kotputli	1,580
Mauzamabad	955
Phagi	824
Phulera (hq. sambhar)	3,291
Sanganer	1,624
Shahpura	2,934
Viratnagar	791
Jaipur	3,641
Total	**31,675**

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता)

(2) जी हां। उक्त अवधि में योजनान्तर्गत तहसील चौमूं के कुल 6,027 पात्र युवा बेरोजगारों को भत्ता दिया गया है।

(3) जी हां। जयपुर जिले में आवेदन करने वाले आशार्थियों की संख्या अधिक है तथा भत्ता प्राप्त करने वाले आशार्थियों की संख्या कम है। आवेदन करने वाले आशार्थियों की संख्या 1,10,271 है तथा लाभ प्राप्त करने वाले आशार्थियों की संख्या 57,746 है। योजना प्रारम्भ तिथि 01 फरवरी, 2019 से 21 फरवरी, 2023 तक मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत जयपुर जिले में कुल 1,10,271 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 39,508 आवेदनअपूर्ण होने के कारण बैक टू सिटीजन किये गये। 4,889 आवेदन जांच किये जाने हेतु लम्बित हैं। 4,345 आवेदन योजनांतर्गत अपात्र होने के कारण निरस्त किये गये। 34,787 आवेदन आयु पूर्ण होने, नियोजित होने अथवा दो वर्ष पूर्ण भत्ता प्राप्त होने के कारण स्टाप कर दिये गये। 22,460 आशार्थी दिनांक 21 फरवरी, 2023 को भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा 4,282 आवेदन जांच उपरान्त योजनान्तर्गत एक समय में अधिकतम दो लाख आशार्थियों को लाभान्वित किये जाने की सीमा निर्धारित होने के कारण अप्रूव किये जाने हेतु लम्बित हैं।

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछें माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। आपने खण्ड 3 में उत्तर दिया है कि योजनान्तर्गत एक समय में अधिकतम दो लाख आशार्थियों को लाभान्वित किये जाने की सीमा निर्धारित होने के कारण अप्रूव किये जाने हेतु लम्बित हैं, मतलब दो लाख से ज्यादा को आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दोगे? जब आपने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी, क्या तब भी यह नियम लागू था? नम्बर एक।

नम्बर दो, जयपुर जिले के अन्दर 1 लाख 10 हजार 271 आवेदन आये, उनमें से सिर्फ 22 हजार 460 को ही आप बेरोजगारी भत्ता देने का काम कर रहे हो। जयपुर जिले में आपके पास कुल आवेदन आये 1 लाख 10 हजार 271, आपने कहा है कि उनमें से सिर्फ 22 हजार 460 लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। बाकी आवेदन निस्त किये गये। निरस्त आपकी लिमिट की वजह से किये गये या उम्र की वजह से किये गये या दो वर्ष से ज्यादा के कारण किये गये? जो शेष रहे हैं 87 हजार 811, इनको भी आप बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखते हो?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): साहब, एक-एक करके जवाब दे दूं?

श्री अध्यक्ष: एक-एक का जवाब आने दो।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बड़े चिन्तित हैं कि 01 लाख 10 हजार ने आवेदन किया और 22 हजार 460 को ही क्यों मिल रहा है, तो मेरा कहना है कि इसी जवाब के अन्दर लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 22 हजार 460 तो वे लोग हैं जिनको इस समय प्राप्त हो रहा है। 34 हजार 787 वे हैं जिनको दो साल का प्राप्त होकर बंद हो चुका है। केवल 4 हजार 282 आवेदन ऐसे हैं जो अप्रूव्ड हैं, जो कि दो लाख की सीमा की वजह से रुके हुए हैं। केवल 4 हजार 345 अपात्र होने के कारण निरस्त किये गये हैं और 39 हजार 508 में कुछ कमियां हैं, उनको बैक टू सिटीजन किया गया है ताकि वे कमियां पूरी करके वापस भिजवा दें। कुल मिलाकर 22 हजार 460 नहीं, तकरीबन 57 हजार कुछ लोग इस योजना का जयपुर जिले में लाभ उठा चुके हैं या लाभ उठा रहे हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, अगर 57 हजार भी उठा रहे हैं तो भी 50 परसेंट लोगों को ही आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि आपने चार घंटे का बेरिकेड लगाया कि चार घंटे सरकारी कार्यालयों के अन्दर आप सेवाएं दोगे। इस चार घंटे के बेरिकेड के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी भत्ता लेने से वंचित रहे हैं?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटर्नशिप के लिए 23 जिले निर्धारित किये गये हैं, 23 विभाग निर्धारित किये गये हैं और 23 विभाग के अलावा भी जिला कलेक्टर आदेश में फ्री हैण्ड हैं कि और विभाग बढ़ा कर भी दे सकते हैं। 01 लाख 72 हजार 189 लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं हैं जो इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनको भत्ता नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश मोदी।

नीम का थाना में नवीन जी एस एस की स्थापना

266. श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में 33 के.वी. के नये जी.एस.एस. स्थापना के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए व उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(श्री सुरेश मोदी)

(2) उक्त जी.एस.एस. के दायरे में आने वाले फीडरों की लम्बाई क्या-क्या है व बिजली फीडर की लम्बाई नियमानुसार एवं सुरक्षा की दृष्टि से अधिकतम कितनी होनी चाहिये?

(3) सरकार उक्त जी.एस.एस. की स्थापना कब तक करने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में नये 33/11 केवी सब-स्टेशन के तीन प्रस्ताव डाबर, मंडोली एवं कोला की नांगल के प्राप्त हुए थे। उक्त में से डाबर की स्वीकृति दिनांक 16.03.2022 तथा मंडोली एवं कोला की नांगल की स्वीकृति दिनांक 25.02.2023 को जारी की जा चुकी है।

(2) उक्त स्वीकृत तीनों 33/11 के वी सब-स्टेशनों में जिन पूर्व में स्थापित 11 के वी फीडरों को विभक्त किया जाना है, उनका लम्बाई सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

11 के वी फीडर पर जुड़े हुए विद्युत भार एवं इसकी लम्बाई के अनुसार इसका वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित होता है, जिसकी अधिकतम सीमा 8 प्रतिशत है। वोल्टेज रेगुलेशन के निर्धारित सीमा से अधिक होने पर फीडर का सुधार कार्य किया जाना अपेक्षित होता है। फीडर के तार की क्षमता के अनुसार विद्युत भार होने पर यह सुरक्षित माना जाता है।

(3) 33/11 के वी सब-स्टेशन, डाबर का निर्माण कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। 33/11 के वी सब-स्टेशन, मंडोली व कोला की नांगल का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र आगामी वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): मेरे द्वारा चाहे गये जी.एस.एस. स्वीकृत कर दिये गये हैं, इसलिये प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गुरदीप सिंह।

राजस्थानी भाषा को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित करने की कार्ययोजना

267. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गुरदीप सिंह)

(1) क्या यह सही है कि हाल ही सम्पन्न हुई रीट भर्ती परीक्षा में गुजराती, पंजाबी, हिन्दी, उर्दू आदि सात भाषाओं को सम्मिलित किया गया था?

(2) क्या सरकार ने राजस्थानी भाषा को मान्यता देने एवं उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ने के लिए कोई प्रयास किये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। रीट (राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा) परीक्षा, 2022 में गुजराती, पंजाबी, हिन्दी, सिन्धी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी सहित सात भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। उक्त परीक्षा हेतु नोडल एजेन्सी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी परीक्षा विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थानी भाषा को मान्यता देने एवं संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के संबंध में राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 25.08.2003 को संकल्प पारित किया गया था कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जावे।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय स्तर से बार-बार अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के संबंध में भारत सरकार से निवेदन किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की कार्यवाही भारत सरकार के स्तर पर की जानी है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बताया कि बार-बार भारत सरकार को लिखा गया है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि लास्ट बार आपने कब लिखा और कब इसकी मांग की?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 16 फरवरी, 2023 को अशोक जी गहलोत ने लेटेस्ट पत्र लिखा है। अशोक जी गहलोत ने इससे पहले 03.09.2003 को लालकृष्ण जी आडवाणी को पत्र लिखा। अशोक जी गहलोत ने 28.06.2009 को पत्र लिखा मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर को। 04.10.2010 को मनमोहन सिंहजी को पत्र लिखा, फिर उसके बाद 08.04.2011 को मनमोहन सिंहजी को दुबारा पत्र लिखा, उसके बाद

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

वसुन्धरा जी ने 05.01.2015 को पत्र लिखा नरेन्द्र जी मोदी को, 06.09.2017 को पूर्व मुख्य मंत्री, वसुन्धरा जी ने नरेन्द्र जी मोदी को पत्र लिखा, फिर 11.09.2019 को नरेन्द्र मोदी जी को पत्र दिया अशोक गहलोत जी ने। अभी वर्तमान मुख्य मंत्री अशोक जी ने 07.10.2020 को पत्र लिखा था। राजेन्द्र जी यादव, भाषा विभाग के मंत्री ने 05.04.2019 को राजनाथ सिंहजी को पत्र दिया। इसके अलावा, डी.बी. गुप्ता जी, जब चीफ सेक्रेटरी थे, 03.12.2019 को गृह सचिव, अजय भल्ला जी को पत्र लिखा। जब चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप जी थे, उस समय 14.10.2020 को अजय भल्ला जी, गृह सचिव को पत्र लिखा और अभी लेटेस्ट 16 फरवरी, 2023 को अशोक जी गहलोत ने नरेन्द्र मोदीजी को पत्र लिखा। इस संबंध में सीताराम महापात्र की अध्यक्षता में कमेटी केन्द्र सरकार ने बनायी थी। हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने भी यह अभिशंषा की है और समान दर्जा देने हेतु राजस्थानी भाषा को पात्र माना है।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): 2020 के बाद आपने भारत सरकार को कोई पत्र लिखा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थानी को, राजस्थान की भाषा को राज्य की भाषा बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, बनाने की आप मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: यह तो बता दिया इन्होंने सारा।

अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह देवल।

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 16 फरवरी, 2023)

करवाड़ा (रानीवाड़ा) ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के फसल बीमा से वंचित किसान

174. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., करवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालौर की लापरवाही से सदस्य ऋणी किसानों का रबी 2022-23 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम का बीमा कम्पनी के निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो कितने ऋणी किसानों के बीमा प्रीमियम का बीमा कंपनी को भुगतान नहीं किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) उक्त ऋणी किसानों को फसल बीमा से वंचित रखने के लिए कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., करवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालौर द्वारा ऋणी किसानों का रबी 2022-23 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत बीमा प्रीमियम राशि का बीमा कंपनी को निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया है। समिति द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी फसल 2022-23 के लिए पात्र 654 कृषकों में से किसी भी कृषक सदस्य की बीमा प्रीमियम राशि शाखा के माध्यम से कंपनी को नहीं भिजवायी गयी है।

(2) करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., करवाड़ा के कृषक सदस्यों को फसल बीमा से वंचित रखने के सम्बंध में प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालौर द्वारा करायी गयी जांच में समिति के तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक श्री देवीसिंह एवं समिति अध्यक्ष श्री मिश्रा राम परमार को जिम्मेदार माना है।

दोषियों के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है:-

I. करवाड़ा समिति की निर्वाचित प्रबंधकारिणी की बैठक दिनांक 23.11.2022 में पारित प्रस्ताव के अनुसार अधिशाषी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालौर द्वारा दिनांक 13.12.2022 को सहायक व्यवस्थापक, करवाड़ा का चार्ज बदलकर श्री देवीसिंह के स्थान पर श्री हरचन कुमार, सहायक व्यवस्थापक, गांग ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., गांग को आबंटित किया गया।

II. बैंक के अधिशाषी अधिकारी के पत्र दिनांक 04.02.2023 के द्वारा करवाड़ा समिति अध्यक्ष को व्यवस्थापकीय सेवा नियम अन्तर्गत तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक श्री देवीसिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा गया। समिति की प्रबंधकारिणी की अनुशंषा उपरान्त दिनांक 06.02.2023 को अध्यक्ष द्वारा समिति के तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक श्री देवीसिंह की सेवाएं समाप्त की गईं।

III. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालौर द्वारा दिनांक

(सहकारिता मंत्री)

03.02.2023 को अध्यक्ष करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति को अधिनियमान्तर्गत नोटिस जारी कर दिनांक 10.02.2023 को सुनवाई निर्धारित की गई थी। सुनवाई की समयावधि बढ़ाकर अब दिनांक 21.02.2023 नियत की गई है।

IV. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. द्वारा प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका उत्तर अपेक्षित है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा प्रीमियम जमा कराने की तारीख 31 दिसम्बर, 2022 थी। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि जिस सहायक व्यवस्थापक देवीसिंह को करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति से 13 दिसम्बर को हटा दिया, उसके पास चार्ज नहीं था? उससे पहले 05 दिसम्बर को सहायक व्यवस्थापक देवीसिंह ने प्रबन्ध कार्यकारिणी को एक लैटर भी लिखा कि मुझे कार्यवाही रजिस्टर दिया जाये, परंतु प्रबन्ध कार्यकारिणी ने उसको कार्यवाही रजिस्टर नहीं दिया? जब देवीसिंह उस पोस्ट पर ही नहीं था और एम.डी. साहब ने 13 दिसम्बर को देवीसिंह की जगह सहायक व्यवस्थापक हरचन कुमार को लगा दिया तो 17 दिन हरचन कुमार ने उस सोसायटी में पूरी सोसायटी का बीमा, जिसमें तीन गांव हैं, करीब 1400 काश्तकार हैं, आपने 654 का हवाला दिया तो शीतलहर भी चली, किसानों की फसल का नुकसान भी हुआ, तो इसमें जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ मंत्री महोदय, आप कार्यवाही करावें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण मैंने अभी पढ़ा है, जो आपको भी मिल गया होगा। साथ में यह संलग्न है। आप जिस देवीसिंह की बात कर रहे हैं, उसको बीमा करना था 13 अक्टूबर से, 13 दिसम्बर को निलम्बित किया 60 दिन बाद, दो महीने के बाद। दो महीने तक वह लेकर बैठा रहा और उसने बीमा नहीं किया, इसलिए उसको हटाया गया और उसने रिकार्ड आज दिन तक नहीं दिया, इस कारण से विलम्ब हुआ है। यह तथ्य भी आपकी जानकारी में है लेकिन इसको छिपाकर आप केवल उस बात को कर रहे हैं कि दिसम्बर के बाद तक उसने बीमा क्यों नहीं किया? इसके साथ ही उसने आज दिन तक रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया, इस कारण से बीमा नहीं हो पाया। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा रही है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मंत्री महोदय, यह कागज है 5 दिसम्बर का, सहायक व्यवस्थापक देवीसिंह ने ऋण पर्यवेक्षकों को एक कागज लिखा है कि मेरे को कार्यवाही रजिस्टर दिया जाये। यह अधिकारी आपको गोलमाल जवाब दे रहे हैं और आपके अधिकारियों ने जिस सहायक व्यवस्थापक हरचन कुमार को 13 दिसम्बर को लगाया, उसकी स्क्रीनिंग भी नहीं हुई। उसकी स्क्रीनिंग 11 जनवरी को हुई है। जिस सहायक व्यवस्थापक की स्क्रीनिंग ही नहीं हुई तो वह उस पद पर लग सकता है और हरचन कुमार जिस सोसायटी में काम कर रहा है, उसके खिलाफ जांच भी लम्बित है और गांग सोसायटी में काफी अवधिपार ऋण भी चल रहे हैं। जो सोसायटी में खुद ही काम नहीं कर रहा है, उसको आपने एडिशनल चार्ज क्यों दिया और जिसकी स्क्रीनिंग ही नहीं हुई तो आपने किन नियमों के तहत उसको चार्ज दिया?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): चूंकि व्यवस्थापक और अध्यक्ष दोनों ही इन्वाल्व थे और इस कारण से बीमा नहीं हो पाया था, इसलिए अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। वह रिकार्ड अभी तक नहीं दिया, इसलिए उस अध्यक्ष को भी हटाने की कार्यवाही कर दी गयी और उसको हटा दिया गया है। नजदीक का गांव वो ही पड़ता था इसलिये इस कारण से उसको चार्ज दिया गया है। इस संदर्भ में मैंने दो-तीन बार, जब आप बीमार थे, तब भी मैंने बात की। इस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय करने वाले किसी भी कर्मचारी को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जायेगा। अगर आपको कार्यवाही में कोई शंका है तो आप आइये, उसका निराकरण कर दिया जायेगा।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति है और जो वहां पर काम चल रहा है, वह काम यह जो सह व्यवस्थापक था, बिलकुल सही चल रहा था और जिसने चार्ज दिया है, वहां अवधि पार ऋण भी चल रहे हैं और उसके विरुद्ध जांच भी चल रही है। इसके साथ ही उसकी स्क्रीनिंग भी नहीं हुई, तो मैं यह जानना चाह रहा हूं कि उसके खिलाफ आपने कार्यवाही क्यों नहीं की? स्वयं गांव वालों ने मंत्री महोदय को 14 दिसम्बर को एक कागज भी लिखा कि हमारे पूरे गांव का बीमा नहीं हो रहा है इसलिए उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करें। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसानों को राहत दें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जो कार्यवाही की, उसका पूरा

(श्री अंजना उदयलाल)

विवरण आपको दे दिया गया है। अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया, व्यवस्थापक को सस्पेंड कर दिया। एम.डी. को कारण बताओ नोटिस दे दिया। कार्यवाही में थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन जैसी आप चाह रहे हैं वैसी ही कार्यवाही होगी अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ तो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(समय: 12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत गरनिया के जल बहाव क्षेत्र में कचरा संग्रहण स्थल बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के दिन इंटरनेट सेवाएं बंद करने से व्यावसायिक गतिविधियां ठप होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा में अघोषित बिजली कटौती से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में ग्राम सेठजी की कुण्डाल, ग्राम पंचायत नया खेड़ा में नवीन रास्ते हेतु नगर विकास न्यास द्वारा की जा रही नीलामी प्रक्रिया की विज्ञप्ति स्थगित करने के संबंध में।

(5) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से प्रदेश के रावणा राजपूत समाज की 7 सूत्री मांगों पर शीघ्र निर्णय करवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से ग्राम मेहरवाला, तहसील टिब्बी, हनुमानगढ़ में भूमिहीन परिवारों को आबंटित की गई कृषि भूमि का आबंटन निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में

(श्री अध्यक्ष)

हेमावास से नाडोल स्टेट हाईवे के लिए अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर), सदस्य की ओर से उदयपुर संभाग के टी एस पी क्षेत्र में स्टेट और मेगा हाईवे निर्माण में रोड सेन्टर से नियमानुसार एरिया छोड़कर भूमि आबंटन किये जाने के संबंध में।

(10) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से पीलीबंगा व गोलूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा सेन्टर स्थापित करने एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

(11) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से सामुदायिक कृषि सिंचाई परियोजना समिति, लाखेरी ग्रामीण को मेज नदी से लिफ्ट द्वारा जलापूर्ति हेतु एन ओ सी जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से नगरपालिका पिण्डवाड़ा में स्थित सामुदायिक भवनों का समुचित रखरखाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से नगरपालिका फतहनगर सनवाड के सामुदायिक भवन पर कतिपय लोगों द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से मुण्डावर में 10 एयर से कम रकबे की रजिस्ट्री होने के बाद भी इंतकाल दर्ज नहीं होने से किसानों व आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(15) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से आहोर नगर में स्वीकृत प्रस्तावित सड़क के स्थान पर बाईपास का निर्माण किये जाने के संबंध में।

(16) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली की रोहट तहसील के जैतपुर हैड वर्क्स से जुड़े गांवों हेतु पेयजल संबंधित कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करने के संबंध में।

(17) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से हाल ही में आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा में अनुसूचित क्षेत्र के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र जयपुर में देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(18) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

मांडलगढ़ के नया नगर में वन विभाग के नाम दर्ज भूमि को आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(19) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम लोहागढ़, अजमेर में रावत समाज की 200 वर्ष पुरानी चारधरा हथाई को तोड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(20) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर में अपर्याप्त पेयजल आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री जब्बर सिंह सांखला एवं श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर) को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर के मथुराधीश मन्दिर का जीर्णोद्धार करने एवं आसपास के क्षेत्र को विकसित कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में।

(2) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्यालयों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों का प्रवेश निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत खरपीणा के पास एनएच 48 पर हाईटेंशन लाइन के नीचे कचरे के भराव के कारण ऊंचाई कम होने से हो रही विद्युत दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से जयसमंद झील में पर्यटन नौकाओं के संचालन हेतु सिंचाई विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने के संबंध में।

(5) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से प्रदेश में महारानी वीरांगना अवन्तीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन करने के संबंध में।

(6) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से नगर परिषद्, किशनगढ़ (अजमेर) हेतु स्वीकृत दो अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के खैराबाद पंचायत समिति में जलदाय विभाग द्वारा अप्रमाणित आंकड़ों को विभागीय पोर्टल पर दर्शा कर की गई अनियमितता के संबंध में।

(8) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में गत दो वर्ष पूर्व बजट में घोषित मुबारिकपुर-नौगांवा-खुशपुरी सड़क निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के संबंध में।

(9) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से नगर निगम जयपुर, हेरिटेज के वार्ड नं. 1 व 3 की कतिपय ढाणियों तथा कालोनियों में पेयजल संकट का स्थायी समाधान करने के संबंध में।

(10) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश में फर्जी डिग्रियों की जांच के बहाने भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी के स्वास्थ्य केंद्रों एवं चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन किये जाने के संबंध में।

(13) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से प्रदेश के जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्यों को समुचित मानदेय भत्ते इत्यादि नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से उदयपुर के समीप ग्राम बूझड़ा में नदी के प्रवाह क्षेत्र पर सड़क निर्माण करने तथा राजकीय भूमि पर अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से डिग्गी रोड, सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर सिंगल अण्डरपास को डबल अण्डरपास में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री जब्बर सिंह सांखला।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

रावणा राजपूत समाज की सात सूत्री मांगों पर शीघ्र निर्णय

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे नियम 50 के तहत बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय, रावणा राजपूत समाज जो जाति है, उस जाति से मैं भी बिलोंग करता हूं। कल 3 मार्च को राजस्थान प्रदेश के रावणा राजपूत समाज का 7 सूत्री मांगों को लेकर एक बहुत ही बड़ा आंदोलन जयपुर शहर में होने वाला है। हमारे समाज के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रणजीत सिंह जी सोडाला के नेतृत्व में लाखों की तादाद में रावणा राजपूत समाज के जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है।

मैं आपका भी संरक्षण चाहूंगा। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि सरकार के जो प्रबुद्ध मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वे एक डेलिगेशन को आदरणीय रणजीत सिंह जी सोडाला के नेतृत्व में बुलायें और उनसे बातचीत करें। बातचीत में समाज के प्रति सहानुभूति रखते हुए हल निकाला जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 सूत्री में बहुत छोटीछोटी मांगें हैं। इस समाज ने ज्यादा कुछ नहीं मांगा है। बहुत छोटा समाज है हमारी छोटी जाति है। राजस्थान में 6 प्रतिशत वोट संख्या में हैं। किसी भी प्रत्याशी और किसी भी पार्टी को हराने और जिताने का माद्दा रखने वाला यह समाज छोटी-छोटी मांगों को लेकर राजस्थान में सड़कों पर है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री, आदरणीय रणजीत सिंह जी सोडाला के नेतृत्व में एक डेलिगेशन को बुलायें और बैठकर के इसका निष्कर्ष निकाला जाये। ऐसा न हो कि कल राजस्थान की पुलिस और रावणा राजपूत समाज आमने-सामने हो जाए। मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचन्द मीणा (आसपुर)।

उदयपुर संभाग के टी एस पी क्षेत्र में राजमार्ग निर्माण में सड़क से नियमानुसार दूरी पर भूमि आबंटन

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सड़कों के सेंटर से 45 मीटर छोड़कर भूमि आबंटन की जाती है, जबकि हमारे उदयपुर संभाग में सेंटर से 250 मीटर छोड़कर भूमि का आबंटन किया जा रहा

(श्री गोपीचंद मीणा)

है। यह राज्य सरकार का आदेश नहीं है। संभागीय आयुक्त के आदेश होने की वजह से 250 मीटर छोड़कर के उसका आबंटन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है, मैंने राजस्व मंत्री जी से 2 बार सम्पर्क भी किया। मैंने लिखकर के भी दिया। हमारे वहां के टी ए डी विभाग के मंत्री बैठे हैं, इनसे भी मैंने निवेदन किया। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही मामला नहीं है, पूरे संभाग का मामला है। ऐसा क्या कारण है कि हमारे टी एस पी एरिया में सड़क से 250 मीटर छोड़कर के उसका आबंटन किया जाता है?

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है कि पूरे राजस्थान में 45 मीटर छोड़कर के जमीन का आबंटन किया जाता है, जबकि उदयपुर संभाग में 250 मीटर छोड़कर आबंटन किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि इस पर सरकार जिक्र करे और कमिश्नर को लिखकर के दे। हमारे वहां कई काश्तकार ऐसे हैं जिनके 'प्रशासन गांवों के संग' में शिविर लगे थे, लेकिन सब लोग वंचित रह गये।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से विनती है कि इसका कोई न कोई निराकरण किया जाये।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। 295, संदीप शर्मा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कोटा शहर के मथुराधीश मंदिर का जीर्णोद्धार एवं निकटवर्ती क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शैक्षणिक नगरी के साथ-साथ धार्मिक नगरी भी है।

(समय: 12.09 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

यहां मथुराधीश मंदिर कोटा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान कृष्ण और वल्लभ संप्रदाय, जो कि कृष्ण जी के अनुयायी थे, को समर्पित है। वल्लभ के सप्त उप पीठों में प्रथम स्थान कोटा मथुरेश जी का है। कोटा के पाटनपोल में भगवान मथुराधीश जी का मंदिर है। इसी कारण यह स्थान वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर एवं उसके आस-पास क्षेत्र की स्थिति श्री नाथद्वारा की तरह प्रतीत होती है। हालांकि मंदिर

(श्री संदीप शर्मा)

श्रीनाथद्वारा जितना विशाल नहीं है, पर वैष्णव सम्प्रदाय में इसकी बड़ी मान्यता और आस्था है। इस मंदिर को रियासत काल में नंदग्राम के नाम से भी जाना जाता रहा है।

वल्लभ सम्प्रदाय की प्रधान पीठ होने के कारण वर्ष भर इस सम्प्रदाय के धर्मावलम्बी यहां आते रहते हैं। यहां मथुरेश जी की सेवा वल्लभ सम्प्रदाय की परम्परा के अनुरूप की जाती है और वर्षभर यहां उत्सवों का आयोजन होता है। यहां आयोजित प्रमुख उत्सवों में कृष्ण जन्माष्टमी, नन्दोत्सव, अन्नकूट तथा होली का उत्सव प्रमुख है। यह मंदिर लाखों धर्म प्रेमी बंधुओं की आस्था का प्रमुख केन्द्र होने के बाद भी मंदिर का पुनरुद्धार नहीं हो पा रहा है। इसका परिक्रमा मार्ग बहुत संकरा और अव्यवस्थित है। जब लाखों धर्मार्थी दर्शनार्थी परिक्रमा और दर्शन के लिए आते हैं तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि कोटा में धार्मिक पर्यटन को देने के लिये इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर आस-पास के क्षेत्र को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों की प्रवेश निरस्ती

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर ने सितम्बर, 2022 में जयपुर नगरीय क्षेत्र के निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना में कक्षा 01 में छात्रों को प्रवेश से वंचित रखने पर मान्यता एवं अनापत्ति निरस्त करने की अभिशंसा की थी। उक्त अभिशंसा के कारण निजी विद्यालयों ने छात्रों को कक्षा 01 में प्रवेश उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन दिया था। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खण्डपीठ ने अनापत्ति निरस्त करने की प्रक्रिया पर स्थगन आदेश नवम्बर, 2022 में जारी किया है।

अब निजी विद्यालय उच्च न्यायालय के मान्यता निरस्तीकरण की प्रक्रिया पर स्थगन आदेश की आड़ में पूर्व में प्रवेशित छात्रों को अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश निरस्त होने और अगले सत्र से दूसरी व्यवस्था करने का लिखित आदेश दे रहे हैं।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

कतिपय निजी विद्यालय इस प्रकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम की खुली अवहेलना कर रहे हैं। पूर्व में प्रवेशित छात्रों का प्रवेश निरस्त नहीं हो एवं उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाभ मिलते रहे, इसके लिए में माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

खरपीणा ग्राम पंचायत में हाईटेंशन लाइन के कारण घटित दुर्घटनाएं

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में ग्राम पंचायत खरपीणा में बिजली विभाग की हाईटेंशन 33 के वी लाइन के नीचे एन एच 48 के पास खरपीणा में हाईवे के ठेकेदार द्वारा 6 लाइन का कार्य किया था। उसका मलबा डालकर बिजली के तारों के नीचे भराव इतना कर दिया कि जमीन और तारों के बीच केवल 4-5 फीट की दूरी है, जिसकी वजह से 2 व्यक्ति अपनी जान दे चुके हैं व अनेक पशु भी इस लाइन की चपेट में आने से मर चुके हैं। अभी और मरने का खतरा बना हुआ है, मगर सरकार, जिला कलेक्टर व संबंधित अधिकारियों को पंचायत के सरपंच द्वारा अलग-अलग शिकायतें करने के बावजूद भी अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है।

इससे हमारे निर्दोष नागरिकों व जो मुख से बोल नहीं सकते, ऐसे पशुओं की जानें गई हैं। इस मलबे को 33 के वी लाइन के नीचे किसने डाला और हाईटेंशन की लाइन की अनदेखी क्यों की गई, इसकी जांच कराई जाए एवं दोषियों पर सख्त कार्यवाही कर इस मलबे को हटाकर आमजन को राहत प्रदान करावें। इससे जिन निर्दोष लोगों व मूक जानवरों की जानें जा चुकी हैं, उन सबको इसका मुआवजा दिलवाएं।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

जयसमन्द झील में नौकायन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयसमन्द झील में नावों का संचालन पूर्ण रूप से अवैध हो रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा एन.ओ.सी. प्रदान

(श्री अमृतलाल मीणा)

नहीं करने के कारण पंचायत अपने मनमाने ढंग से हर किसी को एन ओ सी दे रही है। बाबा मगरा समिति के सभी सदस्य इसी रोजगार पर निर्भर हैं। नावों की संख्या बढ़ने से समिति के सदस्यों का रोजगार खतम हो जायेगा। वर्ष 1996 से नाव चलाने की स्वीकृति सिंचाई विभाग द्वारा दी गई थी और वर्ष 1996 से वर्ष 2017 तक का कर सिंचाई विभाग को जमा करा दिया गया है। जो पैसा जयसमन्द झील की पाल व बगीचे के लिए था, वह निजी स्वार्थ के लिए वन विभाग द्वारा दो नाव जंगल की गश्त के लिए खरीदी गई थी, उसे विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा पर्यटक को घुमाने के रूप में काम में लिया जा रहा है।

अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि जो दो नई नाव खरीदी गई हैं वे वन विभाग के अधीन न करके सिंचाई विभाग के अधीन की जायें एवं सिंचाई विभाग की देखरेख में एन ओ सी जारी की जाये। उक्त विभाग के जो भी अधिकारी/कर्मचारी इसमें लिप्त पाये गये हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये और विगत पांच वर्षों का पैसा वन विभाग द्वारा कहां-कहां एवं किस-किस काम के लिये व्यय किया गया, यह जांच कर अवगत कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

महारानी वीरांगना अवन्तीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा समाज उत्थान हेतु समय-समय पर पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान हेतु अनेक बोर्डों का गठन किया गया है, जैसे रेबारी, गुर्जर समाज हेतु देवनारायण बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड, ब्राह्मण समाज हेतु विप्र बोर्ड, माली सैनी समाज हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, रजक बोर्ड, शिल्पी बोर्ड। इसी प्रकार से मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सम्पूर्ण राजस्थान के करीब 25 जिलों में लोधा, लोधी, लोध समाज निवास करता है। यह पिछड़ा समाज मुख्यत: झालावाड़ के मनोहर थाना, बकानी, धौलपुर, भरतपुर, बारां, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, राजसमन्द चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी जिलों में निवास करता है और जो शैक्षिक, आर्थिक स्थिति से काफी पिछड़ा हुआ हैं। उनके सर्वांगीण विकास हेतु महारानी वीरांगना अवन्ती बाई लोधी विकास बोर्ड का गठन किया जाए।

(श्री गोविन्द प्रसाद)

इस पिछड़ी जाति लोधा, लोधी, लोध, तंवर, केवट, निषाद आदि को सम्मिलित कर विकास की मुख्य धारा में लाना भगीरथी प्रयास होगा। महारानी वीरांगना अवन्तीबाई लोधी विकास बोर्ड के गठन के संबंध में अन्य विधायकगणों ने भी इस मांग को सदन में उठाया है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक (अनुपस्थित)। श्री मदन दिलावर।

खैराबाद पंचायत समिति (रामगंज मण्डी) के सम्बन्ध में जलदाय विभाग के पोर्टल पर अप्रमाणित आंकड़े

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत हर घर को नल से पानी उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान को भी भारत सरकार से अरबों-खरबों रुपये प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरकार व सरकार के कारिन्दों की उदासीनता व कार्य की धीमी गति के कारण आशातीत परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खैराबाद पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 33,345 कनेक्शन दिये गये जाने हैं, उनमें से 8,593 कनेक्शन विभाग द्वारा अब तक दे दिये गये हैं। इन जारी कनेक्शनों में ग्राम मदनपुरा व ग्राम जगपुरा में तो 100 प्रतिशत हर घर को नल से जोड़ना बताया गया है, जबकि विभाग के कारिन्दों ने अपनी पीठ थपथपाने व वाहवाही लूटने के लिए इन ग्रामों की अनपढ़ जनता से आधार कार्ड की कापियां लेकर पोर्टल पर कनेक्शन देना बता दिया है, पर मौके पर नहीं दिया गया है और उनके घरों तक पानी ही नहीं पहुंचा है। पुरानी पेयजल लाइन जो वर्षों पुरानी थी और जर्जर अवस्था में थी, उस पाइप लाइन से कम से कम बून्द-बून्द पानी तो मिल रहा था, लेकिन नई पाइप लाइन बिछाने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिलना विभाग की कारगुजारियों का जीता-जागता नमूना है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, ढाणी मानपुरा, खरली बावड़ी, कुकडाखान, नयागांव, राईखेडा व चन्द्रपुरा में भी इसी प्रकार लोगों के घरों को कनेक्शन देना बताकर उनको पूर्व में मिल रहे पीने के पानी से भी वंचित कर दिया गया है। मुझे तो इस योजना में खुल्लम-खुल्ला भ्रष्टाचार की

(श्री मदन दिलावर)

लूट दिखाई पड़ रही है। लोग पानी की एक एक बून्द के लिए तरस रहे हैं। लोग यह भी कह रहे हैं कि हर घर नल से जल योजना से तो पूर्व की पुरानी पेयजल योजना ही ठीक थी, जिससे हमें कुछ पानी तो मिल रहा था। अब तो हमें कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है और विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उनको कहने के बावजूद भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

श्री सभापति: श्रीमती सफिया जुबेर (अनुपस्थित)। श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित)। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

फर्जी डिग्रियों की जांच के बहाने भर्ती प्रक्रिया का स्थगन

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। प्रदेश में फर्जी डिग्रियों की जांच के नाम पर भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किये जाने से बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ने वाले विपरीत असर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रदेश में फर्जी डिग्रियों के आधार पर संगठित गिरोह लम्बे समय से सरकारी नौकरी में बिना डिग्रीधारियों को नियुक्त किये जाने की साजिश को अंजाम दे रहा है। इन फर्जी डिग्रियों के बारे में शिकायत होने पर डिग्रियों की जांच के नाम पर भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करके राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व विभिन्न सरकारी एजेंसियां अपनी विभिन्न भर्ती प्रक्रिया की कार्य प्रणाली को और अधिक लम्बित कर रही है, जिससे प्रदेश के युवा, बेरोजगार, जो इन भर्तियों की लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले दिनों हुई रेडियोग्राफर, एन टी टी शिक्षक, पी टी आई, लैब टैक्निशियन, फायरमैन व सहायक अग्निशमन अधिकारी सहित कई भर्तियों में फर्जी डिग्रियों की जांच के नाम पर परीक्षाएं आयोजित होने के बाद स्थगित कर दी गयी हैं। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी असफलता की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सरकार भी फर्जी डिग्रियां बनाने वाले सरगनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करने में अब तक असफल ही हुई है।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश में फर्जी डिग्रियों की जांच के नाम पर जिन भर्ती प्रक्रियाओं को स्थगित किया गया है, उनकी जांच प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र कर भर्ती प्रक्रियाओं को पुनः बहाल कर प्रदेश के युवाओं, बेराजगारों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

रानीवाड़ा में अघोषित विद्युत कटौती

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के गांवों में लोड शैडिंग के नाम पर अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। 24 घण्टे में मात्र 15-16 घण्टे ही सिंगल फेज बिजली मिल रही है। इस बाबत मैंने कलेक्टर, जालौर; एस ई, एक्स ईएन को पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी भी शाम को 5 बजे से 8 बजे तक और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कटौती हो रही है। शाम को महिलाओं को खाना बनाने, बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो रही है। सुबह बिजली कटौती से महिलाओं के बिलौना करने, बच्चों के नहाने का गर्म पानी करने सहित कई काम नहीं हो पाते हैं।

किसानों के लिए दिन में 6-6 घण्टे के 2 ब्लाक्स में बिजली सप्लाई करने के आदेश हैं, लेकिन कटौती के कारण सुबह 10 से शाम 5 बजे तक केवल 7 घण्टे का समय होता है। उसमें 6-6 घण्टे के 2 ब्लाक्स में कैसे सप्लाई हो सकती है? किसानों को दिन के ब्लाक में केवल 3 घण्टे ही बिजली मिल रही है। इससे किसानों में भारी आक्रोश है। मुख्य मंत्री जी ने बजट 2020-21 में 14 जिलों के किसानों को दिन में बिजली देने की घोषणा की थी, जिसमें जालौर भी था, लेकिन 3 साल बाद भी दिन में तो दूर, रात में भी बिजली नहीं मिल रही है।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से लोड शैडिंग के नाम पर की जा रही इस अघोषित विद्युत कटौती को तुरन्त प्रभाव से बंद कराने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम (अनुपस्थित)। श्री निर्मल कुमावत (अनुपस्थित)। श्री धर्मनारायण जी जोशी।

(समय: 12.26 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

बूझड़ा ग्राम (उदयपुर) में नदी के प्रवाह क्षेत्र पर सड़क निर्माण तथा राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। उदयपुर के समीप बूझड़ा गांव में नदी के पेटे में भराव डालकर सड़क निर्माण करने व वन भूमि, चरागाह भूमि व सिंचाई विभाग द्वारा देवास सुरंग के लिए अवाप्त भूमि का व्यावसायिक उपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोला झील के कैचमेंट क्षेत्र में बूझड़ा गांव से बहने वाली अमरजोक नदी के खसरा संख्या 106, 198 व 199 पर सरकारी खर्चे से भराव डालकर नदी को पाटकर सरकारी धन से डामर रोड बनाकर वहां रोड लाइट लगायी गयी है। विचारणीय विषय यह है कि यह कार्य जिस मार्ग पर किया गया है, वह आम रास्ता नहीं है। केवल एक होटल व्यवसायी को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। बूझड़ा गांव की वन विभाग व चरागाह की भूमि खसरा नम्बर 162, 155 व 158 पर इसी होटल व्यवसायी ने कब्जा कर लिया है। वहीं वर्ष 2006 में गांव के खसरा संख्या 151 व 158 की भूमि सिंचाई विभाग ने देवास सुरंग के पास की भूमि होने से अवाप्त की थी, वह भी होटल व्यवसायी को आबंटित कर दी गयी। खसरा संख्या 2277/175, 178 जो सरकारी भूमि है, इस भूमि पर भी होटल व्यवसायी ने दीवार बनाकर पार्किंग स्थल बना लिया है।

ग्रामवासियों ने मुझे बताया है कि इस 200 कमरों की बड़ी होटल का निर्माण भी अनुमोदित नक्शे व भवन नियमों के अनुरूप नहीं किया गया है। यहां पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में दिये गये फैसले के विपरीत कार्य हुआ है। मेरा निवेदन है कि माननीय न्यायालय के फैसले की कठोरता से पालना हो, प्राकृतिक जल संसाधनों को क्षति पहुंचाने व इस काम में सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। साथ ही, इससे सम्बन्धित मेरे पास उपलब्ध समस्त पत्रावली को जांच के लिए सदन पटल पर प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

सांगानेर स्थित डिग्गी रोड, सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर सिंगल अंडरपास का डबल अंडरपास में परिवर्तन

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत सूचना।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में डिग्गी रोड पर सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन अंडरपास रोड तो डबल है, लेकिन अंडरपास सिंगल बना हुआ है जिसके कारण प्रतिदिन हजारों गाड़ियां व लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। यह एक बी ओ टी रोड है। जे डी ए अपने स्तर पर अविलम्ब इसकी चौड़ाई डबल करे या टोल रोड कम्पनी से इसे चौड़ा करवाये या फिर जे डी ए केन्द्र सरकार को अविलम्ब लिखकर एन ओ सी भी साथ भेजे जिससे वहां से यह कार्य करवाया जा सके।

डिग्गी रोड पर डिग्गी मोड़ से मुहाना मण्डी गेट तक तथा मण्डी के दोनों तरफ की सडकें भी भयंकर टूटी हुई हैं। 1-1 फीट गहरे गड्ढे हो रखे हैं, जबकि मुहाना मण्डी एशिया की सबसे बड़ी फल, सब्जी, खाद्य सामग्री की मण्डी है। प्रतिदिन हजारों लोगों, किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। सरकार मण्डी टैक्स के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपये की कमाई कर रही है, परन्तु एक रुपया भी मण्डी व सड़कों के रख-रखाव पर खर्च नहीं कर रही है। अतः मंत्री महोदय इस पर संज्ञान लेकर जे डी ए को निर्देशित कर इन दोनों महत्वपूर्ण प्रकरणों का अतिशीघ्र समाधान कर राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्यों को समुचित मानदेय व भत्ते

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच चुने जाते हैं, जिन्हें मानदेय के रूप में राशि मिलती है। उक्त जन-प्रतिनिधि पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ होते हैं और सारे विकास कार्यों तथा सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम करते हैं। इनका पूरा समय इन्हीं कामों में लगता है, परन्तु इन्हें बहुत ही कम मानदेय दिया जाता है।

(श्री निर्मल कुमावत)

इन्हें अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए पंचायत समिति तथा जिला मुख्यालयों पर भी जाना होता है और जो मानदेय इन्हें दिया जाता है उससे ज्यादा तो इनके पेट्रोल-डीजल पर ही खर्च हो जाता है। कम मानदेय मिलने के कारण इनकी कार्य में अरुचि होने लगती है, जबकि विकास कार्यों में मुख्य भागीदारी इन्हीं की होती है। पूर्व में उक्त प्रतिनिधियों ने आन्दोलन करके तथा ज्ञापन देकर भी सरकार से मांग की है कि इनके मानदेय एवं सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए परन्तु सरकार द्वारा 10-15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है जो 'ऊंट के मुंह में जीरा' के समान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में इनको सम्मानजनक मानदेय दिये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु सरकार के पांच साल पूरे होने वाले हैं और घोषणा पत्र में किया गया वादा आज तक पूरा नहीं किया गया है।

अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से निवेदन है कि इन जन-प्रतिनिधियों की मांगों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर उन्हें राहत प्रदान करें, ताकि वे गांवों के विकास में मन लगाकर जुटें और प्रदेश तरक्की कर सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती अनिता भदेल।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

दौराई ग्राम (अजमेर) में रीको को आबंटित भूमि पर बसी कालोनी का नियमन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का अजमेर दक्षिण में जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम दौराई के खसरा नम्बर 1494 और 1495 की 40 बीघा 11 बिस्वा भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम लिमिटेड को औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए आरक्षित की गयी थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप तो खाली मेंशन कर दो कि 131 में आकर्षित करती हूं। दैट्स आल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अजमेर दक्षिण के ग्राम दौराई में रीको को आबंटित भूमि पर बसी कालोनी का नियमन करने के विषय की ओर मैं माननीय उद्योग मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के उद्योग (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.6(4) उद्योग/1/78 दिनांक 3.06.1991 के द्वारा ग्राम दौराई तहसील अजमेर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु खसरा नं. 1494 एवं 1495 की कुल भूमि 40 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वान्सी (6.568 हैक्टेयर) का आबंटन निगम के पक्ष में किया गया। उक्त भूमि की प्रीमियम की राशि रुपये 14.20 लाख निगम द्वारा दिनांक 01.01.1992 को राजकोष में जमा कराने के पश्चात् भूमि का कब्जा निगम द्वारा दिनांक 22.01.1992 को प्राप्त कर लिया गया।

उक्त भूमि के संबंध में लम्बे न्यायिक विवाद के जनवरी, 2021 में निस्तारण के पश्चात् मौके पर राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन किये जाने के पश्चात् क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया गया। सर्वे के अनुसार 6.32 हैक्टेयर भूमि का संशोधित ले-आउट प्लान तैयार किया जा कर 500 वर्ग मीटर से 1500 वर्ग मीटर तक के 37 औद्योगिक भूखण्डों का नियोजन किया गया है। उक्त 37 भूखण्डों में से कुल 14 भूखण्ड अतिक्रमण रहित हैं (0.98 हैक्टेयर) जिनके सामने सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। निगम द्वारा ई-नीलामी में 2 औद्योगिक भूखण्डों का आबंटन पत्र जारी किया जा चुका है। शेष 12 रिक्त भूखण्डों को निगम नियमानुसार ई-नीलामी के माध्यम से आबंटित किया जायेगा।

शेष अतिक्रमित 5.34 हैक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से किये गये आवासीय अतिक्रमण को नियमित किये जाने का वर्तमान में रीको डिस्पोजल आफ लैण्ड रूल्स, 1979 में कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही अतिक्रमित भूमि राज्य सरकार को समर्पित किये जाने का कोई प्रस्ताव रीको में विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगी, आप यह कह रहे हैं कि 6.32 हैक्टेयर भूमि पर आपने प्लाटिंग की योजना बनायी है, लेकिन 6.32 हैक्टेयर में से मात्र 0.98 हैक्टेयर भूमि ही वहां पर उपलब्ध है और बाकी 5.35 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय कालोनी बसी हुई है जिसके लिए आपने जवाब में लिखा है कि 100 परिवार वहां रह रहे हैं। वहां पर सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैं और जिन्होंने भूखण्ड लिये हैं उन्होंने

(श्रीमती अनिता भदेल)

रीको से ये भूखण्ड नहीं लेकर जो भू-माफिया हैं, उन्होंने औने-पौने दामों में इन गरीब लोगों को भूखण्ड दिये हैं, ऐसे 100 परिवार वहां बसे हुए हैं। यह रीको में नियम नहीं है कि आप इस लैण्ड का डिस्पोजल करें, लेकिन मैं आपसे आश्वासन चाहती हूं कि क्या ऐसे जो 100 लोग बसे हैं, सरकार का पट्टे देने का अभियान भी है और ये लोग इस पट्टा अभियान से खुश होकर इंतजार कर रहे हैं कि हमारी भूमि, जो कलेक्टर ने रीको को आबंटित की थी, यह जो अतिक्रमण वाली भूमि है वह भूमि पुन: रीको कलेक्टर को समर्पित कर दे और कलेक्टर उस भूमि पर वास्तव में ऐसे जो 100 परिवार बसे हुए हैं उनको पट्टे यदि आबंटित कर देंगे, आप चूंकि इस भूमि से अतिक्रमण कभी हटा नहीं सकते हैं, 100 परिवारों को हटाना किसी भी शासन-प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए 100 परिवार तो वहां से हटाये नहीं जा सकते, तो क्या आप वापस यह भूमि कलेक्टर महोदय को सुपुर्द करके इस पर पट्टे दिलाने की कार्यवाही कर सकते हैं? या जिला कलेक्टर को सुपुर्द कर दें तो आगे जिला कलेक्टर से हम निवेदन कर लें कि वे पट्टे देने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रीको इस जमीन का पेमेंट भी कर चुका है और रीको ने पैसे से ली है। दूसरी बात, जो माननीय सदस्या की भावना है, वह यह भावना है कि जो भी परिवार वहां इतने वर्षों से बसे हुए हैं उनको सारी सुविधाएं अवेलेबल करा दी गयी हैं और जैसा माननीय सदस्या ने कहा तो हमारी सरकार की भी इस तरीके की मन्शा है कि किसी का घर उजाड़ा नहीं जाये। जो पट्टे देने का अभियान हम चलाते हैं, उसी भावना को दिल में रखते हुए इतने जो भी प्रकरण हैं, जहां इतने वर्षों से रह रहे हैं उसमें हम किसी को उजाड़ने का काम नहीं करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी की भावना, सरकार की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवारों का सर्वे कराकर रीको नहीं, हम प्रशासन को, नगर निगम, नगरपालिका, ग्राम पंचायत जिस भी एरिया में आते हैं, उनको वहां पर हैण्डओवर कर देंगे और वो उनको पट्टा देने का काम करेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर व तखतगढ़ राजस्व ग्रामों की राज पोर्टल पर अनुपलब्धता

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में सुमेरपुर व तखतगढ़ राजस्व ग्रामों में एल जी डी कोड राज पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है जिससे यहां के किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिल रही है। इस तरफ मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: इसलिए मैं 131 में ध्यानाकर्षित करता हूं। विराजें आप। मंत्री जी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के राजस्व ग्राम सुमेरपुर व तखतगढ़ राज पोर्टल एवं पी एम किसान पोर्टल पर दर्शित हैं। उक्त दोनों ग्राम नगरीय क्षेत्र में आते हैं एवं पी एम किसान पोर्टल पर सुमेरपुर का एल जी डी कोड 248783 एवं तखतगढ़ का एल जी डी कोड 248782 है। सुमेरपुर में अब तक 270 कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 248 कृषकों को 0.32 करोड रुपये की किस्त राशि एवं तखतगढ़ में अब तक 637 कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 582 कृषकों को 0.84 करोड़ रुपये की किस्त राशि हस्तांतरित की गयी है। शेष कृषकों का आवेदन सत्यापन हेतु प्रक्रियाधीन है, जो कि सतत प्रक्रिया का अंग है। इन गांवों के कृषकों द्वारा आवेदन किये जाने एवं योजनानुसार पात्रता धारित करने पर लाभान्वित किया जा रहा है।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें छोटे और बड़े सभी किसानों को दो हजार रुपये प्रति चार महीने में उनके खाते में राशि सीधी जारी करते हैं, लेकिन तखतगढ़ और सुमेरपुर में आधे किसानों को भी वह राशि नहीं मिल रही है। राज पोर्टल लगातार बंद रहता है, किसान आवेदन करते हैं और आवेदन ऑनलाइन होता नहीं है। तखतगढ़ में 750 किसान ऐसे हैं, जिनको अभी तक, आज दिन तक किसान सम्मान निधि की राशि मिली ही नहीं है और सुमेरपुर में भी ऐसे आधे किसान हैं जिनको योजना चालू होने के बाद में आज तक वह राशि मिली ही नहीं है। इस सम्बन्ध में जाकर के मंत्री जी कार्यवाही करावें जिससे सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिले और उनके खाते में सीधी जारी हो सके।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य ने जो बात उठायी कि पोर्टल पर नहीं दिख रहा है तो पोर्टल पर भी दिख रहा है और जितनों को लाभान्वित किया गया है वह भी इसमें है। कुछ अपात्र लोग हैं, उनकी छंटनी करके दिया जाता है और पोर्टल भी दोनों भारत सरकार के हैं। ऐसी कोई लिस्ट है तो आप उपलब्ध करा दें कि इनका सब क्लियर है और उसके बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है तो वह भुगतान करा दिया जाएगा। राजस्थान सरकार के लेवल पर या हमारे विभाग के लेवल पर कोई मामला पैंडिंग होगा तो वह करा दिया जाएगा। बाकी दोनों पोर्टल भारत सरकार के हैं और दोनों ऑनलाइन दिख रहे हैं तथा उनमें बराबर हो रहा है एवं पेमेंट भी हो रहा है।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पोर्टल अभी दिख रहा होगा, लेकिन जब मैंने प्रश्न लगाया था, उस समय यह नहीं दिख रहा था। मैं लगातार चार वर्षों से यह प्रयास कर रहा हूं तथा विधान सभा में विभिन्न नियमों के माध्यम से मैंने लगाया है। अभी भी एस डी ओ साहब के पास में आवेदन पड़े हुए हैं। जिन किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किये हैं उनकी कापी भी एस डी ओ साहब को दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके ऊपर कार्यवाही करें। इसमें पात्र और अपात्र का तो सवाल ही नहीं है, सारे किसान पात्र ही हैं। प्रधान मंत्री जी सीधे सभी किसानों को दो हजार रुपये देना चाहते हैं तो इसमें पात्र या अपात्र का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी सीधे देना चाहें तो हम भी नहीं रखना चाहते हैं। पोर्टल पर वे ही डायरेक्ट डालते हैं। एक रुपया भी नहीं रुक सकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बैठें। वे कह रहे हैं कि तीन-चार साल से बराबर कोशिश कर रहे हैं और पोर्टल फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। किसान बार-बार आता नहीं है। एक बार विभाग के अधिकारियों को कहकर व किसानों के साथ बैठकर चर्चा कर लें कि कैसे पोर्टल को ठीक ढंग से करें। खाली इतना ही काम करना है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): सर, चैक करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार व मतदान। श्री रामलाल जाट, राजस्व मंत्री।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16-राजस्व की प्रस्तुति

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 - राजस्व विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,35,20,11,000/- (बीस अरब पैंतीस करोड़ बीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 16 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री।

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की प्रस्तुति

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 79,16,13,04,000/- (उन्यासी अरब सोलह करोड़ तेरह लाख चार हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 31 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

मांग संख्या 16-राजस्व व 31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर विचार

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक फिल्मी गाना है, "गैरों पर करम अपनों पर सितम, ऐ जान-ए-वफा ये जुल्म न कर, कर ले तू अभी थोड़ा-सा रहम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर।"

(समय: 12.42 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

सामाजिक न्याय विभाग के इतने अच्छे मंत्री, काबिल भी हैं, पर इनके साथ भी न्याय नहीं है। इनको कैसे नजरअंदाज किया? ये जो सामाजिक सुरक्षा की पेंशन राशि बढ़ाई न, 500 और 750 पर चौकड़ी लगाई और आगे

(श्री ज्ञानचंद पारख)

हजार रुपया किया, पर आपकी फोटो पर भी चौकड़ी लगा दी। अब तक यह परम्परा रही है कि जिस विभाग का मंत्री होता है, मुख्य मंत्री जी के साथ उस विभाग के मंत्री की भी फोटो लगती आई है, जब अपनों के साथ न्याय नहीं कर सकते तो सामाजिक न्याय क्या दे पायेंगे?

माननीय मंत्री महोदय, आपका चेहरा बहुत हंसता, मुस्कुराता हुआ है और माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ आपका फोटो लग जाता, तो चार चांद नहीं तो दो चांद तो जरूर लग जाते, पर उन्होंने आपको भी नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, आप अच्छे मंत्री के साथ-साथ अनुसूचित जाति के भी हैं, जिसके बूते कांग्रेस ने आज तक सत्ता प्राप्त की है। ऐसे मंत्री की अनदेखी और मात्र आपकी ही नहीं, जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने सत्ता लाने में एक अच्छी भूमिका निभाई, आपके अपने उप मुख्य मंत्री रहे, जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, उनके साथ भी न्याय नहीं। कैसी दुर्गति करके रख दी, यह पूरा राजस्थान देख रहा है। आप एस सी के हैं, वे एम बी सी के हैं। कोई बात नहीं, उनके साथ नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं।

आपसे एक आग्रह रहेगा, मुझे याद है, 2019 के लोक सभा चुनाव के पहले देश की सर्वोच्च कुर्सी पाने की लालसा में आपके अपने सर्वोच्च नेता, उन्होंने देश की जनता से अहम वादा किया था। चुनावी वादा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम न्याय योजना लेकर आयेंगे। कहा था कि 20 परसेंट आबादी, जो लगभग 7 करोड़ होती है, उनको सालाना 72 हजार रुपये मिल जाए। उनका वादा या कि पांच वर्ष में 3 लाख 60 हजार इनके खाते में हम डालेंगे। उन्होंने नारा भी दिया 'गरीबी पर वार, रुपये 72 हजार', और कहा कि 'हमारा पहला कदम न्याय की ओर बढ़ता कदम', सत्ता आपको नहीं मिली। अब 2024 में तो मिलने वाली नहीं है। अब तो उनको सपने भी आने बंद हो गये होंगे, उनकी उम्मीदें भी तार-तार हो गई होंगी।

देश में आपके पास तीन राज्य हैं। उसमें हमारा राज्य सबसे बड़ा है। यहां भी आप कुछ महीनों के मेहमान। जब यह सन् बदेलगा न, तो यह सत्ता भी बदल जायेगी। उससे पहले ही बदल जायेगी।

मेरा आग्रह रहेगा कि आपके सर्वोच्च नेता के मन की जो भावना थी, न्याय योजना की, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, थोड़ा साहस दिखाओ और राजस्थान की धरती पर उसको लागू करके, जो कमिटमेंट किया था, साल में 72 हजार

(श्री ज्ञानचंद पारख)

रुपये खाते में डालेंगे, तब कहीं जाकर राजस्थान की जनता को विश्वास आयेगा कि हां, ये जो कहते हैं, वह करते हैं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, सुनें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, अब आप अपने नेता के वादे पर भी न्याय नहीं कर सको, तो फिर औरों से कैसे न्याय होगा? उसकी उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। उनका अपना संकल्प, उनका अपना सपना और उसकी शुरुआत राजस्थान से हो जाये तो राजस्थान की जनता वाकई में आपकी आभारी रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह जो आपकी सबसे महती नवजीवन योजना है। जो अवैध दारू के धन्धे के व्यापार में लिप्त जातियां और परिवार, उनको उस धन्धे से मुक्ति दिलाकर उनको एक सम्मानजनक रोजगार देना। आपने प्रावधान भी किया था कि आबकारी की आय का एक परसेंट भाग इस योजना के लिए हम खर्च करेंगे। यह प्रावधान कब किया था? वह शुरुआती दौर में, जब इससे मात्र एक जाति जुड़ी थी, वह सांसी जाति। इसमें प्रावधान क्या किये थे कि उनके बच्चे, जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको अच्छे प्राइवेट स्कूलों में बेहतर शिक्षा देंगे। उनके जो युवक-युवतियां हैं, वे रोजगार से जुड़ जाएं। इसके लिए उनको कौशल प्रशिक्षण देंगे और बाद में उनको रोजगार के साथ जोड़ने में भी आप योगदान करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जब यह योजना शुरू हुई माननीय मंत्री महोदय, डिपार्टमेंट ने काफी काम भी किया और उसके बेहतर परिणाम भी आये, पर ज्यों-ज्यों समय बीता, तो हम उस योजना के प्रति धीरे-धीरे उदासीन होते गये। शुरुआत में एक जाति थी। उसके बाद में हमने कई जातियों को समय-समय पर सर्वे के आधार पर पात्र माना तो हमने जोड़ा। जोड़ना चाहिए तो हमने जोड़ा, पर हमने प्रावधान नहीं बढ़ाया। इसमें भाट-बंजारा जाति भी है। इस जाति का भी एक स्वर्णिम और गौरवशाली इतिहास रहा है। किसी जमाने में यह जाति बैलगाड़ी के जरिये ट्रांसपोर्ट का काम करती थी। किसी भी सामान को इधर से उधर पहुंचाना, इस व्यापार में यह जाति काफी सक्रिय थी, पर समय के साथ क्या हुआ कि यह काम बंद हो गया। अब इनका काम हो गया मजदूरी करना, हमाली करना। जब कई सारे परिवारों को रोजगार नहीं मिला तो अवैध दारू के व्यापार में जुट गये। इनकी महिलाएं भी बहुत मेहनती हैं

(श्री ज्ञानचंद पारख)

और इनके बच्चे शिक्षा में पिछड़ गये। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री जी को कि इस जाति को जोड़ा, लेकिन जोड़ने के बाद जिस प्रकार से इसमें प्रावधान बढ़ाना था, वहां उन्होंने कमी रखी दी, बढ़ाया नहीं। उसके बाद में और भी नई जातियां जुड़ीं, लेकिन बजट प्रावधान वो का वो रहा। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, जब आपने सांसी जाति के लिए एक परसेंट के साथ शुरू किया था, उसके बाद जितनी जातियां जोड़ी हैं, उनकी जो जनसख्या बनती है, उसके अनुपात में इसका बजट प्रावधान किया जाए तब कहीं जाकर आप इस योजना के साथ न्याय कर पाओगे, वरना आप इस योजना के साथ भी न्याय नहीं कर पाओगे।

माननीय सभापति महोदय, कोई अच्छी योजना होती है तो वह ढंग से कैसे चल जाये, उसमें भी कहीं न कहीं टांग अड़ाने का काम होता है। शुरुआत में जो भी बच्चा इस जाति का पढ़ना चाहता था, विभाग में आवेदन करता और जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई थी, वह उसकी सूची प्रमाणित करती कि इन-इन बच्चों को इस-इस विद्यालय में एडमिशन दे दिया जाये, पर बाद में आपके अधिकारियों ने इसमें एक शर्त जोड़ दी कि जो बच्चा नवजीवन योजना में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, पहले वह आर टी ई के तहत आवेदन करे और वहां यदि उसका आवेदन मंजूर नहीं होगा तो ही वह पात्रता रखेगा कि वह नवजीवन योजना में भर्ती हो। माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपकी फेस बुक देखी है। आपने कहा भी है कि हम इस शर्त को हटायेंगे और आपने विभागीय अधिकारियों की बैठक में इसको हटाने के लिए कहा भी, पर आपके कहने के बाद भी इनके साथ न्याय नहीं हो और आपके अधिकारी आपकी बात नहीं माने। इधर मुख्य मंत्री जी आपकी बात नहीं मानते, आपकी अनदेखी करते हैं और उधर आपके अधिकारी आपकी अनदेखी करते हैं, फिर कहां का न्याय है यह?

सभापति महोदय, नवजीवन योजना में बच्चे ज्यादा इच्छुक इसलिये होते हैं कि उनकी बस का किराया भी सरकार देती है। स्कूल ड्रेस है, बैग है, किताब है, कापी है, जूते हैं, मोजे हैं, टिफिन है, बोतल है, यह सारा का सारा सरकार अपने खजाने से देती है और आर टी ई में यह प्रावधान नहीं है इसलिये उस जाति के बच्चे पढ़ने के लिए तभी लालायित होते हैं कि इनको ये चीजें शिक्षा के साथ-साथ नि:शुल्क मिल जायेंगी। अगर वाकई में आपके मन में इन जातियों को ऊपर उठाने की भावना है तो आपके ही निर्देशानुसार जो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आपने कह रखा है, यह सारे के सारे प्रावधान जो बीच में डाले हैं न, आर टी ई वाला है उसको हटाओ और जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसको एडमिशन देने का काम आप करें। यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

सभापति महोदय, वैसे हमारे पाली के जिला कलेक्टर भी बहुत अच्छे हैं और गरीब बच्चों के प्रति अच्छी हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने मात्र नवजीवन योजना में नहीं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं पाली जिले में, समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से उनका सहयोग लेकर हजारों बच्चों को ड्रेस, जूते, बेल्ट, कापी आदि उपलब्ध करायी और मान लो आपके पास राशि नहीं है, बजट नहीं है तो जिला कलेक्टर महोदय को कह दो न आप, वे यह व्यवस्था कराने में सक्षम हैं और उन गरीब बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिल जायेगी। उनको लाभ मिल जायेगा कि वो शिक्षा के साथ-साथ सुविधा भी प्राप्त कर लेंगे और जिन बच्चों को सुविधा मिलेगी न, वो सुविधा के नाम पर भी पढ़ाई के लिए स्कूल में प्रतिदिन जाने का क्रम बना लेंगे।

सभापति महोदय, इस योजना में आपकी उच्च प्राथमिक शिक्षा तक का तो प्रावधान है। अब बच्चा आठवीं पढ़ गया, नवीं से ऊपर पढ़ना चाहता है, कोई कौशल शिक्षा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है या कोई कालेज शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, आप इतने एक्टिव हो, इतने सक्रिय हो, हर बात को आप समझते भी हो, उसको गम्भीरता से लेते भी हो तो मात्र आठवीं तक पढ़ने से उसका जीवनस्तर नहीं बदल जायेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आ जायेगा। आठवीं से ऊपर की शिक्षा उसको जब तक वह पढ़ना चाहे और तकनीकी शिक्षा वह लेना चाहे, नवजीवन योजना में इसका प्रावधान करके उनके लिए आने वाले कल के भविष्य का आप रास्ता खोलो, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा। क्योंकि आप कर सकते हो इसलिये आपसे आग्रह कर रहा हूं मैं। बाकी कई मंत्री कर भी नहीं सकते, पर आप कर सकते हो, इसलिये आपसे आग्रह कर रहा हूं मैं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें प्रशिक्षण का भी पार्ट है क्योंकि कोई प्रशिक्षण नहीं लेगा तो कौशल नहीं सीखेगा, कौशल नहीं सीखेगा तो नये रोजगार के साथ जुड़ेगा नहीं, पर जितनी इनकी जनसंख्या है, जितनी इनकी आबादी है, जितनी इनकी बस्तियां हैं, एक बार आप आंकड़ा मंगवायें कि कितने युवक और कितनी युवतियां कौशल शिक्षा लेने को इच्छुक हैं और आप

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कितना दे पा रहे हो तो आपको खुद को नजर आ जायेगा कि कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा अन्तर है। उस अन्तर को कम करने के लिए भी आपसे आग्रह रहेगा कि जो भी युवक-युवती जिस ट्रेड में कौशल प्राप्त करने के इच्छुक हैं उस ट्रेड का कौशल उसकी बस्ती में खुल जाये, ताकि वह प्राप्त करके अपने आपको रोजगार के साथ जोड़ सके।

अब, माननीय मंत्री महोदय, इसमें आपने कुछ खर्चों का अलग-अलग बंटवारा कर रखा है कि इतना सर्वे में खर्च होगा, इतना शिक्षा पर, इतना प्रशिक्षण पर और इतना उसकी बस्ती के विकास पर। मैं बस्ती के विकास के लिए मना नहीं करता। वहां नाली, सड़क होनी चाहिये पर यह काम स्थानीय निकाय का है। इनके जीवन में परिवर्तन तभी आयेगा जब इनको शिक्षा और कौशल मिलेगा। नाली या सड़क बन जाने से इनके जीवन में परिवर्तन नहीं आयेगा, इसलिए आप कम से कम शिक्षा और कौशल पर ज्यादा राशि खर्च करो, यह आपसे मेरा आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, कौशल मिलने के बाद भी इनको रोजगार के साथ किस प्रकार जोड़ा जा सके, उसके लिए भी कहीं न कहीं आर्थिक मदद उनको अपनी ओर से मिल जाये, सरकार की ओर से मिल जाये, वह भी हमारा काम है। यह आपको प्रयास करना होगा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में अलग से नवजीवन योजना के लिए सौ करोड़ की राशि देने की घोषणा की थी। अलग से की थी यह। थोड़ा पता लगा लेना कि कितनी राशि खर्च की है। अगर मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार राशि खर्च हो जाती न, तो कई परिवारों को नया जीवन मिल जाता और नवजीवन मिल जाता। यह खर्च क्यों नहीं हुई इसके लिए कौन जिम्मेदार रहे, थोड़ा उनको भी देखो आप कि जब मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो पाता।

माननीय सभापति महोदय, यह जो जाति इससे जुड़ी हुई है इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनके लिए सरकारों को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, उनके लिए कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। साटिया जाति का नाम सुना होगा आपने। यह जाति देह व्यापार के जरिये, इनकी महिलाएं देह व्यापार के जरिये, यह शर्मनाक है हमारे लिए, कलंक है हमारे समाज के लिए यह कि यह काम इस युग में करना पड़ रहा है। अपने परिवार का पालन पोषण करती है। ये भी चाहते हैं कि हम सम्मानजनक जीवन जीयें, पर कहीं सहारा नजर नहीं आता। ऐसे में सरकार को उनका सहारा बनना पड़ेगा और

(श्री ज्ञानचंद पारख)

यह आपके जिम्मे आता है, आपके विभाग के जिम्मे आता है कि ऐसी जाति जो देह व्यापार से जुड़ कर अपने परिवार का रोजगार उत्पन्न करती है उसको भी हम अच्छे और सम्मानजनक पेशे के साथ जोड़ें।

माननीय सभापति महोदय, यह बावरी जाति है चौकीदार, यह भी काफी गरीब है। अंग्रेजी बबूल काट कर या कोयला बना कर ये मजदूरी करती है। गांव में इनकी आप दशा देखेंगे न तो आपको खुद को महसूस हो जायेगा कि कहीं न कहीं हमारी कमी रही है कि हमने इनके ऊपर नजर नहीं डाली और आज भी ये किस प्रकार गरीबी का जीवनयापन कर रहे हैं कितने अभाव में जी रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, इनका इतिहास इतना गौरवशाली है, भगवान राम जब वनवास में गये थे न, तब इनको खेतों की और फसलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी तो जो भगवान राम के इतने प्रिय हैं न, वह हमारे लिए प्रिय कैसे हो जाएं, उनका कैसे हम काम कर सकें, यह भी हमको करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, यह भील जाति है, शहरी भील, अब शहरी क्षेत्र में, जो भी भील जाति के परिवार रहते हैं न, अगर आप उनकी दशा देखेंगे न, तो उनकी महिलाएं कचरा बीन कर अपना रोजगार प्राप्त करती हैं और उनके पुरुष मजदूरी करके, हमाली करके। जिस जाति का इतिहास इतना गौरवशाली रहा, शायद किसी और जाति को यह सौभाग्य नहीं मिला होगा, भगवान राम ने शबरी के बेर खाये थे, वह भील थी। एकलव्य जिसने गुरु द्रोणाचार्य के लिए अपना अंगूठा काट कर दे दिया, जिस गुरु ने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया, इतनी समर्पित जाति है यह और यह जो मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास है न, वह इसी भील जाति के बूते है। महाराणा प्रताप की सेना में यदि किसी ने मुगलों से लोहा लिया तो राजपूतों के बाद भील सबसे ज्यादा थे जिन्होंने इस क्षेत्र को बचाये रखा। जिस जाति का इतना गौरवशाली इतिहास रहा, वह आज शहर में कचरा बीनने और उससे रोजगार उत्पन्न करे तो हम सब सरकारों के लिए शर्मनाक बात है। मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि किसी न किसी योजना के माध्यम से, नवजीवन योजना अभी दारू के धन्धे के लिए है, अगर उसमें ये नहीं आते तो सरकार चाहे जो योजना बना सकती है पर हमको बनानी चाहिये। मैं बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि आप कुछ करने की मंशा रखते हैं और आप करना चाहते भी हैं, आपको मौका मिल रहा है। 6 महीने का मौका है, एक अच्छा काम आपके माध्यम से और हो जाये तो यह काम आप करें।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, नट हैं, जोगी हैं, सपेरे हैं, कालबेलिया हैं, कैसे हालात हैं, पता है न सबको? आजादी के 75 साल बाद भी इनकी दशा क्या है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनके लिए कुछ करें? इनकी आबादी कम है, जनसंख्या कम है, वोटर कम हैं, इनके वोट नहीं हैं, इनकी आवाज नहीं है और आवाज नहीं है तो कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। अगर इनकी आवाज नहीं है तो हमको अपने कदम आगे बढ़ा कर इनको गले लगा कर इनकी सुध लेनी चाहिये और उनके कल्याण के लिए जो भी हम योजना बना सकें, उस योजना को बनाकर इनका भी जीवनस्तर ऊपर उठाना चाहिये।

सभापति महोदय, यह गाड़िया लोहार है ये भी आपके विभाग से जुड़े हुए हैं। प्रावधान भी है कि जिनके पास आवासीय भूखण्ड नहीं हैं सरकार उनको नि:शुल्क भूखण्ड उपलब्ध करायेगी। सरकार के पास जमीन की कमी नहीं है। जब कब्जे कर देते हैं तो ये तो बहुत छोटे से भूखण्ड पर ही अपना मकान बना लेंगे और उनके रोजगार के लिए भी औजार के लिए राशि देने का प्रावधान आपके हाथ में है।

एक बार आप इनकी भी एक सूची बनवाओ कि किस-किस क्षेत्र में कितने-कितने गाड़िया लोहार परिवार रहते हैं और यदि उनके पास मकान के लिये जमीन नहीं है तो उनको जमीन उपलब्ध कराओ। मकान के लिये राशि देने का प्रावधान है, वह राशि इनको दो और साथ में रोजगार के लिये औजार देने का आपका अपना प्रावधान है, किस-किस परिवार को आप रोजगार के लिये औजार दे सको, उस दिशा में भी आपको कहीं न कहीं अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देना होगा और इनकी शिक्षा और रोजगार के लिये भी विशेष प्रयास करना होगा।

(समय: 13.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के इसी काल की एक 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' है। आइटम वही, पैकिंग नई। पहले भी यह योजना थी, अलग नाम से थी, आपने सिर्फ नाम बदला कि विधवा और बी पी एल परिवार की पुत्री की शादी के लिये सरकार की ओर से मदद देंगे। यह कोई नई योजना नहीं है, पहले भी आप दे रहे थे। हो सकता है समय के साथ कुछ राशि आपने इसमें बढ़ाई हो, पर बड़ी चालाकी से आपने इसमें एक नया प्रावधान चिपका दिया कि एस सी, एस टी और माइनॉरिटी की विधवा की

(श्री ज्ञानचंद पारख)

बच्चियों को और विधवा की तुलना में 10 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि देंगे। एस सी, एस टी का तो समझ में आता है क्योंकि अधिकांश गरीब हैं और वर्षों तक उनका शोषण हुआ है, उनको अधिक मदद दें, इससे बढ़कर मदद दें, हम सब तैयार हैं, लेकिन माइनॉरिटी को अतिरिक्त मदद, यह थोड़ा दिमाग में कम बैठता है। इसमें कहीं न कहीं तुष्टिकरण का भाव आप में है। तुष्टिकरण के चलते आप इनको अन्य विधवाओं की तुलना में अधिक राशि दे रहे हो। इनकी मजबूरी कहां है? ये तो डंके की चोट पर कहते हैं कि हमने हिन्दुस्तान पर 600 साल तक राज किया है। जिस जाति ने 600 साल तक हिन्दुस्तान पर राज किया तो राज के साथ-साथ देश को लूटा भी होगा। उनको और अपना खजाना लुटा रहे हो। मेहरबानी करके ऐसा दोहरा काम मत करो। यह तुष्टिकरण समाज में दूरियां पैदा करता है। एस सी, एस टी को आप ज्यादा दो, हम सब सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन तुष्टिकरण के चलते हुए वोटों की लालसा में यह काम करना समाज के लिये ठीक नहीं है, यह संदेश भी अच्छा नहीं जाता। इसलिए जो अतिरिक्त प्रावधान किया है, उसको आप मेहरबानी करके सबमें समान कर दो।

माननीय सभापति महोदय, पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस पर आप थोड़ी नजर डालना। एस सी, एस टी का तो उन्होंने कई बार जिक्र किया है कि इनके कल्याण के लिये अलग से प्रावधान होना चाहिये, लेकिन बाकी के लिये नहीं किया। बाबा साहब की बात भी आप सुनते नहीं हो। संविधान का भी आपने तुष्टिकरण कर दिया। बाबा साहब के बनाये हुए संविधान में राम दरबार के चित्र का एक पेपर है, आप पुराना संविधान उठाकर देख लेना। उसका मकसद था हिन्दुस्तान में रामराज की कल्पना कि हम रामराज की स्थापना करेंगे। आपने तुष्टिकरण के चलते उस पेपर को भी वर्षों तक छिपाये रखा। रामराज का मतलब हर परिवार में खुशहाली, किसी परिवार में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। हमने राम मंदिर बनाया, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। राम मंदिर हमारा प्रतीक है, रामराज की ओर बढ़ने के लिये राम मंदिर को प्रतीक मानकर आने वाले कल में देश में रामराज स्थापित करें, यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारी भावना है। इसमें हम चाहते हैं कि हर ऐसा वर्ग जो अभाव से जीवन जी रहा है, उसके लिये सरकार कोई न कोई योजना बनाकर उसका जीवन स्तर ऊपर उठाये।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

एक चित्र और भी है भगवान श्री कृष्ण का। यह बाबा साहब के बनाये हुए संविधान में है। युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए। यह गीता का ज्ञान मनुष्य के जीवन में सार्थकता लाता है, लेकिन हमने उसको भी छिपाने का प्रयास किया। पूजनीय बाबा साहब के संविधान की बुक बता रही है, उसको भी बताने से हम कतरा रहे हैं। ओपन हो जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई तुष्टिकरण नहीं। यह देश सबका है, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि कोई भेदभाव हो। जिस तबके का वर्षों तक समाज में शोषण हुआ, उसको अतिरिक्त देंगे, हमारी ओर से कटौती करके देना चाहो तो वह भी हम सहर्ष देने को तैयार हैं, उसको आगे बढ़ाओ। जिन लोगों ने यह कह कर कि हमने देश में 600 साल तक शासन किया है, उनको सिर्फ वोटों के लिये अतिरिक्त दे दो, यह थोड़ा ठीक नहीं लगता।

माननीय मंत्री महोदय, यह देश भगवान राम और कृष्ण का देश है। राम-कृष्ण के देश में राम को जिनसे प्यार था, इसके एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, चाहे केवट का हो, चाहे शबरी का हो, चाहे भगवान कृष्ण और सुदामा का हो। आप देख लेना कि वह भी गरीब को ज्यादा चाहते थे। ऐसे लोगों के लिये आप काम करो ताकि समाज में सद्भाव और प्रेम की बात हो। माननीय मंत्री महोदय, भारत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाओं को आप देखोगे तो उसमें कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जो उस दायरे में आता है, चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धर्म, सम्प्रदाय का हो, सबको एक समान लाभ दिया है। हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि सबको एक समान लाभ देने का आप प्रयास करो, ताकि सबका भला हो।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा, आपके विभाग की पहले एक योजना चलती थी 'पन्नधाय जीवन अमृत योजना', बी पी एल परिवार का मुखिया जिसकी उम्र 59 साल से कम है, अगर सामान्य परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है तो आपने ऐसे सारे परिवारों का बीमा करा कर रखा था। उस परिवार को 30 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती थी और दुर्घटना में मौत होने पर 70-75 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमने इस योजना को बंद कर दिया। दुर्घटना वाला मैटर तो वैसे भी समाप्त हो गया। अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु होगी तो चिरंजीवी योजना के माध्यम से उसको अच्छी राशि मिल जायेगी। सामान्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर जो 30 हजार का प्रावधान

(श्री ज्ञानचंद पारख)

था, उसको मेहरबानी करके आप वापस चालू करो, ताकि बी पी एल परिवार का अगर कोई व्यक्ति मर जाये जो उसके परिवार के बच्चों को कुछ समय के लिये कुछ राहत मिल जाये और उसका क्रिया कर्म भी ढंग से हो जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपके विभाग की एक बहुत महती योजना है 'पालनहार योजना', जिसमें विधवा के बच्चे हैं, विकलांग के बच्चे हैं या अनाथ बच्चे हैं, उनको प्रतिमाह सरकार की ओर से प्रति बालक एक हजार रुपये महीने देने का है। बहुत अच्छी बात है, यह होना भी चाहिये, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी माता की मृत्यु हो गई और पिता विमंदित या लापता है, आपने उसमें प्रावधान किया है। इसमें उप खण्ड अधिकारी इस बात का प्रमाण पत्र दे दे तो उसके बच्चों को भी इस योजना में लाभान्वित किया जायेगा, यह आपने प्रावधान किया है। अभी 'प्रशासन शहरों की ओर', 'प्रशासन गांवों की ओर' अभियान में आपके अपने अधिकारियों ने ऐसे परिवारों के कई आवेदन तैयार किये, लेकिन उसमें प्रावधान किया कि ये सारे आवेदन तैयार करके राज्य सरकार को भिजवाने पड़ेंगे, राज्य सरकार के स्तर पर ही स्वीकृति जारी होगी। ये सारे के सारे आवेदन राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित हैं, एक भी आवेदन यहां से स्वीकृत होकर उस विधवा के घर तक पहुंचा नहीं है या उस अनाथ के बच्चे तक पहुंचा नहीं है। मैंने आपके फेसबुक पर देखा था, आपने कहा था इनको पैसा देंगे। जो भी आवेदन यहां आये हैं, आपके अधिकारियों को आप निर्देश दो कि तत्काल उनका निस्तारण करें। जब आपका प्रावधान है कि एस डी एम प्रमाणित कर देगा तो ऐसे सारे परिवारों को देंगे तो उसके बाद जांच की आवश्यकता भी नहीं है। यह मुख्यालय तक बात पहुंचाना भी आप बंद करवा दो। आपका एस डी एम सक्षम है, वहीं के स्तर पर इसका निर्णय हो जाये, ऐसा प्रावधान कर दो ताकि उनको समय पर पैसा मिल जाये।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आपसे एक आग्रह रहेगा, 'पालनहार योजना' में 6 महीनों तक पैसा नहीं मिलता। जिस प्रकार सामाजिक सुरक्षा योजना में आप प्रतिमाह उसके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करते हो, बीच में आपके अधिकारियों ने नये 'एप' का प्रयास भी किया, वह असफल हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके बच्चों को भी प्रतिमाह यह राशि मिल जाये, वरना छह महीने, आठ महीने और कई बार दस-दस महीने

(श्री ज्ञानचंद पारख)

नहीं मिलती। यह हर महीने मिल जाये। आज की तारीख में यह कोई बड़ा काम नहीं है। आपके पास बजट का प्रावधान है, आपके पास पैसा है। जो छह-सात महीने में दे रहे हैं, उसको पहले महीने में ही देना है। यह काम आसानी से हो जायेगा। आप यह काम कर दें, इसका आपसे आग्रह रहेगा।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी यही स्थिति है। शादी होने के छह-सात महीने बाद, कई प्रकरणों में तो एक साल हो गया, पैसा नहीं मिल रहा है। इसमें भी आप कोई समय-सीमा निश्चित कर लें कि आवेदन आने के इतने दिन बाद तक देंगे। जब आप सारे के सारे पेपर एक साथ लेते हैं, उसका विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र भी आप उसमें संलग्न करवा देते हैं तो यदि दस्तावेजों में कमी नहीं है तो इसकी राशि तत्काल उस विधवा या बी पी एल परिवार की मुखिया को मिल जाये, ताकि बच्ची की शादी में उसने जो खर्चा किया है, उसके ऊपर जो कर्जा लिया है, वह कर्जा उतर जाये।

माननीय मंत्री महोदय, प्रदेश में कई जगह पर वृद्धाश्रम हैं। अच्छे चल रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि जिन वृद्धाश्रम के पास अपनी खुद की बेहतर बिल्डिंग हो, भवन हो, अच्छी टीम हो और वह वृद्धाश्रम यदि शिशु पालना गृह भी अपने यहां पर प्रारम्भ करना चाहते हैं तो उनके जो आपके यहां पर लम्बित प्रकरण पड़े हैं, उनकी आप स्वीकृति दे दें। इसमें क्या होगा कि जो वृद्ध वहां पर रहते हैं। अगर उनको बच्चे मिल जायेंगे तो उनका समय भी आसानी से कट जायेगा, उनका जीवन भी सुखद हो जायेगा। जिन बच्चों को बड़ों की आवश्यकता है, वे वृद्ध वहां पर उनके अभिभावक बनकर उन बच्चों को प्यार भी देंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। शिशु पालना गृह या लव कुश आश्रम के जितने भी प्रकरण हैं, आप उनका एक बार अच्छे सर्वे से करा लें और कौन-कौनसा वृद्धाश्रम एक अच्छे तरीके से शिशु पालना गृह चला सकता है, उनकी स्वीकृति आप जारी करें तो यह जो छोटे अनाथ बच्चे हैं, उनको अभिभावक मिले जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही आग्रह करूंगा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप काबिल मंत्री हैं, आपके मन में काम करने की इच्छा है। आपके पास काम करने के लिए बहुत कम समय बचा है, आपको बाद में जीवन में मौका मिलने वाला नहीं है। इस नाते मैंने आपको जो सुझाव दिये हैं उनको थोड़ा लागू कर दें, ताकि आप राजस्थान में हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो जायें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हरीश जी चौधरी।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, मेरी नजर से सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। सभापति महोदय, इस विभाग के माध्यम से जो भी सरकार है, उस सरकार की सामाजिक नीतियां परिलक्षित होती हैं। सभापति महोदय, मौजूदा कांग्रेस की सरकार की गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के उत्थान के लिए और उनके वेलफेयर की हर समय प्राथमिकता रहती है। मेरे से पूर्व वक्ता ज्ञानी वक्ता सेठ साहब ने रामराज की बात तो बहुत की, उस रामराज के अन्दर समानता की बात की, पर जो राज आज केन्द्र के अन्दर है, वह समानता की बात कर रहा है और फैसले कर रहा है? वह सिर्फ पूंजीपति अडानी कैसे मजबूत हो, अंबानी कैसे मजबूत हो, इनकी पूरी सरकार की नीतियां और फैसले उसमें हैं। कम से कम आप राम को तो बख्शो, उसके नाम के ऊपर तो आप ये जो सियासत के अन्दर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वे नहीं करें।

सभापति महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, गणराज्य और सामाजिक न्याय का उद्देश्य रखा गया है। संविधान की आत्मा यह कहती है, पर संविधान की आत्मा और धरातल के अन्दर हम लोग जो कर रहे हैं, क्या वह एक दिशा के अन्दर है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। सभापति महोदय, सामाजिक न्याय के लिए सबसे अनिवार्य है कि गांव में और शहर में जो पिछड़े लोग रह रहे हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियां क्या हैं, वे हम लोगों को पता होनी चाहिए। उन पर चर्चा करके ही हम लोग नहीं रह सकते हैं, उनकी स्थितियां क्या हैं, उस पर लोगों को सोचना होगा।

हमारे देश में 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। उस जातिगत जनगणना के बाद में आज तक वह जातिगत जनगणना नहीं हुई। 1931 के बाद देश के हालात बदल गये। इस देश का बंटवारा हुआ था। जो पेशे थे, वे बदल गये हैं। आज के हालात के अन्दर हम जिन पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जिन दलितों की बात कर रहे हैं, उनकी स्थितियां क्या हैं, उनका आकलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह सवाल है। सभापति महोदय, 2001 के अन्दर केन्द्र सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया। मेरे सामने जो मित्र बैठे हैं, बातों में और भाषणों एवं नारों के अन्दर तो वंचितों के लिए बात जरूर करते हैं, पर जैसे ही 2001 के अन्दर इनकी सरकार आयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने और जातिगत जनगणना को इन्होंने रोका। जातिगत जनगणना से देश को नुकसान या किसी वर्ग को नुकसान हो सकता है? नहीं हो सकता है,

(श्री हरीश चौधरी)

पर कथनी और करनी के अन्दर बहुत बड़ा अन्तर है। सभापति महोदय, 2011 के अन्दर भी कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया और वह जातिगत जनगणना हुई। जैसे ही इन लोगों की सरकार आयी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, उस सरकार ने इसको रोका और कुतर्क क्या दिया? सभापति महोदय, अरूण जेटली जी ने कुतर्क दिया कि इसके अन्दर त्रुटि है और एक आयोग का गठन करने की बात की। सभापति महोदय, अरविन्द पनगड़िया जी की अध्यक्षता के अन्दर तीन सदस्यीय आयोग के गठन की बात की और आज तक तीन में से दो सदस्यों को उन्होंने नोमिनेट नहीं किया और अरविन्द पनगड़िया जी ने खुद ने इस्तीफा दे दिया। सभापति महोदय, यह इन लोगों का कृत्य है। इनको वोट चाहिए, रामराज इनको चाहिए। आज बात करते हैं तो धर्म की बात करते हैं तो इस धर्म के अन्दर जो स्थितियां हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको नियम और कानून में कैसे हक और अधिकार मिले? इस वक्त इनको हक और अधिकार के लिए काम करना चाहिए। ये जो बहुमत का गुरूर कर रहे हैं, यह बहुमत किस से मिल रहा है? इस देश के वंचितों से मिल रहा है। इन लोगों की कथनी और करनी यह है। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये, प्लीज।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, अम्बेडकर जी के बारे में ये बात कर रहे हैं। उन्होंने यह बोला, समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करना होगा। क्या आप लोग गवर्निंग सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? इसका उत्तर है, नहीं। अम्बेडकर जी को आप पढ़ो, समझो और उनको ग्रहण करो। सिर्फ अम्बेडकर जी का बोलकर, क्या हालात बना रखे हैं? सभापति महोदय जी, जिन वंचितों की ये बात कर रहे हैं, आज केन्द्र सरकार में ग्रुप-ए के अन्दर 48.5 प्रतिशत, जो एस सी के लिए रिजर्व्ड हैं, वे पद रिक्त पड़े हैं। एस टी के लिए हैं, 53.2 प्रतिशत और ओ बी सी के लिए 60.9 प्रतिशत है। ग्रुप बी के अन्दर एस सी के 60.01 प्रतिशत, एस टी के 60.7 प्रतिशत, ओ बी सी के 74.8 प्रतिशत। ग्रुप सी में एस सी के 45.8 प्रतिशत, एस टी के 53.3 प्रतिशत और ओ बी सी के 60.3 प्रतिशत।

हां, भीलों का योगदान रहा। उन भीलों का योगदान रहा है तो उस योगदान के बदले के अन्दर जो नौकरियां मिल रही हैं, वे नौकरियां अगर आप देंगे तब जाकर हम लोग इस योगदान को मानेंगे। सिर्फ बातें करके और वाहवाही करके भीलों को हम लोग कुछ नहीं दे पायेंगे। ये हालात हैं। सभापति

(श्री हरीश चौधरी)

महोदय, 40 सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अन्दर एक भी पिछड़ी जाति का प्रोफेसर नहीं है, हकीकत यह है। जब आप लोगों को हकीकत बताते हैं तो तकलीफ होती है। सभापति महोदय, समानता के अन्दर सबसे बड़ा योगदान इस दुनिया के अन्दर देने वाले व्यक्ति अब्राहम लिंकन हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के अन्दर आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू और डा. अंबेडकर ने हमको समानता का अधिकार दिया है। बाकी दूसरे देशों के अंदर नहीं। बहुत बड़ी क्रांति हो गयी, रक्त क्रांति हो गयी। बहुत विवाद हुए उसके बाद उनको समानता का अधिकार मिला। अमरीका जैसे देश के अंदर काले और गोरों को समानता का अधिकार देने के वक्त क्या हालात बने? उसके बावजूद भी अब्राहम लिंकन का नेतृत्व था, जिसने उनको समानता दी। अब्राहम लिंकन ने क्या कहां? 'अगर हम पहले जान सकें कि हम कहां है और हम कहां जा रहे हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है।' परंतु क्या करना है, इन लोगों ने पहले से तय कर रखा है। क्या करना है, कैसे अडानी को मजबूत करना है, क्या करना है, इन वंचितों को समानता कैसे नहीं मिले, इनको कैसे असमानता मिले। इसलिए जातिगत जनगणना के संदर्भ में आज केन्द्र को निर्णय लेना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इनसे आस खतम हो चुकी है। बिहार की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी जातिगत जनगणना करवाएं कि राजस्थान के अंदर इसकी क्या स्थिति है। ये बात कर रहे हैं भाटों की स्थिति, भाटों की क्या संख्या है, किसको पता, उनकी स्थितियां क्या हैं? सामाजिक स्थितियां क्या हैं? आर्थिक स्थितियां क्या हैं? किसको पता है? सिर्फ बोलने के लिए हम लोग बोल लेते हैं। अगर स्थिति हम लोगों को पता नहीं चलेगी तो उन लोगों को हम निर्णय कैसे दिलाएंगे?

सभापति महोदय, क्रीमीलेयर के बारे में, हमारी राजस्थान सरकार के अंदर 1999 में 2.5 लाख की सीमा रखी गयी। 1999 और 2019 तक कितनी सरकारें आयीं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मौजूदा सरकार अशोक गहलोत जी को कि क्रीमीलेयर 8 लाख, 19/02/2019 के अंदर की, परंतु इन वंचितों के लिए कोई निर्णय हो तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। विवाद कैसे हो? फोटो लगे या नहीं लगे? ये फोटो लगाने के लिए वंचित नहीं आये हैं। हमारा समाज, राजस्थान आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग यहां आये हैं। हम लोग फोटो लगाने के लिए नहीं आये हैं। यह अपनी-अपनी सोच है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अंदर 2017 के अंदर 8 लाख।

(श्री हरीश चौधरी)

सभापति महोदय, अगर हमें आई पी एस बनना है तो हम लोगों के लिए 8 लाख की क्रीमीलेयर का प्रावधान और यदि कांस्टेबल बनना है तो 2.5 लाख का क्रीमीलेयर का प्रावधान। क्या यह न्यायोचित है? कोई भी निष्पक्ष तौर पर इसका आकलन करे। अगर हमको आई ए एस बनना है तो हमारे क्रीमीलेयर का 8 लाख का और अगर हमको चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनना है तो 2.5 लाख। कभी आप लोगों ने निर्णय लेते वक्त यह सोचा या सिर्फ पीछे बैठकर मेजें थपथपाने का ही काम रहा है? ये आज की मौजूदा सरकार ने किया।

सभापति महोदय, जो यह अन्याय होता है, वह कई तरीके से होता है। उसकी पीड़ा जिनके साथ अन्याय हुआ है, वे ही जानते हैं। बाकी तो सिर्फ बात कर सकते हैं। यह अन्याय हम लोगों के साथ लगातार आज तक जारी है। आज हम लोगों को शिक्षा का अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आज हमारे राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालय निष्पक्ष तौर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम आकलन करें तो गुणवत्ता का अवसर उन लोगों को मिल रहा है, जो गांव से आये हुए हैं, सामान्य परिवार से आये हुए हैं, उन लोगों को। विश्वविद्यालय का मौलिक काम क्या है? रिसर्च एंड डवलपमेंट। राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर रिसर्च एंड डवलपमेंट हो रहा है? रिसर्च और डवलपमेंट तो छोड़िए, जो सैकण्डरी काम है, एकेडमिक काम, शैक्षणिक काम, वह हो रहा है? मात्र हम लोग उन विश्वविद्यालयों के अंदर परीक्षाएं ही करवा रहे हैं और इन परीक्षाओं के माध्यम से डिग्रियां ले रहे हैं। वह डिग्रियां हमको कहां पहुंचाएंगी?

सभापति महोदय, हम लोगों की सदियों से क्या स्थिति है, और कोई नहीं बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो रामराज की बात कर रहे हैं, उन्हीं के वहां कमेटी बनी हुई थी। उस कमेटी के अंदर पिछली सरकार जो यह बात बता रही है, उसी बात को मैं कह रहा हूं। पुरातन वर्ग व्यवहार में चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाये गये थे। वह व्यवस्था कर्म आधारित थी। परंतु अल्पकाल में वह व्यवस्था जन्म आधारित हो गयी। ऐसे शूद्र वर्ग जिससे अस्पृश्यता नहीं बरती जाती थी, परंतु उसके साथ विभिन्न स्तरों पर सामाजिक भेद बरता जाता था, वह हम लोग हैं। एक दूसरा वर्ग अति शूद्र वर्ग, जिनके साथ न केवल अस्पृश्यता बरती जाती थी, बल्कि उस वर्ग के साथ सामाजिक स्तर पर भयंकर भेदभाव किया जाता था। क्या हम लोग उनके

(श्री हरीश चौधरी)

साथ जो अन्याय हो रहा था, उसको न्याय में बदल रहे हैं? अगर ईमानदारी से आकलन करें तो नहीं बदल रहे हैं। जिस माध्यम से आगे बढ़ने की व्यवस्था थी, 1954 के अंदर टीनेंसी एक्ट के माध्यम से हम लोगों को खातेदारी का अधिकार मिला। जो मजदूर वर्ग थे, वे किसान बने। उस टीनेंसी एक्ट के माध्यम से जब हम लोग सामाजिक व आर्थिक तौर पर कुछ मजबूत होने लगे तो पूरी की पूरी व्यवस्था ने सबसे पहले प्रहार किसके ऊपर किया? उस कृषि के ऊपर, उस खेती के ऊपर। नारे तो बहुत लगाते हैं कि किसान की आमदनी दुगुनी। हकीकत में हालात क्या हैं?

सभापति महोदय, मैं और किसी आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश का नेशनल स्टेटिस्टिकल सर्वे, वह यह कह रहा है कि देश के अंदर किसान की आमदनी सिर्फ 27 रुपये है। सिर्फ 27 रुपये। इनके रामराज की बात करने वाले प्रधान मंत्री के मित्र की कुछ दिन पहले कितनी आमदनी? प्रतिदिन 01 हजार करोड़ रुपये। क्या यह रामराज बताया? क्या यह रामराज की धारणा थी? अपने मित्र की आमदनी 01 हजार करोड़ और उन किसानों की, रामराज के अंदर उन किसानों के प्रति राम जी का कितना स्नेह था, वह भी आप पता कर लेना, उनकी आमदनी 27 रुपये। ये हालात हम लोगों के साथ हैं। 27 रुपये के बाद में भी हम लोगों के पास में जो इकलौता माध्यम इन लोगों ने छोड़ा, वह क्या छोड़ा? शिक्षा के माध्यम से नौकरी। शिक्षा के माध्यम से नौकरी के अंदर हमको किसी ने भीख नहीं दी, संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया आरक्षण का। सभापति महोदय, उस आरक्षण को क्या हम लोग लागू कर पा रहे हैं? अगर यह प्रश्न ईमानदारी से करें तो उसका उत्तर होगा, नहीं। ये विवाद करेंगे, यह आरोप-प्रत्यारोप करेंगे। प्रतिपक्ष के उपनेता ये बात करेंगे कि हरीश चौधरी उसमें शामिल हैं। इन्होंने इससे पहले भी आरोप लगाया। इनके मांग और आरोप के आधार सी बी आई की जांच भी हो गयी और जो कुछ भी फैसला होगा, वह मंजूर है। मैं आज इस बात को वापस दोहरा रहा हूं कि आप विवाद और आरोप जितना लगाना है लगा दीजिए, परंतु मूल मुद्दे, मूल सवाल कि इस प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस प्रश्न को आप टाल नहीं सकते हैं।

आज 27 प्रतिशत हम लोगों को आरक्षण मिला हुआ था, ओ बी सी को। सिर्फ यह तर्क देकर कि सुप्रीम कोर्ट ने वह 27 प्रतिशत आरक्षण 50

(श्री हरीश चौधरी)

प्रतिशत का कैप लगा हुआ है इसलिए नहीं दे सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने वह 50 प्रतिशत का कैप हटाया तो क्या आज 27 प्रतिशत का हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यह फैसला कौन करेगा, यह चर्चा कौन करेगा? यह सदन करेगा या कोई और करेगा? मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि प्राथमिकता से आप सब लोग चर्चा कीजिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो मूल बातें हैं, जो मूल मुद्दे हैं, जो विसंगतियां हैं, जो संविधान हम लोगों को दे चुका है, उनमें जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को कौन दूर करेगा? कहने में तो 21 प्रतिशत आरक्षण और नौकरी मिलने के वक्त सिर्फ 01 प्रतिशत नौकरी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को इन्होंने विसंगतियां दूर करके कुछ कदम आगे बढ़ाये। कल भी यह फैसला लिया कि एम बी बी एस के अंदर जो ट्यूशन फीस ओ बी सी और एम बी सी को देनी है, उसके अंदर छूट है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, परंतु प्रक्रियाधीन नौकरियों के अंदर जो गलती हुई है, त्रुटि सुधार हुई, प्रक्रियाधीन भर्ती के अंदर उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जो कमियां रह गयी हैं, वे शैडो पोस्ट के माध्यम से मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए?

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर निष्पक्ष तौर पर हम लोग आकलन करें, जातिगत और दलगत नहीं, राजनीति से नहीं, तो इससे बेहतरीन बजट पूरे हिन्दुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सामाजिक न्याय में कोई नहीं दे सकता। त्रुटि निकालने के लिए, बातें बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु जो एक बेहतरीन बजट राजस्थान सरकार ने दिया, मैं तहेदिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यदि हम योजनाएं गिनाएंगे तो आपकी घंटी बज जायेगी। कम से कम अगर छह घंटे का समय मिले तो उन योजना के सन्दर्भ में बता सकते हैं पर समय कम है इसलिए चाहे वह पालनहार योजना की बात हम लोग करें, चाहे मुख्य मंत्री निःशुल्क दवाई योजना की बात करें, इन बड़े लोगों को तो पीड़ा पता नहीं है क्योंकि ये तो साधन सम्पन्न लोग हैं पर हम लोगों के परिवार को यह अच्छी तरह से पता है कि हम लोग बीमारी से नहीं डरते थे, हम लोग बीमारी से होने वाले खर्चे से डरते थे। वह परिवार की स्थितियां हुआ करती थीं, पर राजस्थान की सरकार और अशोक गहलोत ने जो फैसला किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री हरीश चौधरी)

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना हो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना हो, एक रुपये किलो गेहूं की योजना हो, निरोगी राजस्थान अभियान हो, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हो, यह कोचिंग क्लास के माध्यम से कितना बड़ा शोषण हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, ट्यूशन फीस माफ, ड्रेस माफ, ट्रांसपोर्टेशन माफ, पर हम लोगों के हजारों करोड़ रुपये सालाना इन कोचिंग संस्थाओं को देना पड़ता है। बड़े लोगों को तो इसकी पीड़ा नहीं पता है पर जो सामान्य परिवार से आ रहे हैं, उन लोगों को पता है और यह दर्द राजस्थान की सरकार ने महसूस किया है और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का फैसला किया तो मैं तहेदिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, ये तमाम जो योजनाएं हैं, उनके लिए भी मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर उस वर्ग को जो आज के वक्त के अन्दर एक नया वर्ग बना है जो उबर, ओला, जोमैटो, इनमें कार्यरत जो गिग वर्कर्स हैं, उनके सन्दर्भ में जो 200 करोड़ रुपये का प्रावधान करके योजना बनाई है तो मैं तह दिल से इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक नया वर्ग है।

माननीय सभापति महोदय, एल.पी.जी. के लिए पांच सौ रुपये का सिलेंडर देने का फैसला किया, मैं उसके लिए भी तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इन लोगों को पीड़ा पता नहीं है। एलपी.जी. का 2014 के अन्दर 500 रुपया का सिलेंडर था। क्या रामराज ने यह तो नहीं समझाया, यह तो नहीं बताया कि एल.पी.जी. जो हर व्यक्ति की, चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग हो, उनको इतनी महंगी दी जाये? होली आ रही है तो होली का तोहफा क्या दिया? यह तो रामराज ने नहीं बताया कि होली के अन्दर सनातनियों को कुछ न कुछ आर्थिक बोझ देकर तोहफा दिया जाये?

माननीय सभापति महोदय, घरेलू एल.पी.जी. के ऊपर 5 प्रतिशत का जी.एस.टी. है, कामर्शियल के ऊपर 18 प्रतिशत का जी.एस.टी. है, इससे बड़ा अन्याय हम लोगों के साथ क्या हो सकता है? पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को कि यह जो आर्थिक बोझ भारतीय जनता पार्टी की

(श्री हरीश चौधरी)

केन्द्र की सरकार दे रही है, उसमें राहत के तौर के ऊपर फैसला लिया। इसके लिए मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार ने 2003-2004 से लेकर 2013-2014 तक 2.14 लाख करोड़ रुपये एल.पी.जी. की सब्सिडी के अन्दर दिया और भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की सरकार तो सिर्फ भावनाओं और नारों के ऊपर आधारित है। तुष्टिकरण ये कहते हैं तुष्टिकरण, तो इनसे ज्यादा और कोई नहीं कर रहा है। इन्होंने 9 वर्षों के अन्दर सिर्फ 36 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। कहां पर 2.14 लाख करोड़ रुपये और कहां केवल 36 हजार करोड़ रुपये। वह धन की ताकत किसके पास है? हम लोगों को पता नहीं चले पर आज हर संस्थाओं को दबाया जा रहा है। दुनिया के किसी और कोने में हिंडनबर्ग बैठा हुआ, वह हमें यह बता रहा है कि धन की ताकत किसको दी गयी है।

आज एल.आई.सी. के माध्यम से जो हम लोगों की सेविंग थी वह किसको दी गयी? क्या हालात बने हुए हैं? जो एल.आई.सी. की ताकत, उसको सबसे सुरक्षित सेविंग हम मानते थे, जिंदगी और जीवन के बाद में भी, उसके साथ कैसा खिलवाड़ किया गया? क्या यह रामराज बताता था? नहीं, माननीय सभापति महोदय, यह रामराज नहीं बताता था।

माननीय सभापति महोदय, 36 इंच का सीना, आंख लाल करके और जब अवसर मिला तब क्या किया? चीन हमारे से ज्यादा आर्थिक तौर के ऊपर मजबूत है। हमारे स्वतंत्र देश में क्या कभी किसी ने यह कल्पना की थी स्वतंत्रता सेनानियों ने कि हमारा विदेश मंत्री यह कहे कि चीन आर्थिक तौर पर मजबूत है। क्या हम उनसे लड़ सकते हैं? इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत नहीं दी है? आर्थिक तौर पर मजबूत कोई भी हो, आर्थिक तौर के ऊपर मजबूत ब्रिटेन के सामने हम खड़े हुए थे। (व्यवधान)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): उन्होंने कभी नहीं कहा।

श्री सभापति: सुनिये, प्लीज। बीच में नहीं बोलें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): उस वक्त भी हमें आर्थिक तौर पर कमजोर आप लोग कह रहे थे, उस भारत के साथ खड़े होकर स्वतंत्रता हम लोगों ने हासिल की। (व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में डिस्टर्ब न करें। आपका टर्न आये जब आप बोलिये।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): यह सबके सब आप अच्छी तरह से जानते हो, पर यह आपकी मजबूरी है।

माननीय सभापति महोदय, अगर राजस्थान के अन्दर सबसे पिछड़ा हुआ कोई है तो रेगिस्तान में रहने वाला भील है। मैं जिस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से हम लोग गणना करें, सेंसस करें, उसके बावजूद भी उन लोगों के साथ न्याय हो, यह सुनिश्चित हम लोग नहीं कर सकते हैं। रेगिस्तान के अन्दर रहने वाले भील को हम लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं, सरकारी योजना से मदद कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर मदद कर रहे हैं, अगर यहां हम निष्पक्ष हों, यह सवाल हम लोगों के सामने आता है तो उसका उत्तर देंगे नहीं। आजादी के 70 वर्षों के बाद में भी हम उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मरियम वाइफ ऑफ अरबाज बूठिया थाना गडरारोड के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, क्या हम नागरिकता देने के लिए तुष्टिकरण की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर इसका आकलन करेंगे तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। अगर किसी धर्म के अन्दर हम पैदा हो रहे हैं, संविधान की भावना, संविधान की मूल आत्मा के विपरीत, धर्म के आधार के ऊपर तो हम नागरिकता देने के लिए यह फैसला कर रहे हैं और इस महिला को हम नागरिकता नहीं दे रहे हैं तो क्या उसके साथ न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, ऐसे कई सवाल है। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि जो कानून और नियम बने हुए हैं, वे एक समान होने चाहिए। जो परसेप्शन है, बातें और हकीकत है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जैसे यह बात करते हैं, वंचितों के अन्दर तो यह बात करते नहीं, उन समाजों को देखो, यादव बड़े साधन सम्पन्न हैं, जाट साधन सम्पन्न हैं, अंजना साधन सम्पन्न हैं, विश्नोई साधन सम्पन्न हैं पर उसका उत्तर सिर्फ जिस बात की मैं बात कर रहा हूं जातिगत जनगणना से ही आयेगा। इनकी खुद की सरकार ने एक आयोग बनाया है, उस आयोग की जो रिपोर्ट आयी, भरतपुर के लिए वह आयोग बनाया गया और एक जाति विशेष के लिए, मेरी खुद की जाति के लिए वह आयोग बनाया गया। उसकी क्या फाइंडिंग थी कि 26.69 प्रतिशत जाट भरतपुर के अन्दर रहते हैं और सरकारी नौकरी कितनी? सरकारी नौकरी मात्र

(श्री हरीश चौधरी)

1.79 प्रतिशत। जो यह परसेप्शन है, यह लोग लगातार विवाद करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हकीकत पर के ऊपर कोई फैसला इस देश के अन्दर नहीं हो।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, यह किस पर बोल रहे हैं?

श्री सभापति: सामाजिक न्याय पर बोल रहे हैं।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, इसी रिपोर्ट के अन्दर जो एक भ्रांति बनायी गयी है कि लैंड होल्डिंग ज्यादा है। लैंड होल्डिंग कितनी है? 1.32 हैक्टेयर, एवरेज जो लैंड होल्डिंग हम लोगों के प्रदेश में है, वह 3.07 है। माननीय सभापति महोदय, जब सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे तो इनको ठीक नहीं लगेगा। किसी के सन्दर्भ में कोई सही फैसला होगा तो इन लोगों को ठीक नहीं लगेगा। विवाद कैसे हो?

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के अन्दर पिछले दिनों तीन घटनाएं हुई। तीनों की तीनों घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तर्ज के ऊपर हम इन घटनाओं को जायज नहीं ठहरा सकते हैं। हम मानवता के आधार पर किसी को भी जवाब नहीं दे सकते हैं। चाहे वह उदयपुर में कन्हैयालाल के सन्दर्भ में घटना हो, चाहे वह भरतपुर में जुनैद के सन्दर्भ में घटना हो और या चाहे सीकर के अन्दर हुई घटना हो। ये तीनों की तीनों जो घटनाएं हुई हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है।

माननीय सभापति महोदय, इसका क्या एक ही पैमाना होना चाहिए? हां, एक ही पैमाना होना चाहिए। कोई विवाद करके किसी को अतिरिक्त दिलवा दे और कोई शांत रहे तो सरकार उसके न्याय के लिए अलग प्रावधान करे, यह कभी भी जायज नहीं हो सकता। मेरा यह निवेदन राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी से है कि एक तरह की ये दुर्घटनाएं हुई हैं। चाहे वह उदयपुर में हुई हो या चाहे भरतपुर के अन्दर हुई है। आज वे भरतपुर जा रहे हैं उस परिवार को भी राहत पहुंचाएं जिस प्रकार से सीकर के अन्दर। नियम और कानून अलग बात है। आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? आज कोई जन प्रतिनिधि धरने पर बैठ जाता है, सिर्फ वाहवाही लेने के लिए। सीकर में यह मांग रखता है कि मेडिकल कालेज के अन्दर उसको सीट दी जाये। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के पास अधिकार है क्या कालेज के अन्दर सीट देने का? राजस्थान सरकार के पास अधिकार नहीं है। मेडिकल काउंसिल

(श्री हरीश चौधरी)

के पास अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी वहां का कलेक्टर साथ में बैठकर इस तरह से समझौते करवाते हैं जो धरातल पर लागू नहीं होते हैं। यह नयी संस्कृति बन रही है। ऐसी संस्कृति के अन्दर जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिल पाता है और सिर्फ विवाद करके किसी और दिशा में लेकर जायें, यह गलत है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है, मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले अब्राहम लिंकन ने जो बात कही, वह कहता हूं:-

'जब मैं अच्छा करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है,

जब मैं बुरा करता हूं तो मुझे बुरा लगता है,

यही मेरा धर्म है।'

हर इंसान को जब वह अच्छा करे, अच्छा लगना चाहिए। किसी भी तर्क के आधार पर कोई बुरा करे, मानवता के खिलाफ करे और उसको वह जस्टिफाई करे, मेरा मानना है कि उससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती। छोटी-छोटी और कई बातें हैं पर जो मूल सवाल थे, उन्हीं के सन्दर्भ में मैंने बात की है। किसी मृतक आश्रित को अगर नौकरी मिल जाती है और फिर उस मृतक आश्रित की मृत्यु हो जाती है तो क्या राजस्थान सरकार मृतक आश्रित की मृत्यु के बाद उस परिवार को सरकारी नौकरी दे रही है या नहीं दे रही है? अगर नहीं दे रही है तो क्या हमको नियमों में शिथिलता बरतनी चाहिए? हां, नियमों में शिथिलता बरतनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं तहेदिल से राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जूलीजी, हम लोगों को लोगों ने यहां ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं भेजा है। कई लोगों की यह सोच रही है कि हम लोग समाज के अन्दर अपने महिमामण्डन के लिए आये हैं। उन लोगों की सोच अलग है। हमारी सोच अलग है। हम लोग यहां राजस्थान की सेवा के लिए आये हैं। तस्वीरें कहां लगे और कहां नहीं लगे, यह हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। तस्वीर जहां लगनी चाहिए थी, जिस क्षेत्र में तस्वीर लगनी चाहिए थी, आज व्यवस्थाओं ने उन्हें कहां धकेल दिया?

माननीय सभापति महोदय, आज यहां से एक किलोमीटर की परिधि के अन्दर 8x8 का कोई कियोस्क बना हुआ है, उससे सालाना आमदनी कितनी हो रही है और उस किसान को सालाना आमदनी कितनी हो रही है जिसके

(श्री हरीश चौधरी)

पास 25 से 30 बीघा जमीन है, अगर यह तुलना करेंगे तो उत्तर हम लोगों को मिल जायेगा। जो 8x8 का कियोस्क अवैध था बाद में वैध हो गया। इनको लाखों रुपया आमदनी हो रही है और किसान की आदमनी की गणना करें तो पता चलेगा कि उनको घर से लगाना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग के सम्बन्ध में मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजस्व मंत्रीजी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपका सौभाग्य है कि आपको बेहतरीन टीम मिली हुई है। मुझे राजस्व मंत्री रहते हुए बेहतरीन पी आर एस मिले थे। उनके रहते हुए बेहतरीन कार्य हुआ। आपको शुभकामनाएं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे तीन सुझाव हैं। एक तो, रेवेन्यू बोर्ड में प्रशासनिक और न्यायिक का बंटवारा नहीं करेंगे, लाखों केस, इसकी शुरुआत हो चुकी, मेरे पास अच्छे अधिकारियों का सौभाग्य था, वह जारी नहीं रहा इसलिए वह बात वहां की वहां रह गयी।

दूसरी, सर्वे, री-सर्वे चल रहा है। धरातल पर जिस भावना और गति से हो रहा है, वह हम ढंग से करवा दें।

तीसरा, नियमों के अन्दर हम लोग जितना बदलाव कर सकें, नियमों में बदलाव करें। व्यवस्थाओं ने हमको 27 रुपये प्रतिदिन की आमदनी दी है, उसके अन्दर आपका विभाग राहत पहुंचाये। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, जिस समय समाज कल्याण का निर्माण हुआ था, तब सरकार की सोच यह थी कि समाज का कमजोर वर्ग और विपन्न वर्ग ताकतवर बने और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बने और इसीलिए इसकी स्थापना की गयी थी।

'जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,

वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें गरीबों के प्रति प्यार नहीं।'

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सबसे बड़ी योजना है छात्रवृत्ति और छात्रावास। छात्रावासों की हालत यह है कि छात्रावासों में वार्डन नहीं हैं। वहां रात को कोई रहता नहीं है। छात्रावास अधीक्षक चार-चार छात्रावासों पर एक है। जहां मेरी बहिनें रहती हैं, 16 साल

(श्री मदन दिलावर)

से 20-22 तक की उम्र की रहती है जो दसवीं और बारहवीं तक पढ़ती हैं, उन छात्रावासों में रात में देखने वाला कोई नहीं है। कई छात्रावास तो गांव और बस्ती से दूर हैं। वहां पर किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है, लेकिन वहां पर देखने वाला कोई नहीं है। यह तो छात्रावासों की बात है। जब बहिनें वहीं पर सुरक्षित नहीं हैं, जहां हमारे गृह चलते हैं, जहां पर चौकीदार रहते हैं, शहरों में वार्डन रहते हैं वहां भी मुंह दिखाई के लिए पैसे लिये जाते हैं और फिर सौदा किया जाता है कि उसकी शादी कर दी जायेगी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अदालत में जाकर बच्चों ने यह बताया है कि उनके साथ किस प्रकार के कुकर्म हो रहे हैं। इस प्रकार से छात्रावासों को अकेला छोड़ देना, सुरक्षा के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं करना, मैं समझता हूं कि यह सरकार का नाकारापन है।

माननीय सभापति महोदय, लघु एवं सीमान्त कृषकों की मैं बात करना चाहता हूं। उनको पेंशन देने की बात हुई है। इन्होंने2019-20 में 02 लाख 75 हजार 363 किसानों को पेंशन दी 195.70 करोड़। आप आश्चर्य देखना। फिर 02 लाख 67 हजार 424 को दिये 245.36 करोड़ और 2021-22 में दिये 02 लाख 51 हजार 249 को 263.57 करोड़। यह अन्तर कैसे आया? यदि इनकी राशि घटायी और बढ़ायी होती तो मैं मान सकता था। पेंशन की राशि में कोई घटत और बढ़त नहीं हुई है। राशि वही है। उसके बावजूद भी 02 लाख 75 हजार को दी जाती 195.70 करोड़ और 02 लाख 51 हजार 249 को दी जाती है 263.57 करोड़ रुपये। क्या पढ़े लिखे लोग इस सरकार में नहीं हैं? इनको आकलन भी करना नहीं आता है कि कितनी राशि कहां खर्च की जाती है?

माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि गरीबों के हितैषी हैं। मुख्य मंत्रीजी ने एक योजना बनायी, मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना। उसका क्या हाल है? इस योजना में दो हजार रुपये दिये जाते हैं जो निराश्रित हैं, जिनको कोई संभालने वाला नहीं है। यह योजना 2016 तक चलायी। कहा गया कि जिलों से मांग प्राप्त नहीं हुई। जिलों से मांग कौन करेगा? अधिकारी/कर्मचारी करेंगे न? तो फिर इसका मानिटरिंग किसने किया था? इसकी समीक्षा कौन करता है? क्या उसको ध्यान नहीं था? इसका मतलब 'अन्धा पीसे, कुत्ता खाये' वाला काम हो रहा है। इसकी समीक्षा करने वाला कोई नहीं था। इसके कारण से असहाय और निराश्रितों को लाभ मिलने वाला था, वह गर्त में चला गया है।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, आवासीय विद्यालयों की मैं बात करूं। आवासीय विद्यालयों में 200 से लेकर 500 बहनें रहती हैं। वहां आवासीय विद्यालय में अध्यापकों को वहीं पर रहना होता है, प्रधानाचार्य को वहीं पर रहना होता है। वहां पर सबके लिये क्वार्टर्स बने हुए हैं, लेकिन इतने बड़े आवासीय विद्यालय में कोई भी अध्यापक नहीं रहता है। वहां कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो गयी हैं। बच्चियों के साथ छेड़खानी और अश्लीलता हो रही है, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है। आपको देखना चाहिये। यह गरीब की बच्ची है, इसलिये उसकी सुरक्षा के लिये कोई नहीं देखेगा? गरीब की बच्ची है, इसलिये कोई भी उठाकर ले जायेगा, कोई नहीं देखेगा? आखिर में इस सरकार की सोच क्या है, यह मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। दिव्यांग बंधुओं को BPL में शामिल करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर दी, क्योंकि इनको तो ताली पिटवानी थी और जब बजट पेश होता है तब जय-जयकार करवानी थी, परंतु आज दिन तक उसकी गाइडलाइन जारी नहीं की है। इस घोषणा को किये हुए तीन वर्ष हो गये हैं, यानी दिव्यांगों को BPL के बराबर माना नहीं। अब उनको बराबर नहीं माना तो उनको नुकसान क्या हुआ। न तो उनको अनाज मिला है, उनको और सुविधाएं मिलनी थीं वे सुविधाएं नहीं मिलीं और वे ऐसे ही घूम रहे हैं।

आस्था कार्ड बनाने की भी बात हुई थी। आस्था कार्ड बन जाता है, लेकिन उसका कोई लाभ मिलता नहीं है, क्योंकि उसकी समीक्षा करने वाला कोई बचा ही नहीं है। समीक्षा कोई करता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों को देखने की चिंता किसी को नहीं है। इस सरकार को तो है नहीं। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय हरीश जी कह रहे थे, वह पता नहीं कहां की, दायें-बायें की बातें कर रहे थे, लेकिन गरीब के बारे में उन्होंने किसी प्रकार की चिंता नहीं की है।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो छात्र डाक्टर्स और इंजीनियर्स बनना चाहते थे, उन सब लोगों को हायर एजुकेशन सेंटर्स पर यानी जो प्रतिष्ठा प्राप्त सेंटर्स थे, उनमें एडमिशन होने के बाद सारा का सारा कोचिंग का जो खर्चा होता था, उसकी समाज कल्याण विभाग भरपाई करता था, लेकिन सरकार ने इसको बंद कर दिया। इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के समय जो हजारों की संख्या में डाक्टर्स और

(श्री मदन दिलावर)

इंजीनियर्स बनने का सिलसिला जारी था, वह बंद हो गया है और बंद होने के कारण से अब जितने डाक्टर्स और इंजीनियर्स बनना चाहते थे, वे नहीं बन पा रहे हैं। ये तर्क क्या देते हैं कि हमने अनुप्रति योजना चालू की हुई है। अनुप्रति योजना का इस साल का देखें तो नवम्बर तक आवेदन मांगे हैं। नवम्बर तक आवेदन आयेंगे तो कोचिंग कब करेंगे? कोचिंग तो पी.एम.टी. और आई.आई.टी. की एक साल तक चलती है तो क्या तीन महीने में कोचिंग हो जायेगी? किस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार करने का षड्यंत्र यह सरकार कर रही है, यह आप देख रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, एक निवेदन और करना चाहता हूं। दिव्यांगों के लिये इन्होंने कहा कि हम दिव्यांग बंधुओं को उनकी पेंशन के अलावा एक हजार रुपये प्रतिमाह देंगे। आपने घोषणा तो कर दी पर यह कितने लोगों को दी है? कहां दी हैं? उनके नाम तो बताओ। कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह दिव्यांग है, उसकी आवाज नहीं है। आप तो उनको ठग लो। भाषण में कहकर, बजट में बताकर, अपना भाषण देकर ठग लो और यह प्रचार कराते रहो। मैं इस बजट को विधान सभा का धार्मिक ग्रंथ मानता हूं, लेकिन इसका अपमान करने में कांग्रेस के लोग कभी पीछे नहीं रहे हैं। इसके बारे में कुछ भी पढ़ देते हैं। और तो और कई बार तो इसको पढ़ने के लिये पिछले साल का भी पढ़ देते हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं करते।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति कल्याण के लिये पहले 100 करोड़ का प्रावधान था। पिछले साल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 500 करोड़ का प्रावधान कर दिया और अब 1000 करोड़ का प्रावधान कर दिया। आप 2 लाख करोड़ का प्रावधान भी कर दो न, तब भी क्या होने वाला है? माननीय सभापति महोदय, अभी तक तो उसकी गाइडलाइन ही नहीं बनी है। क्या करना था, इनको पता ही नहीं है। दो साल होने के बावजूद भी एक पैसा भी उस योजना में खर्च नहीं हुआ है। क्यों नहीं किया है? आपने क्यों बजट में पढ़ा था? किसने दबाव बनाया था? आपने यहां पर इस बात को क्यों बोला? इस पवित्र सदन में इतना बड़ा असत्य कहा। मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की पराकाष्ठा होती है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वे नौकरी पाना चाहते हैं। उनको आरक्षण, उनकी जनसंख्या

(श्री मदन दिलावर)

के आधार पर दिया जाता है लेकिन जनसंख्या 2011 की मानते हैं। मैं कहूं तो लगभग एस.सी. के 17 पाइंट कुछ हैं और एस.टी. के 12 पाइंट कुछ हैं। इनको 18 प्रतिशत और 14 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिये, लेकिन यह भी नहीं दिया जा रहा है। वह आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, वह तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दिया जा रहा है, उसमें भी कटौती कर दी कि यदि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग वहां उपलब्ध नहीं होते हैं तो पहले प्रावधान था कि तीन साल तक आगे बढ़ाया जाता था, फिर बैकलाग भर लिया जाता था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के दुश्मन हैं, इसलिये इन्होंने कहा कि यदि नहीं मिलता है तो तुरंत हम जन सामान्य से भर लेंगे और फिर बैकलाग कुछ नहीं होगा। यह अत्याचार नहीं तो और क्या है? यह अन्याय नहीं तो क्या है? यह हम सब लोगों को सोचना चाहिये। इस पर कोई भी विचार नहीं कर रहा है जबकि कानून और नियम सब बने हुए हैं। सरकार के आदेश भी हैं, लेकिन उनकी चिंता कोई नहीं करता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में घोषणा की गयी कि जो घुमंतू हैं, जिनके पास आवास नहीं हैं, इनको हम भूमि का नि:शुल्क पट्टा देंगे। इस घोषणा को हुए तीन साल हो गये हैं। आदेश भी जारी हो गये हैं, लेकिन कहां दिया है, किसको दिया है? मैं लगातार इस विधान सभा में कई बार इस बात को उठाता रहा हूं। मैं अधिकारियों से मिलता रहा हूं लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं है, इसलिये कोई सुनने वाला नहीं है। जो कालबेलिया हैं, गाड़िया लुहार हैं, सांसी हैं, दमामी हैं, सपेरा हैं, नट हैं, भांड हैं, भाट हैं, ऐसे लोगों के प्रति इनमें दया नहीं है। आज भी वे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। उनके बच्चे ठिठुरती सर्दी में खुले घूमते रहते हैं। धूप पड़ती रहती है तो वे सड़कों पर बैठे रहते हैं और जब ओले पड़ते हैं और बरसात आती है तो उसकी मार भी वे खुले में झेलते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, इन्होंने कहा कि हम इनके लिये आयोग बनायेंगे। आयोग बना दिया। आयोग में क्या किया? आयोग में एक भी सदस्य नियुक्त नहीं किया गया। आयोग बने हुए कितने साल हो गये, लेकिन अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया। उस पैसे को पी डी खाते में जमा करा दिया। उससे क्या हुआ? इसके लिये आप काम करो। आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, कई समाजों को ठगने की कोशिश की गयी। प्रदेश के नाइयों से कहा गया कि आपके लिये केश कला बोर्ड बना रहे हैं हम लोग और इसमें हम सबसे सुझाव लेंगे। उन सुझावों के आधार पर आगे की योजनाएं बनायेंगे। केश कला बोर्ड तो 2016 में बना था, इसमें 2021-22 में तो अध्यक्ष का ही मनोनयन नहीं हुआ और 2022-2023 का 4 करोड़ 98 लाख का वित्तीय प्रावधान किया था, वह खर्चा नहीं हुआ, लेकिन वह पी डी खाते में डाल दिया गया है। यानी इस प्रदेश के नाइयों के साथ भी ठगी करने का पूरा प्रयत्न हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की सबसे बड़ी बुद्धिजीवी कौम कहलाती है, जिनको श्रेष्ठ लोग हम कहते हैं, वह है ब्राह्मण, जिसको विप्र कहते हैं। विप्र कल्याण बोर्ड का भी गठन किया गया 2022 में, लेकिन उसमें क्या किया? इस बोर्ड में अभी तक अध्यक्ष और सदस्य का मनोनयन नहीं किया है। खर्चा भी नहीं हुआ है और कहा कि हम पी डी खाते में पैसा डाल रहे हैं।

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग इन्होंने बनाया, लेकिन इसमें भी 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 में राशि केवल पी डी खाते में ट्रांसफर की है। ये ओ बी सी के लोगों के साथ ठगी है। क्यों नहीं उनके कल्याण की बात की गयी? क्यों नहीं योजनाएं बनायी गयीं? क्यों नहीं सुझाव मांगे गये? पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

(समय: 14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री आश्रित योजना, कहा कि आठ योजनाएं हैं, उनके लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वृद्ध, दिव्यांग, विधवा और सिलिकोसिस के मरीज अब 10 कामों के लिये कहीं नहीं भटकेंगे। इस योजना के लिये ई-मित्र केन्द्र पर कियोस्क संचालक खुद उनके घर जायेंगे और उनसे पूछेंगे तुम्हारी क्या समस्या है। वह स्वयं समस्या का समाधान करके पोर्टल पर डालेंगे, लेकिन कोई गया उनके यहां? किसी ने उनको पूछा? अगर नहीं पूछा तो फिर मानिटरिंग करने वाले इतने बड़े-बड़े अधिकारी क्या भाड़ झोंक रहे थे? क्या करते हैं आई ए एस आफिसर्स? क्या करते हैं मंत्री और मुख्य मंत्री? यह जो मुख्यमंत्री आश्रित योजना बना दी वाहवाही लूटने के लिये और उनके लिये काम नहीं किया। इससे लगता है कि यह दिखाना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। इन्होंने गरीब के लिये कोई काम नहीं किया।

(श्री मदन दिलावर)

सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या कहा गया? सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत यह कहा गया कि अटके हुए पेंशन प्रकरणों में लाभार्थियों से सम्पर्क करेंगे और विभागीय अफसर उनका समाधान करेंगे। कहां हैं, किससे सम्पर्क किया? इतने लोगों की पेंशन अटकी हुई है। कई को तो जिंदों को ही मरा बता दिया गया है। वह जाता है कि मेरी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, तुम तो मर गये। उसी से कह रहे हैं कि तुम तो मर गये। बोला, मैं तो जिंदा हूं। बोला, मर गया। मैं मर कैसे गया, तुम्हारे सामने जिंदा हूं। अब कैसे न कैसे मुझे जिंदा करो। कागज में तो करो। नहीं कर रहे हैं। यह कहना कि हम तो पेंशन प्रकरणों में लाभार्थियों से सम्पर्क करेंगे। जहां-जहां उनको नहीं मिल रहा है, परेशानी आ रही है, उनका समाधान करेंगे। कोई नहीं किया। केवल घोषणा ही घोषणा है।

यह कह रहे हैं कि दिव्यांगों को हम स्कूटी देंगे ताकि वह जो अंग विकलांग होने के कारण ठीक से चल-फिर नहीं पाते हैं, उनको स्कूटी देंगे। कितनी स्कूटियां दीं? 5 हजार स्कूटियों का प्रावधान किया गया। कहां हैं वह 5 हजार स्कूटी? किसको दी गयीं? कहा गया कि हम दिव्यांगों का सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद, जो सर्वे में आयेगा कि किसको किस-किस प्रकार के उपकरणों की जरूरत है, वह उपलब्ध करायेंगे, हम उनके प्रमाण-पत्र बनायेंगे। सर्वे करके भूल गये। आज भी सवा 3 लाख दिव्यांगों के प्रमाण-पत्र इनके पास ठंडे बस्ते में पड़े हैं। उनको देने वाला नहीं है। कोई बनाने वाला नहीं है।

श्री सभापति: कृपया 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने 1.45 पर प्रारम्भ किया है। मुझे 25 मिनट मिले हैं।

श्री सभापति: घड़ी इस सदन की ही चलेगी। आपने 1.44 पर चालू किया और 2 बजकर 4 मिनट पर आपका समाप्त होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मिड डे मील में वह बहन है न, जो वहां मिड डे मील बनाती है, उधार ला-लाकर के खिला रही है। उनके ऊपर दुकानदार रोज छींटाकशी करता है। कहां है पैसे? उनको कोई पैसे देने वाला नहीं है। वह झिड़कियां सुनती है दुकानदार की। क्या हो गया?

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति की जमीन पर अगर किसी अदर जाति का कब्जा कर लेता है तो 6 महीने के अंदर

(श्री मदन दिलावर)

उसको हटाकर के जिला कलेक्टर को देना होता है। आप बतायें कि कितने जिला कलेक्टर 6 महीने में पूरा कर देते हैं? राजस्थान में आज भी लाखों लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे हैं जिनकी जमीनों पर कब्जा है लेकिन 10-10, 15-15 साल तक जिला कलेक्टर की कोर्ट में चलते रहते हैं। सरकार ने कितने जिला कलेक्टर्स को सज़ा दी? उनसे क्यों नहीं पूछा कि अभी तक तुम्हारी कोर्ट में क्यों चल रहा है जब 6 महीने की पाबंदी की थी तो? सरकार में नहीं कर रहे हैं। गरीबों के प्रति कोई दया नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, एक आश्चर्य की बात मैं और बता रहा हूं कि सन् 1970 से गरीबों की जमीन पर यदि कोई कब्जा कर लेता है तो उसमें कब्जा दर्शाने का अधिकार खतम कर दिया है लेकिन आज भी दिखा रहे हैं। उसी आधार पर कोर्ट में स्टे मिल रहा है। सरकार इस बात की सख्ती क्यों नहीं कर रही है कि हमने राजस्व अधिनियम में प्रावधान कर दिया है कि 1970 के बाद कब्जा नाम का कोई शब्द नहीं होगा। राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कब्जा दिखाया नहीं जायेगा, लेकिन दिखा रहे हैं और उस आधार पर लूट हो रही है। आज भी लाखों लोग इधर-उधर भटक रहे हैं और उनकी जमीनों पर कब्जे किये जा रहे हैं।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह विमुक्त, घुमन्तु कल्याण बोर्ड बना दिया। कल्याण बोर्ड बना दिया और 100 करोड़ का प्रावधान कर दिया। क्या किया आपने? आपने इनको ठग लिया। गाडिया लोहार, सांसीयां, मोगिया, सपेरा, 100 करोड़ का प्रावधान करके एक पैसा भी आपने इनके लिये खर्च नहीं किया, बल्कि गठन ही नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, आपने तो कालीबाई स्कूटी योजना चलाई थी न? वह भी नहीं दी गयी। आपको तो गुर्जर समाज के लोगों से भी नाराजगी थी। आपकी नाराजगी सचिन पायलट से हो सकती है। वह बात मानी जा सकती है, लेकिन सारे गुर्जर समाज से नाराजगी किस बात की थी कि उनकी बच्चियों को आपने देवनारायण योजना के अंतर्गत स्कूटी उपलब्ध नहीं करायी?

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। अब समाप्त करिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि 2020-21 में विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं

(श्री मदन दिलावर)

ली गयी, क्यों? क्योंकि इन्होंने यू सी नहीं दी। जो पिछला पैसा लिया था उसकी यू सी नहीं दी। यानी जो भारत सरकार से पैसा आने वाला था उसको भी यह लोग नहीं ले पाये। वैसे कटोरा लेकर घूमते रहते हैं।

श्री सभापति: श्री गुरमीत सिंह कुनर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): वह सरकार देना चाहती है। वह विशेष केन्द्रीय सहायता का पैसा मिलने वाला था, उसको भी यह सरकार नहीं ले पायी। यानी यह सरकार अनुसूचित जाति की विरोधी है, अनुसूचित जनजाति की विरोधी है। यह घुमक्कड़ लोगों की विरोधी है, यह ब्राह्मणों की विरोधी है, यह नाइयों की विरोधी है, यह माटी के काम करने वाले कुम्हारों की विरोधी है।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह सब की विरोधी सरकार है। यह पूरे समाज की, राजस्थान प्रदेश की, किसानों की सबकी विरोधी सरकार है इसलिए दिसम्बर के बाद इस राजस्थान में दिखाई नहीं देगी।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 31 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: एक बात नोट की माननीय सदस्य। मैं, वैसे बता रहा हूं। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। आप बोले एक भी शब्द, किसी ने आपके भाषण के दौरान इंटरप्ट नहीं किया। मेरे विचार से आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा न? समझ गये। श्री मदन प्रजापत। अच्छा सॉरी। नहीं, वह गलत बोल गया। गुरमीत सिंह जी का नाम है। श्री गुरमीत सिंह जी कुनर।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): दो मिनट ठहर जाओ।

श्री सभापति: बोलिये प्लीज।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 31 पर बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

वैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान में इस तरह से काम कर रहा है कि कोई भी वंचित, गरीब सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहे। उसका लाभ मिल भी रहा है। लोग खुश भी हैं। मुख्य मंत्री जी हर बार कोई न कोई इस वर्ग के लिये और सुविधा देते हैं।

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

लोगों में खुशी है। मेरे से पूर्व माननीय हरीश जी ने पूरी योजनाओं का व्याख्यान किया। मैं भी उनका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे गंगानगर जिले की एक छोटी-सी बात है। पिछले दिनों एक आंदोलन हुआ। धानक और धाणका एक ही जाति है। कोई धानका कह देता है, कोई धाणुका कह देता है, कोई धाणक्या कह देता है, लेकिन पूरे जिले में एक ही जाति है। आधों के जो धाणका है, ण वाला, उसका तो सर्टिफिकेट बनता है अनुसूचित जनजाति का: जो धानका लिख देता है उसका एस सी का बनता है। बहुत सारे लोगों के धानके के भी अनुसूचित जनजाति के बने हैं। पहले सबके बनते थे।

सभापति महोदय, 9.8.2019 में जिला कलेक्टर गंगानगर से विभाग ने कोई रिपोर्ट मंगायी। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिख दिया कि धाणका नाम की कोई जाति ही नहीं है जबकि पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में है। यह विसंगति विभाग में चली आ रही है। उसकी वजह से काफी लोग आंदोलित हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से, माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि 9.08.2019 का वह पत्र जो कलेक्टर ने लिखा है, उसको वापस लिया जाये। अगर कोई विसंगति है तो उसको दूर किया जाये ताकि इनमें जाति संघर्ष न हो, उससे रोका जाये। कोई आंदोलन न हो, उससे रोका जाये, ये छोटी-छोटी विसंगतियां हैं, वे आगे जाकर बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्री जी इस विभाग के प्रति गंभीर हैं, इस छोटी-सी बात को लेकर भी थोड़ा गंभीर होंगे और इसके बारे में सोचेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16, राजस्व पर आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, रेवेन्यू का विषय मैं किसको सुनाऊं? यहां पर मंत्री महोदय ही नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, विभाग के मंत्रीजी ही नहीं हैं, मैं घड़ियाली आंसू बहाकर रह जाऊंगा।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अंदर पैरीफेरी क्षेत्र के अंदर टी सी आबंटी लोग हैं जो चालीस-चालीस, पचास-पचास, साठ-साठ वर्ष से हैं। उन टी सी आबंटियों को भू-माफियाओं ने भूमि बेचने के लिए मजबूर कर दिया है खातेदारी उनको मिलती नहीं और भू-माफिया पांच दिन के अंदर खातेदारी ले आते हैं। टी सी की भूमि जो मूल आबंटी है उससे पच्चीस बीघा भूमि साढ़े तीन, चार लाख रुपये में खरीद ली जाती है। भू माफिया के बारे में बताऊं तो आप ताज्जुब करेंगे, पचास-पचास लाख रुपये रिश्वत प्रति मुरब्बा, हकीकत बता रहा हूं, आप जांच करवा लो, ए सी डी से करवा लो, किसी से भी करवा लो, कलेक्टर की अध्यक्षता में एस डी एम, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, सब मिल-बांटकर पूरे सूरतगढ़ में दिल्ली के भाव भूमि हो रही है। मैं लगातार इस सदन के अंदर यह बात उठा रहा हूं। दो-तीन बार तो पूर्व राजस्व मंत्रीजी ने कहा था कि कैम्प लगाकर खातेदारी दी जाएगी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के विधायक वहां अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। यह गलत है, यह सदन की परम्परा नहीं है। आप बाहर जाकर बात करें, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): तौलेड़ा मं घटै है तो कर लेण द्यो।

श्री सभापति: आप बोलिए प्लीज।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उसके अंदर एक मोटी लूट और है। भूमि तरमीम करने, हजार-हजार बीघा के खसरे हैं, रोड से एक-एक किलोमीटर भूमि होती है और पटवारी, गिरदावर टायर लगाकर रोड के ऊपर लाकर रोड पर तरमीम कर देते हैं, यानी ये भूमि यहां है। इस तरह की बंदरबांट हो रही है। इसमें सबसे बड़ी त्रुटि है कि जन-प्रतिनिधि नाम की चीज नहीं रखी इस आबंटन में। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे दो पर कोई न कोई जन-प्रतिनिधि तो होना चाहिए इस आबंटन कमेटी में, इस कमेटी के अंदर बैठना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग समय रहते हुए जो आबंटी, गरीब लोग हैं उनको कैम्प लगाकर खातेदारी देने का काम करो तो बचे-खुचे काश्तकारों की भूमि बिकने से बच जाएगी, नहीं तो पटवारी और सब एक ही प्रचार करते हैं कि आपको तो खातेदारी मिलनी नहीं है, एक करोड़ पचास लाख रुपये लगेंगे, इस प्रकार से उसको भ्रमित करके, आखिर में वो

(श्री रामप्रताप कासनियां)

मजबूर होकर भूमि बेच देता है। माननीय सभापति महोदय, यह जो तरमीम वाली कहानी मैंने आपसे निवेदन की।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा पैरीफेरी क्षेत्र में दस किलोमीटर की परिधि के अंदर चार गुना राशि लगाने का प्रोविजन है और मेरा क्षेत्र सूरतगढ़ के इर्द-गिर्द पूरा डेजर्ट है। सिंचित भी हो गया, नहर बहुत ऊंची है। रिकार्ड में सिंचित है, मौके पर टीबे हैं, उनको सोलह लाख रुपये प्रति मुरब्बा, खातेदारी लेते हैं तो सोलह लाख रुपये भरने पड़ते हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से छूट दी थी, सिर्फ चार लाख रुपये प्रति मुरब्बा के हिसाब से उसी हिसाब से काश्तकारों को छूट दी जाए। माननीय सभापति महोदय, इस एरिया में इतने राइडर लगा रखे हैं, वन विभाग प्रस्तावित, एक पौधा नहीं है। चालीस-चालीस साल से काश्तकार काश्त कर रहे हैं, टी सी आबंटन है और वन विभाग प्रस्तावित, पैरीफेरी, प्लानिंग क्षेत्र, घग्घर फ्लड, तरह-तरह के राइडर लगा रखे हैं। जब भू माफिया खरीद लेता है उस भूमि को तो रातोंरात सब राइडर हटा दिये जाते हैं, यह मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा और भी बहुत से आबंटन से सम्बन्धित विषय, आबंटन के पात्र काश्तकार, यानी जिनको पुख्ता आबंटन हो गई भूमि पर खातेदारी नहीं मिल रही है, बालिग पुत्र हो, चाहे 55 से पूर्व का हो चाहे बाद का हो, उन लोगों को खातेदारी इसलिए नहीं दी जाती कि जमाबंदी के अंदर वो खातेदारी पुख्ता आबंटन अंकन नहीं किया जाता। पटवारी जान-बूझकर उस रकबे को रकबा राज की सूची में पकड़कर गजट में साया करवा देते हैं। हजारों काश्तकार गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के आज सचिवालय के चक्कर लगा रहे हैं। जो व्यक्ति साधन सम्पन्न हैं वो तो अपनी भूमि निकालकर ले जाता है, एक-एक करके। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो काश्तकार आबंटन के पात्र हैं ऐसे काश्तकारों की भूमि जो गजट में साया है उसको एक लाइन से सारी फाइल मंगवाकर एक साथ निकाली जाए। जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने कम से कम आठ-नौ हजार फाइलें एक आदेश से निकाली थीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, सुन रहे हो? पीड़ा बहुत है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): सुन रहा हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आप कर सको इसका कोई निस्तारण तो करो।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों की भूमि गजट में साया कर दी, वो पात्र काश्तकारों की भूमि सारी निकालकर एक आदेश से चाहे पांच हजार फाइलें हैं, चाहे दस हजार फाइलें हैं, निकालो।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से स्माल पेच यानी पच्चीस बीघा किसी की भूमि है, बीस बीघा है और पांच बीघा सरकारी रकबा है तो वह स्माल पेच में लेता है आबंटन। उसके अंदर भी लूट हो रही है। पैसे बटोरे जा रहे हैं, स्माल पेच के अलावा एक मीडियम पेच बीमारी है। मीडियम पेच है, उस काश्तकार के चिपती हुई भूमि आबंटन करवा लेते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने नियमन का आदेश निकाला था, जिस काश्तकार के पास रकबा राज का कब्जा बीस बीघा हो, पच्चीस हो, तीस हो, उसकी भूमि नियमन की जाती है, परंतु टुकड़ों के अंदर पैसे लेकर आबंटन अधिकारी और नीचे के तहसीलदार, पटवारी, मेरे क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा लूट हो रही है। एक-एक फाइल की निगाह मैं कर नहीं सकता। पैसे लेकर आबंटन भी हो रहे हैं, यह नहीं है कि रोक है, रोक नहीं है, छूट है, पर यह गड़बड़-घोटाला हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, बालिग पुत्रों के प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं। है थोड़ी संख्या, पर उनका भी आबंटन, टुकड़ों में आबंटन, अधिकारी जो जाता है वो पैसे बटोर कर ही आबंटन करता है, ऐसे नहीं करता है।

इसके अलावा गंगानगर जिले में पोंग डैम विस्थापितों की भूमि यहां के काश्तकारों ने खरीद ली। उसके बाद उनकी शिकायत हुई तो पूर्ववर्ती सरकार के समय उनसे पैसे जमा करवा लिये। वे लोग आज भी दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। इसी तरह से सरकार ने सोसाइटी के सदस्यों को भूमि आबंटित की थी। आज 30-30, 40-40, 50-50 वर्ष हो गये, वे भूमिहीन हैं। वे भूमि लेने से वंचित हो गये। उस सोसाइटी में एक परिवार में आज 50-50 व्यक्ति हो गये। उन्हें खातेदारी राइट्स दिये जाने चाहिए। भूमिहीन मानकर सरकारी कीमत लगा दी जाये, यदि माफ करें तो बहुत-बहुत धन्यवाद, नहीं करें तो भी उसका निस्तारण करें। यह समस्या बहुत वर्षों से पेंडिंग है।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि टी सी के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार ने 70 के नियम में भूमि आबंटित करने का, खातेदारी देने का अधिकार तहसीलदार को दिया। उसमें क्या गड़बड़ हो गयी कि पूर्व में गहलोत जी ने अपने बजट भाषण में एक माइनर निकालने की बात कही और 22 करोड़ रुपये दिये। उससे नहर तो निकली नहीं और सारे क्षेत्र में पत्थरगढ़ी करवा दी। इससे वह क्षेत्र कालोनाइजेशन में आ गया, जिस कारण उन्हें 70 के नियम में नि:शुल्क टी सी खातेदारी नहीं दी जा सकती। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वहां पानी नहीं है और पानी जाने की सम्भावना नहीं है, वहां पत्थरगढ़ी करवाकर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, उन काश्तकारों का भला करना है तो आप इस राइडर को भी हटाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि टी सी, बालिग पुत्र, स्माल पैच और रास्तों की बीमारी जो है, खसरों की भूमि में रास्ते कटे हुए नहीं हैं। इसके लिए आये दिन लोगों के आपस में झगड़े होते हैं। रास्ते के लिए भाई का भाई से झगड़ा होता है। आप कोई ऐसा परमानेंट नियम बनाकर, जहां पर रास्ते मंजूर नहीं हैं, उन रास्तों को मंजूर करके किसानों को राहत देने का काम करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

जिस तरह से कालोनी एरिया में दो-दो मुरब्बे पर 16.5 फीट की रोड होती है, उसी तरह से आप इस खसरा की भूमि के अन्दर कोई न कोई नियम बनाकर परमानेंट रास्ते की व्यवस्था करें, अन्यथा लोग आपस में झगड़कर खतम हो जाएंगे। यह बहुत बड़ी बीमारी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुन: मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि सूरतगढ़ पैरीफेरी क्षेत्र को बचा लें। करोड़ों रुपये की रिश्वत लेकर भू-माफिया खातेदारी ले रहे हैं। मूल टी सी आबंटी की जांच करके वहां जन-प्रतिनिधियों के सामने बैठाकर उसे आबंटन किया जाये। जन-प्रतिनिधियों को बैठाने का मतलब, चाहे मुझे मत रखें, आप अपने जो भी कोई जन-प्रतिनिधि हैं, उन्हें रखें, पर इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए।

भूमि आबंटन में जन-प्रतिनिधि को भी रखना चाहिए। मैं आपको इस सदन में भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो पात्र व्यक्ति होगा, उसी को आबंटन

(श्री रामप्रताप कासनियां)

होगा। किसी भू-माफिया को भूमि नहीं दी जायेगी। यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, पर सुनता कोई नहीं। सभापति महोदय, मैंने बार-बार कहा है और फिर मैं चार्ज लगा रहा हूं। इस आबंटन में करोड़ों रुपये का लेन्देन, कहां तक बताऊं, जिले तक का तो मुझे पता है, आगे मुझे कहना नहीं है कुछ। मैं तो सरकार से मांग करता हूं, मंत्री महोदय, आप इस विषय पर अवश्य ध्यान देंगे। नहीं देंगे, तो जो काश्तकार बचे हुए हैं, वे लुट जाएंगे। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, वैसे तो आप विद्वान हैं, लेकिन जो इश्यूज माननीय सदस्य ने उठाये हैं, वे लगभग कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट से सम्बन्धित हैं, अगर आप उचित समझें तो किसी अधिकारी को आपके उत्तर से पहले बुलवा लें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति जी, मैं खुद इन्हें लेकर इनके जिले में गया। इनकी मांग जायज है। एक नोट शीट लिखकर उपनिवेशन डिपार्टमेंट में भी भेज दी। उस समय की तारीख है। अभी मैं आया जब, खाली पूछकर गया और आपका जैसे ही कॉल आया, मैं आ गया।

श्री सभापति: ये ज्वलन्त समस्याएं हैं कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट की।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): हमारे ए सी एस महोदय को भी बताया है। पता करवा रहे हैं। जवाब आयेगा, तब अच्छी बात बताएंगे।

श्री सभापति: Thank You. श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16-राजस्व और मांग संख्या 31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये दोनों आज के समय में प्रदेश के आम आदमी से जुड़े विभाग हैं। सभी ने अपनी भावनाएं प्रकट कीं। अभी मैं सुन रहा था। मेरी नाम राशि वाले दिलावर जी हमदर्दी जता रहे थे, जैसे घड़ियाली आंसू बहा रहे हों। वे भूल गये हैं कि 73 गुर्जरों को मरवाकर क्या वे उस समय नींद में थे और आज हमदर्दी जता रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, कुम्हारों के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं। मैं पार्टी हाईकमान और हमारे माननीय नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, आज कुम्हार का बेटा राजस्थान की विधान सभा में दूसरी बार चुनकर आया है। आपने पांच बार के विधायक कुम्हार के बेटे सुरेन्द्र गोयल की राजनीतिक हत्या

(श्री मदन प्रजापत)

की और आज हमदर्दी जता रहे हैं। थोड़ी-बहुत तो मन में सोचिये। ज्यादा गहराई में न जाते हुए मैं मूल बात पर आता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में सामाजिक न्याय अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत। अगर दबे हुए और समाज में कमजोर, मध्यम, गरीब और मजदूर वर्ग की किसी ने ध्यान रखकर मदद की है, तो उसका नाम है लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत। आज पूरे देश में एक वातावरण बना कि अशोक गहलोत जी की शानदार, जानदार योजनाएं हैं। उन योजनाओं की वजह से सामने वालों को नींद नहीं आ रही है। उनकी नींद उड़ गयी है। इन योजनाओं के आगे जनता में क्या लेकर जाएं? मैं जिन-जिन बातों की तारीफ करूं, वे कम हैं।

माननीय सभापति महोदय, चाहे पेंशन योजना हो, क्या हिन्दुस्तान में मिनिमम एक हजार रुपये पेंशन किसी और स्टेट में है? अगर यह करने की हिम्मत कोई रखता है तो उस व्यक्ति का नाम है लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत। माननीय सभापति महोदय, आज 25 लाख रुपये तक का इलाज किसी राज्य में नहीं है। आम गरीब का जो समय हमने देखा है, खेत की जमीनें बिकती थीं, रहने के मकान तक बिक गये, माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने दर्द को समझा। किसी के बेटे के इलाज के लिए, किसी के बाप के इलाज के लिए, किसी की मां के इलाज के लिए जमीन बेचने की नौबत राजस्थान और अशोक गहलोत जी के राज में नहीं आयेगी। बड़ी और गम्भीर बीमारियों के इलाज की अगर व्यवस्था की है तो अशोक गहलोत जी ने की है। माननीय सभापति महोदय, यह मॉडल किसी और स्टेट का बता दें, राजस्थान की जानदार योजनाएं, आज मैं कह सकता हूं, चाहे पेंशन हो, 25 लाख रुपये तक का इलाज हो, चाहे पालनहार योजना हो। भगवान करे, किसी छोटे बच्चे के मां-बाप नहीं मरें। ठोकरें खाकर बड़े होते थे और आज स्वाभिमान के साथ में इतनी पेंशन मिलती है कि चाहे ननिहाल, बुआ और मांसी के घर में भी रहेगा तो इज्जत के साथ में उन बच्चों की सेवा की जाती है। दुर्घटना बीमा, माननीय सभापति महोदय, अगर किसी भी गरीब आदमी या आम आदमी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, किसी के बूढ़े मां-बाप हैं, किसी के विधवा पत्नी है तो उनको उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार दस लाख रुपये लेकर उनके घर जाती है। आप

(श्री मदन प्रजापत)

विधायक महोदय और आप सभी जाते हैं जिनका भी क्षेत्र है, तब उनको लगता है कि हमारे दर्द को जानने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत है।

माननीय सभापति महोदय, दुर्घटना बीमा के अलावा 100 यूनिट बिजली और जीरो बिल, यह भी समाज को ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय, चाहे फ्री ड्रेस हो, चाहे सम्मान और इज्जत के साथ में भरपेट 8 रुपये में भोजन हो, शहरी रोजगार योजना हो, अगर इतनी बड़ी योजनाएं लागू करने की हिम्मत कोई कर सकता है तो उसका नाम है लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि भोजन किट की जो योजना है वह पहली बार लागू की गयी है। एक किलो तेल मिलेगा, दाल मिलेगी, शक्कर मिलेगी, चाय पत्ती मिलेगी। जैसे बेटा मां-बाप के लिए घर में सामान लाता है उसकी तर्ज पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार और लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में योजना शुरू की है। क्या इतनी बड़ी योजनाएं लागू करने की हिम्मत किसी ने पहले की है? माननीय सभापति महोदय, कई बातें हैं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि शानदार, जानदार योजनाओं के कारण हमारे सामने वाले भाइयों की चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वे मन्थन कर रहे हैं कि कैसे जवाब दें, क्या तोड़ निकालें। दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, भाइयों-बहनों काला धन, भाइयों-बहनों दो करोड़ नौकरी, 15 लाख, किसानों की आय दुगुनी और भगवान जाने वह डेढ़ आंख वाला बाबा कहां गया, 35 रुपये में पेट्रोल मिलेगा उसको वोट दोगे या 60 रुपये में मिलेगा उसको दोगे और आज 35 की तो छोड़ो, 100 के पार है।

माननीय सभापति महोदय, कल हमने न्यूज देखी, एक तरफ अशोक गहलोत जी हैं जिन्होंने 1100 रुपये का सिलेण्डर, गैस की टंकी 500 रुपये में देने की घोषणा की है और दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार ने घरेलू में 50 रुपये की बढ़ोतरी और कामर्शियल में 350 रुपये की बढ़ोतरी की है। वह मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जब 350 रुपये में तो सिलेण्डर देते थे और ये बढ़ोतरी ही 350 की करते हैं। क्या उन्होंने कभी उन ठेले वाले, चाय वाले की पीड़ा समझी है? एक तरफ तो कहते हैं कि हम चाय वाले हैं, हमने चाय बेची है और दूसरी तरफ चाय के ठेले वाले का सिलेण्डर भरवाना बहुत मुश्किल हो गया है।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, कई सामाजिक योजनाओं के लिए मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और कुछ सुझाव सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में हैं। जैसे मैंने पहले भी मांग की कि राजस्थान में बड़ी संख्या में रावणा राजपूत समाज है जिसका कल भी ऐलान हुआ है कि हजारों की संख्या में धरने में बैठेंगे। इनको भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है और वह असम्मानजनक शब्द है जो मैं मेरे मुंह से विधान सभा में नहीं कह सकता हूं। उन सबकी भावना है कि इन तमाम नामों को विलोपित कर एक नाम रावणा राजपूत पूरे राजस्थान में किया जाए। इसमें तो वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, यह लोकतंत्र है, बाबा साहब का सपना था कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम हो, चाहे बड़ी संख्या में हो, चाहे छोटी संख्या में जाति हो, पर सबको मान-सम्मान, इज्जत मिले तो क्या उसके हकदार ये नहीं हैं? मैं पुन: गम्भीरता से मांग करता हूं कि रावणा राजपूत समाज को बाकी नामों की जगह एक नाम से पुकारा जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह की जन्मभूमि में उनके नाम के पेनोरमा का निर्माण किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सदियों तक उनको याद रखेगी कि हिन्दुस्तान के हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक कालबेलिया जाति है। अगर कालबेलिया लिखते हैं तो उनको एस सी में दर्जा दिया जाता है और उसी का भाई अगर जोगी या नाथ लिखता है तो उसको ओ बी सी में मान लिया जाता है। उससे कमजोर कौम कौनसी हो सकती है? जोगी जो भिक्षा मांगकर, घूमकर जैसे-तैसे अपना गुजारा करता है पर उनको ओ बी सी में मान लिया जाता है और उनका वही भाई अगर कालबेलिया लिखता है तो एस सी में माना जाता है इसलिए इसको गम्भीरता से दिखवाकर जोगी जाति जो सदियों से भिक्षावृत्ति का काम करती है, उसको सम्बल मिले, मान मिले, मदद मिले।

माननीय सभापति महोदय, एक राव जाति है। जनरल के राव और एस सी के राव, उनको मानते तो बराबर हैं पर समाज में उनके साथ में राव के बराबर दर्जा नहीं होता है जिससे न तो उनको एस सी का लाभ मिलता है और यदि नहीं मिले तो कम से कम उनके साथ में व्यवहार तो हो। उनके साथ में व्यवहार तो एस सी का करते हैं पर लाभ नहीं मिलता है। ऐसी और

(श्री मदन प्रजापत)

भी कई जातियां हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार की भावना तो सही है, सरकार ने प्रयास भी किये हैं, बाबा साहब का शानदार संविधान देश में लागू हुआ है, लेकिन कागजों और कानून में अलग तथा धरातल में अलग है।

माननीय सभापति महोदय, आज इतने सालों के बाद में भी कई वर्ग हैं जिनके हाथ में मन्दिरों में जाना भी नहीं है। आज मैं वास्तविकता कह रहा हूं। अगर उनका कोई भाई बड़ा आफिसर बन गया चाहे एस सी का है तो उसका स्वागत के साथ मन्दिर में प्रवेश कराया जाता है और उसकी मां का बेटा भाई अगर मजदूर है तो मन्दिर के अन्दर जाना उसके हाथ में नहीं है। सच्चाई और वास्तविकता में काफी अन्तर है। सरकार प्रयास कर रही है, माननीय मुख्य मंत्री जी की भावना भी है, लेकिन इसमें और सुधार करने की जरूरत है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है वह किया है। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ अमृत काल का कह रहे हैं, मैं कह सकता हूं मित्र काल, कौनसा अमृत काल? 'सबका साथ-सबका विकास' की बात करते हैं और रामराज की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, भगवान राम का मन्दिर बन रहा है, हमें खुशी है लेकिन सबका साथ-सबका विकास, क्या भगवान राम और रामराज की कल्पना करते हैं तो रामराज में तो शबरी बाई थी, सुदामा थे तो क्या भगवान राम जी के मन्दिर अयोध्या में एस सी, ओ बी सी में आपको एक भी योग्य आदमी ट्रस्ट के लिए नहीं मिला। बैकवर्ड क्लास, ओ बी सी, एस सी, एस टी, आदिवासी का आपको एक भी योग्य आदमी नहीं मिला? वोट लेने के लिए तो बैकवर्ड और ओ बी सी कहते हैं। मुझे कोई व्यक्तिगत एतराज नहीं है, लेकिन 'सबका साथ-सबका विकास', रामराज तो फिर शबरी बाई कहां है, सुदामा कहां है? एक भी ट्रस्टी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जिला भी बनेगा। मेरी भावना है कि इतनी बड़ी 80 परसेंट आबादी में एक भी ट्रस्टी नहीं बनाया और कह रहे हैं कि हम सब हिन्दुओं को मजबूत कर रहे हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, कई बातें हैं। कमजोर लोगों को मजबूत करने के लिए मैं दो मिनट में सुझाव देता हूं। माननीय सभापति महोदय, चाय वाले, रेहड़ी-ठेले वाले, जूते बनाने वाले, कचरा बीनने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, गाड़िया लोहार जो घूमकर लोहे का काम करने वाले, बंधेज बांधने वाले, रंगाई-छपाई करने वाले, बुनकर, कुली,

(श्री मदन प्रजापत)

भार ढोने वाले, कांगसिया, गंवारिया, पंक्चर निकालने वाले, मिस्त्री और लकड़ी-कोयला बेचकर भी मजदूरी का जो काम करते हैं इन लोगों को सम्बल देकर कई बोर्ड में प्रयास भी किये हैं, पर आज के समय में इनको जरूरत है कि अगर ये मजबूत होंगे तो अपना प्रदेश मजबूत होगा, हर व्यक्ति मजबूत होगा, 36 कौम की भागीदारी होगी।

माननीय बाबा साहब का सपना था, जाति विहीन समाज, सब एक हों, लेकिन बड़ा दु:ख होता है कि जाति विहीन की बजाय आज 70-75 सालों में हर जाति के तीन वर्ग हो गये हैं, एक अमीर, एक गरीब और एक मध्यम वर्ग। चाहे कोई भी जाति हो, तीन वर्ग बन गये हैं। आज वास्तव में ये हालात हैं। चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ओ बी सी हो, चाहे कोई भी हो, आर्थिक दृष्टि से आकलन किया जा रहा है। आज जाति विहीन की बजाय एक जाति की तीन जातियां बन गई हैं।

माननीय सभापति महोदय, भगवान राम का नाम लेकर वोट तो ले सकते हैं, लेकिन राम के सिद्धान्त पर चलना बहुत मुश्किल होता है। माननीय सभापति महोदय, इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है? माननीय सभापति महोदय, कई बातें कही हैं। एक व्यक्ति की ईस्ट इंडिया कम्पनी थी। अन्तर क्या है? वह ईस्ट इंडिया कम्पनी मालामाल होती थी और आज अडानी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत अम्बानी हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक-दो व्यक्ति मजबूत होने से हिन्दुस्तान और प्रदेश मजबूत नहीं हो सकता है। नीरव मोदी, विजय माल्या और चौकसी जैसे कई नाम हैं। इनकी तरह ये रफू-चक्कर हो गये तो देश की गिनती वापस एक से शुरू होगी। तब अंग्रेजों को भगाकर देश ने जीरो से शुरुआत की थी। भारत सोने की चिड़िया, पुराने समय में इतिहास रहा है, कुछ तो था ही, तभी बाहरी लूटने के लिए आये। आज अपने मित्र के लिए, अपने यार-दोस्त के लिए, सभी बातें कुर्बान की जा रही हैं। आपने क्या वादा किया था? भाइयों और बहनों, देश बिकने नहीं दूंगा, चौकीदार हूं, और बड़ा दु:ख होता है, चाय बेचते-बेचते रेल के डिब्बे बिक रहे हैं, स्टेशन, एयरपोर्ट, बन्दरगाह, सब अडानी, अम्बानी तो बाकी कहां जायेंगे? माननीय सभापति महोदय, आज वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है? बड़ा गम्भीर मसला है। इसलिए माननीय सभापति

(श्री मदन प्रजापत)

महोदय, इन कई बातों का आकलन गहराई से करना पड़ेगा, ताकि अपनी स्थिति मजबूत हो।

इन्होंने कई वादे किये, एक भी बात के ऊपर, ये तो जुमला था। माननीय प्रधान मंत्री जी और एक बड़ा सुलझा हुआ नेता, यदि अपने श्रीमुख से कोई बात कह दे और बाद में वही व्यक्ति कहता है, जुमला है। नोटबन्दी से कौन-सा फायदा हो गया? आज समाज में जो व्यवस्था है, गरीब और गरीब हुआ, अमीर और अमीर हुआ, समाज में खाई और भेदभाव और बढ़ गये। यह आर्थिक नोटबन्दी की वजह से, लेकिन लोगों में बड़ा गुस्सा और बड़ी नाराजगी शुरू होने लगी।

एक बार टी.वी. पर और आ गये। भाइयों और बहनों, जो बड़े पैसे वाले हैं, सबको एक समान कर रहा हूं। तब हिन्दुस्तान के आम आदमी, मजदूर और गरीब ने देखा कि मैं तो गरीब ही हूं और मेरा वह भाई जो करोड़पति है, वह भी मेरे जैसा हो जायेगा। इस वजह से लोग शान्त हो गये। आज समाज में विभिन्नता है, वह आर्थिक दृष्टि से है। एल आई सी पर कितना विश्वास था? आज एल आई सी की स्थिति सहारा इंडिया की तरह हो गई है, लोग डर रहे हैं।

श्री सभापति: अभी टाइम है, उनका।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ये लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी हैं जिन्होंने कर्मचारी वर्ग के लिए बुढ़ापे में सम्मानजनक पुरानी पेंशन लागू की। सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से राजस्थान के कर्मचारियों को याद दिलाता हूं कि अगर आप सतर्क नहीं रहे, मैं उस गरीब को याद दिलाता हूं कि यदि आप चुनाव में मजबूत नहीं रहे तो ये विरोधी ताकतें पेंशन बंद कर देंगी, भोजन किट बंद कर देंगी। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का विरोध हो रहा है, उसे बंद कर देंगी। लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी की जनकल्याणकारी योजनाओं का अगर फायदा और शुरू रखवाना चाहते हैं तो 24 घंटे, 365 दिन लट्ठ लेकर मजबूत रहना पड़ेगा और पुन: कांग्रेस की वापसी होगी, तभी ये योजनाएं जिन्दा रहेंगी।

माननीय सभापति महोदय, चुनाव कोई जीते, हारे, यह मायने नहीं रखता है, लेकिन विपरीत विचारधारा के लोग आ गये, आज भी टी.वी. पर पुरानी पेंशन का खुला विरोध कर रहे हैं। अगर विरोधी नहीं हैं तो गुजरात में लागू करें, उत्तराखण्ड में लागू करें, उत्तर प्रदेश में लागू करें। इंसान को भी

(श्री मदन प्रजापत)

कभी हमने, रेलवे स्टेशन पर सुना, बुलडोजर बाबा आ गया। मैंने कहा, इंसान भी कभी बुलडोजर बाबा बनता है। भगवान जाने क्या-क्या नारे ये दे रहे हैं।

राजस्व के मामले में, मंत्री जी विराजमान हैं। मैं सबसे पहले राजस्व के मामले में पूर्व प्रधान मंत्री स्व. इन्दिरा गांधी जी को याद करते हुए नमन करता हूं कि आज बातें भले ही करें, इन्दिरा गांधी जी की बदौलत खेती में नाम लिखा गया, खातेदार। आज वही जमीन करोड़ों-अरबों में बेचता है और फार्च्यूनर गाड़ी लेकर आते हैं। जमीन का मालिकाना हक देने वाली स्व. इन्दिरा गांधी जी थीं। क्या यह भी असत्य है? वर्तमान में दु:ख होता है, मैंने पहले भी कहा कोई भी बात हो, नेहरूजी जिम्मेदार हैं। तब मैंने कहा, इनको बुखार भी आयेगा तो भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, एक मिनट। गांव सबसे छोटी इकाई होती है। पटवार मण्डल है, जिला है और क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़ा प्रदेश है। छतीसगढ़ छोटा-सा राज्य है, 33 जिले हैं। अपना राज्य बड़ा है और 33 जिले हैं। 200 किलोमीटर की दूरियां, अन्तिम गांव 300 किलोमीटर बोर्डर पर पड़ता है। आप जानते हैं, अमीन खां जी, पदमाराम जी, मेवाराम जी, हरीश जी, हेमाराम जी, सम्माननीय हमीर सिंह जी, आप तो नजदीक हैं, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया। आप तो पड़ोसी कांस्टीट्यूएंसी से हैं। अमीन खां जी का शिव 300 किलोमीटर बोर्डर पर पड़ता है। जिला एक ही है। चौहटन 250 किलोमीटर पड़ता है। सम्पन्न आदमी तो जा सकता है, गरीब आदमी जिला हैड क्वार्टर पर नहीं जा सकता है।

मुझे तो भरोसा है, उम्मीद है, मंत्री जी बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी के श्रीमुख से घोषणा होगी। मैं इन्तजार इतना कर रहा हूं कि राम राज में, रामायण काल में शबरी बाई ने राम का इन्तजार किया, वैसे मैं जिले का इन्तजार कर रहा हूं।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): और मुझे खुशी है कि पक्ष, विपक्ष, राठौड़ साहब बैठे हैं, 200 विधायकों में से कोई भी कह दें कि इस मदन प्रजापत की बात गलत है, नहीं बनाना तो मैं बात मान लूंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि इतना प्रेम और आप सबका आशीर्वाद मेरे प्रति है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मैं यह अहसान, वास्तव में दिल से कह रहा हूं, यह राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। मैं दिल से कह रहा हूं कि पड़ोसी भी नाराज हो जाता है, कोई नाराज हो जाता है, बाकी सब बने, लेकिन इनका तो भले ही बना दो। आज मुझे एक साल से ऊपर हुआ है 23 तारीख को, बिना चप्पल, अगर मां कहती है, बेटा कपड़े सूख रहे हैं, लेकर आ जा तो छत पर जाने की हिम्मत नहीं करता है, वह डरता है कि गर्मी में मेरे पैर जल जायेंगे। मुझे खुशी है कि मैं उस भारत जोड़ो यात्रा का गवाह बना। एमपी बोर्डर से हरियाणा बोर्डर तक हमारे कई माननीय विधायक साथी थे। मुझे खुशी है कि वह इतिहास में रहेगा कि कौन-कौन थे और किस-किस हालत में थे। मुझे खुशी है कि मैं बिना जूते, चप्पल पूरी यात्रा में भागीदार बना।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): लेकिन आप सबका प्रेम, आशीर्वाद। इसलिए, मैं मांग करता हूं, मैं तो निवेदन कर ही रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आप सभी सर्वसम्मति से, मंत्री जी, आप माननीय मुख्य मंत्री जी को बात बतायें कि सदन में सबका आशीर्वाद है, छोटे भाई मदन प्रजापत के ऊपर है। मुझे पूरा यकीन है।

दूसरा एक सुझाव है कि एक कहावत बन गई है कि दादा मुकदमा लगायेगा, पोता फायदा उठायेगा, फैसला तब आयेगा। यह जो निस्तारण की प्रक्रिया है, तीन-तीन पीढ़ियां निकली जाती हैं। इनका कोई ऐसा हल निकालें, समाधान निकालें। जो भी फैसला पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन इतना लम्बा प्रकरण होने से लोग निराश हो जाते हैं। वकील के पास जाते है। भाई, राजस्व रा तो पीढ़ियों लागियो, तो उनके क्या काम आया? उनकी जिन्दगी खतम हो जाती है।

श्री सभापति: थैंक यू वैरी मच, माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): दूसरा, जातिगत जनगणना की बात करता हूं। उसमें क्या एतराज है? जिनकी जितनी जनसंख्या, उतनी भागीदारी, हम समर्थन करते हैं। जो भी हैं। माननीय सभापति महोदय, ऐसी कई जातियां हैं। माननीय सभापति महोदय, लोक सभा तो बड़ी बात है, विधान सभा तक नहीं देखी। उनको भी लोकतंत्र में छोटा मिले, बड़ा मिले, कुछ न कुछ, वे भी अपने भाई हैं। सबकी भागीदारी हो। एक बगीचे में सभी तरह के फूल खिलते हैं, तभी वह गार्डन और अच्छा बगीचा कहलाता है। एक व्यक्ति से शोभा नहीं

(श्री मदन प्रजापत)

देता है यह लोकतंत्र है। आपने मुझे बोलने का पूरा समय दिया, आपका दिल से बहुत-बहुत आभार और पुन: मैं जिले की मांग करता हूं कि मेरी अरदास सुनें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जिला बनाने की मांग पर मैं भी इनका समर्थन करता हूं और मैं समर्थन इसलिये कर रहा हूं सभापति महोदय, ये एक साल से बिना चप्पल घूम रहे हैं और मुझे अभी इनके साथियों ने बताया कि इन्होंने प्रण रखा कि +++ की तरह वस्त्र भी उतारेंगे। वह दृश्य देख कर मेरी आत्मा कांप जायेगी, जिस दिन यह मेरा छोटा भाई +++ के वस्त्रों में यहां आयेगा। इसलिये मैं मांग करता हूं आसन पर आप विराजे हैं, सामने मंत्री जी बैठे हैं, इन मदन जी को +++ मत बनने देना, इसलिये इनकी बात को पूरी करो।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधान मंत्री जी का नारा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' साकार होता दिख रहा है। आज त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुन: आ रही है। नागालेंड में बी जे पी सत्ता में आ रही है और कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली उसका यह रहा कि 180 सीटें पूर्वोत्तर में जहां चुनाव हुए वहां 10 ही जीत कर आयी हैं। भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम और मोदी जी का परिणाम, दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है।

माननीय सभापति जी, मांग संख्या 16 व 31 राजस्व व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में आपने बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। अब वर्तमान सरकार कैसे काम कर रही है, हम जब सदन में रहते हैं मुख्य मंत्री जी किसानों की बात करते हैं, यहां के अनेक मंत्री किसानों की बात करते हैं, पर सबसे ज्यादा किसान को यदि किसी से काम पड़ता है तो वह उसकी तहसील में पटवारी से अपने ग्राम पंचायत पर पड़ता है और जब वह ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाता है तो वहां पर देखता है पटवार घर है नहीं, यदि है तो टूटा हुआ है और कहीं बना हुआ है तो उसके परमानेंट ही ताला लगा हुआ है। कहीं पटवारी बैठते नहीं हैं। बीकानेर जिले में यह हाल है कि कहीं भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कभी भी चले जाओ, कभी भी आपको पटवारी नहीं मिलता है और बात करते हैं किसान हित की। किसान बजट की बात करते हैं

(श्री सुमित गोदारा)

और सबसे ज्यादा किसान को जब काम पड़ता है, पटवारी उसे मिलता नहीं और हालत यह हो गयी है इस वर्तमान सरकार के आने के बाद कि इतना भ्रष्टाचार पनप चुका है कि पटवारी भी गांव में असिस्टेंट रखने लगे हैं। पहले उसके बाहर असिस्टेंट से मिलो फिर पटवारी के पास जाओ। यह हाल वर्तमान में इस कांग्रेस हितैषी सरकार के कारण हुआ है और इसमें मंत्री जी के आगे भी अनेक बार बात कही पर कार्य कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यह सरकार घड़ियाली आंसू किसानों के नाम पर बहा रही है और जो नतीजा उत्तर-पूर्व में आया है वैसा ही नतीजा पश्चिम भारत में आने वाला है दिसम्बर में।

माननीय सभापति जी, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे लूणकरणसर क्षेत्र में राजनीतिक रसूखदारों, अधिकारियों और पटवारियों से मिल कर ऐसी बंदरबांट हुई है कि हमारी ग्राम पंचायत लूणकरणसर के रीको औद्योगिक क्षेत्र व मण्डी विकास समिति के क्षेत्र के समीप जो खसरा नम्बर 1047, जिसका पुराना 730/975 है जिसमें आराजी रकबा 812 बीघा है, उसमें 290 बीघा का नियम विरुद्ध राजनीतिक रसूखदारों, प्रशासनिक अधिकारियों, पटवारियों की मिलीभगत से तीन सौ करोड़ का घोटाला हुआ है। इसको मैंने कलेक्टर को, मुख्य मंत्री जी के आगे कर दिया और यह वह इलाका जहां पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नाम पर आबंटन का खेल चल रहा है बीकानेर में।

माननीय सभापति जी, यह वह एमएफएफआर का आबंटन है जिसमें कांग्रेस के वो जीजाजी हैं जिनके ऊपर ई डी की रेड भी पड़ी, जिस पर आज भी वो बेल पर मुकदमे में बाहर हैं जिन्होंने किसानों की हजारों बीघा भूमि एक कम्पनी बनाकर उसका आबंटन कराया, आबंटन करा कर उसको बेचा। इसकी जांच करनी चाहिये और इस तरह का यह गोरखधंधा बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नाम के आबंटन पर चल रहा है।

माननीय सभापति जी, अभी पूगल, कोलायत, बज्जू व खाजूवाला में हजारों बीघा भूमि एमएफएफआर के नाम पर आबंटित की गयी है। पिछले दो वर्षों में और आपको जानकर आश्चर्य होगा सभापति जी, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, कल्ला जी बैठे हैं, वो भूमि कहां पर आबंटित की गयी है, एमएफएफआर के नाम पर वो की गयी है खनिज क्षेत्र में जहां पर उसका आबंटन नहीं किया जा सकता। वहां पर खानें हैं जहां पर नीचे मिनरल्स हैं कोलायत में, उस जगह और कई जगह तो उस भूमि को एक साल बाद ही बेच दिया गया। हजारों-

(श्री सुमित गोदारा)

करोड़ों का यह घपला बीकानेर में किया गया है और जब-जब कांग्रेस सरकार आती है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जब 2008 से 2013 में थी, तब भी एमएफएफआर के नाम पर घोटाला हुआ और अब सरकार आयी तो पिछले चार वर्ष में आपने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज उन किसानों की जमीन जो चौंतीस गांवों के किसान देश के लिए फायरिंग रेंज के नाम पर पुनर्वासित हुए, उस जगह को छोड़ कर माइग्रेट हुए वे आज भी इधर-उधर धक्के खा रहे हैं उनकी भूमि को लोगों ने फार्म लेकर वहां करोड़-अरबों रुपये कमाये हैं। दिल्ली से वह राबर्ट वाड्रा ने वहां पर आकर जमीनें लीं उसने। उसने जमीनें ली और उसका नाम ई डी में आया... (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में क्या उन्होंने नोटिस दे रखा है आपको?

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): अडानी सदस्य हैं क्या? अडानी सदस्य हैं? अम्बानी सदस्य हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ये बिलकुल गलत आरोप लगा रहे हैं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): नहीं, अडानी, अम्बानी सदस्य हैं क्या, मंत्री जी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): इनका नाम इन्होंने लिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री जी बोल रहे हैं, बोलने दें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): नहीं, आप यह कैसे बोल रहे हो? अडानी, अम्बानी सदस्य हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): एक मिनट मेरी बात सुन लो आप।

श्री सभापति: बोलने दीजिये इनको।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): नहीं, राबर्ट वाड्रा क्या है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): जो जमीनें ली गई हैं उसमें अधिकांश लोग भाजपा के हैं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): कोई भी हो आप जांच करो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): कई लोग भाजपा के लोग दिवंगत हो गये उनके नाम से जमीनें ली गईं और पांच हजार, दस हजार रुपये बीघा की जमीनों को उन्होंने करीब-करीब 90 हजार, 70 हजार में उनको बेचा। उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है। जिनका इन्होंने नाम लिया है उन्होंने एक परसेंट गड़बड़ नहीं की है। गड़बड़ की है भाजपा के लोगों ने। उन्होंने अपनी जमीनें भूमिहीन बन कर ली हैं और उनको बेची है।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): मंत्री जी, जिन्होंने गड़बड़ की है आप जांच कराओ।

श्री सभापति: सुनिये आप। बैठिये, बात सुनिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): उसका चैक से पेमेंट हुआ है, रजिस्ट्री हुई है। एक परसेंट कोई घोटाला उन्होंने नहीं किया। घोटाला करने वाले आपकी पार्टी के लोग हैं।

श्री सभापति: बैठें, प्लीज। हो गया आपका?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मंत्री जी ने जब बात की है तो मुझे भी एक बात कहनी है। सभापति महोदय, मंत्री जी ने जिस शख्स का नाम लेकर कहा, वह सारा मामला न्यायालय में चल रहा है और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वह जमीन खरीदी है उन जीजाजी से तो एक मेरी मांग है कि सरकार कमीशन बना दे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। मंत्री जी, चोर की दाढ़ी में तिनका है। चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): कोई तिनका नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप लोग मिले हुए हो। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): भाजपा के लोगों ने भूमिहीन बन कर जमीनें लीं और उनको बेचीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राबर्ट वाड्रा ने और उसके परिवार की स्काई लैब कम्पनी ने जमीन नहीं खरीदी है तो आप इस्तीफा दो या मैं इस्तीफा देता हूं। (व्यवधान) मेरा इस्तीफा लो या आप इस्तीफा दो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मैं भी आपको चुनौती देता हूं कि उन्होंने भूमिहीन बन जमीन नहीं ली है। भूमिहीन बनकर जमीनें ली हैं भाजपा के लोगों ने और उनको बेची गयी है। उसका चैक से पेमेंट दिया गया है। रजिस्ट्री का पैसा पूरा दिया गया है।

(समय: 14.56 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय मंत्री जी, आपको पता था उस समय वहां सोलर प्लांट आने वाले हैं, माइन्स की इंडस्ट्रीज आने वाली हैं। पहले भूमि ली गई, यही तो भ्रष्टाचार है। यही तो हम आरोप लगा रहे हैं। उस समय आपकी कांग्रेस सरकार थी और यह भ्रष्टाचार राजस्थान में आपकी सरकार थी तब आपने आबंटन कराया और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में माइन्स वाली जगहों पर आपने कराया। यह हकीकत है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आप नाम बतायें। किस-किस ने जमीन ली? बताओ। मेरी बात सुनो, दो तो बीजेपी के नेता दिवंगत हो गये। उन्होंने जमीनें लीं, उन्होंने बेचीं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): आप कार्यवाही करो। आप उसके खिलाफ कार्यवाही करो। कार्यवाही क्यों नहीं करते आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप बनाओ कमीशन। करो हिम्मत, बनाओ कमीशन। कराओ जांच। मैं प्रस्ताव करता हूं ...(व्यवधान) और कोलायत के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आप बताओ कि किस कांग्रेस के नेता ने जमीन ली? एक का भी नाम बताओ। आप बताओ।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): और आप जो यह बात कर रहे हो, आप कमीशन बैठाओ। आपके मंत्री वहां के कोलायत के, सारा आबंटन कराया गया अभी वर्तमान में, सीधा सदन में कह रहा हूं आप जांच कराओ। वर्तमान मंत्री जो कोलायत के विधायक हैं ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मेरी सात पीढ़ी में एक बीघा भी जमीन ली है तो बता दो आप।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): किसने?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): हमारे परिवार में।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): आपका नहीं कह रहा हूं, मैं कोलायत के मंत्री का कह रहा हूं। आप सुनिये कोलायत के मंत्री हैं आप जांच बिठाओ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर माइन्स वाली जगह पर आबंटन हुआ या नहीं हुआ? आप जांच बिठाओ मंत्री हो, आप बीकानेर के हो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): भाजपा के पूर्व विधायकों के नाम से जमीन... (व्यवधान)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): आप बात मत घुमाओ। आप यह कहो कि कोलायत के विधायक वर्तमान ऊर्जा मंत्री ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): उनके रिश्तेदार, उनके कार्यकर्ताओं के नाम जमीनें ली गईं और जमीनें लेकर के फिर ऊंची कीमतों पर उनको ठगा गया, बेचा गया उनको।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज विराजिये। अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। आप अपने सब्जेक्ट पर आयें। मैं अलाउ नहीं करूंगा अब। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): नहीं, अंकित क्यों नहीं होगा, सभापति महोदय?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिये। काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिये प्लीज। किसी का अंकित नहीं होगा। बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आपकी इस डिबेट में उन लोगों का वक्त जाया हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों पक्षों से, कृपया सब्जेक्ट पर आयें। प्लीज। श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, अंकित क्यों नहीं होगा? मेरा निवेदन यह है जब अडानी-अम्बानी की बात करते हो तो इनका क्यों नहीं अंकित होगा? किसानों की जमीन गयी है, किसानों का रिकार्ड पर तो आना चाहिये कि किसानों के साथ क्या अन्याय हुआ है। रिकार्ड पर तो यह बात लीजिये और जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं, क्या उन्होंने कम्पनी बना कर जमीन ली है? खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हां, जमीन तो ली है। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इस विषय से अलग हटिये। क्यों आमंत्रित कर रहे हो आप इनको? प्लीज।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): राजस्व का ही विषय है साहब,

(श्री सुमित गोदारा)

राजस्व का, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्व विभाग द्वारा ही आबंटन किया जाता है। यह इतना बड़ा घोटाला है इससे सरकार डर क्यों रही है? मंत्री जी बोलें सदन में, बीकानेर जिले से आते हैं। प्रोटोकोल में मुख्य मंत्री के बाद दूसरे नम्बर के मंत्री हैं, ये बोलें हम जांच करवाते हैं। दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। क्या आपके मंत्री, आपकी सरकार के मंत्री इन्वोल्व हैं या नहीं? आप बोलिये इस बात को। कराइए जांच, पूरा बीकानेर देखना चाह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है? डर क्यों रहे हो? यदि साफ हो तो कराइए जांच।

(समय: 15.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन से मुखातिब होंगे तब मैं आपको अलाउ करूंगा वरना मैं आपको बिठाऊंगा। आप उनको आमंत्रित मत कीजिए। एक विषय को आप कितनी बार बोलोगे?

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, यह दर्द हमारा क्षेत्र जानता है।

श्री सभापति: नहीं, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा, अंकित नहीं होगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: वह विषय दुबारा अंकित नहीं होगा। आपको समाप्त करना है तो समाप्त करें वरना मैं दूसरा नाम पुकारता हूं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): ठीक है। माननीय सभापति महोदय, लूणकरणसर विधान सभा के राजस्व गांव किस्तुरिया बंदा, खारी, उत्तमदेसर, रामबाग फुलेजी, मेघाना में मैंने तत्कालीन राजस्व मंत्री को 06 मार्च, 2020 को निवेदन किया था कि हमारे वहां पर चकबंदी का कार्य किया जाये। तत्कालीन राजस्व मंत्री को भी कहा, वर्तमान राजस्व मंत्री जी के यहां भी निवेदन किया कि खातेदारी किसानों के चकबंदी नहीं होने के कारण किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, दो-दो राजस्व मंत्री बदल गये, लेकिन अभी तक किसानों का चकबंदी का काम नहीं हुआ। कलेक्टर साहब से लेकर सब जगह अनेक बार बात रखी। इस सरकार में मैं बार-बार कह रहा हूं कि किसानों के नाम पर असत्य घड़ियाली आंसू बहाये जाते हैं, लेकिन किसानों को कहीं सुविधा नहीं दी जाती।

ऐसा का ऐसा प्रकरण हमारे वहां आबंटन सलाहकार समिति है, जिन

(श्री सुमित गोदारा)

किसानों को खातेदारी हक नहीं मिले, प्रभारी मंत्री आईं मीटिंग में, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, सबको अनेक बार कहा, लेकिन आबंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करने के लिए यह सरकार वहां कोई रुचि नहीं ले रही है। एस डी एम को भी कहा, लेकिन हर बार कलेक्टर और यह बात टालते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है बी जे पी के विधायक हैं, बी जे पी के प्रधान हैं, कहीं इनको श्रेय नहीं मिल जाये, इसलिए आबंटन सलाहकार समिति की मीटिंग न बुलायें। राजस्व मंत्री जी, कितने दिन बचाओगे आप? 6 महीने की बात है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उत्तर पूर्व में आई है, राजस्थान में भी ऐसे ही बहुमत से 170-180 सीट आयेंगी और हम किसानों का हक दिलाकर रहेंगे।

माननीय सभापति जी, गांवों में आबादी भूमि आबंटन विस्तार के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह गांव बढ़े हैं आज से पहले गांवों में 30-30 घर होते थे, पिछले 20 सालों में कहीं 100 हुए, आबादी तीन गुना, चार गुना बढ़ी। जिस तरह दिल्ली में कब्जा की हुई सरकारी भूमियों का नियमन किया, जयपुर में पृथ्वीराज नगर को नियमन किया, हमारे बीकानेर शहर में नियमन किया तो उस गरीब का, दलित का जो गांव के बाहर बैठता है, उसका क्या दोष है, उसकी भूमि को क्यों नहीं नियमन करते? शहरों में आप कालोनी काट देते हो, कस्बों में काटते हो, गांव बढ़ रहे हैं, गांव वाले कहां जायेंगे? गांव के आस-पास ज्यादातर गोचर भूमि है, गांव वाला वहां जाकर बसता है, उसको आप वहां बसने नहीं देते, उसके खिलाफ कार्यवाही करते हो। यह भी ध्यान रखो कि भारत की 70 परसेंट आबादी गांवों में रहती है, उन गांवों के विस्तार के बारे में भी आप जरूर विचार कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व विभाग में अनेक पोल हो रही है। उसी का एक उदाहरण हमारे बीकानेर में ग्रीन एक्सप्रेस कोरिडोर जो 35 हजार करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर मेरे विधान सभा क्षेत्र में जा रहा है, वहां पर कुछ जगह कुछ भू-माफियाओं ने मिलकर एस सी की जमीनों को इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट करा लिया और उसका मुआवजा औद्योगिक राशि से उठाया, जबकि वहां पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनी। इसकी जांच की जाये और जांच करके जिन लोगों ने ऐसे पैसा उठाया है, उनको निरस्त किया जाये तथा जिन अधिकारियों ने ऐसा कार्य किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये।

(श्री सुमित गोदारा)

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के हिडमरसर, पुरोहितान, नैनों का बास, डांडुसर, यह ऐसे गांव हैं जिनका आज भी रेवेन्यू रिकार्ड में नक्शा नहीं है। वह गांव वाले दर-दर ठोकर खा रहे हैं। हिडमरसर, पुरोहितान ऐतिहासिक गांव हैं, नैनों का बास हमारे पूर्व राज परिवार द्वारा बसाया हुआ गांव है, लेकिन आज वहां कोई रेवेन्यू रिकार्ड नहीं है। सैटलमेंट के द्वारा अनेक बार काम कराया गया, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उसको अपडेट करके रेवेन्यू विभाग को दिया जाये, ताकि वह काम हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन यह है कि जो सारे पटवार हल्कों में म्यूटेशन हो रहे हैं, वह एन आई सी पर दर्ज होते हैं। पटवारी को अपने स्तर पर ही ऑनलाइन दर्ज करने का अधिकार दिया जाये, क्योंकि पटवारियों को एन आई सी पर जाकर करना पड़ता है और एन आई सी पर आपका ज्यादातर सिस्टम खराब रहता है, जिसकी वजह से पटवारी बार-बार किसानों से चक्कर लगवाते रहते हैं। इनका ऑनलाइन काम हो नहीं रहा, इस वजह से किसान बड़ा पीड़ित रहता है। आपसे निवेदन है कि ऑनलाइन म्यूटेशन वाले काम का अधिकार पटवारी को भी दिया जाये। आज टेक्नोलोजी का जमाना है, इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे लूणकरणसर में डाक्टर बी आर अंबेडकर हॉस्टल को बने लगभग 55 साल हो गये। जब 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उसकी मरम्मत का कार्य करवाया गया पर आज वह बिलकुल क्षतिग्रस्त है। आप एस सी समाज के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन आज तक आपने उस हॉस्टल की रिपेयर का कोई काम नहीं किया। गांव से आने वाले बच्चे परेशान होते हैं, हॉस्टल में रहने वाले सारे बच्चे पीड़ित होते हैं, इसलिए उस हॉस्टल के पुनर्निर्माण का कार्य करवाया जाये, ताकि हमारे क्षेत्र के गरीब, मेघवाल, नायक, सांसी, बावरी, रैगर समाज के साथी उसका उपयोग कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में हम देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्र किस तरह आगे बढ़ रहा है। आज देख रहे हैं कि सीधे खातों में पैसे आ रहे है। जहां कभी हम गांवों में जाते थे तो लोग कहते थे कि, साहब, हमारे पेंशन आती है, उसको कभी डाकिया खा जाता है, कभी

(श्री सुमित गोदारा)

पटवारी नहीं देता। हम उस बीकानेर जिले से आते हैं जहां देश के पूर्व प्रधान मंत्री ने बज्जू में सन् 1985 में कहा कि दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूं, 15 रुपये खाते में जाते हैं और आज मोदी जी जनधन योजना से सीधे खाते में पैसा भेज रहे हैं, तो 100 के 100 रुपये सीधे उसके खाते में आ रहे हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): इससे सबसे ज्यादा यदि देश में किसी को लाभ हुआ है तो वह उस एस सी समाज के भाई को हुआ है जो हमेशा किसी के आगे ठोकर खाता था। उसके खाते में सीधे पैसे आने लगे हैं। उसको असली आजादी का अहसास अब हुआ है।

बहुत से साथियों ने गैस सिलेंडर की बात रखी कि गैस सिलेंडर 1100 का हो गया। वह भूल रहे हैं कि गैस सिलेंडर का क्या हाल था। मुझे खुद को याद है कि गैस सिलेंडर खतम होता था तो पीछे बैठकर सिलेंडर लेने जाते थे। सभी के साथ यह स्थिति रही थी। जब 1998 में वाजपेयी जी की सरकार आई, उस समय सुषमा स्वराज जी मंत्री थीं, 6 साल में लोगों के घरों में आकर गैस सिलेंडर देने लगे थे। फिर 2004 में वापस मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार जो हमेशा ब्लैक के लिए जानी जाती है, यह कांग्रेस की वही सरकारें रहीं जिनके समय सीमेंट के लिए भी लाइसेंस राज, स्कूटर खरीदने के लिये भी लाइसेंस राज, चीनी खरीदनी थी, उसके लिए भी लाइसेंस राज। 1991 में नरसिम्हाराव जी देश में इकोनोमिक लिबरलाइजेशन तो लेकर आये, पर इन कांग्रेस के साथियों को उनका नाम लेते हुए शर्म आती है। पांच साल ही नरसिम्हाराव जी रहे, पांच साल ही राजीव गांधी जी रहे, पर नरसिम्हाराव जी का नाम कोई नहीं लेता, राजीव गांधी जी का हर जगह लेते हैं। हम जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया, उसकी प्रशंसा करते हैं। वह इकोनोमिक लिबरलाइजेशन लेकर आये तो देश आगे बढ़ा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): जिस तरह मोदी जी ने 10 करोड़ गैस सिलेंडर गरीबों को दिये, हम गांवों में जाते हैं, गांवों की माताएं-बहनें...

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राज्य के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को और हमारे डाइनेमिक रेवेन्यू मिनिस्टर, जो यहां विराजमान हैं, उनको कि मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने पिलानी विधान सभा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था तहसील बनाने का, 44 पंचायतें, 3 नगरपालिकाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र में 24 पंचायतों का क्षेत्र ऐसा था जिसको अपने राजस्व और प्रशासनिक कार्यों के लिए दूसरी विधान सभा क्षेत्र में जाता था। मेरे विधान सभा क्षेत्र का नाम है पिलानी और उनको जाना पड़ता था सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में। जब मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं वहां का विधायक बना तो मुझे यह बड़ा अटपटा लगा क्योंकि बड़ी लंबी पारी मैंने ब्यूरोक्रेसी में खेली है। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि एक विधान सभा क्षेत्र के व्यक्ति दूसरी विधान सभा क्षेत्र में अपने प्रशासनिक और रेवेन्यू के कार्यों के लिये रोज वहां भटकते फिरें। एस डी एम मिले या नहीं मिले, तहसीलदार मिले या नहीं मिले और वह इतनी दूरी तय करके जायें और निराश ही लौटें। मैंने जब यह अपनी कहानी शुरू की तो इन दोनों का बड़ा आशीर्वाद रहा। इसमें कई फैक्टर थे, उनको कंसीडर करने के बाद इन्होंने तहसील पिलानी बना दी। अब पिलानी विधान सभा क्षेत्र की 24 पंचायतें अपने आपमें स्वतंत्र हैं, वहां रेवेन्यू और प्रशासनिक कार्य जो तहसील में होने चाहिये, वह पिलानी में होते हैं, उनको कहीं नहीं जाना पड़ता। मैं आज के दिन के मौके का फायदा उठाना चाहूंगा, वहां एस डी ओ भी वहीं का लगना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दूसरा एस डी ओ भी है, एस डी ओ चिड़ावा, लेकिन जब तक आप एस डी ओ पिलानी में नहीं दे देते हैं, आपका बहुत पुराना प्रशासनिक फैसला है, लगभग हर तहसील में आपने एस डी ओ दे रखा है। चूंकि पिलानी स्वतंत्र तहसील बना दी और वह फंक्शनल हो गई, इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक स्वतंत्र एस डी ओ पिलानी के लिए भी बनायें, वह पद यहां क्रिएट करावें।

पिलानी एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी जगह है। वहां बिरला जी की कई इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, बिट्स वहां है, सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां है, जहां पर हमारी चिप बनती है। वहां पर बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट आ गये। डिफेंस के बहुत बड़े आर्गेनाइजेशन मेरे पिलानी विधान सभा क्षेत्र में हैं। एक एस डी ओ का पद पिलानी में क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आपको मैं यहां पर जानकारी देना चाहता हूं कि पिलानी में एस डी ओ के आफिस के लिए जमीन हमने वहां पर रिजर्व करवा दी है। तहसीलदार की भी है और एस डी ओ की भी है। मैं आपसे

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

उम्मीद करता हूं कि आप हमको यह आशीर्वाद जरूर देंगे। यह आशीर्वाद मुझे ही नहीं, बल्कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र की जनता को और बहुत बड़े क्षेत्र को मिलेगा।

मैं दूसरा निवेदन करता हूं कि जब तक इसमें समय लगे कि आपको एस डी ओ का पद क्रिएट करने में टाइम लग रहा हो, रेवेन्यू बोर्ड में आपको रेफर करने में टाइम लग रहा हो, प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा हो, तो आपने पिलानी विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए जो तहसील बनायी है, पिलानी और विद्याविहार पिलानी दोनों नगरपालिका क्षेत्रों के लिए, 24 पंचायतों के लिए, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू सम्बन्धी जो एस डी ओ का काम है, वह आप मीनवाइल, जब तक एस डी ओ पिलानी में नहीं बैठे, तब तक चिड़ावा एस डी ओ बैठता है, उसको अधिकृत कर दें। मैं बहुत दिनों से आपसे पत्र व्यवहार कर रहा हूं, मुख्य मंत्री जी से भी कर रहा हूं, आपको भी कर रहा हूं। मैंने रेवेन्यू के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको भी भेजा है, अन्य अधिकारियों को भी भेजा है, रेवेन्यू बोर्ड में भेजा है कि दूसरे विधान सभा क्षेत्र में हमको अपने कार्य के लिए नहीं भेजें, उससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। जनता को परेशानी होती है। जब स्कोप है, दूसरा एस डी ओ 10 किलोमीटर पर बैठा है तो आप चिड़ावा वाले से काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? छोटा-सा एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन निकलता है, वह आप निकालकर मुझे अनुग्रहित करें।

मैं दूसरा निवेदन आपके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय से करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति और पोलीटेक्निक कालेज, दो बहुत बड़ी संस्थाएं पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मुझे दी थीं। वह पॉलीटेक्निक कालेज तो मैंने झुंझुनूं के कैम्पस में, चूंकि जमीन नहीं मिल रही थी, झुंझुनूं कैम्पस में मैंने चालू भी करवा ली, वहां पर एडमिशंस भी हो गये हैं। माननीय राजस्व मंत्री महोदय, जिला कलेक्टर को यह निर्देश दें कि पोलीटेक्निक कालेज पिलानी के लिए और कृषि उपज मंडी समिति के लिए वे जल्दी से जल्दी जमीन का अलाटमेंट करें। कैसे करें, क्या करें, कहां आइडेंटिफाई करें, वह उनका आउटलुक है। जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ प्रस्ताव उन्होंने यहां भेजे भी हैं, लेकिन फिर भी आपके आफिस से, आपके प्रभाव से मैं चाहता हूं कि जिला कलेक्टर को निर्देश मिले कि इन दोनों संस्थाओं के लिए जितनी जमीन चाहिए, जितने नोर्म्स हैं, वे जमीन अलाट हों, ताकि मैं इन दोनों संस्थाओं के भवन आदि का निर्माण करवा सकूं।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

जहां तक सोशल जस्टिस का सवाल है। माननीय सभापति महोदय, जब राजस्थान में समाज कल्याण विभाग होता था, मैं उसका डायरेक्टर रह चुका हूं, जो अलाइड एक्टिविटीज हैं, जो कारपोरेशन हैं, एस सी, एस टी, माइनोरिटी, ये जितने भी कारपोरेशंस हैं, उनका भी साथ-साथ में एम डी रहा हूं। उस वक्त सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट का जो स्कोप होता है, वह एस सी, एस टी पर ज्यादा फोकस करता था, लेकिन हमने नकल की। गवर्नमेंट आफ इंडिया में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट बन गया और वही नकल हमने कर ली। उसका स्कोप बहुत बड़ा है। अच्छा है कि हम दिव्यांगों की समस्याओं का भी समाधान करें, दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान भी करें। समाज के ऐसे बहुत कमजोर वर्ग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समाज कल्याण विभाग का जो बेसिक काम था, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के कल्याण को देखना, विशेषकर शिड्यूल्ड कास्ट के कल्याण को देखना, उसमें थोड़ा-सा इग्नोर-सा महसूस हो रहा है। अगर आप सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के फंक्शंस की लिस्टिंग करेंगे तो उसमें एस सी का तो बहुत लिमिटेड्सा काम रह गया है, बाकी दूसरे काम बहुत ज्यादा हो गये हैं। मुझे यह महसूस हो रहा है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो कि मुख्य रूप से समाज कल्याण के रूप में चालू हुआ था, वहां शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जो एक्टिविटीज हैं, उन्हें और एक्टिवेट करना चाहिए और दूसरी गतिविधियों पर फोकस होना चाहिए।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सदन में अभी कुछ दिनों पहले जब यह विषय आया तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत बड़ा धन्यवाद दिया गया कि 30 हजार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का उन्होंने आदेश दिया और साथ में 100 करोड़ का वाल्मीकि कोष उन्होंने स्थापित किया। माननीय सोशल जस्टिस मिनिस्टर यहां नहीं हैं, लेकिन कुछ अधिकारी भी बैठे हैं और उनकी तरफ से नोट किया जा रहा होगा कि सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि, इन दोनों में अन्तर है। आज के परिप्रेक्ष्य में सफाई कर्मचारी कोई भी आदमी हो सकता है। हर वाल्मीकि सफाई कर्मचारी नहीं होता है, लेकिन सफाई कर्मचारी में तो अब दूसरे वर्ग भी आने लग गये हैं। इसलिए आपके माध्यम से और माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चन्देलिया साहब, जो दूसरे वर्ग के लोग

(श्री संयम लोढ़ा)

आते हैं, क्या वे नाली में झाड़ू लगा रहे हैं? वे नौकरी भी खा रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): यह बात पहले डिस्कस हो चुकी है। मैंने अपने उद्‌बोधन में भी और सोशल मीडिया में जो मेरा वायरल हुआ है मेरे साथियों का वायरल हुआ है, मैंने माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा जी के वक्तव्य का समर्थन करते हुए खुद कहा है कि जो व्यक्ति सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है, उससे सफाई का काम कराया जाना चाहिए।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप विराजें। माननीय सदस्य, आप काफी वरिष्ठ हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि चूरू से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य जब भी ट्रेजरी बैंचेज की तरफ जाते हैं तो गैलरी से बाहर से होकर आते हैं, आप सीधे फ्लोर क्रोस करते हैं। सदन की स्थापित परम्परा रही है कि कोई भी फ्लोर क्रोस नहीं करे। यह स्थापित परम्परा है। चूरू से आने वाले माननीय राजेन्द्र राठौड़ हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, वे कभी फ्लोर क्रोस नहीं करते हैं। जब ट्रेजरी बैंचेज की तरफ आना होता है तो गैलरी के बाहर से निकलकर आते हैं। मैं आप सभी से अपेक्षा रखता हूं कि सदन की स्थापित परम्पराओं का आप निर्वहन करेंगे।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): मैं माननीय संयम लोढ़ा जी की बात को रिपीट कर रहा हूं और हमने भी समर्थन किया है और कई अन्य साथियों ने किया था कि जिसकी नियुक्ति सफाई कर्मचारी के रूप में हुई है, उससे सफाई का काम करवाया जाये और यदि क्वालिफिकेशन के आधार पर सफाई कर्मचारी को बाबू बनाया जा रहा है तो इस वर्ग में भी जो सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, इस वर्ग में भी जो पढ़े-लिखे लोग हैं, पढ़ी-लिखी बच्चियां हैं, पढ़े-लिखे युवा हैं, उनको भी इक्विली वह स्टेटस मिलना चाहिए।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि इन्होंने जो वाल्मीकि कोष स्थापित किया है, पिछली बार 20 करोड़ रुपये दिये थे। इस बार Manniya Mukhya-mantri was very kind कि इसको एन्हांस करके 100 करोड़ रुपये कर दिये गये हैं। उस 100 करोड़ रुपये के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने एक सफाई कर्मचारी आयोग बना रखा है, वह सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए है। जो वाल्मीकि कोष इन्होंने स्थापित किया, वह वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए है। बड़ा कोष है, सौ करोड़ रुपये का कोष है। जैसे दूसरे आयोग बनाये हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एक वाल्मीकि आयोग बना दें और उसकी गाइडलाइन जारी कर दें कि सौ करोड़ रुपये की राशि कैसे यूज हो, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौनसा होगा, इसकी बहुत महती आवश्यकता है, क्योंकि एक नयी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। समाज के कल्याण के लिए शुरुआत है।

मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को वापस अपने फंक्शंस को रिव्यू करना चाहिए और जिस रूप में हमारे राजस्थान का समाज कल्याण विभाग था, उसके जो फंक्शंस थे, वे फंक्शस एज-इट-इज, कम से कम, बाकी फंक्शंस भी करें, लेकिन वे भी इसमें समाविष्ट किये जाने चाहिए। गारंटी बढ़ानी चाहिए, जो छह कारपोरेशन हैं, बिना गारंटी बढ़ाये, स्टेट की गारंटी के बगैर आप ज्यादा लोन नहीं दे पाते हैं, उन कारपोरेशंस को। चाहे वे माइनोरिटी के हैं, चाहे एस सी के हैं, चाहे एस टी के हैं, वह जो गारंटी का अमाउंट है, वह बिलकुल बढ़ना चाहिए। लिमिटेड गारंटी है, उससे ज्यादा लोन नहीं मिल पाता है। जो एस सी कम्पोनेंट है, एस सी कम्पोनेंट पर जो खर्चा किया जाता है, उसको अधिकारियों के स्तर भी रिव्यू करने की जरूरत है। मंत्री महोदय के स्तर पर भी रिव्यू करने की जरूरत है कि किस हिसाब से। ऐसा नहीं हो कि चार घर एस सी के हों और सौ घर जनरल के हों और चार घरों का नाम दिखाकर सौ घरों को फायदा दें। उससे तो misuse of SC component होगा, जो कि एस सी की विशेष कम्पोनेंट योजना बनी हुई है।

आज का सोशल जस्टिस का सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यह मेरी लिमिटेड बात थी। मैं चाहता हूं कि यह रिकार्ड पर रहे। मैंने राजस्व मंत्री महोदय से जो बात की है, वह मेरी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एस डी ओ पिलानी का पद क्रिएट होना चाहिए। जब तक पद क्रिएट नहीं हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब तक पद क्रिएट नहीं हो, तब तक पिलानी तहसील का कार्य एस डी ओ चिड़ावा के माध्यम से होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वैरी मच।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 व 31 राजस्व व सामाजिक न्याय पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू का एक्ट पुराना एक्ट है। रेवेन्यू के केस में बड़ी सरलता से किसी को न्याय नहीं मिलता। फैसला होने तक पीढ़ी चली जाती है और जब फैसला हो जाता है तो वापस उसी परिवार का सदस्य जाकर के फिर अपील कर देता है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही केस चलता रहता है। इसमें समय भी खराब होता है, धन भी खर्च होता है। इसमें अमेंडमेंट करके जिस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया है, उसी प्रकार से रेवेन्यू एक्ट लाया जाए, ताकि एक ही केस को कोई बार-बार न लेकर जाए और वह परेशान न हो, उसका निर्णय हो सके। समय भी बचेगा और धन भी बचेगा।

दु:ख इस बात का भी है कि पटवार सर्किल है, पटवारी के पास लोग जाते हैं, पटवार सर्किल में पटवार भवन न होने के कारण पटवारी तहसील क्षेत्र में रहता है। काश्तकार काम के लिए जाता है, परंतु पटवारी वहां नहीं मिलता। पटवारी उनको तहसील कार्यालय बुला लेता है जबकि काश्तकार वहां परेशान होकर चला जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि पटवारियों को पाबंद किया जावे। प्रत्येक पटवार सर्किल पर पटवार घर बनाकर वहां उनका समय निश्चित किया जावे ताकि किसी को जमाबंदी की नकल लेनी है या इंतकाल दर्ज कराने हैं, आदि हर काम समय पर किये जावें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा कि वर्षों से राजस्व प्रकरण बकाया पड़े हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के पीलीबंगा रावतसर तहसील में बड़ोपल, बरानी मानक थेड़ी, धनासर, खेदासरी, हरदासवाली, खोड़ा, बरानी व नहरी पटवार हलका के काफी किसानों को जो खातेदारी अधिकार से वंचित हैं, उन किसानों को खातेदारी अधिकार दिये जाएं ताकि वर्षों से जो किसान जमीन जोत रहे हैं, उनको हक मिल सके। वर्षों से लम्बित स्माल पेच व मिड पेच के लम्बित प्रकरण पड़े हैं। कमेटी बनाकर के रकबा अलाटमेंट का निस्तारण किया जाए। टी.सी. अस्थायी अलाटमेंट 1955 से पूर्व के बकाया प्रकरण, बालिग पुत्र के बकाया प्रकरण का निस्तारण किया जाए, जो काफी दिनों से पेंडिंग पड़े हैं।

मंत्री महोदय, पहली बार मैंने यह देखा है, हर बार, हर सरकार एस डी एम, कलेक्टर्स को पावर देती है और कमेटी बनाती है, परंतु इस बार एक भी कमेटी का गठन नहीं हुआ और एक भी भूमि का अलाटमेंट नहीं हुआ।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

कारण ये है कि अधिकारी इसमें रुचि नहीं लेते हैं। काफी अधिकारी फाइल को इधर-उधर घुमाते रहते हैं, जबकि काश्तकार वर्षों से जमीन पर बैठे हैं, तो उनको उसका अधिकार मिलना चाहिए।

वर्षों से लम्बित जिन किसानों को भूमि का पुख्ता आबंटन तो हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश उनकी भूमि को विशेष आबंटन सूची में डाल दिया गया है। ऐसे किसानों की भूमि को विशेष आबंटन की सूची से बाहर निकालकर खातेदारी अधिकार दिये जाएं। जिन्हें भूमि वर्षों से अलाट थी, आंशिक राशि भी उन्होंने जमा करा दी और लगातार काश्त कर रहे हैं, भूमि काश्तकारों के कब्जे में है, परन्तु पटवारियों ने राज-रकबा मानते हुए उक्त भूमि को विशेष आबंटन सूची में डाल दिया है, इस भूमि को डी-नोटिफाइड करके, इसको बाहर निकाला जाए और काश्तकारों को अधिकार दिया जाए।

मंत्री महोदय, इसके अंदर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये कोल्यूजन का मामला है। पहले मैंने विधान सभा में प्रश्न भी लगाया था, परंतु मंत्री महोदय को अधिकारियों ने इतना गुमराह कर दिया कि ये जो जमीन है, जिसकी आंशिक राशि भरी हुई है, उसके पास अस्थायी पट्टा है और वर्षों से वह जमीन जोत रहा है। मंत्री महोदय ने सदन में यह कहा कि यह तो कब्जा है। मैंने उनको कहा, साहब, कब्जा नहीं है, यह हमारी पुरानी बपौती है, हमारे पुराने पुरखों की जमीन है। पटवारियों ने नाजायज रूप से उसको विशेष सूची में डाल दिया और उसकी कीमत अधिक कर दी। इसके कारण से अलाटमेंट नहीं हो रहा है। काफी जमीनें तीन से आठ तक निकाली गयी हैं। डी-नोटिफाइड करके उनको वापस लिया। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी काश्तकार के बेटे हैं, यह उनके साथ अन्याय हो रहा है, आप इसकी जांच करवा लीजिए। यदि गलत है तो मत कीजिए। जो तीस साल से, चालीस साल से, पचास साल से उस भूमि पर है और उसको नाजायज विशेष सूची में डाल दिया, उसको निकाला जाए, ताकि उस काश्तकार को उसका हक मिल सके। ऐसे अनेकों प्रकरण मेरे वहां पर हैं, जो अलाटमेंट हैं, यह नहीं कि कब्जा है।

प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर भूमि की नाप के लिए जीपीएस की सुविधा की जाए ताकि बार-बार जो विवाद होते हैं जमीन नापने के लिए, उनसे छुटकारा मिल सके। इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी कृषि भूमि पर आबादी बस गयी है। आबादी भी काफी दिनों से है। मेरा आपसे निवेदन है कि उस कृषि भूमि

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

को आबादी गांव घोषित करें जहां 100 घर हैं, 50 घर हैं, 200 घर हैं, ताकि उनको पट्टे मिल सकें। वह रिकार्ड में इन्द्राज है कृषि भूमि, जबकि वहां आबादी है। ऐसी भूमि की पहचान करके वहां राजस्व गांव घोषित किया जाए।

जहां वन भूमि में काफी गांव बस गये, वहां पानी भी मिल गया, सड़कें भी हैं, मंदिर भी हैं, मजिस्द भी हैं, गुरुद्वारा भी है और हर प्रकार की सुविधा है, परंतु वन भूमि का इन्द्राज होने के कारण से उन काश्तकारों को उसमें जो राज के लाभ हैं या पट्टे वाली बात है, वह नहीं मिल सकता। मेरा आपसे निवेदन है कि उस भूमि के राज-रकबा नजदीक है। उस रकबे को तब्दील करके वन भूमि को खाली रकबे को दे दीजिए और जो वन भूमि है, वहां आबादी घोषित कराएं, ताकि उनको लाभ मिल सके।

इसके साथ-साथ उपनिवेशन क्षेत्र हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में अनेक आबंटियों का रकबा किस्तों के अभाव में रिज्यूम किया जाकर रकबा राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज किया जा चुका है, परंतु आबंटी उक्त भूमि पर निरंतर काश्त कर रहे हैं, जिसके कारण से उन गरीब काश्तकारों पर उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत अतिक्रमण की कार्यवाही कर गरीब काश्तकारों से तलवान व फसल नीलामी प्रतिवर्ष कर बहुत अधिक राशि वसूल की जाती है। अत: किस्तों के अभाव में रिज्यूम रकबे को बहाल करके परियोजनावार अधिसूचना जारी कर आबंटियों को रिज्यूम रकबा बहाल कर काश्तकारों को राहत प्रदान की जावे। इससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी व काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक मिलेगा। उपनिवेशन क्षेत्र हनुमानगढ़ व गंगानगर में अनेक गैर खातेदार रकबा हैं, जो जमाबंदी में गैर खातेदार दर्ज हैं, किंतु आबंटन रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उनको खातेदारी अधिकार दिया जाना सम्भव नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी जमीनें जो सोसायटीज के अधिकार क्षेत्र में मिली थीं, उन सोसायटियों का आज तक निपटारा नहीं हुआ है। मैंने पहले भी विधान सभा में प्रश्न उठाया था लटकन सिंह सोसायटी, जो अमरपुरा ढाणी की है, आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ। सोसायटियों के माध्यम से जो जमीनें अलाट हुई हैं उनका निपटारा किया जावे। उन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिलना चाहिए।

इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हं कि सैटलमेंट

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

विभाग द्वारा रकबा राज भूमि बिना किसी आबंटन आदेश के जमाबंदी में गैर खातेदारी दर्ज कर दिया गया है। जमाबंदी में गैर खातेदारी दर्ज है, किंतु सेल रजिस्टर में खाता खुला हुआ नहीं है और न ही रिकार्ड रूम में आबंटन रिकार्ड उपलब्ध है। कस्टोडियन भूमि गैर खातेदारी के अनेक प्रकरणों में आबंटन पत्रावलियां उपलब्ध नहीं हैं। खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाते हैं। अत: ऐसे समस्त प्रकरणों में संबंधित परियोजना क्षेत्र गंग कैनाल, भाखड़ा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में प्रचलित आरक्षित दर से भूमि कीमत जमा करवाकर गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार दिया जावे, ताकि कस्टोडियन भूमि के प्रकरण सुधर सकें।

इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोलूवाला व डबली जो दो उप-तहसील हैं, उनको तहसील बनाने की मांग करता हूं। जाखड़ावाली, पीलीबंगा व गन्धेली, रावतसर नई उप-तहसील बनाने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं सामाजिक न्याय पर बोलता हुआ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो छात्रावासों की स्थिति है, वह दयनीय है। टूटे-फूटे हुए हैं। छात्रावासों के लिए न तो भोजन की बढ़िया व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न पलंग की व्यवस्था है, न साबुन, तेल, ड्रेस, बेडशीट, दूध, चादर आदि की अच्छी व्यवस्था है। कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप 2,500 रुपये पर-मंथ देते हैं, इसमें उसकी कटिंग का मामला भी है। छात्रावासों की जो स्थिति है, वह इतनी दयनीय है कि वहां रहना दूभर है।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): एक मिनट, साहब। थोड़ा-सा रह गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन छात्रावासों की स्थिति सुधारें, ताकि आम आदमी को लाभ मिल सके।

छात्रावासों में कठिन विषयों की पढ़ाई के लिए विद्या सम्बल योजना, जो एक अध्यापक की व्यवस्था है, सारे विषयों की व्यवस्था करें, ताकि एससी/एस टी के बच्चों को लाभ मिल सके। छात्रावासों में बच्चों को सर्दी में नहाने के लिए व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था करें। दो वर्ष पूर्व रावतसर के छात्रावास के लिए 60 लाख रुपये छात्रावास भवन विस्तार हेतु स्वीकृत हुए थे परंतु आज तक नहीं मिले। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं अनुसूचित जाति क्षेत्र से

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

आता हूं। आपसे निवेदन करते हुए पीलीबंगा में कन्या छात्रावास की मांग करता हूं। गोलूवाला, डबली, लिखमीसर, जाखड़ावाली, गन्धेली में नवीन छात्रावास खोलने की मांग करता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 व मांग संख्या 31 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी भी योजनाएं थीं, विशेषकर पेंशन योजना, इनमें तरह-तरह के राइडर लग रहे थे, उन सारे राइडरों को हटाते हुए प्रदेश के मुख्य मंत्री जी द्वारा आज राजस्थान में 9 हजार करोड़ रुपये वार्षिक व्यय, 90 लाख लोगों को आज पेंशन दी जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को 200-300 रुपये, 300 करोड़ रुपये पेंशन दी जा रही है।

सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इन्कम योजना लागू करने की घोषणा की। गरीब आदमी है, 125 दिन तक उनको रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से उनको ताकत मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभार्थी हैं, उनको न्यूनतम 01 हजार रुपये पेंशन देने की प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, 77 लाख लोगों को। बहुत बड़ी पेंशन देने का काम हुआ है। एस सी, एस टी के विकास कोष हैं, 500-500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक-एक हजार करोड़ इनका किया है।

सभापति महोदय, वाल्मीकि कोष 100 करोड़ रुपये किया है। 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की बात की है। इसके सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन किया कि सफाई कर्मचारी जब से सबके लिए खुला रखा है, तब से सफाई का मामला खतम हो गया। इसलिए इस पर विशेष तौर से प्रावधान किया जाए कि वाल्मीकि समाज के लोगों को ही सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती किया जाए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पालनहार योजना में 0-6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये मिलते थे, अब बढ़ाकर 750 रुपये देने की बात की है मुख्य मंत्री जी ने। 6-18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1000 से बढ़ाकर 1550 रुपये देने की बात की है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य मुख्य मंत्री जी ने किया है।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2005 में एक मेमोरेण्डम जारी किया गया था, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया गया था। राजस्थान में अनुसूचित जाति की 17 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति की 13 परसेंट, भारत सरकार की जनगणना 2001 के तहत यह प्रावधान किये गये थे। केन्द्र सरकार ने, जैसे केन्द्रीय विद्यालयों में 13 व 17 प्रतिशत एस सी, एस टी, उस समय उन्होंने प्रावधान किया। भारत सरकार की जनगणना 2011 के अनुसार जो आंकड़े आये, उसमें अनुसूचित जाति के 18 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का 14 प्रतिशत है। मैं आग्रह करना चाहूंगा, 2011 की जनगणना के अनुसार 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति की आबादी है, 14 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की है, तो यह 13 व 17 का प्रोविजन किया गया है, इसको राजस्थान में लागू करना चाहिए। एस सी, एस टी का आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के आदेश 10 फरवरी, 1995 अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण 16, 12 प्रतिशत, रोस्टर बिंदुओं का निर्धारण था, उस समय 40 पाइंट्स के आधार पर किया गया था। 40 पाइंट्स के आधार पर अनुसूचित जाति का रोस्टर बिंदु था वह 1, 7, 14, 21, 28, 35 तथा अनुसूचित जनजाति का 4, 12, 22, 30, 49 था। इस तरह अनुसूचित जाति के 6 तथा जनजाति के 5 पद मिलते थे। 20.11.1997 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रोस्टर का अंक था, इसको 40 से बढ़ाकर 100 कर दिया। 100 करने के कारण एस सी के 6 होते थे, 100 के अनुसार 5 आता है और एस टी के 5 होते थे उनका आज 4 आता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 20.11.1997 को जो किया गया, मैं कहना चाहूंगा कि जब रोस्टर का मिलान ही सही नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूं कि एस सी, एस टी के आरक्षण के साथ अन्याय हो रहा है।

सभापति महोदय, राजस्व मंत्री जी बैठे हैं, समाज कल्याण मंत्री जी बैठे हैं। वहां 40 करने से जब एस सी, एस टी को न्याय मिल रहा था, एक-एक पद खतम हो गया, तो आपको वापस सुधार करना चाहिए। सुधार करके एस सी, एस टी के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। आपकी तो सरकार ही गरीब लोगों के आशीर्वाद से बनी है, गरीब लोग उम्मीद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप इस परिपत्र को वापस दुरुस्त नहीं करो, मैं समझता हूं एस सी, एस टी के

(श्री बाबूलाल नागर)

लोगों के साथ अन्याय है। जब-जब कांग्रेस की सरकार रही, अशोक जी गहलोत की सरकार रही, हमेशा एस सी, एस टी के प्रति संवेदनशील रहे हैं।

सभापति महोदय, आपको तो पता है 11.09.2011 के तहत, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, भारत का पहला प्रदेश था जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अक्षरशः पालना करते हुए भटनागर कमेटी का गठन किया। पदोन्नति में आरक्षण देने का काम किया। पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान में सबसे पहले किया गया। पदोन्नति में लगातार आरक्षण दिया जा रहा है। सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सुधार होना चाहिए। जैसे कई ऐसे विद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक, इन भर्ती में सम्पूर्ण विद्यालय को इकाई मानकर एस सी, एस टी के पदों को तय करते हैं, जबकि विषयवाइज इनको इकाई माननी चाहिए। एस सी, एस टी के लोग इन महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, इनका नम्बर ही नहीं आता। एक-एक डिपार्टमेंट में 2-2, 3-3 प्रोफेसर होते हैं, एस सी, एस टी का नम्बर ही नहीं आता। इसलिए इसको भी ठीक करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, कार्मिक विभाग ने राजस्थान के सारे विभागों को एक निर्देश भेज रखा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति की समस्याओं के समाधान के लिए लाइजनिंग आफिसर नियुक्त किया जाए। तकलीफ होती है, आज भी राजस्थान में कितने डिपार्टमेंट्स ने अपने-अपने विभागों में लाइजनिंग आफिसर नियुक्त कर दिया है? पिछले दिनों तक तो खुद कार्मिक विभाग में ही लाइजनिंग आफिसर नियुक्त नहीं किया गया था। एस सी, एस टी की भर्ती व पदोन्नति को, कौन इनके हितों को देखेगा? सरकार ने जब फैसला किया तो उसकी निश्चित रूप से पालना होनी चाहिए।

सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने 11 सितम्बर, 2011 को एस सी, एस टी के अनारक्षित वर्ग की वरिष्ठता में री-गेनिंग के आदेश को वापस लिया। आज भी एस सी, एस टी के लोग दुआएं देते हैं। पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने जो फैसला किया, एस सी, एस टी के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया। समय-समय पर कार्मिक विभाग ने रोस्टर, पंजीकृत आरक्षण, इनके संधारण के लिए कई पत्र लिखे हैं। मेरे पास 5-7 पत्र हैं। आज भी डिपार्टमेंट्स ने रोस्टर का अभी तक भी बनाकर, संधारण करके नहीं दिया। जब रोस्टर का संधारण ही नहीं हुआ तो आप कैसे एस सी, एस टी के लोगों के साथ भर्ती व पदोन्नति में न्याय कर सकते हैं? इसको सरकार को देखना चाहिए।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने डा. भीमराव अम्बेडकर, दलित आदिवासी उद्‌यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान में लागू की थी। मेरे पास यह 19.10.2022 का आदेश है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है बजट घोषणा 182 के अनुसार, राज्य के औद्‌योगिक विकास में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डा. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान आदिवासी उद्‌यम प्रोत्साहन योजना, 08 सितम्बर, 2022 को घोषित की गई। इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है।

सभापति महोदय, एक प्रकरण रीको का था। रीको के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक जी ने यह कहा है कि उन्हीं भूखण्डों को लाभान्वित किया जाएगा जो एस सी, एस टी के लिए आरक्षित हैं। जब मुख्य मंत्री जी की मंशा यह है ही नहीं, जब यह आदेश जारी किया, तब यह मंशा ही नहीं थी। अपने तरीके से इसका अर्थ निकालते हैं, सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16-राजस्व विभाग, राजस्व मंत्रीजी, बहुत ही डायनेमिक मंत्री हैं। आप तो जानते हो कि चौथा कार्यकाल आपका भी है। हम प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाते थे तो बहुत वर्षों से चाहे गोचर हो, उस भूमि पर अतिक्रमण, बाड़ा बना हुआ था तो उसका भी हम नियमन करते थे। हम अभियानों में जाया करते थे और उसके बाद यह 2017 में, 07 सितम्बर, 2017 और 30 नवम्बर, 2017, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान यह ऐसे काले परिपत्र निकल गये जिसमें इनके नियमन के लिए प्रावधान कर दिया कि डी.एल.सी. दरों पर यह नियमन की बात कही है।

माननीय राजस्व मंत्रीजी, आप तो खुद गांव के रहने वाले हो, क्या गांवों में कोई डी.एल.सी. रेट पर, बाड़ों में जो वर्षों से चालीस-चालीस साल से, पचास-पचास साल से रह रहे हैं, उनको नियमन करने का सरकार का प्रोविजन है, तो क्या कोई डी.एल.सी. रेट चुका सकता है क्या? मंत्री महोदय, इसको दुरुस्त करना चाहिए।

मंत्री महोदय, इसी तरह से मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो चरागाह भूमि में रह रहे थे, आप केवल एक 2011 का जगमाल सिंह बनाम पंजाब सरकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर बैठे हो, जिसमें सिवायचक, जब सिवायचक भूमि की हम क्षतिपूर्ति कर देते हैं तो कहां पर गोचर लैंड कम हो

(श्री बाबूलाल नागर)

रही है? गोचर में भी वर्षों से लोग रहे रहे हैं, अगर आबादी बनाकर भी रह रहे हैं या उन्होंने एक बाड़ा बना रखा है और उस जमीन को आप सिवायचक की क्षतिपूर्ति करके पूरी कर रहे हैं तो उसको आपको आबादी में कर देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह आबादी में परिवर्तन करने का जो मामला है, यह कहां निजी मामला हुआ? ग्राम पंचायत का काम जो आम आदमी को रहने का अधिकार दे, यह व्यक्तिगत काम कहां रहा? यह तो सब लोगों का विकास का काम हो गया।

माननीय मंत्रीजी बैठे हैं। यह मई-जून में खेत खाली होते हैं तब आप पैमाइश करने का काम करते हैं। आजकल तो ई.टी.एस. आ गया, जिसमें मशीन से जमीनों की नाप होती है। दस महीने तक किसान इंतजार करते रहते हैं कि कब मई-जून आये, खेत खाली हों और हम हमारी जमीन को नपवायें, तो आपको ई.टी.एस. व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। जब आप ई.टी.एस. मशीन से अगर पैमाइश करेंगे तो किसानों के साथ न्याय हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सैटलमेंट में हमारे जो भूप्रबंधक विभाग द्वारा काश्तकारों को, खेतों पर बिना गये, बिना उनको देखे ही दर्ज कर देते हैं जल भराव क्षेत्र, नदी-नाला के रूप में दर्ज कर देते हैं। खेतों पर न पहले कभी नदी-नाले रहे और न आज तक कोई नदी-नाले का निशान है और अब्दुल रहमान प्रकरण उसमें लागू हो जाता है, तो ऐसे बहुत से रेफरेंस आज भी हजारों की संख्या में हैं, लाखों की संख्या में हैं जो कि रेगुलराइज होने के लिए पेंडिंग हैं, तो मंत्री महोदय, आपसे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल आपको इनका सर्वे करवाना चाहिए। जब आज तक ही उस जगह पर कभी नदी नहीं रही, कभी पानी नहीं रुका, कभी नाला नहीं रहा तो उन किसानों के साथ अन्याय कैसे कर सकते हो? अब्दुल रहमान प्रकरण में यह कहां पर लिखा है कि आप बिना नाला ही अगर नाला दर्ज हो गया तो उसको दुरुस्त मत करो? मैं यह चाहूंगा कि आप इसका एक सर्वे करवाएं और राजस्थान में इस तरह से जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करें। यही मैं निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 182, 188, इसके द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के काश्तकारों को जो जमीन जिन पर सवर्ण जाति के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, उसमें

(श्री बाबूलाल नागर)

कब्जा हटाने का प्रावधान है। इसकी समय सीमा 90 दिन है। न्यायालयों में मामले सालों तक चलते रहते हैं, कोई फैसला नहीं होता है और जब कभी फैसला भी हो जाता है तो उसमें पुलिस जाब्ता का प्रावधान मेंशन नहीं करते हैं। जब पुलिस जाब्ता का प्रावधान मेंशन नहीं होगा तो कैसे उस कब्जे को हटाया जायेगा? आप चाहें उसकी डिग्री दे दो, आदेश कर दो तो वह आपका आदेश धरा ही रह जाता है। आप तो राजस्व मंत्रीजी, डायनेमिक मंत्री हैं तो आपको मिशन मोड पर इसका समय सीमा पर निपटारा करना चाहिए। आपको इसकी कार्ययोजना बनानी चाहिए। कार्ययोजना बनानी चाहिए आपको और यह तय करना चाहिए और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है, इसमें आप संशोधन करें। धारा-182, 188 में यह प्रोविजन करें कि 182, 188 में आवश्यक रूप से जब कोई निर्णय होगा तो उसमें पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया जायेगा। जब आप यह प्रोविजन कर देंगे, उस फैसले में पुलिस जाब्ता का प्रोविजन हो जायेगा तो उस गरीब की जमीन को कोई सवर्ण, ताकतवर, बलशाली कैसे रोक लेगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से आपने अच्छे-अच्छे काम किये हैं। बहुत अच्छे काम किये हैं आपने राजस्थान में। मुख्य मंत्रीजी ने भी ऐतिहासिक फैसले किये हैं। आपने कई निर्णय ऐसे किये हैं जिससे निश्चित रूप से उसको लाभ मिल रहा है, मैं यह चाहूंगा कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको अपने लेवल पर प्राथमिकता बनाते हुए उन कार्यों को करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आजकल आप एग्रीमेंट करो तो ऐसे प्रोविजन आपने शुरू किये हैं, ऑनलाइन तहसीलें की हैं। डाइरेक्ट सीधा आपके नामांतरण, जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाओगे, एग्रीमेंट करके रजिस्ट्री होगी, तो जैसे ही रजिस्ट्री होगी तो सीधा नामांतरण खुल जायेगा, जमाबंदी में एंट्री हो जायेगी, तो यह आप कोई सॉफ्टवेयर ऐसा क्यों नहीं डवलप कर देते हैं? आपका जो राजस्व का सॉफ्टवेयर है, आप उसमें ऐसा डवलप कर दें कि एग्रीमेंट, आपकी रजिस्ट्री हुई और तत्काल उसमें जमाबंदी में दर्ज हो जायेगा, तो उसको वहां चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, वह गरीब धक्के नहीं खायेगा। कई बार उसमें तरह-तरह के विवाद भी हो जाते हैं। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले तीन-चार साल में राजस्व विभाग में नवाचार हुए हैं।

(श्री बाबूलाल नागर)

इसी तरह से समाज कल्याण मंत्रीजी हमारे बैठे हुए हैं। मंत्रीजी, हमारे छात्रावासों को देखने से ऐसा लगता है कि यह समाज कल्याण विभाग किसी जमाने में था एस.सी., एस.टी. के बच्चों के लिए। आप पूरे बजट का आकलन कर लें, कहां पर समाज कल्याण के छात्रावास खुल रहे हैं? कहां खुल रहे हैं? हां, मैं मानता हूं कि आज का दौर बदल गया है, आज समाज कल्याण के अलावा ऐसे-ऐसे छात्रावास हो गये जो सरकार बेहतरीन-बेहतरीन एजुकेशनल संस्थाओं में हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है, फिर भी एस.सी., एस.टी. के जो छात्रावास हैं, उनकी स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। जब हमारा मिनिस्टर दलित वर्ग, गरीब वर्ग का हो और वहां छात्रावास में लाइट नहीं हो, बाथरूम कम हो, बाथरूम की सफाई नहीं हो, साबुन नहीं हो, कपड़ों की व्यवस्था नहीं हो तो ठीक नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): आपको तो केवल बताने की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने ऐसे बहुत बार सबूत दिये हैं उनके नोटिस में मजबूती से पक्ष को रखो और जिस दिन पक्ष रखेंगे तो उसी दिन आपसे यह कह देंगे कि पत्रावली प्रस्तुत करो। यह गरीब का मामला है, यह मुख्य मंत्रीजी की कार्ययोजना का मामला है, वे एक मिनट में फैसला कर देंगे। आप तो कोई न कोई ऐसी कार्ययोजना बनाओ। जो आजकल बच्चे समाज कल्याण के छात्रावासों से दूर हो गये हैं, जो यह समझते हैं कि एजुकेशन, हमारे बच्चे का भविष्य, फ्यूचर कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आप इन छात्रावासों की सुध लो, आप कुछ छात्रावासों में जाकर विजिट करो और जो कम से कम दलित समाज के बच्चे, दलित मोहल्लों में, अभी तो ब्लाक लेवल पर छात्रावास की बात चल रही है, आपको तो इसको गांव लेवल पर ले जाना चाहिए। जहां दो हजार, तीन हजार, चार हजार की आबादी है दलित समाज की, वहां पर यह छात्रावास खोलने चाहिए, जिससे हमारे बच्चे जो मुख्य मंत्रीजी ने एक से एक बढ़कर योजनाएं दी हैं, उनका लाभ उठा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, फूफाजी का पूरा आशीर्वाद रहेगा।

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 16-राजस्व एवं मांग संख्या 31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के ऊपर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, हम प्रतिपक्ष के अन्दर हैं और प्रतिपक्ष में होने के नाते हम जो बात कहेंगे, वह पूरी गंभीरता के साथ कहेंगे और जो सत्य के नजदीक होगी, वही बात करेंगे, क्योंकि शकुन्तलाजी इधर रहती थीं तो वे शेरनी की तरह दहाड़ने का काम करती थीं, अब पता नहीं उधर जाते ही क्या हो गया आपके? आप आजकल कुछ बोलती ही नहीं हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): अब मैं बब्बर शेर बन गई।

श्री सभापति: प्लीज, आपस में वार्ता नहीं करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सरकार ने बजट के अन्दर यह घोषणा की थी कि राजस्थान के अन्दर तीन लाख मुकदमे ऐसे हैं जो राजस्व से जुड़े हुए हैं और सरकार एक अभियान चलाकर इन सारे मुकदमों का निस्तारण करने का काम करेगी। मंत्री महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह तीन लाख मुकदमे जो आपने बजट के अन्दर घोषित किये थे, उन तीन लाख मुकदमों में से कितने मुकदमे आपने कैम्प लगाकर निस्तारण करने का काम किया? मंत्री महोदय, एक कटु सत्य मैं और कहता हूं कि अजमेर में राजस्व मंडल के अन्दर जिस तरीके के दलाल ठेका लेने के लिए बैठे रहते हैं, आइये हमारे पास, हम स्टे दिलवा देंगे। आइये हमारे पास हम स्टे तुड़वा देंगे। आइये हमारे पास जैसा चाहो फैसला करवा देंगे। राजस्व अधिकारी के रूप में जो अधिकारी फैसला करता है, जब तक उसके ऊपर आप विजिलेंस गठित नहीं करोगे, उनके फ़ैसलों को आप एग्जामिन नहीं कराओगे, वह अपनी मर्यादा से बाहर जाकर अगर फैसला कर रहे हैं, उनको सज़ा नहीं दोगे तो ये फ़ैसले ऐसे ही होते रहेंगे, न्याय मिलना बहुत दूर की बात है।

सभापति महोदय, मैं बहुत गम्भीरता के साथ कह रहा हूं। हो सकता है 20-25 प्रतिशत ईमानदारी से प्रशासनिक अधिकारी फ़ैसले कर रहे होंगे, आज भी 70-75 प्रतिशत फ़ैसले जो राजस्व से जुडे हुए हैं वे किसी न किसी तरह से प्रभावित हैं। या तो अधिकारियों से प्रभावित हैं या पैसे से प्रभावित हैं। इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज किस तरीके से फ़ैसले हो रहे हैं, सभी माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। एक गरीब

(श्री रामलाल शर्मा)

आदमी है, कई वर्ष बीत जाते हैं, तीन पीढ़ियां बीत जाती हैं, फैसला नहीं होता। पैसे की धमकियों पर फैसला, चार पेशी में तीन महीनों में कराकर ले आते हैं, आखिरकार उनके निर्णयों का एग्जामिन कौन कर रहा है? मैं आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बंदोल का प्रकरण था। 1963 के सैटलमेंट के अन्दर सार्वजनिक प्याऊ बंदोल के नाम से जमीन थी, 1963 से होते-होते 2007 में महादेव पुत्र के वारिस आते हैं न्यायालय में, एस डी एम कोर्ट में आते हैं। कहते हैं कि, साहब, एक बार मेरा पर्चा मेरे दादा के नाम से बना था। उस पर्चे के आधार पर किस तरीके से सरकारी जमीन को बचाने का काम वहां के तहसीलदार को करना चाहिए, एस डी एम को करना चाहिए, किसी ने उस जमीन को बचाने का काम नहीं किया। पिछले विधान सभा सत्र में मैंने बोला कि अधिकारियों ने लापरवाहीपूर्वक तरीके से इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। उसके लिए यहां से डायरेक्शन कलेक्टर के पास गये। कलेक्टर ने जांच बिठाई। मंत्री महोदय, मैं बता रहा हूं जांच के अन्दर एसडीएम ने क्या लिखा है। उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य प्रकट होता है कि अतिरिक्त कलेक्टर तृतीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 30.5.2016 द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जाकर, नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। यह ए डी एम का फैसला है। अत: तहसीलदार द्वारा परीक्षणोपरान्त राजस्व रिकार्ड में अमल करने की कार्यवाही अपेक्षित की गई थी, लेकिन तहसीलदार द्वारा नामांकन संख्या 1763 दिनांक 9.12.2021 के द्वारा मृतक भूरा पुत्र चंदा के वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया, जो बिना किसी परीक्षण के था। मंत्री महोदय, देखना, खेल कैसे होता है। सम्भागीय आयुक्त महोदय ने जयपुर के पत्र क्रमांक 21/59 दिनांक 29.11.2021 के द्वारा प्रशासनिक आदेश निकालते हुए कहा कि सात दिन के अन्दर अमुक व्यक्ति के नाम से नामांकन तस्दीक करके अवगत कराएं, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय, मैं स्वयं तत्कालीन सम्भागीय आयुक्त के पास गया। मैंने कहा, सरकारी जमीन है, मंदिर की जमीन है, शक्ति पीठ की जमीन है, सार्वजनिक जमीन है, कम से कम तहसीलदार के निर्णय के ऊपर आप स्टे तो दो। आप रिलीफ तो दो। तत्कालीन सम्भागीय आयुक्त का कहना था, मुझे

(श्री रामलाल शर्मा)

माफ करना, मेरे ऊपर एक आई ए एस अधिकारी का दबाव है, मैं आपको रिलीफ नहीं दे सकता। यह आप की ही सरकार के एक तत्कालीन सम्भागीय आयुक्त ने मुझसे कहा। आज इस 19 बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द करके, भू-माफियाओं के नाम करने का काम इस सरकार ने किया है। पाप लगना तय है।

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोरीजा में 1 हजार 25 बीघा जमीन है। तत्कालीन ठाकुर ने अपनी जमीन को सीलिंग से बचाने के लिए, 585 बीघा जमीन थी, 585 बीघा जमीन को सीलिंग से बचाने के लिए 364 बीघा की रजिस्ट्री श्री करणी क्रय-विक्रय सहकारी समिति को करते हैं। मोरीजा ग्राम पंचायत कहती है कि मैं इसका नामांकन तस्दीक नहीं कर सकती, क्योंकि सार्वजनिक जमीन है, सीलिंग की जमीन है। पड़ोसी ग्राम पंचायत चीथवाड़ी के अन्दर जाकर 440 बीघा गोचर जमीन को शामिल करते हुए, 1 हजार 25 बीघा का नामान्तरण तस्दीक होता है। आज भी उस जमीन को बचाने के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। भू-माफिया उस जमीन को हड़पने का भी काम कर रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि सार्वजनिक जमीन है, खाली जमीन है, अब लोग उस पर कब्जा करना शुरू कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मोरीजा की 1 हजार 25 बीघा जमीन सरकार की है, उसको बचाने का काम करें।

सभापति महोदय, तीसरा निवेदन करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 602 बीघा जमीन, जो सिवायचक जमीन थी, उस सिवायचक जमीन को तत्कालीन कलेक्टर ने रीको को आबंटित कर दिया। रीको अपने कब्जे में लेता, उससे पहले ही एक पक्ष न्यायालय में चला गया। एस डी एम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में, ए डी एम का फैसला सरकार के पक्ष में, आर ए ए का फैसला सरकार के पक्ष में, सम्भागीय आयुक्त का फैसला सरकार के पक्ष में, रेवेन्यू बोर्ड का फैसला सरकार के पक्ष में। हाई कोर्ट के अन्दर कमजोर पैरवी की वजह से सरकार के खिलाफ फैसला। आज भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। जिस व्यक्ति को ओआईसी नियुक्त कर रखा है, समय पर पैरवी नहीं करने की वजह से, रीको का कोई अधिकारी वहां पैरवी करने नहीं जाता, मुझे आशंका है कि यह 602 बीघा जमीन भी, यह सरकार की जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं इस 602 बीघा जमीन को बचाने का काम भी सरकार करे।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। आज भी हर व्यक्ति को अपने खेत में जाने के लिए अधिकार है। कितने ही ऐसे मामले आज भी हैं जो एस डी एम कोर्ट के अन्दर विचाराधीन हैं 251(ए) के अन्दर। उन प्रकरणों का निस्तारण समय पर क्यों नहीं होता है? मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आपका एक निर्देश ऐसा जाए कि कम से कम अवधि निर्धारित हो, तीन महीने, छह महीने, एक साल। ऐसे प्रकरण जो नितान्त आवश्यक हैं, कोई अपने खेत में नहीं जा सकता, उसको अधिकार है। 251(ए) के प्रकरण तत्काल निस्तारित किये जाएं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे यहां कालाडेरा में एक डाबर कालोनी है, उस कालोनी को बसे करीबन 30-35 साल हो गये, पूरी की पूरी गोचर में हैं, कहीं से भी उसका डायवर्जन कराकर, सिवायचक जमीन की क्षतिपूर्ति करके, उसके आबादी के पट्टे दिलाने का काम करें, ताकि आम गरीब आदमी को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा मेरे 13 गांव पिछली सरकार के समय घोषित किये गये थे, उन 13 राजस्व गांवों की अब तक तरमीम नहीं हुई, आज भी वह रिकार्ड के अन्दर नहीं हैं। आज भी उनका क्षेत्र स्पष्ट नहीं है। मैं चाहूंगा कि उन राजस्व गांवों की तरमीम भी जल्दी से जल्दी करके उनका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कालाडेरा व मोरीजा, ये दो ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनकी आबादी 25 से 30 हजार है, आज वहां मतदाता भी 13-14 हजार हैं। राजस्व ग्राम नहीं होने की वजह से आज भी उन ग्राम पंचायतों के अन्दर, एक ही ग्राम पंचायत है, उनका विभाजन नहीं हो सकता।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, तीसरा आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी के सलाहकार मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में बोल रहे थे। अब फूफाजी, आप भी अगर पैरवी कर दो तो हमारा भी थोड़ा-बहुत भला हो जाए। मुख्य मंत्री जी को कान में सलाह देकर आते हैं तो उनकी विधान सभा में तीन एस डी एम कोर्ट, फागी में भी एस डी एम, मौजमाबाद

(श्री रामलाल शर्मा)

में भी एस डी एम, दूदू में भी एस डी एम। हमारे यहां चौमूं विधान सभा में 49 ग्राम पंचायतें हैं सिर्फ एक ही एस डी एम के पास। मैं चाहता हूं कि गोविन्दगढ़ के अन्दर एस डी एम कोर्ट खुले, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। मैं चाहता हूं कि चौमूं नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर ए डी एम कोर्ट खुले। हमारे राजस्व के यहां कम से कम 5 हजार प्रकरण विचाराधीन हैं। ए डी एम कोर्ट रहेगा तो लोगों को वहीं सुविधा रहेगी। मैं चाहूंगा कि कालाडेरा के अन्दर एक तहसील खुले, ताकि आमजन को वहां पर राहत मिल सके।

सभापति महोदय, वीर हनुमान जी का रोप-वे कई सालों से, आपकी सरकार में बंद है। अब बालाजी की शक्ति तो, आप अच्छी तरह से वाकिफ हो रामलाल जी। मैं चाहूंगा कि इस प्रकरण का निस्तारण भी हो। रेवेन्यू रिकार्ड देखते हैं तो वह जमीन मंदिर माफी के अन्दर है। फोरेस्ट का गजट नोटिफिकेशन देखते हैं तो वह जमीन फोरेस्ट के अन्दर आ रही है। इसका कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालें। उस मंदिर की एक हजार सीढ़ियां चढ़ने में जो आम आदमी को परेशानी हो रही है। एक प्राइवेट कम्पनी ने रोप-वे लगाया है, उस कम्पनी को भी नुकसान है। कोई रास्ता निकालिए ताकि आमजन को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। सभी माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। अलवर से आने वाली माननीय मंत्री बहुत योग्यताधारी हैं। राजगढ़ के अन्दर जमीनों का क्या खेल खेला गया, उसके बारे में मैं इसलिए चिंता जाहिर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे माननीय वरिष्ठ नेता उसमें बात रखेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा, यह सभी माननीय सदस्यों की पीड़ा है कि 30 हजार की भर्ती की घोषणा तो आपने की है लेकिन आप क्यों नहीं वाल्मीकि समाज के लिए ही, इन भर्तियों में उनको अवसर मिले, एक वह माध्यम तय करें। आप संविदा के अन्दर सिर्फ उनको भर्ती करें।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, एक मिनट। संविदा के अन्दर छह महीने या एक साल का समय निर्धारित करें कि एक साल या छह महीने बाद हम उन्हीं को रेगुलर करेंगे, तभी उनके साथ न्याय हो पाएगा, नहीं तो उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा।

सभापति महोदय, मेरा अंतिम निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में

(श्री रामलाल शर्मा)

खातेदारी ज़मीनों में 100 साल से गांव बसे हुए हैं, उन खातेदारी जमीनों को आप किस तरीके से सिवायचक डिक्लेयर करके, वहां आबादी के पट्टे दिलाने का काम करें, जिनमें बावड़ी गोपीनाथ भी है, टाकरड़ा भी है, हस्तेड़ा भी है, चारणवास भी है, ताकि उन लोगों को भी राहत मिल सके। आपने बोलने का अवसर दिया, बिना टोके दिया, आपकी झुआरी पक्की। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: 16.00 बजे)

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 31 पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा होना आवश्यक थी। पिछले बजट सत्र के दौरान भी मैं उम्मीद कर रहा था कि इस पर चर्चा होगी, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पायी। राजस्व मंत्री भी सदन में बैठे हुए हैं। राजस्थान में जमीन की खेती का जो आकार है वह दिन-पर-दिन कम होता जा रहा है। आबादी बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहे हैं, लेकिन जमीन की जोत का आकार दिन पर-दिन कम होता जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, अशोकजी गहलोत जब पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तब राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था 11.5.1999 को। पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवचरणजी माथुर उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने राजस्थान के रेवेन्यू विभाग को एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म्स के कुछ सुझाव दिये थे कि राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट बेहतर तरीके से काम करे। सरकार कुछ सुझाव तो अमल में भी लेकर आयी, कुछ रह भी गये। कुछ पर सरकार काम कर रही है, लेकिन पिछले चार सालों में रेवेन्यू में आपने महत्वपूर्ण जो बदलाव किये हैं, वे राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं राजस्व मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार के गठन के पश्चात् पहली बार नियमों को सरलीकरण करने का प्रयास किया है। किसानों का लगान माफ किया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए कन्वर्जन में छूट दी गयी है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु कन्वर्जन में छूट। सामाजिक एवं धार्मिक चेरिटेबल ट्रस्ट कन्वर्जन में छूट। स्टेडियम, खेल मैदान और स्पोटर्स काम्प्लेक्स में भी हमने छूट दी है। इसके साथ-साथ बजट के अन्दर पहली बार स्टाम्प ड्यूटी की हमारी जो एमनेस्टी

(श्री जगदीश चन्द्र)

योजना है, उसमें 2022-23 के लिए पेनल्टी और ब्याज की शत-प्रतिशत छूट की भी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। इसके साथ ही भू-अभिलेखों की नकल एवं सीमा ज्ञान के लिए काश्तकारों के द्वारा जो राशि पे की जाती थी उसमें भी हमने छूट प्रदान की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं खास कर रेवेन्यू विभाग के अन्दर। मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। मंत्रीजी, राजस्थान में काश्तकारी कानून में बदलाव करने का समय आ गया है। काश्तकारी कानून में बदलाव करने का समय इसलिए आ गया है कि हरियाणा और पंजाब की तरह से किसान को जमीन का मालिकाना हक देना चाहिए। जब जमीन एक्वायर होती है, जमीन का बंटवारा होता है तब तमाम दिक्कतों का समाना करना पड़ता है। किसान को जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाता। वह लिटिगेशन में जाता है और दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल लिटिगेशन में निकल जाते हैं और बार-बार अधिकारियों के माध्यम से यह कहा जाता है कि जमीन की मालिक तो राजस्थान सरकार है, आपको तो केवल काश्त करने का ही अधिकार है। नियम में सारी चीजें वही हैं तो क्यों नहीं इसके टाइटल को चेंज करके उसका हक किसान को दे हरियाणा, पंजाब की तर्ज पर? किसान को जमीन का मालिक बनाया जाना चाहिए। वह अपनी जमीन का अपने हिसाब से बंटवारा करे। अपनी मर्जी से जमीन देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे। इस पर आपको निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अन्दर आजादी के बाद जो लोग पाकिस्तान से यहां आकर बसे थे, उनको जमीन के बदले कस्टोडियन की जमीन दी गयी थी। भारत सरकार ने कस्टोडियन का विभाग बंद कर दिया। सारे के सारे केस कन्सर्न्ड एस डी एम और कन्सर्न्ड स्टेट को ट्रांसफर कर दिये गये लेकिन 15-15, 20-20 साल हो गये कस्टोडियन के केस पेंडिंग हैं। सनद जारी नहीं हो पाती और दिन-पर-दिन और ज्यादा उनमें काम्प्लीकेशंस आ रहे हैं। आप अपने स्तर पर फैसला करके कस्टोडियन के केसेज को निपटाने का जरूर प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, रेवेन्यू विभाग अन्तर्गत रेवेन्यू बोर्ड आजादी के बाद अजमेर में एस्टिब्लिश्ड है, आजादी के बाद हमने उसको एस्टेब्लिश किया था। आज रेवेन्यू बोर्ड में 06 लाख 90 हजार के आसपास

(श्री जगदीश चन्द्र)

केसेज की पेंडेंसी है। रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन श्री राजेश्वर सिंहजी और आपने भी प्रयास किया कि कुछ लिटिगेशन कम हों, लेकिन उनकी तादाद डे-बाई-डे बढ़ रही है। इसके लिए मेरा सरकार को एक सुझाव है। यह कट मोशन रेवेन्यू का है। सरकार कोई कांक्रीट पालिसी बनाये और इसको बायफरकेट करे। डिविजन लेवल पर रेवेन्यू बोर्ड को एस्टेब्लिश करे, ताकि लोगों को यहां नहीं आना पड़े। काम भी जल्दी निपटेगा। रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर का काम भी कम होगा। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे, इसको बायफरकेट करे, रेवेन्यू बोर्ड पहले से बना हुआ था। बार-बार रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर लोग धक्के खाते हैं, रिजल्ट मिलता नहीं है, तारीख-पर-तारीख, तारीख-पर-तारीख। किसान निराश होता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने पटवारी तो भर्ती कर दिये, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। पहली बार पंचायत लेवल पर पटवारी चला गया, लेकिन पटवारियों को आप पाबन्द करें कि वे पंचायत हैड क्वार्टर पर रोजाना बैठें। वे घर से पटवारखाना चला रहे हैं। बार-बार किसान को धक्के खाने पड़ रहे हैं, इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि पटवारी कम से कम दो या तीन दिन उसके समय के हिसाब से पंचायत हैड क्वार्टर पर बैठे और काम का समाधान करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरी तहसील सादुलशहर के अन्दर आर ए ए की एक कैम्प कोर्ट जरूर आप एस्टेब्लिश करें, क्योंकि सारा का सारा खेती का क्षेत्र है। लोगों की आमदनी का मुख्य जरिया खेती है और आये दिन लिटिगेशंस हो रहे हैं। वे 35-40 किलोमीटर जा रहे हैं, तो कम से कम महीने में एक हफ्ता, दो हफ्ता आर ए ए का कैम्प कोर्ट एस्टेबलिश करेंगे तो लोगों को हम इसका फायदा दे सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, लम्बे समय से किसानों का आबियाना इश्यु बार-बार आपके समक्ष आया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मैंने दरख्वास्त की है कि किसानों का या तो आबियाना माफ करें या आबियाना की वसूली रोकी जाये। यह किसान के ऊपर सबसे बड़ी चोट है।

माननीय सभापति महोदय, खेती के लिए नहरों से जो पानी दिया

(श्री जगदीश चन्द्र)

जाता है खेतों में, उस पर हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। वर्ल्ड बैंक की कंडीशन यह थी कि हर नहर के ऊपर एक वितरिका का अध्यक्ष होगा। वह मालिक हो गया नहर का। किसान के पानी की बारी का जो झमेला है, वह बार-बार किसान को परेशान करता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इर्रिगेशन मिनिस्टर से बात करके इसमें अमेंडमेंट करवायें और उस अध्यक्ष की ताकत को खतम करके आप नहरी पटवारी की भर्ती करें, ताकि किसान को न्याय मिल सके और उसको अपनी फसल का दाम भी मिले। उसको इसका अवसर प्रदान करें। इसमें जरूर हमारी सिफारिश करें।

माननीय सभापति महोदय, प्रशासन गांवों के संग जब अभियान लगाया तब सरकार की मंशा ठीक थी, मुख्य मंत्रीजी की और आपकी मंशा ठीक थी। लाखों की तादाद में हमने केसों का सुलटारा भी किया लेकिन आज भी खाता तरमीम के जो इश्यु हैं, वे पेंडिंग पड़े हुए हैं। कन्सर्न्ड एस डी एम ने उनको जान-बूझकर डिले किया है, ताकि किसान कचहरी का चक्कर लगायेगा और चार पैसे किसान से वसूल किये जा सकते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि संबंधित अधिकारियों को निदेशित करें कि वे खाता तरमीम के मामले, जो विदिन फैमिली के मामले हैं, उनका शीघ्र से शीघ्र निपटारा करें। लम्बे समय तक मुकदमे चलते हैं, परिवारों में झगड़े होते हैं, लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि गांवों में आबादी बढ़ गयी है। गांवों में सिवायचक की जमीन नहीं बची है। लोग बार-बार पट्टे की डिमाण्ड करते हैं। गांवों में जोहड़ पायतन की जमीन बची हुई है या चरागाह की जमीन बची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जोहड़ पायतन के अन्दर हम लोग आबादी को नहीं बसा सकते, लेकिन 40-50 साल से लोग बसे हुए हैं। सरकार कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करे या उसका कोई रास्ता निकाले। किस तरीके से, कम्प्नसेट किस तरीके से किया जा सकता है, सरकार इस पर विचार करे। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव जोदेवाला, मिर्जेवाला और दौलतपुरा में काफी आबादी जोहड़-पायतन में बस गयी है उसको सरकारी सुविधा नहीं मिलती। जब हम लोग जाते हैं तो हमसे लोग पूछते हैं कि साहब, हमारे यहां बिजली पानी का कनेक्शन नहीं हो रहा और सरकार के माध्यम से जो सुविधा दी जाती है वह नहीं मिल रही है तो आप निश्चित तौर पर इस पर विचार करें, ताकि गांव की आबादी का विस्तार बढ़ेगा। स्वाभाविक तौर पर हम

(श्री जगदीश चन्द्र)

उसको रोक नहीं पायेंगे। आप निश्चित तौर पर इस पर विचार करें और कोई न कोई रास्ता जरूर निकालें।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी नई समस्या एक और हो गयी है गांवों में। लम्पी की बीमारी आयी, पशुधन का नुकसान हुआ। गांवों में हड्डा और हड्डी को डालने की जगह नहीं थी। बगल का गांव भी हड्डा और हड्डी डालने ही नहीं दे रहा है। हर गांव के अन्दर हड्डा और हड्डी की सबसे बड़ी समस्या हो गयी है। सरकार कोई ऐसी पालिसी बनाये ताकि हड्डा और हड्डी की समस्या से गांव को निजात मिल सके। गांवों में जिस तरीके से झगड़े होते हैं, इन झगड़ों का कोई न कोई समाधान करे।

माननीय सभापति महोदय, गांव में आबादी बढ़ेगी तो आप रोक नहीं पाओगे, यह स्वाभाविक है। सरकार कोई न कोई रास्ता निकाले, और जमीन एक्वायर करे। वहां कब्रिस्तान के लिए जमीन की दिक्कत है, श्मशान घाट के लिए जमीन की दिक्कत है, खेल मैदान के लिए जमीन की दिक्कत हो गयी है और दूसरी सावर्जनिक चीजों के लिए भी जमीन की दिक्कत है। सरकार इस पर विचार करके इसका कोई न कोई समाधान जरूर निकाले।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहली दफा गांवों में पट्टे जारी किये। कई ग्राम पंचायतों में सरपंचों की ऐसी स्थिति की कि आज तक वहां पट्टे जारी नहीं हुए। सरकार ऐसा कोई रास्ता निकाले, मंत्रीजी बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सीधे जयपुर से डायरेक्शन दिलवायें उनको ताकि जिस भी एप्लीकेंट ने पट्टे के लिए एप्लाई कर रखा है, सरपंच की जरूरत नहीं है, आप बी.डी.ओ. से वेरिफाई करवाओ उसको। बी.डी.ओ. वेरिफाई करे और बी.डी.ओ. इश्यु कर दे पट्टा। गांव में जमीन पड़ी हुई है और आदमी तीन-तीन, चार-चार महीने से पट्टे के लिए धक्के खा रहा है। उस प्रशासन कैम्प का कोई मतलब नहीं है। हमने दुबारा रिवाइज कैम्प भी लगाये। रिवाइज कैम्प लगाने के बावजूद भी काफी तादाद में पट्टे पड़े हुए हैं, उसका सरकार कोई न कोई रास्ता निकाले, ताकि हम लोगों को न्याय दे सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मांग संख्या-31 पर भी काफी चर्चा हुई है। हमारे जिले में एक कम्युनिटी है धानक। उसको कहीं धानका बोला जाता है, कहीं पर धानक्या बोला जाता है, कहीं पर धानुका बोला

(श्री जगदीश चन्द्र)

जाता है। वह कम्युनिटी एस.सी. में है, लेकिन कई जगह पर उसको एस.टी. में माना जाता है पर उनको सर्टिफिकेट इश्यू करने में दिक्कत आ रही है। अभी कल-परसों भी धानका समाज के काफी लोग धरने पर बैठे हुए थे। एक चिट्ठी 09.08.2019 को तत्कालीन कलेक्टर ने राज्य सरकार को लिखी थी कि हम गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से इनको एस.सी. में नहीं मान सकते। मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मेरा मंत्रीजी से आग्रह है, यह अलवर में भी दिक्कत है, आप इसका कोई परमानेंट समाधान करके गजट नोटिफिकेशन में कोई अमेंडमेंट करके इस धानक और धानका का जो इश्यू है, उसको खतम करें, ताकि रोज-रोज की जो समस्या आ रही है, वह खतम हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ कहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने सोशल जस्टिस में, सामाजिक न्याय में जो काम किये हैं, वे ऐतिहासिक काम किये हैं। मेरे से पूर्व सभी साथियों ने बड़े विस्तार से चर्चा की है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस भारत सरकार ने सबसे पहले अगर चोट की है तो वह सामाजिक न्याय मंत्रालय पर की है। नरेगा उसी का पार्ट है। कोरोना के दौरान इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर मदद किसी सैक्शन के माध्यम से की गयी थी और किसी सोसायटी को अगर फायदा हुआ था तो वह नरेगा में काम करने वाले लोगों को हुआ था। यह भारत सरकार की स्कीम थी। राज्य सरकार का भी इसमें हिस्सा है, लेकिन भारत सरकार ने लेटेस्ट बजट के अंदर 33 प्रतिशत की इसमें कमी कर दी है। यह सामाजिक न्याय पर सबसे बड़ी चोट है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ में आपसे यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो गरीब की अनाज योजना थी, उसको भी 10 किलो से कम करके 5 किलो कर दिया है। भारत सरकार को तो सामाजिक न्याय की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक न्याय पर सबसे ज्यादा चोट हो रही है और आज ही गैस पर 50 रुपये प्रति सिलेण्डर आप लोगों ने बढ़ा दिये। गैस के सिलेण्डर पर 50 रुपये बढ़े तो सामाजिक न्याय की ये तो बात कर ही नहीं सकते हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाली सरकार है तो वह राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के मुखिया सामाजिक न्याय की बात करते हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय पर महत्वपूर्ण फैसला, बजट अलोकेशन किया, यह ऐतिहासिक है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा। हमारे पिलानी से आने वाले साथी ने भी चर्चा की थी कि जो आप सफाई कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं, आप उसमें स्पेसिफिक अमेंडमेंट करें कि सफाई कर्मचारी में सिर्फ वाल्मीकि समाज के ही लोग लगेंगे, दूसरा कोई लग ही नहीं पायेगा, ताकि यह समस्या दुबारा खड़ी नहीं हो पाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे साथी बारम्बार गाय की बात करते हैं। गाय पर इन्होंने कई बार राजनीति की है और गाय के नाम पर एक बार सरकार भी बन चुकी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): पहली दफा राजस्थान की सरकार ने गौशाला हेतु जमीन अलाटमेंट का जो सिस्टम है, अधिसूचना दिनांक 17.7.2020 को जारी करके राजस्थान गौशाला हेतु आबंटन नियम, 1957 में संशोधन कर गौशाला हेतु आबंटन की समयावधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गयी है। यह है गौमाता की सेवा का उदाहरण। पहली बार गौशाला में जो अनुदान की राशि है, वह भी राजस्थान की सरकार ने बढ़ाई है। यह हमारी सरकार का काम है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सामाजिक न्याय के मंत्री भी बैठे हैं। समाज का जिसको हक मिलना चाहिये, आखिरी छोर के व्यक्ति का आपने ध्यान रखा है और सारी की सारी सामाजिक योजनाओं को आपने ऑनलाइन किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। इसके साथ ही जो स्कूटी योजना है, जिसकी आपने बढ़ाकर तादाद ज्यादा की है। मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान का कोई भी दिव्यांग और जरूरतमंद व्यक्ति, जो स्कूटी की मांग करता है तो राजस्थान सरकार एश्योर करे कि राजस्थान सरकार के माध्यम से उसका समाधान किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहली बार पेंशन की बात हमारी सरकार ने की। हमारी सरकार ने पेंशन को शुरू किया और हमने ही पेंशन की राशि को बढ़ाया। सारी श्रेणियों की पेंशन बढ़ी है। लोगों को पहली बार इस बात का अहसास हुआ कि राजस्थान में कोई सरकार है जो सामाजिक न्याय की पक्षधर है। यह सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है और लोग इस बात को अब महसूस कर रहे हैं कि यह पहली सरकार है, जो हमारी बात कर रही है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मानवता के आधार पर अगर सामाजिक न्याय को जस्टिफाई किया किसी व्यक्ति ने, तो उसका नाम है अशोक गहलोत। OPS की स्कीम जो लागू की है कर्मचारी की मानवता के आधार पर राजस्थान के अंदर तो वह गहलोत जी की सरकार ने की है। चुनाव के डर से कल कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया, जहां पर बीजेपी की सरकार है। वह चुनाव का डर सताये जा रहा है। यह इतना बड़ा डर है इनको कि सरकार इनके हाथ से जा रही है। बार-बार प्रधान मंत्री OPS का विरोध कर रहे थे, जो लोक सभा और राज्य सभा में बयान दे चुके थे, आज से सात दिन पहले हिन्दुस्तान की वित्त मंत्री जयपुर में आकर इस OPS का विरोध करके गयी थीं और कल वह फैसला वापस लेना पड़ा। कर्नाटक में इस OPS की स्कीम को लागू कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान की सरकार का दबाव था। राजस्थान के मुख्य मंत्री का फैसला था, जन कल्याण का फैसला था, जिसको सरकार ने माना। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 16 - राजस्व और मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा और अपना धर्म भी निभाया। जिसको अच्छा कहना था, उन्होंने अच्छा कहा कि वास्तव में सरकार क्या कह रही है, क्या नहीं कर रही, लेकिन जिस उद्देश्य से इस विभाग का निर्माण किया गया, इस विभाग को संचालित किया गया, अगर इसके हकीकत में आज भी हम झांककर देखें तो क्या ईमानदारी से इस वर्ग का विकास हो रहा है? खासकर मैं बात करूंगी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, क्योंकि मेरे से पूर्व कुछ सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने आरोप-प्रत्यारोप भी किया, लेकिन मैं किसी तरह का आरोप न लगाकर अपनी बात को ही रखूंगी।

माननीय सभापति महोदय, क्या सरकार चाहती है कि इस वर्ग का भला हो? क्या सरकार चाहती है कि हमारा जो वर्ग आज भी गांव, ढाणी तक इस तरह से पिछड़ा हुआ है कि जहां का बच्चा शहर में आकर एजुकेशन प्राप्त

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

करने के लिये मात्र सपना देख सकता है, वहां तक पहुंच भी नहीं सकता, क्या ऐसे वर्ग के लिये सरकार कुछ करना चाहती है? अगर ईमानदारी से कुछ करना चाहती है तो क्या सरकार ने प्रयास किया कि देश आजाद होने के इतने वर्षों के बाद भी जो हमारे एस.सी., एस.टी. के छात्रावास हैं, जिनमें मुझे भी कई बार जाने का मौका मिलता है, कभी-कभार ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनती है कि मात्र नमक और पोहा के अलावा कुछ भी मुझे वहां पर नहीं मिला। अगर तेल भी लाना पड़ता है पोहे बनाने के लिये तो राशन की दुकान से उधार लाना पड़ता है, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। क्या हम चाहते हैं कि इस वर्ग का भला हो? अगर आप चाहते हो तो निश्चित तौर पर सरकार को यह चाहिये कि वहां पर हमारे छात्रावास के जो भवन हैं, उनकी रिपेयरिंग करें, उनकी मेंटीनेंस करें। जिस तरह से आप इनको अनुदान देते हो, चद्दर के लिये इनको राशि दी जाती है, और भी व्यवस्थाएं करने के लिये राशि दी जाती है तो उसको भी बढ़ाने का काम करें, वरना इस वर्ग का कभी भी भला नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज के दिन यह भी कहना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति और जनजाति को सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 द्वारा 16 और 12 प्रतिशत पदोन्नति का जो लाभ दिया जाना था, लेकिन इसका गलत अर्थ लगाकर पदोन्नति के फीडर जोन में 28 प्रतिशत कोटा पूर्ण होने के उपरांत जो एस.सी. और एस.टी. कर्मचारी की वरिष्ठता सूची में सामान्य कोटे में चयनित हुए हैं और वरिष्ठ स्थान पर हैं उन्हें भी 28 प्रतिशत में शामिल करके पदोन्नति में जो रोका जा रहा है, निश्चित तौर पर इस वर्ग के लिये ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को और सम्माननीय मंत्रीजी को यह भी बताना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग का जो आदेश है, दिनांक 05.10.2018 द्वारा 11.09.2011 की अधिसूचना के संबंध में जारी स्पष्टीकरण आदेश गत सरकार द्वारा क्रियान्वयन को रोकने की स्वीकृति दी गयी थी। वर्तमान सरकार आने के बाद भी इसका क्रियान्वयन पर रोक लगाने का जो आश्वासन दिया था, किंतु अभी तक भी इसे वापस नहीं लिया गया। मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाये ताकि इस वर्ग का भला हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से यह

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

भी कहना चाहूंगी कि 11.09.2011 की अधिसूचना को सही अर्थ में लागू करने की आवश्यकता है और पदोन्नति हेतु विचार जोन के सिद्धांत को समाप्त किया जाना चाहिये जिससे कि प्रत्येक संवर्ग में आरक्षण वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति, जनजाति का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हम रोस्टर प्रणाली की बात करते हैं। हम सभी को यह पता है कि सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर का संधारण किया जाये, यह जरूरी है। जब तक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जायेगा, तब तक हम इस वर्ग के लोगों को लाभ नहीं दे सकते। साथ ही, आर पी एस सी, कर्मचारी चयन बोर्ड तथा अन्य भर्ती की वरिष्ठता को रोस्टर बिन्दु के अनुसार वरिष्ठ क्रम में रखा जाये न कि एस सी, एस टी वर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठता क्रम में सबसे नीचे रखा जाये। इस बात को भी मैं कहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय स्तर पर हम देखते हैं कि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण की पालना नहीं की जाती है। मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने इस बात को रखा है। फलस्वरूप इस स्तर पर एस सी, एस टी का प्रतिनिधित्व वर्तमान में नगण्य है। विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों या अन्य पदों पर आरक्षण की पूर्ण पालना की जाये। एस सी, एस टी के कोटे को भी अगर पूर्ण करेंगे तो निश्चित तौर पर इस वर्ग को इसका पूरा-पूरा लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, अभी और भी बातें की जा रही थी कि इस वर्ग का भला हो रहा है। मैं इसी वर्ग से आती हूं। मन में बहुत कुंठा होती है। इस वर्ग के बंधु के मन में यह भाव होता है कि मेरे साथ भेदभाव नहीं किया जाये। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारा राजस्थान ऐसा प्रदेश है, जिसने विकास भी किया होगा, देश ने भी विकास किया, लेकिन आज भी हम इस बात को नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से भेदभाव समाप्त हो गया है। यह नहीं हुआ है। यह कतई सम्भव नहीं है। जब अख़बार में पढ़ने को मिलता है कि दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया तो हम किस राजस्थान की कल्पना कर सकते हैं?

कभी-कभार सुनने को भी मिलता है कि आरक्षण का लाभ पूरी तरह से ले चुके हैं, लेकिन आप देखिये कि वर्तमान में भी क्या स्थितियां बनी हुई

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हैं। क्या हम सामाजिक समरसता का भाव पैदा नहीं कर सकते? मैं मांग करती हूं कि सरकार को सामाजिक न्याय देने के लिये कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए, कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे यह सब जो हमें देखने को मिल रहा है, वह हमारी आने वाली पीढ़ी को देखने को नहीं मिले। ऐसा कुछ प्रयास सरकार की तरफ से होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अगर आंकड़ों की दुनिया में हम लोग जायेंगे तो अभी 5 मिनट पहले ही 2022-23 और 2021-22 का प्रगति प्रतिवेदन मेरे हाथ लगा और मैं उसको पढ़ रही थी तो मुझे यह जानकर बड़ा दु:ख हुआ, मैं बात करूंगी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिये दी जाती है। माननीय मंत्री महोदय मेरी बात को सुनें और इस बात पर गौर करें।

माननीय सभापति महोदय, 2019-20 में राशि का जो प्रावधान किया गया वह हमारा 51,842.07 लाख का था। लेकिन हम 2021-22 की बात करेंगे तो आप देखिये 24,768.24 हमारा आंकड़ा रह गया। क्या हम राजस्थान के इस वर्ग को, खासकर हमारे ऐसे गरीब बच्चे, जिन्हें इसकी अति आवश्यकता होती है, की इस राशि को घटाकर हम उन बच्चों को न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे लगता है कि चाहे कोई भी सदस्य, जो इस सदन में बैठा हो, चाहे एस सी, एस टी वर्ग का हो, चाहे जनरल वर्ग का सदस्य हो, लेकिन हर विधायक के पास, हर मंत्री के पास हमारे इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले बच्चे लगातार चक्कर काटते रहते हैं।

सभापति महोदय, साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि 2021-22 में जो आपने प्रावधान किया 35,043.15 लाख रुपये पर हम लोग आ गये। अब आप देखिये, जब हम इस राशि को लगातार घटाते जा रहे हैं तो हम कौनसी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एस सी के वर्ग को देने का लाभ पहुंचा रहे हैं? इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर देखा जाये तो 2019-20 में हमने 4,57,915 लाभान्वित किये और लास्ट में हम 2021-22 में 29,538 पर आ गये। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है, अगर उसमें भी आंकड़ों में जाना चाहूं तो आप देखिये हमने 2019-20 में इसका जो प्रावधान रखा था, वह 32,784.50 लाख

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

का रखा था, लेकिन वही आंकड़ा घटते-घटते 2021 में 23,911.29 पर पहुंच गया। 2021-22 में 27,494.98 पर पहुंच गया। हमें यह सुधार भी इस वर्ग को आगे पहुंचाने के लिये करना पड़ेगा, वरना कतई सम्भव नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, बातें तो बहुत सारी हैं कहने को, लेकिन समय भी कम है। मैं इस वर्ग से आती हूं। इस कारण इस वर्ग के मन की पीड़ा को मैं अच्छे से समझ सकती हूं। मैं धन्यवाद देती हूं कि सरकार ने शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से ली गयी राशि, नॉन रिफंडेबल फीस थी, उसका पुनर्भरण का आपने नियम भी बनाया और उस राशि को देने के लिये प्रावधान किया। हम इस राशि को घटाते जा रहे हैं। मैं करबद्ध निवेदन करती हूं कि हमें अगर सही मायने में लाभ देना है, आपने वादा किया है, अगर वादा किया है तो ठीक से, ईमानदारी से, मन से उनको सहयोग करें। आपने 2019-20 में 151.87 लाख रुपये का प्रावधान किया। लेकिन 2021-22 में हम मात्र 28.79 लाख पर आ गये। इस तरह से इस वर्ग का किसी भी हालत में विकास नहीं हो सकता है। इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने का काम सरकार कर रही है। मैं बूंदी जिले की ही बात करूं, पूरे राजस्थान की बात करूं तो प्रत्येक विधायक ने सदन में इस बात को कहा कि हजारों, लाखों में ऑनलाइन आवेदन आये। आखिर क्या कारण था कि जब ऑनलाइन साइट खोली गयी तो क्यों नहीं उन्हें स्वीकार किया? उन्हें रद्दी के टोकरे में डाल दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि किसी गरीब को इस खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिले तो हमें इसके लिये कुछ विचार करना पड़ेगा।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): जो 8 बीघा भूमि का प्रावधान हम लोगों ने किया है, उसे भी इसमें से हटा देना चाहिए तो सही मायने में राजस्थान की गरीब जनता इससे लाभान्वित हो सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में एस सी, एस टी का बाहुल्य है। ऐसे में मैं मांग करना चाहती हूं कि वहां पर एक नया छात्रावास खोला जाये, ताकि वहां की गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे राजस्थान के जितने भी हॉस्टल हैं, आज उनकी हकीकत हम देखें। एक प्रश्न मैंने लगाया था, उससे मुझे जानकारी मिली कि आज भी हमारे इतने पद रिक्त पड़े हैं। मैं मांग करती हूं कि उन सारे के सारे पदों को सरकार तुरंत प्रभाव से भरे।

साथ ही यह भी मांग करूंगी कि जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, जिन्हें ऋण के लिये बैंकों में चक्कर काटना पड़ता है। जो बार-बार उन्हें परेशानी आती है, उसमें सरकार को चाहिए कि 20 प्रतिशत का प्रावधान किया जाये। अगर उनके किसी भी डाकूमेंट में किसी भी तरह की कोई खामी रहती है तो सरकार का इस तरह का निर्देश हो कि घर पर जाकर उनसे पूर्ति करवायी जाये। चाहे उनका चिकित्सा प्रमाण-पत्र हो, चाहे अन्य तरह का कोई दस्तावेज उनका हो, तो हकीकत में उनको लाभ मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' में आपने जो 6 माह का प्रावधान रखा है, उसका समय बढ़ाकर एक वर्ष हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मुझे पन्द्रह मिनट का समय दिया है।

श्री सभापति: आपका समय दस मिनट से बढ़ाकर पन्द्रह मिनट कर दिया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो। बीस मिनट कर दूंगा तब भी आपका बोलने का एक अलग तरीका है। प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): राजस्व का थोड़ा बोल देती हूं। दो मिनट का समय दे दीजिए।

श्री सभापति: नहीं। पन्द्रह मिनट कर दिया। प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): ओनली दो मिनट। दो मिनट।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, कोई नहीं। प्लीज विराजें। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: दस मिनट से बढ़ा कर आपका समय पन्द्रह मिनट कर दिया। प्लीज, सहयोग करें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 16 और 31 पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात होती है तो निश्चित रूप से इस पवित्र सदन में जब मुख्य मंत्रीजी के द्वारा 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की गई थी, यह बहुत ही काबिले तारीफ है। मगर जिस विषय पर हम बात करते हैं, निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज से आने वाले लोगों को ही उसका हक मिलता है, यह त्याग हमारे साथी करें तो जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात करते हैं तो यह बात सही हो जाएगी।

हमारे क्षेत्र के अंदर समाज कल्याण विभाग के कई छात्रावास बने हुए हैं। आज भी वहां रहने के लिए न खाट है, न पंखे हैं, न लेट्रिन है न बाथरूम है। पूरे बीकानेर जिले में 10 छात्रावास बने हुए हैं। अपने-अपने समाजों के भी होंगे, मगर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावास बने हुए हैं यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस छात्रावास में कौन गार्ड है, कौन उसकी देखभाल कर रहा है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है। डूंगरगढ़ के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावास की हालत यह है कि न तो वहां खाटें हैं, न वहां पर हवा के लिए पंखे हैं, न पीने के लिए पानी है। मैंने खुद पर्सनल रूप से राशि का इंतजाम कर वहां खुदा कर पानी की व्यवस्था की थी। ये हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, डूंगरगढ़ के छात्रावासों में कमरों की संख्या कम है, छह-सात कमरे और बनाए जाएं। वहां पर जो भी कमरे बने हुए हैं वो जर्जर अवस्था में हैं। मैं मांग करता हूं वहां पर नवीन छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाए। इस छात्रावास में सीटों की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 की जाए, ताकि विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश बच्चों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टाइप-4, श्रीडूंगरगढ़ का भवन जर्जर अवस्था में है, इसलिए इसके आवासीय भवन का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टाइप-1, जैतासर में उच्च कक्षाओं की बालिकाओं के लिए है, इसका भवन निर्माण कराने की आवश्यकता है। सरकार इन मांगों पर विशेष ध्यान देकर छात्रावासों के भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराये।

माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे बच्चों के

(श्री गिरधारीलाल)

स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग की विभिन्न छात्रवृत्तियों का वितरण भी समय पर नहीं हो पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में वृद्धजनों की पेंशन में भी पांच सौ रुपये प्रति माह की वृद्धि किये जाने की मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनेक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पटवार सर्किल नहीं होने से राजस्व सम्बन्धी कार्यों में परेशानी आती रहती है। मेरी सरकार से मांग है कि जहां पटवार हलके हैं वहां पर पटवार भवन बनाये जाएं और पटवारियों को पंचायत मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद किया जाए, क्योंकि डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां ट्यूबवैल सबसे ज्यादा हैं। आये दिन किसानों के काम पड़ते हैं, पटवारी समय पर मिलते नहीं हैं, नए पटवारी लगे हुए हैं, बच्चियां लगी हुई हैं, वो ज्यादातर काम नहीं जानती हैं, तो कुछ बहाना बना लेती है, तो निश्चित रूप से वहां के प्रशासनिक स्तर पर पटवार हलके पर रहने के लिए उनको पाबंद करें, जिससे किसान का काम सुविधाजनक हो सके। उसका खामियाजा आम जनता को नहीं भुगतना पड़े, इसलिए मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है, सरकार से आग्रह है कि श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पटवार सर्किल बनाकर राजस्व के काम करवाये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, यह चिंता का विषय है कि श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के अलावा जिले में कार्यरत पटवारी अपने मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहते हैं जिससे आमजन को बहुत असुविधा रहती है। मेरी सरकार से मांग है कि पटवारियों को उनके पटवार मुख्यालयों पर ही उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाए और पटवार मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने वाले पटवारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, क्योंकि पटवारी सरकार व आमजन के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, इसलिए इनकी पटवार मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

माननीय सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पटवार भवन जहां अभी बने हुए हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, इससे पटवारियों के कार्य करने का स्थान भी सुरक्षित नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि गांवों में जर्जर अवस्था में पड़े पटवार भवनों को चिह्नित कर उनके स्थान पर नये भवन बनाये जाएं। सरकार भवन विहीन पटवार मुख्यालयों पर भी पटवार घर बनाये। माननीय सभापति महोदय, बीकानेर जिले की तहसील पूगल के ग्राम

(श्री गिरधारीलाल)

दीनसर जालवाली व लाखूसर बरलाल के किसानों की खातेदारी पर लगाया गया नोट हटाया जाए, ताकि किसानों को सरकारी सुविधा का लाभ मिल सके। यह मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में अगर सबसे बड़ी राजस्व सम्बन्धी कोई बात होती है तो 1975 में कांग्रेस के राज में जब नहर मंत्री, चन्दनमलजी बैद हुआ करते थे, उस समय भूमिहीनों को नहरों पर भूमि दी गई थी, आज भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि वहां पर उनको पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि उस तर्ज पर आज पूरे राजस्थान में जहां भूमिहीन लोग हैं, उनको चिह्नित करके नहर के किनारे जहां पर जमीन उपलब्ध हो, वहां पर जमीन दी जाए, जिससे पैदावार भी बढ़े और आमजन की आय भी बढ़े। यह उस समय 1975 की सोच थी। हमारे इलाके में खेतों के रास्तों के बहुत झगड़े होते हैं। माननीय मंत्री महोदय, ऐसा कोई नियम निकालें जो नजदीक से हैं, अगर खेत की बिक्री हो जाती है, उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं तो ऐसा नियम बना दें कि 6 फुट का या 3 फुट का इसमें रास्ता निकाल सकें ताकि आए दिन लोगों में झगड़ा न हो या जिसके खेत में नजदीक में कोई रास्ता नहीं लग रहा है, जो नजदीक रास्ता है उसी को रास्ता मानते हुए कटानी रास्ता कर दिया जाए। ज्यादातर कटानी रास्ते न होने की वजह से हमारे नरेगा के कार्य भी ठप पड़े हैं। कटानी रास्ते नहीं होने की वजह से ग्राम पंचायतों के सरपंच उस पर ग्रेवल रोड भी नहीं बना पा रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने हमारे इलाके की जो मेरी मांगें रखी हैं, उन पर आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे। साथ में आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में आपने राजस्व ग्राम घोषित किया है, उसका नाम है, केवनई, तो उसमें सड़क वगैरह की जो भी सुविधा बन सके, राजस्व ग्राम का रूप देकर आवश्यकता हो तो वहां जमीन की तरमीम करवाई जाए, ताकि वहां के लोग अपना आधार ले सकें, हक ले सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुखराज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 एवं मांग संख्या 31 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पर चर्चा हो रही है। मैं आपके

(श्री पुखराज)

माध्यम से उस वर्ग की बात करना चाहूंगा, जो दलित, शोषित और गरीब है और बाबा साहेब के मिशन के अनुसार जिसके उत्थान के लिए, विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थानों एवं अन्य विभिन्न राजकीय योजनाओं में राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण वर्तमान में 16 एवं 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह वर्ष 1961 की जनगणना के आधार पर दिया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि बहुत सारे प्रदेश झारखण्ड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक आदि में अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे बदला जाये और 2011 की जनगणना के अनुरूप 17.8 प्रतिशत एवं 13.05 प्रतिशत किया जाये। इसके लिए आप अध्यादेश जारी करें।

जो राजकीय समाज कल्याण छात्रावास हैं, उनके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत सारी बातें कहीं। राजकीय समाज कल्याण छात्रावास में कहीं भी छात्रों के अनुरूप सुविधा नहीं है, न ही सफाई की व्यवस्था है, न गुणवत्तापूर्ण खाना है। अभी कुछ दिन पूर्व जोधपुर में एक राजकीय समाज कल्याण छात्रावास में बच्चों में फूड पोइजनिंग की घटना हो गयी थी और लगभग 40 बच्चे तीन-चार दिन तक राजकीय हास्पिटल में एडमिट रहे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से मांग करना चाहूंगा कि ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी, जिनके कारण इस तरह की घटना हुई, उनकी जांच करवाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें।

साथ ही, अभी हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे किराना की बात हो, अभी प्रति छात्र 2500 रुपया मैस भत्ता कर रखा है, उसे बढ़ाकर 3500 रुपया करने की मैं मांग करता हूं। साथ ही, जो छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को दी जाती है, उसमें आय सीमा ढाई लाख रुपये रखी गयी है। माननीय सभापति महोदय, ई डब्ल्यू एस में आय सीमा आठ लाख रुपये हो सकती है तो दलित, वंचित और अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिए आय सीमा ढाई लाख क्यों? यह भी मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि ढाई लाख से बढ़ाकर इनकी भी सीमा आठ लाख की जाये।

(श्री पुखराज)

माननीय सभापति महोदय, जो राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम बनाया गया है, जिसके माध्यम से एस सी, एस टी के लोगों को लोन दिया जाता है, उस लोन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वे लोग उस लोन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मेरा निवेदन है कि उस लोन की प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने अभी बजट में कन्यादान योजना में 21 हजार, 31 हजार और 41 हजार का जो प्रावधान किया है, मेरा निवेदन है कि महंगाई को देखते हुए इस अनुदान राशि को बढ़ाकर 51 हजार, 75 हजार और एक लाख किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की मंशा से 2013 की आर ए एस भर्ती में सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों का चयन किया गया था और उन्हें ब्लाक मुख्यालय पर लगाया गया था। सरकार का विजन था कि ब्लाक मुख्यालय पर लगाने से ब्लाक स्तर पर जो भी समाज कल्याण विभाग की योजनाएं हैं, वे उन तबकों तक पहुंचें। इस मंशा के साथ उन्हें ब्लाक मुख्यालय पर लगाया गया था, लेकिन छह साल बीत जाने के बाद भी उनके न तो कार्यालय का निर्माण हुआ है, न उनके पास कोई स्टाफ है और न ही किसी तरह के कोई संसाधन हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उनके कार्यालय का निर्माण कराया जाये और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराये जाएं, ताकि इस वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगा राजस्व विभाग की। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जिसकी आबादी का एक बहुत बड़ा भाग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि और कृषि से सम्बन्धित उद्योग-धन्धे रोजगार के महत्वपूर्ण साधन हैं। औद्योगीकरण, शहरीकरण की निरन्तर प्रगति, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन, भूमि के हस्तान्तरण, पंजीयन, लोनिंग और भूमि आधारित योजनाओं की क्रियान्विति के सन्दर्भ में भू-अभिलेखों का सही आदिनांक होना नितान्त आवश्यक है। भूमि सम्बन्धी रिकार्ड सही तरीके से आदिनांक होना अत्यन्त आवश्यक है। भू-अभिलेखों का आदिनांक करने से सम्बन्धित कार्य भू-अभिलेख विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

विभाग द्वारा सर्वेक्षण, पुन: सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित भू-अभिलेख का कार्य समय-समय पर सम्पन्न कराया जा रहा है। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

(श्री पुखराज)

भू-राजस्व राजकीय आय का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है, फिर भी भूमि समस्त आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है। भू-राजस्व से सम्बन्धित जो निर्णय न्यायालय में होते हैं, जिनमें जिला कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारी को पावर दे रखी है, उनमें भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामले हमेशा ज्यादा होते हैं। राजस्व से सम्बन्धित मामलों हेतु जो कोर्ट का न्यायाधीश होता है, उसके समकक्ष की नियुक्ति उनके निस्तारण के लिए होनी चाहिए, जिससे कि सभी को सुनवाई का लाभ मिल सके।

राजस्व अदालतों में लम्बित प्रकरणों का लम्बे समय तक निस्तारण नहीं होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजस्व विभाग में किसानों के लिए खेतों के रास्ते खोलने के अनेकों प्रकरण लम्बित पड़े हैं, जिनका निस्तारण समय पर करवाकर रास्ता विहीन खेतों के रास्ते खुलवाकर किसानों को राहत प्रदान करें।

श्री सभापति: श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): एक मिनट, माननीय सभापति महोदय। गांवों में रिक्त पड़े पटवारियों के पदों को अतिशीघ्र भरा जाए। एक ही पटवारी के पास में तीन-चार जगह का चार्ज दिया हुआ है जिससे समय पर आमजन का कार्य नहीं हो पा रहा है।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। विराजिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया जाय।

श्री सभापति: सदन का समय दो घंटे बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16-राजस्व व 31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर विचार

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 व 31 पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं तहेदिल से आपका आभारी हूं।

राजस्व और सामाजिक न्याय, ये दोनों ऐसे बड़े विभाग हैं जो आमजन और गरीब से जुड़े हुए हैं। राजस्व की अगर बात करें तो जो तकलीफें लोगों को होती हैं वे ऐसी छोटी-छोटी तकलीफें हैं, जिनका आज तक कहीं भी समाधान नजर नहीं आया। पटवारी या सैटलमेंट, जो खाते की जमीन है, उसको इधर से उधर कहीं भी कर देते हैं और उसके लिए पब्लिक को, किसान को इतना परेशान होना पड़ता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मंत्री जी यहां विराजे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो खातों को इधर से उधर मन से भी कर देते हैं, किसी के कहने से भी कर देते हैं, ऐसे लोगों के साथ में दण्डात्मक कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि आज दण्ड नहीं है इसीलिए कोई बात नहीं है। लोग बहुत छोटे-छोटे मामलों में यह कार्यवाही करवा लेते हैं और गरीब परेशान होता रहता है। राजस्व में एक 91 की कार्यवाही है। यह कार्यवाही है तो दण्ड देने के लिए कि किसी भी सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति ने कार्यवाही की तो उसको 91 का नोटिस दिया, लेकिन प्रक्रिया यह चल रही है कि यह 91 का जो नोटिस है उसके तहत लोग मालामाल हुए जा रहे हैं। सोचते हैं कि 91 की कार्यवाही कितने साल से है, 10 साल से है तो इसको रेगुलर कर दो, जबकि यह बहुत ही गलत है। आज पूरे राजस्थान में हजारों नहीं, लाखों बीघा जमीन है जिस पर लोगों के कब्जे हैं। सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत प्लान बनाकर जितने भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं वे कब्जे छुड़वाने चाहिए। यह सरकार का बहुत बड़ा काम है। ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं वे चाहे किसी भी जाति के हों, उसमें एस सी, एस टी को पहले ले लिए जाएं, पर बाकी उन लोगों को यह भू-आबंटन किया जाना चाहिए।

(समय: 16.53 बजे)

(श्री जे. पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जब जमीनों पर कब्जे की बात आती है तो

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

अनुसूचित जाति और जनजाति की जमीनों पर भी बहुत कब्जे हैं जो 20-20, 30-30 साल पुराने हैं। परिस्थिति यह होती है कि ये सब कब्जे किसी न किसी रूप में कराये हुए होते हैं। 183(बी) और (सी) की तहसीलदार की कार्यवाही होती है जिसमें एक प्रक्रिया बनी हुई है कि किसी की जमीन है, कोई शिकायत हुई, वह चाहे तहसीलदार से करे, चाहे कलेक्टर से करे या किसी पोलिटिकल आदमी से करे तो रेवेन्यू के मैटर में तहसीलदार के पास शिकायत जाती है और वह पटवारी को देता है कि इसकी रिपोर्ट करिये। रिपोर्ट में पटवारी ने कह दिया कि यह जमीन वास्तविकता में उसकी है उसके बावजूद भी इसके तहत कोर्ट चला देते हैं और छह-छह महीने, साल-साल, दो-दो साल तक चलती है। मैंने जब जिलों के दौरे किये तो मैंने पाया कि एक ऐसी प्रक्रिया हो गयी कि गरीब की जमीन को आसानी से जुतवाया जा रहा है, किसी दूसरे का हक है, लेकिन ये जो तहसीलदार हैं, ये तयशुदा प्रोग्राम में उनके फैसले नहीं करते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मैटर हैं इनको समयबद्ध तरीके से लिया जाए तथा इनके कब्जे हटवाये जाएं क्योंकि जहां अवैध है वहीं जुर्म है। जुर्म का सम्बन्ध अवैध से जुड़ा हुआ है। चाहे अवैध खनन हो, अवैध वसूली हो, जमीन पर अवैध कब्जे हों, ये सब काम ऐसे हैं जो केवल कुछ परसेंट लोग हैं वे करते हैं और उसी से जुर्म बढ़ता है। आज लॉ एण्ड आर्डर की बात भी इससे सम्बन्ध रखती है। अगर इन चीजों को तय करके यह तय कर लें कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं रखेगा, कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करेगा, अवैध खनन नहीं होगा, अवैध बजरी नहीं होगी तो मैं सोचता हूं निश्चित रूप से जुर्म को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज, यह जो जुर्म की बात आती है तो निश्चित रूप से आज जो सज़ा का परसेंटेज है वह इतना कम है कि लोग खुले घूम रहे हैं और कहते हैं सज़ा तो होगी नहीं, इसलिए इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना होगा।

जब बात एस सी, एस टी एट्रोसिटी से रिलेटेड मैटर की आती है तो उसमें केस होते हैं वे केस सही होते हैं, लेकिन एक समय सीमा के साथ आईओ जांच करता है तो उस दौरान सामाजिक समरसता के तहत गांव के पंच पटेल, सरपंच या कोई भी व्यक्ति उससे जब विदड्रा कराते हैं तो विदड्रा कराने के बाद में वह केस गलत में चला जाता है, जो बिलकुल गलत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि यह मैटर भी सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

है, इसलिए जब भी कभी एस सी, एस टी एट्रोसिटी के मुकदमे हों और जिसका आई ओ डिप्टी होता है उसको 164 के बयान और वीडियोग्राफी के बाद एक कालम बनाया जाए, जिसमें यह लिखा जाए कि यह केस सही है। अगर वह केस सही है तो किसी भी कीमत पर कितने भी दिन बाद वह केस गलत नहीं हो सकता। वह सामाजिक दबाव से बदला जाता है तो इसके लिए निश्चित रूप से एक अलग कालम बनाया जाना चाहिए, जिससे हमारे लोगों को दोषी नहीं कहा जाए और यह प्रचार नहीं हो कि एस सी के लोग एट्रोसिटी के गलत केस दर्ज कराते हैं। वास्तविकता यह है कि केस दर्ज होता है वह सही होता है, लेकिन दबाव के कारण से जब विद्ड्रा होता है तो वह केस उसमें गलत हो जाता है। इसलिए मैं इसमें एक कालम बनाने की मांग करता हूं कि जो चालान होता है उसमें समझौता चालान का भी एक कालम होना चाहिए, जिससे यह चीज निकलती हो क्योंकि आज की डैट में जिस तरह का एक माहौल है और उस माहौल में जिस तरह लोगों को तकलीफें हैं, उन एक-एक तकलीफों पर हमको ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, आबादी विस्तार की जो बात आती है उसमें कई साथियों ने बोला है और यह वास्तविकता में बहुत जरूरी है। हम भी जब जाते हैं तो कई तरह की बातें गांवों में आती हैं कि आबादी विस्तार होना चाहिए तो एक प्रोग्राम बनाकर जहां-जहां से भी बातें आती हैं वहां पर इसको करना चाहिए। जिन मकानों को 50-50, 100-100 साल हो गये वे आज भी अपने पट्टों से वंचित हैं। ऐसी स्थिति में जो कि वास्तविकता है, उसको निश्चित रूप से पट्टे जारी करके लोगों की तकलीफ को खतम करना चाहिए क्योंकि पट्टा होता है तो उसको लोन मिल जाता है, उसको और किन्हीं चीजों में आवश्यकता पड़ जाती है।

सभापति महोदय, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो आज छात्रों की छात्रवृत्ति कम है, जिसकी हमें सब जगह शिकायत मिलती है, इसलिए उसके बारे में भी सोचना चाहिए। विकास कोष की बात करें तो मुख्य मंत्री जी के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने 500 से 1000 करोड़ कर दिये, लेकिन एक तकलीफ भी है और पुराना इतिहास भी रहा हुआ है कि कोष तो एस सी, एस टी का है, लेकिन उस पैसे को किस तरीके से निकाला जाता है उस पर गौर करने की बात है। एक बार कह दिया कि यह कोष आपका है, लेकिन वास्तविकता में लास्ट में जाकर देखेंगे तो कोई दस-बीस परसेंट भी रहे

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

तो बहुत बड़ी बात है अदरवाइज कई स्कीमों के तहत इसको हटा दिया जाता है। अभी मेरे साथियों ने भी कई बातें कही हैं और अगर आंकड़ों की बात करें तो जो एस सी, एस टी के रिजर्वेशन की बात होती है तो वह बढ़कर एस सी 18 परसेंट और एस टी 14 परसेंट हो गया है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उसको ध्यान में रखकर उसका लोगों को फायदा दिया जाना चाहिए।

मैं एक निवेदन और करता हूं। सरकार ने बहुत अच्छे काम किये हैं मालूम भी है, लेकिन एक बजट का मैटर है और मुख्य मंत्री जी अभी जवाब भी देंगे, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए स्कूटी प्रदान की जानी चाहिए। पूरे के पूरे इस तरह से नियम निकलें कि जो भी इतनी परसेंटेज का है और वह दिव्यांग है तो उसको सरकारी तौर पर सामाजिक न्याय अधिकारिता के मंत्रालय के तहत सम्पूर्ण लोगों को स्कूटी देनी चाहिए।

(समय: 17.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं एक ऐसा मैटर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। टी एस पी एरिये में शिड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण 6 परसेंट है, ऐसा क्यों है? पूरे राजस्थान में जब 12 और 16 परसेंट है तो वहां इस तरह क्यों है?

मैं निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी हमने लिखित में और हमारा जो सेन्टर वाला एस सी कमीशन आया था, तब मैंने और हमारे बैठे हैं, समित शर्मा जी, हमने स्पेशली कहा था कि इसको आप रिव्यू करें। पूरे राजस्थान में 12 परसेंट और 16 परसेंट ही होना चाहिए। वहां एस सी का 5 परसेंट है। आप किसी और को कितना ही फायदा दें, हमें पता नहीं, लेकिन हमारा जो एस सी का है उसको भी 16 परसेंट रिजर्वेशन करना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) कितना टाइम और है, सभापति महोदय?

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करें।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): हां, मैं कंटीन्यू कर रहा हूं। साहब, मेरा हिसाब-किताब टूट जाता है। यह तो टी एस पी एरिया की बात हो गई।

सभापति महोदय, एक ऐसे मैटर को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आज एस सी, एस टी के कर्मचारी, अधिकारी या लोग हैं, वे सब भटकते फिरते हैं। वे कहां जाएं? मैंने आयोग का चेयरमैन होते हुए यह बात पहले भी उठाई थी। आज मैं पुन: इस विधान सभा में उठा रहा हूं कि एक परमानेंट

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

आफिस नोडल आफिसर के साथ खोला जाये जिसमें सभी योजनाओं के लिए एस सी, एस टी कर्मचारी और अन्य जो भी इस वर्ग के लोग हैं, वहां उनका कम से कम ठिकाना हो। वे वहां अपनी बात कह सकते हैं। वहां उनका समाधान हो सकता है। यह अति आवश्यक है।

इसी के तहत एक बात और है। आपरेशन समानता, यह एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो डिफरेंसेज हैं, आपरेशन समानता की बात जब हम करते हैं तो एक स्पेशल टास्क फोर्स की आवश्यकता है। सभी विभागों के लिए, सभी मैटर्स के लिए बनी हुई है, चाहे वह दूसरे के लिए हो।

सभापति महोदय, एट्रोसिटी योजनाओं का पैसा है, वह केन्द्र सरकार से काफी समय से लम्बित है। हमने पहले भी उठाया था। हमारे भाजपा के साथी बैठे हुए हैं। ये भी इसको करेंगे। सेन्टर की तरफ से पैसा नहीं आया है, इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

एक दूसरा बड़ा ही मार्मिक शब्द है, ए पी एल, बी पी एल। जिनकी जनगणना होती है। हम एरिया में जाते हैं तो देखते हैं कि उसके यहां ट्रैक्टर है, बड़ा अच्छा मकान है, बंगला है, वह व्यक्ति तो बी पी एल में है और जो बी पी एल में हैं, उनका कहीं नाम ही नहीं है। वे भटकते फिरते हैं। आखिर में, ये कौन करता है? यह करने वाले भी तो कर्मचारी ही हैं तो ऐसे कर्मचारियों को चैक करना चाहिए कि किस आदमी ने वास्तविकता में ऐसा किया है। उसको दण्डित किया जाना चाहिए। आज जब तक दण्ड नहीं है, तब तक न्याय नहीं है। आज स्थिति यह है कि जिसने जो कर दिया, कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं निवेदन करता हूं कि यह होना चाहिए।

सभापति महोदय, अम्बेडकर छात्रावास हैं, उनमें एस सी के बच्चों का परसेंटेज 60 किया जाना चाहिए। उनको जो फूड के लिए खर्चा मिलता है, उसका पैसा कम है, उसको भी ठीक करना चाहिए।

एक इश्यू और है। 2018 में, जनरल कैटेगरी से सफाई कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई थी। मैं जाता हूं, आज भी देखता हूं, वे जनरल कैटेगरी के सफाई कर्मचारी या तो किसी के बंगले पर लगे हुए हैं या कहीं बाबू बने हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक नीचे के पायदान वाली कम्युनिटी वाल्मीकि समाज है, उसके साथ कम से कम यह नहीं किया जाये। 2018 के

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

जो लोग हैं, उनकी योग्यता को देखते हुए, उनको जरूर रखें, लेकिन आगे इस तरह की तकलीफ नहीं हो, इन लोगों के साथ धोखा नहीं हो।

महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के डेढ़ करोड़ लोग हैं। अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ है और भी आयोग हैं। आपका महिला आयोग भी है। हमने कई राज्यों में सर्वे करवाया। सभी राज्यों में है तो राजस्थान में भी आयोग को वैधानिक दर्जा दिया जाये, ताकि जब कहीं भी न्याय नहीं मिले तो कम से कम वह व्यक्ति उस जगह जाकर अपनी पीड़ा कह सकता है और उसको न्याय मिल सके। मुझे आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री बलवीर सिंह जी लूथरा।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सर, पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री सभापति: यस, प्लीज।

सूचना

लाडपुरा के उम्मेदगंज में प्रशासन द्वारा प्रस्तावित कचरा पाइंट का स्थानीय विरोध

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में उम्मेदगंज क्षेत्र है, जहां प्रशासन कचरे का पॉइंट लगाने का विचार रख रहा है। वहां के ग्रामवासियों ने उस कचरा पॉइंट का विरोध किया। आज सुबह पुलिस ज़ाब्ता, लगभग 80 से 100 पुलिस वाले गये और वहां उस क्षेत्र के लोगों को धमका रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि वे लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी हेल्थ के लिए और कल मैंने इसी मामले में स्थगन लगाया था, तो क्या मतलब है, अगर हम इस विधान सभा में बात रखें और हमारी सुनवाई नहीं हो? हमारे लोगों को संरक्षण के बदले वहां धमकाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मेरे लोगों के लिए सुरक्षा और संरक्षण मांगती हूं और अपने लिए भी। धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, बिलकुल ठीक है। सदन में कोई भी मुद्दा उठाते हैं, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से या दूसरे माध्यम से हो, उस पर कोई नोटिस सरकार नहीं ले रही है। आप इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान करें। यह बिलकुल गलत है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस प्रकार की एट्रोसिटी करनी प्रारम्भ की। इन माननीय सदस्या ने अपनी बात कही और वहां पर पुलिस चली गयी। यह कहा कि जाओ अपनी एम एल ए के पास, उससे तुम कचरा पात्र रुकवाओ। अगर कोई इस लोकतंत्र के मन्दिर में भी अपनी बात कहे और उसके बदले में पुलिस एट्रोसिटी पर उतर आये, प्रताड़ित करने पर उतर आये, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। यह लोकतंत्र का अपमान है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या ने जो बात कही है, मैंने इनको बता दिया है और कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सभापति महोदय, यह तो बदले की भावना है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, यह तो बदले की भावना है। जनता अपने हित के लिए, अपने बच्चों के लिए...

श्री सभापति: मेरे द्वारा स्थिति की गम्भीरता को बता दिया गया है। वे कर रहे हैं। माननीय सदस्या, बता दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मतलब, यह बात नहीं, प्रशासन अपना काम करे, पर एम एल ए ने बात यहां रखी, उसके बाद यह बात करना, यह दुर्भाग्य की बात है।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री बलवीर जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16-राजस्व व 31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर विचार

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे राजस्व और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

सभापति महोदय, मंत्रीजी यहीं विराजमान हैं। मेरे सत्ता पक्ष के साथी विधायकों ने मंत्रीजी को डायनेमिक मंत्रीजी की उपाधि से नवाजा है। मैं भी मंत्रीजी को डायनेमिक मंत्री कहूं, यदि वे मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों को जमीनों के खातेदारी हक प्रदान कर दें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश में आबंटित कृषि भूमि की खातेदारी को लेकर

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

दोहरे नियम एवं अधिकारियों की लालफ़ीताशाही के चलते रायसिंहनगर तहसील क्षेत्र के सैकड़ों किसान कृषि भूमि की तमाम किश्तें जमा करवाने के बावजूद भी खातेदारी हक से वंचित हैं। ऐसे किसानों खातेदारी के लिए तारीख पर तारीख भुगतने को लाचार हैं। कृषि भूमि आबंटन सम्बन्धी सैकड़ों प्रकरण 30-35 वर्षों से लम्बित हैं। कई मामले तो वर्षों से तारीख पर तारीख भुगत रहे हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सीमावर्ती गांव लखाहाकम, खाटा, भोमपुरा, बग़ीचा, ठण्डी ठाकरी, सांवसर, दूलासर, बरानी सहित करीब दो दर्जन पटवार हलकों को आर जी टी सी भूमि से पुख्ता आबंटन की करीब 100, ठण्डी ठाकरी क्षेत्र की लगभग 80 एवं रिव्यू प्रकरण की 178 पत्रावलियां, स्माल पैच की 130, मीडियम पैच की 18, आजादी के वक्त पाकिस्तान से विस्थापित की 28, डी-कमांड 15ए की 24, बालिग पुत्र आबंटन के करीब एक दर्जन सहित एक हजार से अधिक प्रकरण अभी तक विचाराधीन हैं। उनको गैर-खातेदारी भूमि पर ऋण एव अनुदान योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और किसान भूमि सुधार क्षेत्र की योजना के लाभ से वंचित है।

अत: सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध है विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में लम्बित आबंटित कृषि भूमि की खातेदारी का निस्तारण अतिशीघ्र करवाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करावें।

बोर्डर के नजदीक आबंटित भूमि के 41 किसान खातेदारी हक से वंचित हैं। वर्ष 2007 में गंगनहर आबंटन नियम के तहत किसानों को कृषि भूमि का आबंटन करने पर सरकार ने राशि में छूट दी थी, जिसके अनुसार एकमुश्त राशि भरने पर सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति को 75 प्रतिशत राशि की छूट दी थी। सीमा क्षेत्र के किसानों को यह छूट दिये जाने के बावजूद तत्कालीन अधिकारियों की मनमानी के चलते 41 काश्तकारों की भूमि के पुख्ता आबंटन एवं खातेदारी के प्रकरण लम्बित रह गये हैं। सरकार ने इसमें राजस्व नुकसान होने से किसानों को खातेदारी हक से वंचित कर दिया। यह प्रकरण भी उप खण्ड कार्यालय में लम्बित है। कृपया इनका निस्तारण करवाने का श्रम करें।

राजस्व विभाग ने 01 दिसम्बर, 2021 को खातेदारी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर 01 जनवरी, 1981 से पूर्व ऐसे काश्तकारों को जिनके पास कृषि भूमि पुख्ता आबंटित नहीं थी, जिनका निरन्तर कब्जा था

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

उन्हें प्रचलित ब्याज दर पर दस प्रतिशत राशि जमा कर खातेदारी हक देने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन का उपनिवेशन क्षेत्र गंगानगर जिले में सिंचित क्षेत्र के किसानों को लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों के किसानों को इसमें खातेदारी का हक मिल चुका है।

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र से बहुत से किसानों को अपने खेत में आने-जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। मौके पर तो रास्ता पिछले 30-35 वर्षों से चला आ रहा है मगर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। खेत मालिक जब चाहे रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं जिससे किसानों में आपसी विवाद हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सभी चालू रास्तों का सर्वे करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रास्ते स्वीकृत कराये जाएं।

सभापति महोदय, बोर्डर पर बसे गांव खाटा लूणेवाला 31 पीएस, चारावाली ढाणी 82 आरबी स्वेजा लखाहाकम में ढाई सौ मुरब्बा जमीन बारानी एवं बंजर पड़ी है। लखा टिब्बा के 375 मुरब्बे बारानी पड़े हैं। ये सिंचित होने प्रस्तावित हैं। यह रकबा इसलिये अब तक बारानी पड़ा है, लखाहाकम, खाटा और भोमपुरा माइनर, वर्ष 1997 में स्वर्गीय श्री भैरोंसिंह शेखावत सरकार के समय भोमपुरा माइनर में लखाहाकम माइनर में तो मंजूर होकर पानी चालू कर दिया गया था लेकिन खाटा माइनर के नक्शे में आयी गलती की वजह से यह माइनर नहीं बन पाई जिसकी वजह से सैकड़ों परिवार पलायन हेतु मजबूर हैं। खाटा माइनर का पानी 9.75 क्यूसेक है जो आज भी रिजर्व पड़ा है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि खाटा माइनर को चालू करके सैंकड़ों बारानी पड़ी भूमि को सिंचित किया जाये। दूसरी ओर एक दशक से कृषि भूमि के पुख्ता आबंटन समिति की बैठक नहीं हुई है इनमें से अधिकांश मामलों में एस डी एम न्यायालय के निस्तारण के बाद राज्य सरकार ने तहसीलदार, आर ए एस एवं राजस्व बोर्ड की अदालतों में अपील करके किसानों को चक्करघिन्नी बना दिया है। कई प्रकरण तो राजस्व बोर्ड द्वारा एस डी एम को फिर से रिमाण्ड पर किये जाने के बाद भी कई साल से ठंडे बस्ते में हैं। करीब दस साल पूर्व तत्कालीन वसुन्धरा राजे सरकार ने नियमों में संशोधन किया तो सोसायटी कृषि भूमि किसानों को निर्धारित किस्तों पर आबंटित हो गई। किसानों के नाम गैर खातेदारी का इंतकाल भी

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

दर्ज हो गया, परन्तु किस्तें जमा करवाने के बावजूद भी खातेदारी का हक अभी तक नहीं मिला। खातेदारी हक नहीं मिलने से कृषि भूमि पर किसान को मिल रही सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के पटवार मुख्यालयों पर पटवार घर एवं गिरदावर घर नहीं हैं जिससे पटवारी एवं गिरदावरों को राजकीय कार्य करने में परेशानी हो रही है। कृपया पटवार घर एवं गिरदावर घर बनाये जाएं एवं रायसिंहनगर मुख्यालय पर ए डी एम कार्यालय खोला जाये। विशेष आबंटन हेतु अधिसूचित शिड्यूल्ड प्रक्रिया में विक्रय की जाने वाली भूमियों को मुक्त करने के सन्दर्भ में मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के गांव 2 जीएम, 3 जीएम, 5 जीएम से 9 जीएम, 14 जीएम से 17 जीएम, 1 टीएसएम में 102 मुरब्बों को सरकार ने शिड्यूल्ड प्रक्रिया में विक्रय हेतु गजट में प्रकाशित कर रखा है। उक्त सभी मुरब्बों को गजट से डी-नोटिफाई किया जाये। सम्बन्धित आबंटी जो गरीब काश्तकार हैं, किस्त जमा नहीं होने के कारण खारिज किये गये थे, इसलिए सम्बन्धित आबंटियों को आबंटन बहाल किया जाकर किस्त राशि जमा करवाकर खातेदारी दी जाये।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के गांव 1 एनजेड में 15 बीएलडी ए, 1 सीडीएम बी, 6 जीएम, 8 जीएम, 17 जीएम, 14 एस, 16 एस कूबली में काफी वर्षों से रकबा राज पर मौके पर आबादी बसी हुई है किन्तु अभी तक आबादी भूमि स्वीकृत नहीं हुई है। 17 जीएम आरजी, कुछ ग्रामों में पूर्व में आबादी भूमि स्वीकृत होने से जनसंख्या के आधार पर आबादी विस्तार नियमानुसार नहीं किया जा सकता है। नियमों में शिथिलता दी जाकर आबादी भूमि को आबादी भूमि स्वीकृत करायी जाये जिससे उक्त आबादियों में बसे अधिकांश गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे जारी होकर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम 1 केपीडी, 3 केएसडी, 3 एलजीएम, 9 एसए, 15 एसबी, 2 डीएम में वन विभाग की भूमि पर काफी वर्षों से मौके पर आबादी बसी हुई है, सरकारी विद्यालय बने हुए हैं सड़कें हैं, स्कूल हैं, बिजली है। उक्त बसी आबादी को आबादी भूमि स्वीकृत किया जाये, ताकि गरीब लोगों को पट्टे जारी हो सकें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसी आबादियों में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। पानी है, बिजली है, सड़क है,

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

विद्यालय है, बड़ी-बड़ी कोठियां तक बनी हुई हैं। इन्हें आबादी भूमि घोषित की जाये। जब तक इनको आबादी भूमि घोषित नहीं की जाती तब तक इन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम 42 जीबी के करीब पचास-साठ काश्तकारों के रकबा राज लीज होने के कारण खातेदारी से वंचित है। राज्य सरकार उक्त लोगों को खातेदारी जारी करने की कृपा करे।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के सन्दर्भ में विजयनगर तहसील के चक 29 जीबी में गंग कैनाल क्षेत्र व चक 1 एसबी, एसएम ए एंड बी उपनिवेशन विभाग के दो चकों में दोहरा अन्तर चला आ रहा है। चूंकि उक्त सरप्लस भूमि उपनिवेशन विभाग द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र मानते हुए आबंटित की गयी है इसलिये चक 29 जीबी से इसे हटाया जाये।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है किन्तु यह समय पर विद्यार्थियों को नहीं मिल पाती। मेरी मांग है कि विभागों द्वारा ऐसा कैलेण्डर बनाया जाकर लागू किया जाये, ताकि विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष नवम्बर, दिसम्बर माह तक छात्रवृत्ति मिल सके एवं श्रीविजयनगर में अनुसूचित जाति छात्रावास खोला जाये। विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन में आ रही विसंगतियों को भी दूर किया जाये। इनको अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र हर वर्ष देना पड़ता है। जानकारी के अभाव में वे अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र नहीं दे पाते, इससे उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है।

सफाई पेशे में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ाई से सतत रूप से जोड़ने के लिए प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अतिरिक्त 500 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जायेगी। वाल्मीकि जातियों के कल्याण हेतु गठित आयोग को सक्षम बनाना एवं साथ ही इन जातियों में शिक्षा एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु विशेष सहायता का प्रावधान किया जाये। एस सी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाये एवं धानक, धानका, धानक्या जो कि एक ही जाति के हैं, इन्हें एस टी का प्रमाण पत्र जारी करवाया जाये।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सर, एक मिनट बस। पालनहार योजना में सभापति महोदय, मेरी आपसे मांग है पालनहार योजना का लाभ

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

किसी बच्चे की माता का स्वर्गवास होने के उपरान्त भी उक्त बच्चों को मिलना चाहिये। पालनहार योजना के अन्तर्गत पिता की मृत्यु अनिवार्य शर्त नहीं होनी चाहिये। 75 प्रतिशत नाता जाने वाली माता के पति जीवित होते हैं परन्तु बच्चों को नहीं रखते हैं। अत: इन बच्चों को भी पालनहार योजना का लाभ दिया जाना चाहिये। विधवा माता पालनहार एवं नाता पालनहार में केवल तीन बच्चों को लाभ देय है परन्तु अन्य किसी श्रेणी में ऐसी कोई शर्त नहीं है। अत: पालनहार एवं विधवा माता श्रेणी में भी यह शर्त हटनी चाहिये। नाता पालनहार एवं विधवा माता श्रेणी के अन्तर्गत एकमुश्त दो हजार रुपये देय नहीं है, वह भी मिलने चाहिये। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे मांग संख्या 16 और 31, राजस्व और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले राजस्व से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके बीच रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र भादरा जिला हैडक्वार्टर से करीब सवा सौ किलोमीटर दूर है इसलिये हम चाहते हैं राजस्व अपील अधिकारी की कैम्प कोर्ट मेरे भादरा में हो। रामगढ़ जो उप तहसील है उसको तहसील बनाया जाये। करणपुरा, छानीबड़ी और रामगढ़ तीन बड़े-बड़े गांव हैं जिनमें दो-दो पटवार मण्डल हैं। रीफिटिंग का मसला है, आज भी हमारे 24 चक ऐसे हैं जिनमें जैसे पहले माननीय सदस्य बता रहे थे कब्जा काश्त में कोई बैठा है और उसकी जमीन खातेदारी कहीं बोल रही है, उन 24 चकों की री-फिटिंग का मसला है जो पिछले चालीस साल से चल रहा है उनका रीफिटिंग कराया जाये।

अभी हमारे चकबन्दी के मसले का विधान सभा में प्रश्न भी लगा लेकिन चकबन्दी अभी तक नहीं हुई। यह 2017 में वैपकोस कम्पनी को ठेका दिया गया। वैपकोस कम्पनी ने अभी तक फाइनल लेखन नहीं किया, लेकिन उसका 90 फीसदी भुगतान हो गया। इस विषय की भी जांच करें, लेकिन इसकी जांच से ज्यादा जरूरी है हमारे लिये चकबन्दी का काम कम्प्लीट हो। सिद्धमुख नहर नोहर फीडर के राजगढ़ तहसील के और आपके सिद्धमुख के और भादरा और नोहर के क्षेत्र के हैं उनके चकबन्दी का काम पूरा कराया जाये।

(श्री बलवान पूनियां)

मैं सुझाव देना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि अभी थोड़े दिन पहले फसलें खराब हुईं और सारी फसलों के खराब होने के बाद सरकार ने आदेश किया कि स्पेशल गिरदावरी करो। पटवारी इस आलस में गिरदावरी सही नहीं करते कि उनको अगर 33 परसेंट नुकसान दिखा दिया तो मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजे की कार्यवाही में जब उनका मुआवजे का आर्डर हो जायेगा तो फिर बंटवायेंगे कैसे? 6 महीने की माथाफोड़ी के डर से वे फसलों में 20 परसेंट, 25 परसेंट, 30 परसेंट का नुकसान फालतू लिखते नहीं। जिसका दोहरा नुकसान होता है, बीमा कम्पनी आजकल इस बात पर अड़ने लग गई कि साहब, क्रोप कटिंग तो मानते नहीं, देखो आपके राजस्व विभाग ने भी नुकसान नहीं दिखा रखा इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पटवारियों को पाबन्द करो। तहसीलें आपकी ऑनलाइन हो रही हैं नुकसान भी ऑनलाइन करके छोड़ दीजिए। आप मुआवजा दोगे तो ऑनलाइन अवार्ड कर दीजिए, वह अपने आप मुआवजा उठायेगा, लेकिन पटवारियों की आलस की वजह से किसानों को अपूरणीय क्षति हो जाती है।

मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि कब्रिस्तानों की भूमि है नहीं, वन विभाग घुस गया। मैंने पहले भी यह बात रखी है। 1982 में गंगानगर के कलेक्टर ने एक आदेश किया कि तीन दिन में आप बताओ कि वन विभाग कहां अलाट करना है। पटवारियों ने गांव के नजदीक वन विभाग अलाट कर दिया। 1982 से लेकर आज 40 साल बाद यह स्थिति आ गई कि न तो कब्रिस्तान की जगह है और न ही कोई श्मशान भूमि की जगह बची। इसलिए राजस्व और वन विभाग दोनों संयुक्त रूप से बैठकर लोगों की इस समस्या का समाधान करें। इतनी लंबी-लंबी शूल वाली कीकर गांव के पास आ गईं, सभापति महोदय, लोग बसे भी कहां? लोगों के कब्रिस्तान भी कहां बने? मेरा रामगढ़ बड़ा गांव है, वहां कब्रिस्तान की दिक्कत है। डाबडी, मूसरी गांव में कब्रिस्तान की दिक्कत है। लोगों की आखिरी से आखिरी चीज भी हम पूरी नहीं कर पाते, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्व और वन विभाग दोनों बैठकर हमें कम से कम जगह तो दिलवाएं।

सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में मैं कहना चाहता हूं कि जब आदमी पैदा होता है तो उसकी कोई जाति नहीं होती। जाति समाज के बंधनों से, जमीन के रिश्तों से बनी। मैं बात करूं गंगानगर, हनुमानगढ़ की, तो आप हनुमानगढ कलेक्टर भी रहे, आपने देखा होगा कि

(श्री बलवान पूनियां)

जहां सिंचाई पानी आ गया, वहां जातिवाद आटोमैटिक खतम हो गया। बंटाईदार का जमींदार का रिलेशन इतना जोरदार है कि उसके बीच में न तो छुआछूत है और न ही कोई जातीय भेदभाव है, ऐसी स्थिति वहां बची ही नहीं। राजस्थान में ऐसे हिस्से आज भी हैं, सरदारशहर में किसी ने घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। पाली के उस गांव में गया था मैं, जहां जितेन्द्र मेघवाल का कत्ल हुआ। 250 घर ऐसे थे जो भूमिहीन हैं। पाली जिले में बहुत सारी जमीनें ऐसी पड़ी हैं जो जमीन आज भी सिवायचक हैं। भूमिहीन किसान किसी जाति का हो, उसके लिये सबसे बड़ा दंश है, वे आज भी उस गांव में पीड़ित इस बात से हैं कि जिसकी जमीन पर बंटाई करते हैं, वह जमीन का मालिक उनके साथ दादागीरी करता है, यह मैं मेरी आंख से देख कर आया हूं। मैंने वहां के कलेक्टर को भी चिट्ठी लिखी और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी कि आपके पास हजारों, लाखों हैक्टेयर जमीन पड़ी है, आप उन गरीबों में जमीन बांटिये। रिश्ते जाति से, जमीन से बने हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि यह जातीय भेदभाव खतम हो। हम आये दिन भाषण देते हैं और मंत्री जी शाम को जवाब दे देते हैं, अब एक साल बाद ही चर्चा होगी। सभापति महोदय, इस बात के लिये रोडमैप हमारे पास हो। जालौर में मटकी की बात को लेकर घटना हो गई, बच्चे को पीट दिया गया। लोगों ने कहा कि मटकी का कांड नहीं हुआ। चलो, छोड़ो, आपकी बात सही है, मटकी कांड नहीं हुआ, लेकिन आप सिरोही में जाइए, आप जाइए पाली में, आप जाइए जोधपुर के उस क्षेत्र में जहां आज भी मिड डे मील में आपको कोई एस सी की महिला भोजन बनाने वाली नहीं मिलेगी।

सभापति महोदय, आपको मटकी की कहां प्रमाण की जरूरत है? आज भी स्कूलों में बैठकें अलग-अलग हैं, आज भी टीचरों की अलग-अलग टूंटियां लगी हुई हैं। आप एक स्कूल की बात मत कीजिए, आप पूरे क्षेत्र में घूम कर आइए। मैं सन् 2001 में जोधपुर के गांव में गया था जब एस एफ आई का प्रशिक्षण शिविर था। वहां इतना जातिवाद था, आज अगर 2023 में भी यह स्थिति कायम है तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। आप पालनहार योजना चला लीजिए, आप अनुप्रति योजना चला लीजिए, लेकिन एक आई पी एस बने हुए दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने के लिये अगर पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा तो सभापति महोदय, यह समाज किधर जा रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाये हुए संविधान में असमानता खतम करने की बात कर

(श्री बलवान पूनियां)

रहे हैं। आप समाजवादी मॉडल की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज में जिस तरीके से आज भी जातीय वैमनस्य, जातीय भेदभाव, जिस तरीके का सामंतवाद कायम है, यह हमारे मुंह पर कालिख है। चाहे उदयपुर की घटना हो, चाहे भरतपुर की घटना हो। उदयपुर की घटना भी इतनी निंदनीय कि एक आदमी को कैसे कोई कत्ल कर सकता है और भरतपुर में कैसे कोई लोगों को जिंदा जला सकता है? ये इतनी बड़ी घटनाएं हैं जो आपकी हजार उपलब्धियों को एक सैकण्ड में नीचे लाकर छोड़ देती हैं। आप दुनिया के पैमाने पर काउंट किये जाते हो कि आपका समाज घृणित है, आपके समाज में ऊंच नीच है, आपके समाज में भेदभाव है, आपके समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव है, आपके समाज में दलित के प्रति भेदभाव है। ये चीजें हमें पीछे ले जाती हैं। जब हम दुनिया के डेस्क पर आये और हम कहते हैं कि हम दुनिया के महान गुरू बनेंगे, दुनिया में विश्व गुरू बन जायेंगे। आज की स्थिति में हम विश्व गुरू बनना तो दूर की बात, हम तो हमारे पुरखों के उस नारे को झुठला रहे हैं जो वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करते थे। हम तो उन नारों को पीछे छोड़ रहे हैं।

सभापति महोदय, इतना डरा हुआ, सहमा हुआ समाज कैसे हो सकता है? आप सदन में ही देख लीजिए, आज जिस मुद्दे पर डिबेट है, यह तो आपने राजस्व की साथ में रख ली, नहीं तो पांचवां बजट सत्र चल रहा है, इस मुद्दे पर डिबेट होती है तो हमारे ही बहुत से लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनमें आज भी लगाव नहीं है इस बात का। सभापति महोदय, यह हमारी आत्म आलोचना है, किसी एक दूसरे दल को नीचा दिखाने की बात नहीं है। आप संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों की वजह से ही यहां विराज रहे हैं, नहीं तो आपको भी यहां कोई नहीं विराजने देता। अगर राजाओं का राज होता तो आप यहां नहीं होते, हम यहां नहीं होते। इसको तेजी से बराबरी पर लाने के लिये रोडमैप तैयार करना होगा। आप योजना में हजार करोड़ लगा दीजिए, आपने आज तक टी एस पी क्षेत्र में काम किया है, इतने रुपये अगर आप नकद दे देते तो वह लोग चांदी के हो जाते, लेकिन कहां हैं? आज भी दलितों में यह स्थिति है, अनुसूचित जाति में यह स्थिति है 26-26 किलो की महिलाएं हैं। आज भी बच्चे कुपोषित हैं। सभापति महोदय, आज भी आदिवासी क्षेत्र में, वन क्षेत्र में बच्चों की मृत्यु दर वह है जो आप सोच नहीं सकते। अकेले राजस्थान की नहीं, पूरे के पूरे वनवासी क्षेत्र में, पूरे के पूरे आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की

(श्री बलवान पूनियां)

मृत्यु दर है। आज भी वह मनुष्य कुपोषण का शिकार है। हम कह रहे हैं कि निरोगी राजस्थान का सपना ला रखा है हमने। हमने यह कह रखा कि हम राजस्थान को निरोगी कर देंगे, लेकिन निरोग के साथ-साथ जब तक हम राजस्थान में समानता नहीं लायेंगे, सभापति महोदय, मैं मेरी बात दोहराना चाहूंगा, एक गाड़ी में चार टायर हैं, एक टायर की हवा कम हो जायेगी तो गाड़ी खिंचने लग जायेगी और दो टायरों में हवा कम हो जायेगी तो गाड़ी एक्सीडेंट कर देगी और आपके जीवन को खतम कर देगी। आज भी समाज में असमानता का भेद है। इस असमानता के भेद को पाटने के काम के लिये आया था आरक्षण। लोग उस आरक्षण की मुखालफत करते हैं। मैं कहता हूं कि समाज में अगर बराबरी चाहते हैं तो आरक्षण को फिर आगे कीजिए आप। अभी आप देख रहे हैं देश में हो क्या रहा है? आई ए एस सीधे भर्ती हो रहे हैं। सभापति महोदय, जिस आरक्षण का मीठा बेर आपने तोड़कर खाया था, वह आपके बच्चों के हाथ से छीना जा रहा है। सीधे आई ए एस भर्ती हो रहे हैं जो आपके, हमारे और संविधान के लिये खतरा है।

सभापति महोदय, ये बातें राजनीतिक विरोध की नहीं हैं, यह हकीकत है। आप सरकारी नौकरी नहीं निकालेंगे, प्राइवेट नौकरियां निकालेंगे, उसमें आरक्षण बचा ही नहीं है। अखबारों में बड़े-बड़े लेख लिखते हैं, वाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सारे दिन लोग यह कहते हैं कि देखो आरक्षण वाले लोगों ने क्या कर दिया। सभापति महोदय, जिन आरक्षण के लोगों को भी बराबरी का दर्जा मिला तो उन लोगों ने भी अच्छा करने का प्रयास किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात हो, भेदभाव खतम हो, असमानता दूर हो, अस्पृश्यता दूर हो और संविधान में प्रदत्त हमारे अधिकारों का हम ढंग से पालन करें, सरकार इस बात पर खर्चा करे।

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा में क्या स्थिति है? आपने 12वीं तक के खूब स्कूल क्रमोन्नत किये। उच्च शिक्षा में अब क्या स्थिति है, एस टी, एस सी की क्या स्थिति है? आप एस टी सी, बीएड के कालेज में जाइए, आप एम ए, पीएचडी, मैट में जाइए, आप जहां भी जाओ, कितने एस सी, एस टी के विद्यार्थी स्कालरशिप ले पा रहे हैं? है ही नहीं। आज रिजल्ट उठाकर देखिए, उच्च शिक्षा से गायब होते जा रहे हैं। एक साथी ने आज इधर से भी एक जोरदार बात कही है, आपके कितने बच्चे डाक्टर बन रहे हैं? सभापति महोदय, इन बातों पर गौर करने की जरूरत है, खाली अपने भाषणों से काम

(श्री बलवान पूनियां)

नहीं चलने वाला है। सभापति महोदय, हमें समाज में बराबर लाकर खड़ा करना है, असमानता की खाई को पाटना है तो इन दबे-कुचले लोगों के लिये विशेष पैकेज की जरूरत है और पैकेज के साथ-साथ माहौल बनाने की जरूरत है। सभापति महोदय, अगर घर में माहौल अच्छा नहीं है तो कितना ही अच्छा भोजन बनाओ, वह कोई खा नहीं सकता। सभापति महोदय, माहौल अच्छा नहीं है, समाज में कटुता, वैमनस्य बढ़ रहा है। एक दूसरे को देखकर लोग नफरत करने लगे हैं। सभापति महोदय, यह हमारे हिन्दुस्तान की संस्कृति नहीं थी।

सभापति महोदय, आज आंगनबाड़ी में महिलाएं काम करती हैं, हम आज समानता की बात कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में महिलाएं काम करती हैं, हम उनसे कितना काम लेते हैं, कितने सरकारी काम करवाते हैं? सभापति महोदय, देते क्या हैं? अभी 1-2 साल बाद किसी का रिटायरमेंट है, आज उसको आठ हजार रुपये देते हैं। सभापति महोदय, आठ हजार रुपये में कोई एम एल ए एक दिन काम चला ले तो आप और हम देख लें। कम से कम 25,000 रुपये तो दो, उसके भी परिवार है, हम सारे दिन उससे सरकारी काम करवाते हैं।

सभापति महोदय, मिड-डे-मील की बात मैं करना चाहूंगा। मिङडे-मील में चार घंटे काम करती है तो उन बच्चों को खाना खिलाती है वह महिला।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 1,700 रुपये। एक मिनट। 1,700 रुपये में कोई मिड-डे-मील में काम करेगा इस बात के लिये कि तू डेढ़ सौ बच्चों का भोजन बनायेगी और तेरा पेट भर लेना? 1,700 रुपये में कोई काम हो सकता है? मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप मिङडे-मील पर घोषणा करें। मैं कल शिक्षा पर बोल रहा था तो बताया था कि मिड-डे-मील इतनी बड़ी योजना है। आप बच्चों को तो छह दिन में तंदुरुस्त करना चाहते हैं। उन बच्चों को दूध में शक्कर डालकर जो महिला देगी, उसको मरते हुए देखना चाहते हैं? सभापति महोदय, ये हमारी बातें हैं, जो कि हम आपके बीच में करना चाहते हैं। 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क चिरंजीवी योजना', गरीब की चिन्ता मिटाने का काम तो किया है, इसमें कोई दोराय नहीं है। सभापति महोदय, किसी गरीब को आज इस बात की चिन्ता नहीं है कि तू बीमार हो गया है, तेरा इलाज कैसे होगा, लेकिन बीमार को ठीक करने के बाद फिर हम चाहते हैं कि वह हमारे बराबर आकर खड़ा हो, यह हमारे संविधान का असली लक्ष्य था।

सभापति महोदय, मैं बहुत सारी बातें करना चाहता था। मेरे विधान

(श्री बलवान पूनियां)

सभा क्षेत्र में धानक जाति के लोग हैं, धानका जाति का उनका पहले प्रमाण-पत्र बना हुआ है निठारणा गांव में। बड़ी संख्या में धानका जाति के लोग बसते हैं, लेकिन अब उनका एस टी का प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहा है। बाप का जारी हुआ है, बेटे का जारी नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, धानक जाति को धानका जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाये और उनको एस टी में शामिल किया जाये। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाये। वाल्मीकि समाज को ही सफाई में काम दिया जाये, दूसरे लोग उसमें अतिक्रमण नहीं करें। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं लास्ट में राजस्व मंत्री जी से अपील करूंगा कि सारे राजस्व के काम, अदालतें बंद पड़ी हैं। कोई किसी का हक बेच रहा है, कोई किसी का हक खा रहा है। राजस्थान सरकार से इल्तिजा करके वकीलों की हड़ताल खतम करें, उनको प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके आप काम शुरू करवायें, ताकि कोई किसी की सम्पत्ति न छीन ले। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 16 - राजस्व, मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय व अधिकारिता पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, गांवों में एक कहावत है कि दादा का मुकदमा पोता लड़ता है। ये हालात हमारे राजस्व डिपार्टमेंट के हैं कि दादा कोई मुकदमा शुरू करता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाते-जाते पोता उस मुकदमे को लड़ता है। क्यों नहीं, ऐसी व्यवस्था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में की जाये, तहसीलदार, एस डी एम, आर ए ए, रेवेन्यू बोर्ड, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में समयबद्ध तरीके से इन मुकदमों का निस्तारण किया जाये तो निश्चित रूप से आम आदमी को, ग्रामीण लोगों को, किसान लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ए सी एम से लेकर रेवेन्यू बोर्ड तक, कई सालों तक मुकदमे चलते रहते हैं। किसी की जमीन को कोई जोत रहा है, किसी की कोई खा रहा है। एक बड़ा परिवर्तन राजस्व विभाग को इसमें लाना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में हर जगह पर सरकारी भूमि है। सिवायचक भूमि है, लेकिन धीरे-धीरे वह भूमि कम होती जा रही है। जो भी सरकार आ रही है, उस भूमि की बन्दरबांट कर रही है। बड़े-बड़े ट्रस्टों को जमीन दी जा रही है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जमीन दी जा रही है। बड़े-बड़े

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

सेठों को जमीन दी जा रही है और हमारे गांवों में सरकारी भूमि, न स्कूलों के लिए जमीन बची है और न ही सरकारी भवनों के लिए जमीन बची है। सभापति महोदय, करोड़ों रुपये की कीमत की जमीन है। एक रुपये की टोकन मनी पर या डी एल सी रेट पर दी जा रही है और प्राइवेट ट्रस्टों को किस आधार पर दी जा रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो जनता को एक रुपये का फायदा नहीं देना चाहते, जो इंस्टीट्यूट किसान और मजदूर के बेटों की सौ रुपये की फीस कम नहीं करना चाहते और वे डी एल सी रेट पर जमीन लेकर बैठे हैं। सभापति महोदय, इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने ग्राम धोड़ीकोठी में डाक्टर विजय अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट, लखनऊ को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 13 हैक्टेयर भूमि दी। 13 हैक्टेयर भूमि मात्र साढ़े छह लाख रुपये बीघा के हिसाब से दी। नेशनल हाईवे पर साढ़े छह लाख रुपये बीघा के हिसाब से जमीन दी है, जबकि उस जमीन का आज भाव कम से कम 50 लाख रुपये बीघा का होगा। सभापति महोदय, इनका जो अलाटमेंट लैटर है, वह मेरे सामने है। इस अलाटमेंट लैटर में यह शर्त थी कि जो भी जमीन हम अलाट करायेंगे, उसकी दो साल की अवधि के अन्दर इसमें हम निर्माण करेंगे। ट्रस्ट वालों ने जमीन ली, डी एल सी रेट का पैसा जमा कराया और लखनऊ जाकर बैठ गये। 2017 में जमीन अलाट हुई। आज तक उन्होंने उस जमीन पर कोई कब्जा नहीं लिया है। मैं पिछले डेढ़ साल से ध्यानाकर्षण लगा रहा हूं, उसका जवाब भी नहीं आ रहा है। राजस्व मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। मैंने क्वेश्चन लगाया है, उसका आज तक जवाब भी नहीं आया है। अगर इसने जमीन ली तो शर्तों के तहत पालना की या नहीं की और नहीं की तो आपने क्या कार्यवाही की? सभापति महोदय, जमीन पर वहां आज कुछ भी नहीं है। खाली पड़ी हुई है। एक एफिडेविट इसी ट्रस्ट ने 10.09.2018 को, आपकी यह जमीन 08.05.2017 को अलाट हुई। यह ट्रस्ट श्री अजय राज अग्रवाल के नाम से है। 10.09.2018 को इन्होंने एफिडेविट दिया और एफिडेविट के कालम नम्बर 4 में उन्होंने यह घोषणा की कि विश्वविद्यालय का भवन निर्माण प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने बाकायदा यह एफिडेविट दिया है और जमीन पर कुछ हुआ नहीं है। राजस्व मंत्री महोदय, मैं मांग करूंगा कि पिछले डेढ़ साल से आपका विभाग मुझे इसकी जानकारी भी नहीं दे रहा है।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

आपके अलाटमेंट लैटर में जो शर्त है कि आबंटित भूमि का उपयोग, यह एक नम्बर की शर्त है। आबंटित भूमि का उपयोग दो वर्ष की काल-अवधि में कराया जाना अनिवार्य होगा। दो वर्ष की बजाय, 2017 से 2023 आ चुका है। क्या कार्यवाही की, इससे मुझे अवगत नहीं करा रहे हैं। मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे ध्यानाकर्षण का जवाब नहीं दे रहे हैं। राजस्व मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप यहां विराजे हैं, सारे अधिकारी भी मौजूद हैं, मुझे आज आपके उत्तर में इस बात की जानकारी दी जाये कि इतनी बड़ी जमीन, 52 बीघा बेशकीमती जमीन किस आधार पर उस ट्रस्ट को दी गयी? दी तो उसने शर्तों की पालना की या नहीं की? नहीं की तो राजस्थान सरकार ने और सम्बन्धित अधिकारियों ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की? इसकी जानकारी मुझे जरूर देने की कृपा करें क्योंकि हमारे क्षेत्र में जमीनें बहुत महंगी हैं। जयपुर-दिल्ली के बीच की जगह है। पानी की जमीन है। वैसे भी हमारे वहां पर सिवायचक जमीन नहीं बची है। इतनी बेशकीमती जमीन को जिस तरीके से इस ट्रस्ट को दिया गया, वह बहुत ही गलत है। मैं आपसे जरूर अपेक्षा करूंगा कि आप इस बात का उत्तर जरूर अपने जवाब में देंगे।

सभापति महोदय, हम लोग सड़कें बनाते हैं। गांवों में अच्छी-अच्छी सड़कें बनाते हैं। राजस्व विभाग में बहुत सुधार की आवश्यकता है। आज तक सड़कों का राजस्व रिकार्ड मेंटेन ही नहीं है। मुझे अचम्भा हुआ, हमने पिछले साल एक सड़क बनायी। हमारे विराटनगर कस्बे से लेकर जयपुर को जोड़ने के लिए मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर। एक किसान ने बीच में लाकर भैंस का खूंटा गाढ़ दिया, रोड के बीच में और रोड बंद कर दी, एम डी आर रोड। उस चौराहे से तीन एम डी आर रोड क्रोस होती हैं। हमने पता कराया तो पता चला कि वह जमीन तो अभी किसान के नाम ही बोल रही है। आज तक हमारी रोड अधूरी पड़ी है। आप अधिकारियों को ऐसे निर्देश जारी करें कि जितने रोड, कम से कम सरकार रोड बना रही है, सरकार पैसा दे रही है, उन रोड्स का राजस्व रिकार्ड मेंटेन ही नहीं है। रोज झगड़े होते हैं। रोज एस डी एम और तहसीलदार उनको देखकर खड़े रहते हैं। जो रास्ते चालू हैं, जिनको सरकार बना चुकी और पैसा लगा चुकी। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि एम डी आर और स्टेट हाईवे रोड भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। मैं आपसे मांग करूंगा कि आप ऐसे निर्देश विभाग को दें ताकि समय रहते राजस्व रिकार्ड में उनका अंकन हो।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रीज नहीं हैं। पिछले दो बार में मैं रीको अलाट करा चुका हूं, लेकिन हमारे क्षेत्र में सिवाय चक जमीन नहीं है, गोचर भूमि है। गोचर भूमि पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया कि गोचर भूमि की आप किस्म नहीं बदल सकते हैं। सरकारी भवनों को उपयोग में ले सकते हैं। रीको भी एक सरकारी संस्था है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस बात की पैरवी करे कि गोचर भूमि में रीको को अलाउ किया जाये, ताकि हमारे क्षेत्र में औद्योगिक संस्थान आएं, हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिले।

सभापति महोदय, सामाजिक न्याय की अवधारणा को निश्चित रूप से हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। जिस तरीके से ओ पी एस हमारे कर्मचारियों को दी गयी है। कर्मचारियों के साथ में एक न्याय किया गया कि साठ साल तक कर्मचारी सम्मान के साथ जीवन जीता है। पूरा परिवार उसका सम्मान करता है और रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन मिलती है तो उसका पोता भी उसका ध्यान रखता है, उसका भतीजा भी उसका ध्यान रखता है, बेटे-बहू भी उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि महीने भर में दादा की पेंशन आने वाली है। जिस तरीके से हमारी सरकार ने ओ पी एस लागू की, निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है। एक बात मैं जरूर हमारे विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि अभी पिछले 10-15 दिन पहले हमारे केन्द्र की वित्त मंत्री महोदया जयपुर में आयी थीं। ओ पी एस के बारे में उन्होंने बयान दिया तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना स्टैंड क्लियर करें कि वे ओ पी एस के पक्ष में हैं या विपक्ष में है? यह बताने का काम जरूर करें।

सभापति महोदय, सामाजिक न्याय के हिसाब से हमारी सरकार ने पिछले बजट में यह घोषणा की कि जो अनाथ बच्चे हैं, जिनको पालनहार योजना का लाभ मिलता है। गांव में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनमें बच्चे अनाथ हो जाते हैं, प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपये देंगे। मैं पिछले दो साल से इस बात पर बोल रहा हूं कि उसमें सुधार की एक गुंजाइश है। गांव में कई स्थितियां मैंने देखी हैं। जिनकी मां जीवित है, जो विकलांग है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है।(समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं निवेदन करना चाहूंगा, गंभीर बीमारी से पीड़ित और विकलांग जिसकी मां है, उन बच्चों को भी उस 2500 रुपये वाली स्कीम में शामिल किया जाए, ताकि उन बच्चों के साथ न्याय हो सके।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे इसी बजट में, आदरणीय सचिन पायलट साहब ने भी पत्र लिखा उनको

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

कि एमबीसी जो एक बड़ा वर्ग है राजस्थान में, हम चाहते थे कि जयपुर के प्रताप नगर और मानसरोवर में उनके हॉस्टल बने, ताकि हमारे बच्चों को भी यहां पढ़ने का मौका मिले। जो प्रताप नगर और मानसरोवर में हॉस्टल की घोषणा की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। देवनारायण योजना जो एम बी सी वर्ग के लिए लागू की गयी, लेकिन इस बार कोई बहुत अच्छा बजट देवनारायण योजना के तहत हम लोगों को नहीं मिला। मैं मांग करना चाहूंगा कि देवनारायण योजना के तहत बजट बढ़ाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम छितोली में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की मैं मांग करता हूं, ताकि वहां की बच्चियों को उसमें पढ़ने का मौका मिले।

सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जो हमारे राजस्थान की शान है, सैकड़ों हॉस्टल राजस्थान विश्वविद्यालय में बने हुए हैं। मैं मांग करना चाहूंगा कि एम बी सी का एक छात्रावास राजस्थान विश्वविद्यालय में बनाया जाए, ताकि ग्रामीण परिवेश से जो छात्र-छात्राएं आते हैं, एक गर्ल्स का, एक बॉय्ज का, उनको वहां पढ़ने का मौका मिले। मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में डाक्टर भीमराव अम्बेडर छात्रावास मैं एक बनाने की मांग करता हूं कि वहां बनाया जावे।

सभापति महोदय, हमारे काफी साथियों ने इस बात को रखा कि हमारे जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है, निश्चित रूप से सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर पूरा अधिकार वाल्मीकि समाज का है। वाल्मीकि समाज हम लोगों को स्वच्छ रखने के लिए खुद गंदगी में खड़े होते हैं। पूरी सफाई करते हैं और जब सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है तो सभी लोग उसमें आ जाते हैं। लाटरी का सिस्टम है। जब वह नौकरी लगते हैं तो जस्ट बाद में ट्रांसफर के लिए हम लोगों के पास में आते हैं कि साहब, सफाई करते हुए मुझे शर्म आती है। मुझको आफिस में लगवा दो। आप जांच करवा लीजिए, 90 प्रतिशत जो अदर कास्ट के लोग हैं, वे आफिसेज में बैठे हुए हैं। यू डी एच मिनिस्टर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, आप इस बात की जांच करवा लीजिए कि जितने सफाई कर्मचारी हैं, 90 प्रतिशत अदर कास्ट के जो भरते हैं, वाल्मीकि समाज के अलावा भर्ती है, वह आफिस में नौकरी कर रहा है। कोई बाबू का काम कर रहा है, कोई स्टेनो का काम कर रहा है क्योंकि सफाई करने में उनको शर्म आती है। वह जाना ही नहीं चाहते हैं। ये गाइडलाइन होनी चाहिए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, इजाजत है आपकी?

श्री सभापति: बोलिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वर्ष 2012-13 में जब सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई तो उसमें एक इंटरव्यू का प्रोविजन रखा गया था। एप्लाई सबने किया था, लेकिन इंटरव्यू में जो सफाई मजदूर का परिवार है, वह तो झाड़ू उठाने में एतराज नहीं करता और झाड़ू निकालता भी वही है। उसका इंटरव्यू लिया गया और जो 100 प्रतिशत भर्ती हुई, वह सफाई मजदूरों की हुई, क्योंकि दूसरी जातियों के लोगों ने झाड़ू नहीं उठाया और काम नहीं किया। क्या आप उसको अप्रूव करते हो?

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): बिलकुल, मंत्री महोदय, आप बड़े संवेदनशील हैं इस मामले में।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): निश्चित रूप से उस पर अधिकार वाल्मीकि समाज का होना चाहिए। कितनी गंदगी को साफ करते हैं, सीवरेज लाइन में भी घुसते हैं। सुबह-सुबह गांव में झाड़ू लगाते हैं तो उनको इस बात का अधिकार मिलना चाहिए। उनका प्रमोशन भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि एक समय के बाद उनको आप नगरपालिकाओं में प्रमोशन दीजिए। जो पढ़े-लिखे नौजवान बच्चे हैं, उनको एल डी सी बनाइए, यू डी सी बनाइए और ई ओ तक उनकी भर्ती कीजिए।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): उनको भी मौका मिलना चाहिए। आज वे सफाई करते हैं, इसलिए हम सफाई में जी रहे हैं। अगर रोज गंदगी की सफाई नहीं करेंगे तो हम कहां से जियेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्री कैलाशचन्द्र।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): सभापति महोदय जी, मांग संख्या 16 - राजस्व और 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले में हमारा सबसे बड़ा माही डैम बना हुआ है। जब ये माही डैम बना, उसके अंदर हमारे सबसे ज्यादा गरीब आदिवासी किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में गयी। इसके बाद वहां पर इन किसानों को जमीन अभी तक आबंटित नहीं हुई। वहां पर जो खान्दू कालोनी बसी हुई थी, उस खान्दू कालोनी को बांसवाड़ा के पास लाकर वहां मकान बनाये गये। लोगों को मकान बनाकर स्थापित किया गया, लेकिन वहां का जो कृषक था, गरीब आदमी था, उसको एक जगह पर भूमि आबंटित नहीं करके, पेपर आबंटन किया गया। पूरे जिले में अलग-अलग जाकर दस-बारह-पन्द्रह आदमियों को जमीन आबंटित की। वहां पर लोग पहले से बसे हुए हैं। घर बनाकर, अपना कुआं, बावड़ी बनाकर खेती करते आ रहे हैं। कडाना माही विस्थापितों को आज दिन तक जमीन नहीं मिली। वे कोर्ट के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी स्थिति हमारे यहां पर यह आ चुकी है कि वहां पर उस समय वर्तमान कांग्रेस की सरकार थी और सरकार ने जो बाजार था, जो शहरी लोग थे, इनको तो कालोनी बनाकर बसा दिया और गरीब जो किसान थे, उनको एक जगह पर जमीन नहीं देने से आज दिन तक वे ठोकरें खा रहे हैं। एक गांव में पांच पांच किसानों को स्थापित किया, वहां पर आज भी लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग और विस्थापितों के बीच में प्रत्येक फसल बुवाई के समय लड़ाई-झगड़े होते हैं, इनके मुकदमे दर्ज होते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो पेपर आबंटन हुआ है, पहले से वहां लोग बैठे हुए थे, उसको निरस्त करके जिले में कहीं भी एक स्थान पर इन वंचित लोगों को भूमि आबंटित की जाए, ताकि इन लोगों को सही जमीन मिले। वह आज मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार ने पिछले समय 'प्रशासन गांवों के संग' जो अभियान चलाया, उसके अंदर बड़े-बड़े वादे कर दिये कि हम आबंटन भी करेंगे, विभिन्न प्रकार के खातेदारी हक भी दिये जाएंगे, पत्थरगढ़ी भी की जाएगी। मौके पर अधिकारियों ने आज दिन तक न पत्थरगढ़ी की, न वहां पर कोई आबंटन जैसा काम किया, न कोई सरकारी बिल्डिंग्स के लिए आबंटन का काम किया। किसानों को खातेदारी हक भी नहीं दिये गये। आज भी वह पट्टे जारी नहीं हुए हैं। वह अधिकारियों के पास में है। पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार ने अपने पास इसलिए रख रखे हैं कि किसान

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

आकर हमें कुछ देगा, तब उसका काम करेंगे। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, तहसीलदार वहां सुनने के लिए तैयार नहीं है। टी एस पी क्षेत्र के अंदर एक इंच जमीन आबंटित नहीं हुई। किसी आदमी को पट्टा नहीं दिया गया। किसी की पत्थरगढ़ी नहीं की गयी, किसी का सीमांकन नहीं किया गया। अधिकारियों ने कह दिया कि यहां पर तो माही विस्थापित है, कडाणा विस्थापित है, इसलिए हम यहां पर किसी तरह की भूमि आबंटित नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे बांसवाड़ा जिले में अभी दो महीने पहले की घटना है। वहां पर जो संविदाकर्मी काम कर रहे हैं, उन्होंने विधवा, वृद्धावस्था पेंशन के नाम से लाखों रुपये का घोटाला करके लोगों के नाम से फर्जी पेंशन उठाकर, सबने फर्जी खाते डालकर पेंशन की राशि हड़प ली। जब इसकी जानकारी आयी तो अधिकारियों ने लीपापोती करके किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। वह संविदाकर्मी जो कम्प्यूटर आपरेटर रहा, उसके खिलाफ भी कार्यवाही नहीं हुई। अधिकारियों के खिलाफ भी आज दिन तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। 30 से 40 लाख रुपये का गबन किया गया। पैसा उठाया गया और लोग पेंशन के लिए आज भी भटक रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन सबके खिलाफ कार्यवाही की जाए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, ताकि दूसरे कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं करे।

माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि हमारे टी एस पी क्षेत्र में जितने भी समाज कल्याण के छात्रावास हैं, वहां पर वार्डन मौके पर रहते नहीं हैं। वार्डन नहीं रहने के कारण से सरकार की तरफ से मापदंड के अनुसार जो राशि आती है, उसका भारी दुरुपयोग किया जाता है। वहां पर खाद्य सामग्री, कपड़े और सभी तरह की सामग्री घटिया खरीद कर छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, टी एस पी क्षेत्र में गोपीनाथ गड़ा, आंजना, पांचवडा, ओडवाडा, पालोदा, चिडियाबासा, कुहाला आदि गांवों में छात्रावास खोलने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र का सर्वे करवाकर आप छात्रावास खोलने का आदेश फरमाएं।

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में एक अंबेडकर आवासीय विद्यालय चल रहा है और वहां पर इतनी अनियमितता पायी जा रही है कि वहां पर घटिया सामान खरीदा जाता है। उस छात्रावास में पूरे राजस्थान की बालिकाएं पढ़ती हैं और वहां पर जो टेंडर प्रक्रिया होती है, उसकी भी फार्मेलिटी करके घटिया सामान खरीदकर बच्चों को पूर्ण रूप से सुविधाएं उन बालिकाओं को नहीं दी जाती हैं और इन बालिकाओं को जो भी आवश्यक चीजें हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह पूर्ण रूप से नहीं दी जा रही हैं।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): वहां पर टेंडर प्रक्रिया में भी अनियमितता अपनाकर घटिया सामान खरीदकर पूर्ण रूप से अच्छी सुविधा, शिक्षा उन बच्चों को नहीं मिल रही है तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि उसकी भी आप जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही करें। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 एवं 31 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में कई ऐसे गांव हैं जो सिवायचक एवं सरकारी भूमि पर लम्बे समय से बसे हुए हैं जिस कारण से ग्राम पंचायतों द्वारा इनमें न तो कोई विकास का कार्य करवाया जा सकता है और न ही इन गांवों के निवासियों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिल पाता है। उदाहरण के तौर पर मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत के कोटड़ीमोड़, बालिथल पंचायत के कूंडिया ढाणी, सांवतगढ़ गांव, गांवडी पंचायत के रघुनाथपुरा, श्योराजपुरा, भीलों की ढाणी, रूपपुरा पंचायत का रामरतनपुरा, बैरवा बस्ती, हैदरीपुरा पंचायत की मीणों की ढाणी, लसाड़िया का टापरा, अमीनपुरा आदि गांव हैं। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के इन गांवों को जो लम्बे समय से सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं अविलम्ब इनको आबादी में शामिल किया जाये, ताकि ग्रामवासियों को विकास की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

इसी तरह से महोदय, बहुत सारे गांव हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बस्तियां हैं पर वे रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर नहीं हुए हैं, उस कारण से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर रानीपुरा पंचायत का धारोला गांव, पायंगा पंचायत का शरीफनगर, लतीफगंज, सांवतगढ़ पंचायत का रतनपुरा, जाल की ढाणी, गांवड़ी पंचायत की दुर्गापुरा की ढाणी, कनवाड़ा पंचायत की शांखली, लुहारी का झोंपड़ा आदि यह बड़े गांव हैं जिन्हें अभी तक राजस्व ग्राम नहीं बनाया गया है। रेवेन्यू मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं तो मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि कलेक्टर साहब को कहकर अतिशीघ्र जो भी आपकी फार्मेलिटीज हैं वे पूरी करें ताकि इन गांववासियों को पूरा लाभ मिल सके।

सर, इसके साथ ही हमारे जो आर.ए.ए. का आफिस है वह टोंक में है। बड़ा जिला है, गांव वालों को धक्के खाने पड़ते हैं तो मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि कम से कम देवली में इसका कैम्प कोर्ट ही करवा दें आर.ए.ए. का एक महीने में दो दिन, तीन दिन, ताकि लोगों को वहां पर ही इसकी सुविधा मिल सके।

सर, एक बहुत बड़ी समस्या गांव वालों के साथ है कि बीसलपुर बांध बना था सन् 1985 में तो बहुत सारे गांवों की जमीनें अवाप्त की गयी थीं और उन गांववासियों को जो कि विस्थापित थे, उनको वहां सरकार ने कुछ कालोनियां बनाकर बसाया था और कुछ गांव भी इनके लिए बसाये थे। सन् 1985 के बाद अब इस परियोजना का काम समाप्त हो गया। उसके बाद न तो इन गांवों में सड़क बनी है, न और किसी तरह की सुविधा है, न मकानों की रिपेयर हुई है। पीडब्ल्यू.डी. तो इसलिए नहीं बनाती है कि यह बीसलपुर परियोजना के हैं और बीसलपुर परियोजना वाले यह कहते हैं कि साहब, हमारी तो परियोजना ही समाप्त हो गयी तो यह किसी के नहीं है। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि हजारों लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं तो इसको पीडब्ल्यू.डी. को स्थानांतरित करें, ताकि इनका विकास का कार्य चलता रहे। सर, ये मुख्य गांव हैं, इतने बड़े पंचायत मुख्यालय है ये गांव। रतनपुरा पंचायत मुख्यालय, तितरिया, थली, गोपालपुरा, नयावास आदि इतने बड़े-बड़े गांव हैं जिन पर आज तक सन् 1985 के बाद कोई सड़क का रिपेयर का काम भी नहीं हुआ है तो मैं यह आग्रह करता हूं आपसे कि इस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

मंत्री महोदय, इसी तरह से बीसलपुर परियोजना की कुछ कालोनीज थीं। यह परियोजना पूरी हो गयी और अधिकारी चले गये। वह खाली

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

कालोनीज थीं, एक यह कालोनी है उसमें, बीसलपुर परियोजना वालों ने उनमें इन विस्थापितों को बसा दिया, 60 परिवार हैं, सन् 1985 से वहां पर रह रहे हैं तो इन्होंने इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया तो या तो उनको वहां पर रहने का अधिकार दें या उनको अन्यत्र पट्टे दें। उस कालोनी में उन परिवारों को न तो बिजली उपलब्ध है और न ही किसी तरह की सुविधाएं हैं। न तो स्कूल है, न हास्पिटल है। वह पूरा गांव है, तो मैं यह आग्रह करता हूं कि आप बीसलपुर परियोजना के अधिकारियों को कहें और उनको कम से कम बिजली तो दिलवा दें।

सर, अब मैं सामाजिक न्याय पर आता हूं। मेरे यहां ओबी.सी. की एक बहुत पिछड़ी हुई जाति है। संख्या में बहुत है पर शिक्षा उनकी बिलकुल नहीं है। धाकड़ समाज है। यह ओ.बी.सी. में आते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ वर्ग है। यह इतने पिछड़े हुए हैं कि इनको कहीं न तो नौकरी मिल रही है और न कोई और इनका विकास हो रहा है तो या तो ओ.बी.सी. में इनको अलग से कोई कोटा दें, ताकि इनको इनका हक मिले और यदि वह सम्भव नहीं है तो अति पिछड़ा वर्ग में इनको दे दें, कहीं तो इनके साथ न्याय करें। ये बीच में ऐसे पिस रहे हैं कि लोगों को कोई हक नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इन धाकड़ समाज की जो मांग है इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र में धाकड़ छात्रावास खोलें, ताकि इनके गरीब बच्चे भी पढ़-लिखकर आगे बढ़ सकें।

सर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी अनुसूचित जाति का छात्रावास नहीं है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए एक छात्रावास खोला जाये।

सर, एक और जाति है, अभी मुझे आज ही पता लगा कि मानसरोवर में एक धरना चल रहा है रावणा राजपूतों का। यह एक पिछड़ा हुआ समाज है। मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, आप जाकर उनकी बात सुन तो लो, सर, पूरे राजस्थान के रावणा राजपूत आये हुए हैं। ये अपना हक मांग रहे हैं आपसे। जब भी आपको टाइम मिले, अभी विधान सभा के दौरान या विधान सभा के बाद आप जाकर सुनें कि वे क्यों बैठे हुए हैं और उनका जो भी हक बनता है यह पिछड़ी हुई जाति है, इनके साथ आप न्याय करें।

सर, मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वाल्मीकि विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 50 करोड़

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये का किया है, यह स्वागत योग्य कदम है पर मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि एक वाल्मीकि कल्याण आयोग बनाया जाये। जैसे और समाजों के आयोग बने हैं क्योंकि इनका स्पेसिफिक काम है, ये अत्यंत पिछड़े हुए हैं तो मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वाल्मीकि कल्याण आयोग बनाने का कष्ट करे।

सर, सरकार की दो योजना चल रही है समाज कल्याण विभाग की, एक सम्बल योजना और एक नवजीवन योजना। जब से यह योजना बनी है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इसका एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। यह अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के लिए, इनके विकास के लिए योजना है, तो मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि देवली उपखंड के भीवड़ाबास, धांधोली, गांधीग्राम, हाड़ौती एवं उनियारा उपखंड के अहमदनगर, गोपालपुरा, हनुतिया, कुम्हारिया, महाराज कंवरपुरा, मनोहरपुरा, मौलवीनगर, मोतीपुरा, नजीरपुरा, रघुनाथपुराखुर्द इत्यादि सम्बल गांवों में, यह सम्बल में चयनित गांव हैं तो इनमें कम से कम एक सामुदायिक भवन बनवाने का कष्ट करें।

महोदय, गाड़िया लोहार एक अत्यन्त ही पिछड़ा और कम संख्या के लोग हैं, इनकी बहुत ज्यादा आबादी नहीं है। देवली के लिए तो मैं सरकार का और धारीवाल साहब के विभाग का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इनकी एक कालोनी बसा दी। अलग से इनको प्लाट दिये हैं, पक्के मकान दे दिये, बिजली पानी की व्यवस्था है पर उनियारा शहर में भी गाड़िया लोहार काफी रहते हैं। इनको कोई भूमि आबंटित नहीं की गयी है तो इनको भी आवासीय पट्टे दिये जाएं, ताकि ये भी अपना नियमित जीवनयापन कर सकें।

सर, इसी तरह से हमारे कुछ समाज हैं, कुछ जातियां हैं जो अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय में लिप्त रहती हैं और इन समुदायों के विकास के लिए सरकार ने नवजीवन योजना संचालित की है। इनमें मुख्य रूप से आते हैं- कंजर, सांसी, भाट, भांड, नट, राणा, डोम और मोगिया जाति। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में ये लोग बहुत हैं तो मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि इस नवजीवन योजना में इनके जो गांव हैं, ये बड़े-बड़े गांव हैं, यह पंचायत मुख्यालय, सर, एक तो तहसील मुख्यालय है नासिरदा, तो नासिरदा, राजमहल, पोल्याड़ा, दूणी, आवां, चांदली, सोप, मण्डावरा, चोरू इत्यादि गांवों में इन लोगों के लिए नवजीवन योजना के तहत सामुदायिक भवन बनाये जाएं, ताकि इनके सामाजिक कार्य वहां पर कर सकें।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सर, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो एससी., एस.टी. का रिजर्वेशन राजस्थान में है, यह 2001 की जनगणना पर आधारित है। उसके बाद 2011 में जनगणना हो चुकी है जिसके फिगर्स आपके पास हैं। काफी प्रदेशों ने, ज्यादातर प्रदेशों ने इनको रिवाइज कर दिया 2011 की जनगणना के मुताबिक, तो मैं राजस्थान सरकार से यह आग्रह करता हूं कि एससी. का उसमें 18 परसेंट का रिजर्वेशन का प्रावधान है क्योंकि इनका रिजर्वेशन जितनी इनकी आबादी है उसके अनुपात में ही मिलेगा, इसको आप कम नहीं कर सकते और एस.टी. का 14 परसेंट है, जो नियमानुसार आपको करना चाहिए और इसमें सरकार का दायित्व बनता है कि जो जिसका हक है, उसको दे।

सर, अंत में यह एस.सी., एस.टी. की स्कालरशिप, जिनकी ढाई लाख रुपये सालाना तक इन्कम है वे उसके पात्र होते हैं। एस.सी., एस.टी. के छात्र, जिनके परिजन की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये तक है, परंतु दूसरी तरफ ई.डब्ल्यू.एस. के जो लोग हैं, उनकी आठ लाख रुपये तक छूट है तो मतलब, एस.सी., एस.टी. का तो ढाई लाख रुपये वार्षिक इन्कम होते ही अमीर हो जाता है और ई.डब्ल्यू.एस. वाला आठ लाख रुपये वार्षिक इन्कम वाला गरीब रहता है तो सर, गरीबी में भी भेदभाव क्यों? इसमें तो न्याय करो मंत्री महोदय, आप बैठे हो। संवेदनशील सरकार है। दो-दो, तीन-तीन, चार-चार मंत्री बैठे हुए हैं तो सर, न्याय तो करो। यह छुआछूत गरीबों के साथ मत करो। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि इसको तर्कसंगत बनाये और जो जिसका हक बनता हो, उसको शांतिपूर्वक दें। सर, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

(समय: 18.00 बजे)

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और 31 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जैसे ही राजस्थान के अन्दर वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के साथ ही मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने सामाजिक न्याय को अपना पहला फर्ज समझा और आम आदमी

(श्री रफीक खान)

के लिए काम करने की शुरुआत की 2018 में नींव रखी। जनवरी, 2019 में घोषणा की कि जिस भी आदमी को पेंशन मिलती थी, जिसको 500 रुपया पेंशन मिलती थी, उसको 750 रुपया पेंशन मिलेगी। 750 रुपया जिसको मिलती थी उसको 1000 रुपया मिलेगी और 1000 मिलने वाले को 1500 रुपये मिलेगी। अगर सामाजिक न्याय की शुरुआत हुई तो राजस्थान में 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ हुई। मुझे इस बात की खुशी है यहां यह बताते हुए कि देश के अन्दर सामाजिक न्याय के बारे में जैसे ही सोचना शुरू किया हमारे नेता, जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चन्द्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबू जगजीवन राम, सरोजिनी नायडू, पूरे सफर में जब-जब सामाजिक न्याय की जरूरत पड़ी और समाज के लिए कहीं खड़ा होना पड़ा तो हमारे नेताओं ने खड़े होकर देश में सामाजिक न्याय की स्थापना की और हर समाज के लोगों को सुरक्षा देने की कोशिश की। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सरकार बनने के साथ ही कहा कि मैंने एक सपना देखा है, मैंने उस गरीब आदमी के लिए सपना देखा है, जिस आदमी को राशन नहीं मिलता है, जिस आदमी को अनाज नहीं मिलता। ऐसी स्थितियां थीं 2018 तक। आम आदमी का इलाज होना मुश्किल था। गरीब आदमी अपनी सम्पत्ति बेचने को मजबूर था। अगर घर का कोई आदमी बीमार हो जाये, परिवार का कोई आदमी किसी सीरियस बीमारी से त्रस्त हो जाये तो हमारी सरकार ऐसी योजना लेकर आयी चिरंजीवी योजना। यह योजना न केवल राजस्थान में बल्कि पूरी दुनिया में रोल मॉडल बनी। मुझे यहां बताते हुए खुशी है कि आज इसके बेनिफिशरी 30 लाख से ज्यादा राजस्थान के बाशिन्दे हैं। मैं यह चाहता हूं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता सुन रहे हैं, इतनी जबरदस्त स्कीम है यह, इसके लिए इनको साथ देना चाहिए, हां भरनी चाहिए और केन्द्र सरकार से गुहार करनी चाहिए कि इस स्कीम को पूरे हिन्दुस्तान में लागू करें, ताकि समाज के अन्दर न्याय की स्थापना हो, आम आदमी को बीमारी में इस योजना का फायदा मिल सके। ऐसी स्कीम की जब हमने शुरुआत की तब हम 10 लाख रुपये तक की बीमारी कवर करते थे। आज इस बजट के अन्दर, जो बजट सत्र चल रहा है, उसके अन्दर 25 लाख रुपये तक की घोषणा की गयी है। इसका मतलब यह है कि

(श्री रफीक खान)

आम आदमी को 25 लाख रुपये तक के इलाज के लिए चिन्ता करने का विषय नहीं है। मुझे खुशी है कि समाजवाद के लिए सबसे बड़ी जरूरत है उसको मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने समझा और न केवल सपना देखा बल्कि उसको पूरा किया।

माननीय सभापति महोदय, एक और सपना देखा। कोविड का बड़ा कठिन समय था। मुख्य मंत्री ने ऐलान किया कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोयेगा। एक ऐसी स्कीम लेकर आये। कोविड के समय में जो काम हुआ वह तो हुआ ही, एक स्कीम लेकर आये जहां गरीब आदमी आठ रुपये में अपना पेट भर सकता इन्दिरा रसोई के नाम से। इस स्कीम के तहत पूरे राजस्थान में रसोइयां खोली गयीं और हर क्षेत्र के अन्दर हर आदमी को लाभान्वित करने की कोशिश की गयी। बहुत सी जगह देखा। खास तौर से हास्पिटल्स में, चौखटियों पर, ऐसी जगहों पर आदमी आता है, काम करता है, दिन भर परेशान रहता है और फिर शाम को जाता है तो उसको खाने की जगह नहीं मिलती। ऐसी स्कीम वहीं की वहीं रसोई खोली गयी, ताकि वहीं आराम से बैठ कर आदमी खाना खा सके। मैं खुद खाना खा कर आया हूं। क्वालिटी ऐसी कि आपको यह सोच कर अच्छा लगेगा कि राजस्थान में एक ऐसी जगह है। अभी मैं हाकम भाई के यहां फतेहपुर शादी में जाकर आया। हम सीकर में चाय के लिए रुके। एक दम्पत्ति मिल गया। बोले साहब, हमने तो पहले ऐसी योजना नहीं देखी। एक्सीडेंट हो गया तो अस्पताल में भर्ती। इलाज फ्री हो रहा है। खाना आठ रुपये में मिल रहा है। बोला, हम यह कह सकते हैं कि आज की तारीख में अगर असली महात्मा कहीं है और असली कहीं रूलिंग स्टेट है तो राजस्थान है, जिसमें हर तरह का बेनिफिट आम आदमी को दिया जा रहा है। मैं यह कह सकता हूं।

माननीय सभापति महोदय, रोजगार के नाम पर तो बहुत बड़े हंगामे हुए। दो करोड़ लोगों को रोजगार, धरातल पर कुछ नहीं। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने सपना देखा कि रोजगार कैसे दिया जाये। नरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी शुरू की गयी और शहर के लोगों को भी सौ दिन का रोजगार और इस बजट में सवा सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आज आम आदमी को, गरीब आदमी को शहर में भी रोजगार दिया जा रहा है और आम आदमी को उससे लाभान्वित किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-चार बात और बता देना चाहता हूं।

(श्री रफीक खान)

जब-जब हमें जरूरत पड़ी तो मुख्य मंत्रीजी ने उसको पूरा करने की कोशिश की और एक आह्वान किया, खुला आह्वान किया राजस्थान के बाशिन्दों को, कि तुम मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देता-देता नहीं थकूंगा। इसी तर्ज पर राजस्थान में काम करने की कोशिश की।

यहां पर हमारे मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। कुछ नये इश्यूज के ऊपर जो नये डवलप हो गये हैं, मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज शहरों के अन्दर ज्वलन्त समस्या है। बहुत सारे ईरिक्शा चालक हैं और वह अलग-अलग जगहों से आते हैं। बड़े शहरों के अन्दर मजदूरी करते हैं। राजस्थान के अन्दर किसी शहर से आता है और कोई राजस्थान से बाहर से आता है, पूरी लिस्ट है मेरे पास में। हमारे पास में उनकी सुरक्षा, उनकी गारंटी, उनके न्याय के लिए कोई योजना नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जब भी हम इस बारे में चर्चा करें तो हम ध्यान से देखें कि किस वर्ग को सबसे ज्यादा जरूरत है। कौनसा वर्ग वंचित है और वंचित वर्ग को हम ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की कोशिश करें। हम ई-रिक्शा वालों के लिए भी कोई न कोई प्रणाली विकसित करें। हमारा अधिकारी वहां जाये, पूरा नोट बनाये, उनकी लिस्ट बनाये और बेनिफिट जो राजस्थान की सरकार आम आदमी को दे रही है, वे पूरे के पूरे उनको भी मिलें।

माननीय सभापति महोदय, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सेम उनके साथ भी यही प्रोब्लम है। इसी तरह चौखटी पर जाने वाले मजदूर हैं, उनके साथ भी यही प्रोब्लम है। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन है। जयपुर में बहुत सारी शादियां होती हैं। टेम्परेरी वेजेज पर लोग काम करते हैं। उस वर्ग को भी इन स्कीम्स की बहुत जरूरत है। घरेलू काम करने वाली महिलाओं को भी है। मंत्री महोदय, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, इन कम्यूनिटीज को टारगेट करके अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिये जायें कि इनके लिए कैम्प लगायें, इनका फिगर बनायें, इनका नम्बर बनायें और इनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की जाये। कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए भी।

माननीय सभापति महोदय, पिछले टेन्योर में राजीव गांधी आवास योजना के नाम से हमने आवासीय योजना बनायी और बहुत सारे फ्लैट बनाये। 1,800 फ्लैट मेरी कांस्टीट्यूएंसी में बगराना में भी बने। चूंकि उस स्कीम का नाम राजीव गांधी योजना था, इन्होंने पूरे पांच साल अलाट नहीं किये। पूरे पांच साल फ्लैट बन कर ऐसे ही पड़े रहे। एक फ्लैट अलाट नहीं

(श्री रफीक खान)

किया और जब हम अलाट करने लगे तो कभी सेन्टर से चिट्ठी, कभी चरागाह वालों से चिट्ठी, कभी किसी से चिट्ठी, व्यवधान उत्पन्न किये गये, लेकिन मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने इस मर्म को समझा और आज हम उन 1,800 परिवारों को फ्लैट अलाट करने की स्थिति में हैं और अलाट करेंगे। मुख्य मंत्री के मन में आम आदमी के प्रति पीड़ा है कि हम उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकते हैं, इस बात की हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या है। समाज कल्याण विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग भी इसमें इन्टरवीन करे। जयपुर के अन्दर 8 लाख 80 हजार के लगभग राशन कार्ड हैं। अब 9 लाख को क्रोस कर गये। उसमें से चालू सिर्फ 01 लाख 44 हजार हैं। पूरे राजस्थान में लोएस्ट रेशो है। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम आम आदमी को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, हम आम आदमी को खाद्य सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि जितना परसेंटेज पूरे राजस्थान का एवरेज मिलता है, उतना परसेंटेज जयपुर शहर में जरूर कवर किया जाये। कहीं एक्सेस है तो वहां से विदड्रा किया जाये, लेकिन जयपुर शहर के लोगों को खाद्य सुरक्षा का पूरा बेनिफिट दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, कच्ची बस्ती से रिलेटेड एक बात और करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कच्ची बस्ती है जवाहर नगर कच्ची बस्ती। अभी पट्टों की स्कीम चल रही है। 20 हजार से ज्यादा लोग उस क्षेत्र में रहते हैं। 20 हजार तो वोटर हैं, करीब 50 हजार के करीब आबादी है और टीलों पर बसी हुई है। फोरेस्ट लैण्ड है इसलिए उसमें पट्टे नहीं दिये जा सकते। UDH मंत्रीजी अभी बाहर चले गये, तो कोई न कोई एक सामंजस्य बिठाकर इस जमीन को डी-नोटिफाई कराया जाये और डी-नोटिफाई करवाकर इन लोगों को पट्टा दिलाने की कोशिश की जाये ताकि कच्ची बस्ती में रहने वाला आदमी यह महसूस कर सके कि मुझे भी सुरक्षा दी जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर शहर में बहुत सारे हाथी पालक हैं महावत बिरादरी के लोग हैं। वे लोग बहुत गरीब हैं और ट्यूरिस्ट व शादियों के जरिये उनकी गुजर-बसर होती है। यहां पर उनकी करीब 20 हजार की आबादी है और बहुत कोस्टली हाथी होते हैं। समाज कल्याण विभाग इस पर संज्ञान ले। एक हाथी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। किसी कारणवश गंभीर बीमारी

(श्री रफीक खान)

से हाथी की डैथ हो जाती है तो हमें एक साइजेबल राशि, करीब 40-50 लाख रुपये प्रति हाथी हमें कम्पन्सेट निर्धारित करना चाहिये। यह एक पूरी कम्यूनिटी का सवाल है, उनके रोजगार का सवाल है। इससे 20 हजार आदमियों की रोजी-रोटी चलती है। इस पर हमें संज्ञान लेना चाहिये और इनके लिये हमें कुछ करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, वाल्मीकि समाज का मुद्दा सभी लोगों ने उठाया। इसमें कोई दोराय नहीं कि सफाई का कार्य जयपुर जैसी जगह और अन्य जगह भी वाल्मीकि समाज ही करता है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके लिये 100 करोड़ का बजट भी दे दिया। इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो। यह उन्हीं के विकास में और उनके उत्थान के लिये काम आये जिस तरह की जरूरत है। अभी मेरे साथी विधायक जी ने भी बोला और सभापति महोदय, आपने भी इस बारे में कुछ प्रकाश डाला तो मैं यह कह सकता हूं कि इस मामले के अंदर एक गहन चिंतन की जरूरत है कि जो आदमी सफाई करता है और जिस हालत में रहता है तो उनके लिये इस कोष का, एक कमेटी बनाकर खर्चा किया जाये ताकि उससे उनका डवलपमेंट हो सके। अप्राकृतिक स्थिति में उनके बीमारी लग जाती है और मौत हो जाती है तो उनके परिवारों को इससे फायदा मिल सके। दूसरा, सफाई के लिये जो आदमी पहले नियुक्त हो गये और आगे नियुक्ति दी जाये तो यह मैरिट देखकर दी जाये कि सफाईकर्मी है या नहीं है। वाकई वह सफाई करेगा कि नहीं करेगा, बल्कि वाल्मीकि समाज को इसमें प्रायोरिटी दी जाये।

माननीय सभापति महोदय, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार ने नरेगा में 30 हजार करोड़ रुपये की कटौती कर दी। कोविड जैसे समय में, जब हिन्दुस्तान की इकोनोमी की लाइफलाइन अगर बची तो नरेगा ने बचायी और आज नरेगा जैसी सक्सेसफुल स्कीम के अंदर 30 हजार करोड़ रुपये की कटौती कर दी तो यह सामाजिक न्याय का हिस्सा नहीं है। इनको समझना पड़ेगा कि अगर हम आम आदमी के हिस्से में कटौती करेंगे तो आगे हम जनता के बीच में नहीं जा पायेंगे। 30 हजार करोड़ रुपये की कटौती नरेगा जैसी स्कीम में, बल्कि होना तो यह चाहिये था कि कम से कम एक लाख करोड़ की बढ़ोतरी करते। नरेगा में 01 लाख 30 हजार करोड़ रुपये चाहिये। जितनी संख्या इनके पास रजिस्टर्ड है, उसको पूरा पैसा देने के लिये 01 लाख 30 हजार करोड़ रुपये चाहिये। बजाय 01 लाख 30 हजार करोड़ को इम्प्लीमेंट करने के, उन्होंने 30 हजार करोड़ की कटौती कर दी।

(श्री रफीक खान)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात खतम करता हूं, आपका इशारा मेरी तरफ आ गया है। सामाजिक न्याय की अपन बात कर रहे हैं। उदयपुर में हमारा अधिवेशन हुआ और अधिवेशन पर सामाजिक न्याय में ही एक बहुत अच्छा रिजोल्यूशन पारित हुआ। वह मैं पढ़ नहीं रहा, मैं सदन के पटल पर इसको टेबल करना चाहता हूं, ताकि मंत्री महोदय इसको अपना पार्ट बनायें कार्य प्रणाली का और इसमें जो बातें लिखी गयी हैं, जितनी वह पूरी कर सकते हैं, वह पूरी की जायें।

मुख्य मंत्रीजी के लिये, जो उन्होंने अपनी इस बात को एक मुद्दा बनाया, एक जरिया बनाया कि कोई भी आदमी राजस्थान के अंदर भूखा न सोये तो मैं एक दोहा उनके लिये कहना चाहता हूं:-

'सांई इतना दीजिये, जामे कुटुम्ब समाये,
मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाये।'

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री राजकुमार रोत। आप तो बोल लिये। श्री पदमाराम जी।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-16 और मांग संख्या-31 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्व एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के ऊपर डिमांड है। यह काफी गंभीर मामला है। किसानों, गरीबों, वंचितों और अनुसूचित जाति व जनजाति और ओ बी सी वर्ग के लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले के अंदर आम आदमी का उत्थान कैसे हो, गरीब का सहारा कैसे बनें, सामाजिक समानता कैसे मिले, इसके ऊपर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय गहलोत साहब ने एक नवाचार किया है। गरीब को सहारा देने के लिये नई योजना लागू की है। विकलांग को सहारा देने की योजना लागू की है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास को पंख लगाने के लिये कई नई योजनाएं लागू की हैं, इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।

(श्री पदमाराम)

(समय: 18.18 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 90 लाख वृद्ध, नि:शक्तजन, विधवा, एकल नारी, ऐसे लोगों को सम्बल देने के लिये पेंशन योजना चालू की। योजना में भारत सरकार 200 और 300 रुपये देती है। बात सब करते हैं। पाली से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य ने शुरुआत की कि एक फोटो लगाओ। फोटो कई जगह कई लोगों की गायब थी, अब लगना स्टार्ट हुई है। उसके अंदर आप क्या बात करते हो? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा की, इसके लिये उनके फोटो लगते हैं और दूसरी सभी योजनाओं के अंदर सामाजिक न्याय और अधिकारिता के पोस्टर में समाज कल्याण मंत्रीजी के भी फोटो लगते हैं। आप हर चीज के अंदर विवाद करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हो। यह ऐसा शानदार बजट दिया है और हर योजना के अंदर उन्होंने आगे बढ़कर जो वृद्धि की है, उसको आप भुना नहीं सकते। इस कारण आप इधर-उधर कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं कि जनता का ध्यान कैसे भटके।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 9 साल से सेंटर के अंदर भाजपा का शासन है और बहुत विद्वान माननीय प्रधान मंत्रीजी भारत को महान बनाने के लिये, देश को मजबूती देने के लिये वैट के अंदर, डीजल के अंदर, गैस के अंदर हमेशा महंगाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरबों-खरबों रुपये वसूल करने के बाद में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता के अंदर ऐसी कौनसी नई योजनाएं लागू कीं, वह भी थोड़ा बतायें। जनता इंतजार कर रही है। जनता को आप जिस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं, जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यह विदित हो कि जनता अब जान चुकी है। आज बात तो अपन करते हैं कि समाज कल्याण छात्रावास के अंदर व्यवस्था नहीं है। यह अपन सबका दायित्व नहीं बनता है क्या? समाज कल्याण छात्रावास के अंदर 600 रुपये से 2,500 रुपये गहलोत साहब ने किये। आपका भी समय था। मदन जी दिलावर समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने इसमें सुधार के लिये कुछ नहीं किया। आप मांग तो बहुत करते हो। वार्डन नहीं रहते हैं, हॉस्टल टूटा-फूटा है, खाना अच्छा नहीं मिलता है पर यह अपना भी दायित्व बनता है कि सरकार की जो भी योजना आये, उसका

(श्री पदमाराम)

संचालन सरकार कैसे कर रही है, अपन सबका धर्म है। जिस समय चुनावी माहौल आता है, उस समय तो सब लोग एस.सी., एस.टी. की बात करते हैं पर वोट लेने के बाद में जब एस.सी., एस.टी. के साथ में अन्याय और अत्याचार होते हैं, तो वह कौन लोग करते हैं? उस समय कोई सहारा बनने की कोशिश नहीं करता है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का हर साथी उनका संबल बनकर सहयोग करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पेंशन बढ़ा दी। खाद्य सुरक्षा में कांग्रेस की सरकार खाद्य सुरक्षा एक्ट लायी। आज 01 करोड़ लोगों को नि:शुल्क अनाज दिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी 5 किलो अनाज नि:शुल्क दिया जा रहा है। लेकिन कितनों को? 80 लाख लोगों को। 20 लाख लोगों के कारण पूरे गांवों में आज असमंजस की स्थिति है। डीलर कहां से लाकर देगा? राजस्थान सरकार 01 करोड़ लोगों को दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट 80 लाख लोगों को दे रही है। इसके बीच का जो गैप है, इसकी पूर्ति करने के लिये डीलर्स को समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं हमारे विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सेंटर से मांग करें। अच्छे काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। यह तो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए उन गरीब लोगों के सहारे की बात है तो उसके अंदर तो आप आगे बढ़कर के काम करें।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मूल ओबीसी की जो जातियां हैं, सुथार हैं, नाई हैं, दर्जी हैं, सुनार हैं, गाडोलिया लुहार हैं, जोगी हैं, कालबेलिया हैं, ये ऐसी कॉस्ट हैं, इनके वोट तो सभी लोग ले लेते हैं, धर्म के नाम पर बात करके, हिन्दुत्व की बात करके और वोट लेने के बाद में आज दिन तक इनके मोहल्लों में किसी ने भी जाकर एक तिनके भर का काम नहीं किया।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): पानी की समस्या है, स्कूल की समस्या है, वहां सड़क की समस्या है, वह कोई नहीं देखता है। जब चुनाव आते हैं, उस समय एक ही मुद्दा धार्मिक भावना, धर्म का नाम लेकर वोट ले लेते हैं और उसके बाद में ऐसे लोगों को आज दिन तक कोई पूछने वाला नहीं है।

माननीय मंत्री महोदय से और माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन

(श्री पदमाराम)

करना चाहता हूं कि ये जो योजनाएं हैं उनके अंदर ऐसी पिछड़ी जातियों के जितने भी वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, छोटे-छोटे झुंडों में रहते हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये कोई नयी योजना हम लावें।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, मेरा निवेदन है कि हर मामले में रेगिस्तानी क्षेत्र को साथ में जोड़ा जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा बाड़मेर जिला रेगिस्तानी क्षेत्र है। बाड़मेर जिले में रहने वाले हमारे अनुसूचित जनजाति के भील भाई सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं। उनका रहन-सहन आदिवासियों के समान है पर उनके लिये आज दिन तक कोई नयी योजना नहीं आयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी से और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बैठे हैं, समाज कल्याण मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इन लोगों के उत्थान के लिये कोई नई योजना लायें।

श्री सभापति: श्री सुरेश रावत।

श्री पदमाराम (चौहटन): विशेष तौर से कृषि कनेक्शनों के अंदर इनको प्राथमिकता दें। एक मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): दूसरा, मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने ओ पी एस लागू करके साबित कर दिया कि किसान, मजदूर, कर्मचारी को यदि सहायता देने का कोई काम करता है तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं जो सरकारी संस्थाएं हैं, वे प्राइवेट कर दी हैं। बाबा साहेब ने जो आरक्षण दिया, उसके साथ खिलवाड़ करके, उनको तोड़-मरोड़ करके समाप्त करने की कोशिश की जा रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, उसके अंदर भी आरक्षण का लाभ दिया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इन सबको व्यवस्थित रखने के लिये पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी इनको जितनी सुविधाएं देनी चाहिए, वे नहीं हैं। आज इनके आप पटवार घर देखो, सब जगह वे जर्जर अवस्था में हैं। मेरी विधान सभा में शौचालय की व्यवस्था किसी भी पटवार घर में नहीं है। उनको पीने के पानी के लिये भी घर से बोतल लानी पड़ती है। हम काम तो उनसे सारा कराना चाहते हैं, लेकिन उनको सुविधा भी देनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि अलग से उनका बजट रखें। आये दिन ये सारे के सारे हड़ताल पर चले जाते हैं इसलिए उनकी समस्या का कोई स्थायी समाधान भी करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही सरकार ने चाहे नामांतकरण हो, चाहे नक्शा हो, चाहे गिरदावरी हो, सभी प्रकार के दस्तावेजों को डिजिटल कर दिया, सबको ऑनलाइन कर दिया। इसके लिये मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह ठीक भी है और करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको सुविधा भी मिले। उनको लैपटाप मिले, उनको प्रिंटर मिले, तब जाकर यह सारी व्यवस्थाएं ठीक रूप से, सुचारु रूप से चलेंगी। जब आप उनसे सारा तकनीकी कार्य करा रहे हो तो क्यों न पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित किया जाये, जिससे उनको भी लाभ मिलेगा और काम में प्रगति आयेगी।

माननीय सभापति महोदय, विशेष तौर से हमारे अजमेर की यह बड़ी समस्या है। अजमेर विकास प्राधिकरण पहले यू आई टी था। उसके बाद अजमेर विकास प्राधिकरण बना। 2012 के अंदर जिला कलेक्टर ने बिना भौतिक सत्यापन किये हुए लाखों हैक्टेयर भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम ट्रांसफर कर दी। उसका परिणाम यह निकला कि बहुत सारे काश्तकार आत्महत्या करने पर मजबूर हो गये। ए डी ए में जो जमीन ट्रांसफर की, उसके अंदर इतनी त्रुटियां थीं कि जिसकी खातेदारी थी, वह ए डी ए के नाम चली गयी। उसके बाद रही-सही कसर सरकार ने आधार को वर्किंग में बदला और बीघा, बिस्वा को हैक्टेयर और एयर में बदला, वह पूरी कर दी। उसके अंदर इतनी त्रुटियां हैं कि किसी का क्षेत्रफल बड़ा था वह छोटा हो गया, किसी का छोटा था वह बड़ा हो गया। किसी ने जमीनें 30-30, 40-40 साल पहले खरीद लीं, लेकिन वह वापस उन्हीं के नाम चली गयीं। आखिर गरीब काश्तकार कब तक कोर्टों के चक्कर काटेंगे?

(श्री सुरेश सिंह रावत)

सरकार 'प्रशासन गांवों के संग' कैंप लगाती है। बड़ा लवाजमा आता है राजस्व विभाग के अधिकारियों का, लेकिन मौके पर जितना काम होना चाहिए, जितनी पूर्व में तैयारी करके उनको जाना चाहिए, वह न के बराबर जाते हैं। अभी हाल ही का वाकया है कि हमारे रावत समाज की 200 साल पुरानी लौहागढ़ गांव में हथाई थी, वहां पंच, पटेल बैठकर समाज के महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे। कल अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी बुलडोजर लेकर चले गये और कहा कि यह जमीन हमारी है। हम इसको हटायेंगे। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी और उस हथाई को ध्वस्त कर दिया। कल जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया। आज सुबह से धरना चल रहा था। मैं भी उस धरने में 4-5 घंटे सड़क पर बैठा था और वहीं से मैं सीधा आ रहा हूं। प्रशासन ने अपनी गलती मानी और लिखित में आश्वासन दिया कि हमारे से गलती हुई और वापस हम दीवार एवं हथाई बनाकर देंगे, तब जाकर के लोग माने। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको गांवों के अंदर मिलेंगे जो कि राजस्व विभाग की गलती के कारण लोग भुगत रहे हैं। आज हमारे गांवों में बहुत सारे कुएं हैं जो कभी उनके नाम हुआ करते थे। राजस्व विभाग की गलती के कारण, जब हैक्टेयर में जमीन परिवर्तित हुई तो कोई ए डी ए के नाम चली गयी और कोई चरागाह के अंदर चली गयी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी खुद बैठे हैं, आप खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, किसानों की समस्याओं को समझते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि विशेष तौर से हमारे अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद और पीसांगन, ये चार तहसीलें ऐसी हैं जिनमें भू-राजस्व का खाता पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। पहले जब माननीय भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे, उस समय भू-संशोधन हुआ था, उस भू-संशोधन पर बड़ा काम भी चला, लेकिन पोथियां आज वैसी की वैसी जिला कलेक्टर कार्यालय में जहां पत्रावलियां रक्षित रखी जाती हैं वहां पड़ी हैं, उनको सीज कर दिया गया, उन पर कोई काम नहीं किया गया तो उनके बारे में भी आप विचार करें। इसके अलावा भी बहुत सारी जमीनें ऐसी थी जो आबादी में थीं, आपकी वे जमीनें ए डी ए के नाम ट्रांसफर हो गईं तो उनका भौतिक सत्यापन करके जो पुराने गांव बरसों से बसे हुए हैं कम से कम उनको तो आबादी रहने दें, बाकी ए डी ए में ट्रांसफर करेंगे तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, हमारी पिछली सरकार ने इन सभी समस्याओं को देखते हुए री-सैटलमेंट का आदेश जारी किया, लगभग पांच साल से री-सैटलमेंट का काम चल भी रहा था, लेकिन मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूंगा कि उस पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी वो काम सही नहीं हुआ। सम्बन्धित एजेंसियों ने उन पैसों की लूट मचाई और आज की तारीख में सरकार के द्वारा उस री-सैटलमेंट पर रोक लगा दी गई। यह कौनसा मजाक है? किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि सालों बाद हमारा राजस्व रिकार्ड ठीक होगा, लेकिन सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करता हूं कि री-सैटलमेंट का जो महत्वपूर्ण काम है, आप इस पर गौर फरमाएं और इसको वापस चालू कराने का काम कराएं, ताकि हमारे गांव के लोगों को इसका फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जब आपने डिजिटलाइजेशन तो सारा कर दिया, लेकिन जब से आपने सारी चीजें ऑनलाइन की हैं तब से चाहे नामांतरकरण का मामला हो, चाहे गिरदावरी का मामला हो, सारे के सारे हजारों की तादाद में पेंडिंग हो गये। आपके अखबारों में आया है कि 17 तहसीलों में चार हजार से ज्यादा नामांतरकरण पेंडिंग है। इसके अलावा चूंकि मैं अजमेर से आता हूं और राजस्व मंडल हमारे अजमेर में है वहां पर भ्रष्टाचार की इतनी खुली लूट मचा रखी है। अभी कुछ दिनों पहले ए सी बी ने राजस्व मंडल के कई अधिकारियों को, कई वकीलों को और दलालों को करोड़ों रुपये की राशि के साथ पकड़ा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, हद तो तब हो जाती है जब भ्रष्टाचार की राशि का अधिकारियों को पैसा मिल जाता है तो पक्ष सुनने से पहले ही सम्बन्धित आदमी को उसके फैसले की कापी दी जाती है। यह ए सी बी ने खुद ने अपनी चार्जशीट में माना है।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्व के जो मामले हैं, वो राजस्थान के अंदर बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। एक मामला ऐसा भी है, आपके राजस्थान पत्रिका के अंदर 19.12.2022 को आया कि कोर्ट के अंदर चौथी पीढ़ी लड़ रही है। चार पीढियां हो गईं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला क्योंकि राजस्व के मामले, जर, जोरू और जमीन की लड़ाई पुराने समय से चली आ रही है, तो कम से कम लोगों की जमीन सुरक्षित रहे, इसके लिए आप कोई न कोई कठोर कार्यवाही करें और कोई ऐसा व्यवस्थित ढांचा तैयार करें, ताकि

(श्री सुरेश सिंह रावत)

लोगों को राजस्व सम्बन्धी न्याय शीघ्र मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राकेश पारीक।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और 31 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत आपका आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज दोनों ही विषय, चाहे सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा राजस्व विभाग, इन दोनों का ज्यादा उपयोग गांव के लोगों के काम में होता है। सबसे पहले मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आज गांव के गरीब आदमी, गरीब बच्चे, सरवाड़ में मेरे छात्रावास खुला था, समाज कल्याण मंत्री थे बनवारीलाल जी और कम से कम वहां पर मैं पन्द्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी को झण्डा फहराने जाता था, वो बच्चे वहां आते थे। वाकई हमारे एस सी, एस टी के भाइयों के लिए यह वरदान साबित हुआ है। पहले इसका नाम समाज कल्याण विभाग था। हमारे नेताओं ने सोचकर इसका नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रखा है। उस समाज को लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है कि आपका अधिकार है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ और योग्य बनाओ। आज मेरा आपको सुझाव है कि इस विभाग में इनके जो व्यवस्थापक होते है उनकी बहुत कमी है। माननीय मंत्रीजी, जूली साहब, चार-चार अम्बेडकर छात्रावासों पर एक व्यवस्थापक है, क्या स्थिति हो रही है? मेरी सरकार से मांग है कि इन अम्बेडकर छात्रावासों में आप और नई भर्ती करें और हरेक में एक व्यवस्थापक लगाएं। व्यवस्थापक का मतलब है गार्जियन, गरीब बच्चा जो वहां पढ़ने जा रहा है, वहां रह रहा है, छठी से बारहवीं तक उन बच्चों को हम ज्यादा सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं यदि वहां पर एक गार्जियन रहेगा। आप देखेंगे कि हर साल दीपावली और होली पर अपन अपने घर की लिपाई-पुताई कराते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे छात्रावास हैं, अम्बेडकर छात्रावास, देवनारायण छात्रावास, ज्योतिबा फुले छात्रावास, अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल, इनका एक टाइम फिक्स करें कि इस टाइम पर इनकी लिपाई-पुताई होगी। हर हफ्ते इनकी चद्दर, बेडशीट, सारे उनको साफ कराया जाएगा और जब वहां बच्चा पढ़ने जाए तो उसको महसूस

(श्री राकेश पारीक)

हो कि मैं भी किसी बड़े आदमी के, किसी पैसे वाले आदमी के परिवार की तरह यहां पर रह रहा हूं। ये वहां पर थोड़ी कमियां हैं। वहां पर आप साबुन भी देते हैं, तेल भी देते हैं, दूध भी पिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं, लेकिन अगर इन व्यवस्थाओं को हम सुधारेंगे तो उस वंचित समाज के बच्चे हमें दुआ देंगे।

माननीय सभापति महोदय, कल मैंने शिक्षा पर भी बोला था। इन गरीब बच्चों के लिए राजकीय महाविद्यालयों में भी सरकार से मैं मांग करूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से। आदरणीय जूली साहब, वहां पर भी आप सौ-पचास बच्चों के ऐसे हॉस्टल खोलें जहां पर गांव का, गरीब का बच्चा आकर पढ़ सके।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक सवाल है दूसरे विषय का, मुझे घंटी का डर है क्योंकि पारीक साहब चेयर पर बैठते हैं तो लगता है कि मुझे देखते ही घंटी बजा देंगे, दस मिनट से ज्यादा नहीं बोलने देते।

माननीय सभापति महोदय, आप देखेंगे राजस्व विभाग को, यह भी एक ऐसा विभाग है जिस विभाग की पुरानी स्मृतियों में जाएं तो एक बहुत बड़ा पेन, उस पेन में सुबह पटवारीजी स्याही से भरते थे, और वह पेन बड़ी-सी किताब पर चलता रहता था। पटवारीजी के चार आदमी इधर, चार आदमी उधर, कोई दाल-बाटी-चूरमा बना रहा है, कोई मालिश कर रहा है, कोई भाँग घोट रहा है और वो पटवारखाने थे। आज जहां एक पटवारी काम करता था वहां आज एक-एक उप-तहसील हो चुकी है, लेकिन वो समाज को हर वर्ग को संतुष्ट करते थे, उनके पास काम ज्यादा था, आज ऑनलाइन हो गया, इनके पास काम कम है। उसके बाद भी हमारे पटवारियों का व्यवहार है, गिरदावरों का व्यवहार है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार ये थोड़ी बड़ी श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन नीचे के लेवल के अधिकारी हैं, मेरा आदरणीय मंत्री महोदय, आपको सुझाव है कि राजस्थान सरकार यह लिखे कि कोई भी पटवारी तीन साल से ज्यादा एक जगह पर नहीं रहेगा। काम रहा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपके जमाबंदी, नकल, लोन लेना, काम करना, वो तो सारे के सारे काम कम्प्यूटर से निकाल लो आप। काम इतना ही बचा है कि भू-माफिया ही लिए घूमते हैं उनको कि कैसे इसमें नाम छूट गया।

एक मेरा सुझाव और है। बहुत से ऐसे छोटेछोटे काम हैं। रामसुख का नाम गलत लिख दिया, उसमें संशोधन हो सकता है। ऐसा आप कलेक्टरों को

(श्री राकेश पारीक)

निर्देशित करें कि जो जन-सुनवाइयां हो रही हैं सरकार के द्वारा, उनमें सबसे प्राथमिकता से इन नामों को दुरुस्त किया जाये। सीधा आपके तहसीलदार बोलते हैं कि कोर्ट में करें एस डी एम साहब के पास। कोर्ट में नाम दुरुस्त कराने जायेगा तो कितना पैसा उसमें खर्च होता है? अत: सरकार ऐसा आदेश निकाले जिससे आपकी जन सुनवाई में नाम दुरुस्त हों। बहुत जगह सरकारी कुएं हैं, वे कुएं नाम पर नहीं हैं और बाकी जमीन उसके नाम पर है। अब इसमें कितना बड़ा खेल हो जाता है किसान के साथ, गरीब के साथ? समझदार आदमी, जानकार आदमी तो पूरे नक्शे, गिरदावरी, कागज वगैरह सब जानता है, लेकिन वह गरीब आदमी समझता नहीं है। उसके कुएं के लिए उसे कितना वहन करना पड़ता है, इसके लिए भी मैं राज्य सरकार, आदरणीय मुख्य मंत्री जी और आदरणीय राजस्व मंत्री जी से मांग करूंगा कि वे एक आदेश निकालें कि जिस आदमी के हक में कुआं पड़ता है, जिसकी जमीन पर वह आता है, अगर वह सरकारी है तो उसको नाम किया जाये।

एक और सबसे बड़ी समस्या पुष्कर वाले एम एल ए साहब बता रहे थे, 1971 में हमारे जिले में भू-संशोधन हुआ था। अजमेर जिले के वकील वगैरह सब सर्किट हाउस में मंत्री महोदय से मिले थे। एक तो भू-संशोधन के वे पेंडिंग मैटर्स हैं। दूसरा, नियमन करने की कार्रवाई इन चार सालों में हुई नहीं। धारा 91 लगती है, उसका जुर्माना होता है तो जो नियमन योग्य काम हैं, उन जमीनों का नियमन करने के लिए भी सरकार एक आदेश निकाले। "प्रशासन गांवों के संग" में कलेक्टर, एस डी एम, तहसीलदार को यह पावर नहीं था कि जमीन का नियमन किया जाये। मेरा आपसे आग्रह है कि राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को आदेश दिया जाये कि जो भी नियमन योग्य क्राइटेरिया में जमीनें आती हैं, उन लोगों की, गरीब किसानों की जमीनों का नियमन किया जाये। अगर उनका नियमन नहीं होता है तो वे मुआवजा देते जाएंगे, पटवारी की सेवा करते जाएंगे और अपना काम चलाते जाएंगे।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): अब असली बात तो आबा द्यो साहब। ऐसा है मंत्री महोदय, मेरे यहां बाड़ी ग्राम पंचायत है। विजयनगर के पैरीफेरी के ग्राम हैं। उन पैरीफेरी के ग्रामों में गैर खातेदारी में जमीनें हैं। लोग पचास-पचास सालों से उन जमीनों को बो रहे हैं। आज उन लोगों के नाम पर वे

(श्री राकेश पारीक)

जमीनें नहीं हैं। उन्हें उन जमीनों पर लोन भी नहीं मिल पाता है। मेरा आपसे एक आग्रह है। एक खास, स्पेशल कैम्प लगवाकर विजयनगर के आस-पास की पैरीफेरी की जमीन को आप नाम कराएं।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा तहसील में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। मैं झांक पंचायत और झामोला ग्राम पंचायत पर आपसे मांग करूंगा कि जब आप दे ही रहे हैं, आदरणीय मुख्य मंत्री जी से भी प्रार्थना करते हैं और आपसे भी प्रार्थना करते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, दो उप-तहसील खोलने की व्यवस्था कराएं और जो हमने आपको सुझाव दिये हैं, उन्हें जल्दी अमल में लाएं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, धन्यवाद। आज राजस्व और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारे विधान सभा क्षेत्र से हमने मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम के तहत प्रस्ताव भेज रखे हैं, लेकिन राजस्व मण्डल द्वारा अब तक जमीन का आबंटन नहीं किया गया है। मेरी पंचायत समिति, झूंथरी के अन्तर्गत मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम के लिए जो जमीन आबंटन की फाइल है, वह चरागाह है। राज्य सरकार अपने स्तर से इसका समाधान करके इस जमीन का आबंटन करे।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने इस राज्य में जो भूमिहीन हैं, जो इधर-उधर बिला नाम की जमीन पर बैठा हुआ किसान है, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, उसे पट्टे देने के लिए एक "प्रशासन गांवों के संग" अभियान चलाया। साथ ही, "प्रशासन शहरों के संग" अभियान चलाया। यह अभियान अच्छी सोच के साथ और इस राज्य की आम जनता के हित में चलाया, लेकिन दु:खद बात यह है कि हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में और मेरे विधान सभा क्षेत्र की यदि बात करें तो हमारे जो बिला नाम पर बैठे हुए आदिवासी समाज के लोग हैं, जो 25-30 साल से बैठे हुए हैं, कई पुश्तैनी बैठे हुए हैं, उनका आबंटन नहीं किया गया।

कहीं ग्राम पंचायत की आबादी भूमि थी। उसका पट्टा तो दे दिया गया, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन का आगे का क्या है, कई लोगों ने आवेदन किये, लेकिन अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध

(श्री राजकुमार रोत)

करूंगा कि जो आवेदन आये हैं, उन सबकी वापस समीक्षा की जाये और जो चौरासी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिला नाम की जमीन पर आदिवासी समाज या अन्य किसी भी वर्ग का व्यक्ति बैठा है, उसका सीमांकन करके उसका पट्टा दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक जानकारी मिली है आबंटन को लेकर। जो व्यक्ति वहां का है ही नहीं, लेकिन किसी न किसी का परिचित है, कोई अधिकारी वर्ग का परिचित है, तो उसे अलाटमेंट हो गया है। उदयपुर सम्भाग के जितने स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनके आस-पास की जमीनों का हम देखेंगे तो वहां किसी ने फार्महाउस के नाम पर, किसी ने सोसाइटी बनाकर जमीन का आबंटन करा दिया है। उदयपुर से डूंगरपुर की ओर निकलता जो एनएच 8 हाईवे है, आज से पांच साल पहले इस हाईवे की दोनों तरफ किसी न किसी आदिवासी का मकान मिल जाता था, लेकिन अभी या तो कोई बड़ी होटल मिलेगी या किसी ने कब्जा कर लिया है। पता नहीं उन्हें किस नियम के तहत आबंटन हो जाता है। आदिवासी समाज का व्यक्ति जब आवेदन करता है तो वह दर-दर भटकता है। उसे आबंटन नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को भूमि आबंटित की जाये।

माननीय सभापति महोदय, कई बार दफ्तरों में सुनने को मिलता है कि रिकार्ड कहीं न कहीं शार्ट सर्किट से जला दिया जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन हमारे डूंगरपुर में, हमारे विधान सभा में क्वेश्चन लगा, कुछ लोगों ने आर टी आई लगायी, जमीन की बहुत बड़े पैमाने पर पैरीफेरी हुई तो कलेक्ट्रेट में जो रिकार्ड रूम है, उस रिकार्ड रूम से चोरी हो गया और आज तक पता नहीं चला है कि वह कौन-सा रिकार्ड था और किस प्रकार का था। पचास बक्से, वहां तफ्तीश में बताते हैं कि कोई छोटे-मोटे चोर ले गये। चोर इतने पागल नहीं होते हैं कि कागज चोरी करके ले जाएं। कलेक्ट्रेट में से चोरी हुई है और आज तक पता नहीं चला है कि वे कौन-से कागज थे। वहां पर सीलिंग एक्ट के दौरान जो जमीन थी, उससे पहले जो बख्शीश में दी हुई जमीन थी, कुछ प्रभावशाली लोग सीलिंग एक्ट में जो जमीन थी, उसे रिटर्न ले आये और जो बख्शीश वाली जमीन थी, जो अपने रिश्तेदारों को दी थी, उस जमीन को वापस लिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, बख्शीशनामा, एक समझ में आता है कि

(श्री राजकुमार रोत)

जो प्रभुत्व वाले व्यक्ति हैं या अमीर व्यक्ति हैं या कोई अपने परिवार में बड़ा व्यक्ति है तो वह गरीब व्यक्ति को या ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति को बख्शीश में देता है, लेकिन डूंगरपुर जिले में कई ऐसे बख्शीशनामे मिल जाएंगे कि जो व्यक्ति बख्शीश दे रहा है, उसके घर का ठिकाना नहीं और जो बख्शीश ले रहा है, वह करोड़पति व्यक्ति है। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। आदिवासी बहुल क्षेत्र में जमीन के नाम से जो खेल हो रहा है, उसकी जांच करायी जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधान, जैसे कि 244(1) जो पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत है, राज्य सरकार इन प्रावधानों को लागू करे। ये प्रावधान संविधान में इसलिए लागू हुए ताकि आदिवासी जो गरीब वर्ग का है, उसकी जमीन कोई ले नहीं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई जजमेंट्स आये। जैसे कि आपको अवगत कराऊं, 244 (1) में उल्लेख है कि विधान सभा या राज्य सभा द्वारा बनाया गया कोई भी सामान्य कानून अनुसूचित क्षेत्र में सीधे तौर पर लागू नहीं हो सकता है। भूमि अधिनियम कानून हो, भू-राजस्व संहिता हो, कोई भी हो, उसे सीधे तरीके से लागू नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, एक जजमेंट आया, उसमें लिखा हुआ है, लोक सभा न विधान सभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, लेकिन कई ऐसी बाहर की फैक्टरियां या कोई ऐसे लोग आते हैं, उन्हें राजस्व अधिकारी ग्राम सभा की परमिशन के बिना अलाटमेंट कर देते हैं, तो जो न्यायालय का फैसला है, उसका भी उल्लंघन किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी बहुल क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट आये हैं और कई जजमेंटों में बताया गया है। जैसे कि समता का फैसला 1997 में आया कि अनुसूचित क्षेत्र में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की एक इंच भी जमीन नहीं है और राज्य सरकार, केन्द्र सरकार भी अगर कोई परियोजना, कोई सड़क निकालती है तो उस ग्राम सभा से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वह निकाल सकते हैं, पर इन नियमों का कहीं न कहीं उल्लंघन किया जाता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, सामाजिक

(श्री राजकुमार रोत)

न्याय और अधिकारिता की हम बात करते हैं तो आज हमारे राजस्थान की ही बात करें तो कहीं न कहीं भेदभाव होता है। आज जातिगत जनगणना की बात हो रही थी। हम जंगल में भी जानवरों की जनगणना कराते हैं कि शेर कितने हैं, पैंथर कितने हैं, मोर कितने हैं, ताकि उसके अनुरूप उस फोरेस्ट का वातावरण बना पायें। अब हमारे देश की, राज्य की जनगणना जातिगत नहीं होगी तो हम गरीब तबके के लिए, एस सी, एस टी के लिए योजना कैसे बना पायेंगे? इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस की लाठी हो या अधिकारियों की कलम हो, कहीं न कहीं देखने में आता है कि जाति, धर्म को देखकर कई बार अधिकारियों की कलम चलती है, पुलिस की लाठियां भी चलती हैं। राजस्थान के अन्दर कई ऐसे हादसे हुए हैं। हमारे उदयपुर के अन्दर कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ, वह एक गम्भीर मामला था और जिसने मर्डर किया है उसको कानून में जितनी कठोर से कठोर सज़ा हो वह मिलनी चाहिए, लेकिन जहां एस सी, एस टी की बात आती है वहां पर सरकार सुन्न हो जाती है।

सिरोही के अन्दर कार्तिक भील प्रकरण हुआ। उस आदमी को मारा गया और आज भी उसका परिवार धरने पर है। न्याय तो नहीं मिला, लेकिन जो परिजन है, जिसका बेटा मारा गया है उस पर अभी शांति भंग के मामले में वापस मुकदमा दर्ज कर दिया है। हम पालनहार की बात कर रहे हैं, उस आदमी के दो-तीन बच्चे हैं और उस व्यक्ति का मृत्यु सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। नगरपालिका है, पर नगरपालिका ने अभी तक मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं दिया। पुलिस ने इस परिजन को आज तक मेडिकल नहीं दिया है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उस परिजन को पट्टा मिले। 1980 में जिसका विद्युत कनेक्शन हुआ है उस व्यक्ति को आज तक हमने पट्टा नहीं दिया और पट्टे को लेकर उस आदमी का मर्डर हो गया जिसके परिजन आज दर-दर भटक रहे हैं।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में मैं समाप्त करूंगा। हमारा जो रेगिस्तानी इलाका है उस रेगिस्तानी इलाके में जो भील समूह के लोग रहते हैं, गंगानगर से लगाकर उधर लास्ट में सिरोही-जालौर-बाड़मेर-जोधपुर वाला बोर्डर का इलाका है, उस इलाके के अन्दर अगर

(श्री राजकुमार रोत)

बात करें तो वहां एक भी आर ए एस, आई ए एस अधिकारी नहीं मिलेगा। पूरा भील समूह है तो हम अनुरोध करना चाहेंगे कि उनके लिए अलग से एक रिजर्वेशन पालिसी लागू की जाए।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा। समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): वहां पर आज भी छुआछूत होता है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या 16-राजस्व विभाग व मांग संख्या 31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पारित होने व आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: कार्यसूची के पूर्ण होने तक समय बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

कार्यसूची के पूर्ण होने तक समय बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य, सहयोग करें अब।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16-राजस्व व 31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर विचार

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, जो रेगिस्तानी इलाका है वहां जो भील समूह रह रहा है उसको नौकरियों में फायदा नहीं मिलता है और उनके साथ आज भी छुआछूत होता है तो हम सरकार से चाहेंगे कि जिस तरह से सहरिया के लिए अलग से प्रावधान किया गया है, उस तरह रेगिस्तानी इलाके में जो भील समूह के लोग रह रहे हैं उनके लिए किया जाये।

श्री सभापति: विराजिये, प्लीज। श्री घोघरा। माननीय सदस्य, फिर मैं किसी और का नाम बुलाऊंगा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): स्थिति यह बन गयी है कि उन लोगों को बैनेफिट नहीं मिलता है, कहीं वे नायक लगाते हैं और कई लोग एस सी में हैं तो हम राज्य सरकार से चाहेंगे कि सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं तो उनके साथ भी न्याय किया जाए। धन्यवाद।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 16 व 31 राजस्व विभाग व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब-जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है और मुख्य मंत्री लोकप्रिय अशोक गहलोत जी बनते हैं, तब-तब चाहे प्रशासन गांवों के संग हो या प्रशासन शहरों के संग हो, भूमि आबंटन और पट्टों का कैम्प लगाया जाता है। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। पहले पेनल्टी चला रहे थे 91 में, पटवारी रोज चक्कर लगाता था, हर साल उससे पैसे लेता था, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने सोचा कि वर्षों से जो लोग बैठे हुए हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। हमारे जो मोदी जी हैं, वे हमारे आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर रहे हैं। इधर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी हैं जिन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए भूमि आबंटन के कैम्प लगाये और वर्षों से जो लोग बैठे हुए थे, उनके पुश्तैनी मकान थे, वर्षों से जमीन पर खेती-बाड़ी कर रहे थे, उनका आबंटन किया। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ पंचायतें बची हुई हैं, अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि कैम्प लगाया लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिला, पर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा तो 75 परसेंट के लगभग भूमि का आबंटन हो गया, पट्टे भी मिल गये और सिर्फ 25 परसेंट मेरे विधान सभा में बाकी होंगे जिनको भूमि का आबंटन और मकान के पट्टे नहीं मिले। जो वर्षों से शहर में रह रहे थे उनको भी पट्टे मिल गये और ढाई हजार के लगभग उनको पट्टे मिल गये हैं। हमारे कथनी और करने में अन्तर नहीं है। आप खाली कहते ही हो और काम नहीं करते हो, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी जो कहते हैं वह काम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कुछ पंचायतें हमारे बोखला, सेरावाड़ा, बलवाड़ा, थाना, सुपूर बची हुई हैं। जो पटवारी हड़ताल पर थे उनकी वजह से कुछ पंचायतों में कैम्प नहीं लगे हैं तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय जो पटवारी हड़ताल पर थे और जो पंचायतें बची हुई हैं, किसी पंचायत में कुछ काम बाकी है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुन: भूमि आबंटन कैम्प लगाये जाएं और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको

(श्री गणेश घोघरा)

उनका अधिकार दिया जाये। बिलानाम भूमि पर भी बैठे हुए हैं। चक भंडारिया, चक मांडवा और मांडवा खापेड़ा में भी लोगों ने आवेदन किये हुए हैं, लेकिन ये कुछ बाकी हैं इसलिए यहां पर भी कैम्प लगाकर इनको पट्टे दिलाये जाएं।

सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर पैरीफेरी में जो लोग रहते हैं, भले वह आदिवासी वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, शहर के अन्दर पट्टे मिल रहे हैं और पैरीफेरी से बाहर के जो गांव हैं उनके भी पट्टे मिल रहे हैं। अब पैरीफेरी वाले जो लोग हैं, वे गरीब हैं, उनके पास एक बीघा जमीन है, आधा बीघा जमीन है तो उन्होंने क्या गुनाह कर दिया जिससे उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं? न तो उनको मकान का पट्टा मिल रहा है, न उनको जमीन का पट्टा मिल रहा है। ऐसे कम से कम 505 लोग हैं मंत्री महोदय जी। जो खाली मकान है और उनमें एक-एक सदस्य है, किसी में 5 हैं और किसी में 7 हैं और टोटल साढ़े तीन-चार हजार लोग वहां रहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वे भी किया हुआ है, सर्वे की मेरे पास पूरी रिपोर्ट है कि कौन-कौन व्यक्ति वहां बैठा हुआ है और ये वर्षों से बैठे हुए हैं। डूंगरपुर अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूची 5 में नगर परिषद्, नगरपालिका लागू नहीं होती है पर उसके बाद भी पंचायत से एन ओ सी नहीं ली। आज वहां जो पंचायत में लोग हैं वे वार्ड पंच को वोट दे रहे हैं, सरपंच को वोट दे रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य को वोट दे रहे हैं, जिला परिषद् सदस्य को वोट दे रहे हैं लेकिन न तो नगर परिषद् उनको पट्टा दे रही है और न इधर पंचायत वाले दे रहे हैं कि आप पैरीफेरी में हैं इसलिए सरकार के आदेश नहीं हैं। मैं पुन: आपसे निवेदन करना चाहूंगा, लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन गरीबों को इनका अधिकार दिया जाए, इनको पट्टा दिया जाए। वहां पर रोजगार का ऐसा कोई साधन नहीं है। एक बाप के चार बेटे हैं, अब पिताजी का तो मकान है पर चार बेटे कहां जाएंगे? उनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है। मकान बनाने के लिए इतनी ही जमीन है और वह जमीन भी अगर हम छीन लेंगे तो वे कहां जाएंगे? यह कहां का न्याय होगा? मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष कैम्प लगाकर इनको इनका अधिकार दिया जाए। चरागाह भूमि, अब पटवारी और गिरदावर मौके पर तो जाते नहीं हैं बैठे-बैठे भर लेते हैं कि बिलानाम भूमि कहां है, खाली जमीन कहां पड़ी है। पंचायत में बैठकर भर लेते हैं।

(समय: 19.00 बजे)

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): यह जमीन खाली पड़ी हुई है। सर, मेरे पांच मिनट भी नहीं हुए हैं, पांच मिनट तो बोलने दें। आप घंटी बजाते हैं तो मेरे आधा तो यूं ही छूट जाता है। वास्तव में, उन पंचायतों में सर्वे कराया जाये। जो व्यक्ति वर्षों से बैठा है, उसका मकान है, खेती है, कुआं है, उसको भूमि आबंटित की जाये, लेकिन कई लोग तो खाली जमीन है, नक्शे में खाली है, लेकिन वहां मौके पर व्यक्ति बैठा हुआ है। जो वर्षों से बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भूमि आबंटित की जाये, यह मैं कहना चाहूंगा।

नोन-टी एस पी के लोग टी एस पी में आकर, उनके होटल बिना नियम-कानून के भी बन जाते हैं, उनकी माइंस भी खुल जाती है, उनके फार्म हाउस भी खुल जाते हैं, लेकिन जो सौ-सौ साल से, डेढ़-डेढ़ सौ साल से बैठे हुए हैं, उनको नियम, कानून बताते हैं। यह कहां का कानून हुआ? माननीय सभापति महोदय जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की जो मांग है, वे आप पूरी करायें।

मैं इसी के साथ सामाजिक न्याय की बात करूंगा। अशोक गहलोतजी ने पेंशन देने का काम किया, पेंशन बढ़ाने का काम किया। 500 मिलते थे, उसको 750 मिल रहे हैं, जिसको 750 मिल रहे थे, उसको 1000 मिल रहे हैं और जिसको 1000 मिल रहे थे, उसको 1500 मिल रहे हैं। पहले हर किसी वर्ग को नहीं मिलते थे। जैसे हमारा पाटीदार समाज है, यादव समाज है, ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, उनको पेंशन नहीं मिलती थी। अगर उन सभी वर्गों को पेंशन देने का काम किया है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं साथ ही कहना चाहूंगा कि हमारे एस सी, एस टी बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। वे भले ही बीएड करें, एसटीसी करें, स्कूल में पढ़ते हैं, कालेज में पढ़ते हैं, मंत्री जी इधर बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि उनको समय पर छात्रवृत्ति मिले और इस महंगाई के दौर में उनकी छात्रवृत्ति भी बढ़ाई जाये, मैं यह मांग करना चाहूंगा।

इसी के साथ ही बिछीवाड़ा में एस सी, एस टी के छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग हॉस्टल बनाया जाये।

इसी के साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर पंचायत में कम से कम 100 लोग या 50 लोग, एपीएल राशनकार्ड वाले हैं, उनको खाद्य सुरक्षा का

(श्री गणेश घोघरा)

लाभ नहीं मिल रहा है। उनके नाम एन एफ एस ए में नहीं जुड़े हैं। वे कहते हैं कि हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। ए पी एल में होने से खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं होने से उनको मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वे करवाकर वास्तव में, जो गरीब हैं, जिनका एपीएल कार्ड बना हुआ है, उनको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाये और उनको फायदा दिलाया जाये। यही मांग करता हूं।

साथ ही, विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में राजस्व न्यायालय अलग से खोला जाये, ताकि राजस्व प्रकरणों का जल्दी निस्तारण होकर आमजन को समय पर न्याय प्राप्त हो सके। भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाये, क्योंकि एक भू-अभिलेख निरीक्षक के पास चार पटवार मण्डलों का कार्यभार होता है, जिसमें लगभग आठ पंचायतें आती हैं। इनका मुख्यालय कायम किया जाकर, भवन बनाने से आमजन एवं पटवारियों को कार्य निस्तारण में समस्या नहीं होगी।

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पटवार मण्डलों के भवन जर्जर एवं काफी पुराने हो चुके हैं। उक्त भवनों में विद्युत व्यवस्था, पानी, शौचालय, आमजन के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। ऐसे पटवार मण्डलों को ग्राम पंचायतों के नवीन भवनों में एक कमरा उपलब्ध करवाया जाये...

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, एक मिनट। जिससे आमजन को राहत मिल सके और पटवारी भी अपने रिकार्ड का अच्छे से संधारण कर सके। टी एस पी क्षेत्र के भू-अभिलेख निरीक्षकों से नायब तहसीलदार के पद पर लम्बे समय से पदोन्नति नहीं हो पायी है, क्योंकि टी एस पी क्षेत्र से बाहर के भू-अभिलेख निरीक्षकों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं, जबकि टी एस पी क्षेत्र पृथक घोषित किये जाने से एवं इस क्षेत्र में कोई प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं होने से, टी एस पी के कार्मिकों की पृथक से सूची तैयार कर इन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से ये जितने भी लोग हैं, जो बैठे हुए हैं, मैं यह टेबल करना चाहता हूं और इनको भूमि का अधिकार मिले। यही कहना चाहता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मैं समय को देखते हुए मेरी बात को बहुत कम समय में समाप्त करूंगा। आज मांग संख्या 16 और 31 पर चर्चा हो रही है, तो मैं राजस्व की बात पहले करना चाहूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और सभी इससे जुड़े हुए हैं।

मंत्री महोदय, आप भी बहुत संवेदनशील हैं और आपकी कार्यशैली बहुत ही शानदार है। मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। वोपारी गांव के अन्दर खसरा नम्बर 108 और खसरा नम्बर 378, इस भूमि पर अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। उक्त भूमि से अतिक्रमण 14 अक्टूबर, 2017 को तहसीलदार एवं राजस्व टीम मय पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हटा दिया गया और भूमि पर राजकीय भूमि का बोर्ड लगा दिया गया। उक्त सिवायचक भूमि के कब्जे सम्बन्धी रिपोर्ट भी तैयार कर उच्च स्तर पर प्रस्तुत कर दी गई। मंत्री महोदय, उसके बाद में अतिक्रमी ए डी एम कोर्ट में गया, वहां तहसीलदार की जो रिपोर्ट थी, उसको बरकरार रखा गया, फैसले को। फिर आर ए ए में गया, वहां भी उस फैसले को बरकरार रखा गया और तहसीलदार ने फसल नीलाम कर दी और फसल नीलाम करके जिसने अधिक पैसा दिया, उसको काटने की इजाजत दे दी और ज्यों ही वे काटने के लिए पहुंचे मय पुलिस जाब्ता और तहसीलदार व राजस्व अधिकारी वहीं खड़े थे, लेकिन उन्होंने अतिक्रमी से मिलकर, जो बोली की अधिकतम बोली थी, पैसे जमा करा दिये, उलटा उसको जेल में डाल दिया। मंत्री महोदय, मैं आपसे न्याय चाहूंगा, यह 2017 की बात है। फिर, 2017 से 2018 और 2019 तक राजस्व के पास वह जमीन रही। रेवेन्यू बोर्ड ने 2019 में एक फैसला जारी किया, उसमें अतिक्रमी के पक्ष में स्टे का आदेश जारी कर दिया गया। मंत्री महोदय, आपसे मैं यह चाहूंगा कि जब तहसीलदार ने उक्त भूमि का कब्जा ले लिया, सिवायचक हो गई, बोर्ड लग गया, फसल नीलाम हो गई और फिर किस तरह से वह अतिक्रमी आज भी उसके ऊपर अतिक्रमण करके बैठा है? यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। हजारों लोगों की आस्था उस स्थान से जुड़ी हुई है। मैं आपसे चाहूंगा और माननीय उच्च न्यायालय ने भी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया कि विधिसंगत निर्णय तुरन्त 60 दिन में लें।

क्या तहसीलदार ने उस व्यक्ति को सुपुर्दनामा दे दिया? अगर वह दे

(श्री खुशवीरसिंह)

दिया हो तो उसकी कापी आप मंगवा कर देख लें। अगर नहीं दिया है तो सरकार ने जब एक बार बोर्ड लगा दिया, वह जमीन सरकार ने सिवायचक कर दी और सरकार ने फसल की नीलामी भी कर दी तो मैं, मंत्री महोदय आपसे चाहूंगा कि कल ही आप आदेश जारी करें और उक्त भूमि को सरकार के अधीन अतिक्रमी से अतिक्रमण हटवाकर पुन: सरकार के अधीन करें। 400 बीघा जमीन है, यह बहुत ही गम्भीर महत्वपूर्ण विषय है।

मंत्री महोदय, मैं आपसे दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां राजस्व गांव आसन जोधवन, उसमें आधे से अधिक गांव पचास वर्ष पूर्व से चरागाह भूमि में बैठे थे। उसकी आबादी की फाइल चली, आबादी भूमि हो गई, लेकिन कुछ दो-चार बदमाशों ने तरमीम गलत करवा दी। उन्होंने वह पूरी की पूरी आबादी की आठ बीघा, दस बीघा जमीन अपने कब्जे में बता दी और जो गांव के लिए आबादी करवाई थी, वह गलत तरमीम हो गई, तो मैं चाहूंगा कि उसकी तरमीम पुन: करवाकर, जो गांव के लिए आबादी भूमि की गई थी, उसका भी आप आदेश करवायें। यह चौकड़िया ग्राम पंचायत का आसन जोधवन गांव है और अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां स्टेट हाईवे की स्वीकृति दे दी है। अब वहां पर बन गया है। मेरी आपसे यह गुजारिश है।

दूसरा, मंत्री महोदय, कुछ राजस्व गांवों की सूची मैंने दी है तो आप जल्दी से जल्दी मंगा लें अगर वहां पेंडिंग पड़ी हो तो। एक सवराड़ गांव है, उसका नाम परिवर्तन के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय, शिवराजपुर था और उसका अपभ्रंश होते-होते सवराड़ हो गया। वह भी प्रस्ताव आया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी कार्यवाही कर उसका भी नाम जो पूर्व में था उसे किया जाये।

मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय, सबसे पहले तो जब इस विभाग की बात करते हैं तो चेहरे पर एक तस्वीर उभर कर आती है हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। वास्तव में वह तस्वीर है राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की। उन्होंने बड़ी सोच के साथ में, वास्तव में जो व्यक्तित्व झलकता है उनके चेहरे पर वो ही हकीकत में दिल के अन्दर है और करके दिखाते हैं। उन्होंने जो कल्पना की और साकार करके दिखाया है, वास्तव में मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी, कि

(श्री खुशवीरसिंह)

आपको ऐसा विभाग मिला है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था उन लोगों को, चाहे विधवा है, वृद्धावस्था पेंशन है हमारे लघु सीमान्त काश्तकार भाइयों के लिए है, आज लगभग एक करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है और आपने चार वर्षों में तो 36 लाख पेंशन और जारी कर दी और पेंशन बढ़ा भी दी है। उसके साथ में उनको सम्बल प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने एक काम और किया है, दो रुपये किलो गेहूं के अतिरिक्त राशन का किट तक वहां उनके घर तक पहुंचेगा, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है।

अभी एक हमारे साथी ने एक प्रश्न पूछा था ओ पी एस के लिए कि क्या विपक्ष यह बतायेगा कि 'मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब' जो देख रहे हैं सत्ता में आने का, क्या आने के बाद में यह आप बतायेंगे कि ओ पी एस जारी रखेंगे, क्या आप किट देना जारी रखेंगे, क्या आप पेंशन जो बढ़ोतरी की है वह जारी रखेंगे, क्या आप बिजली का बिल जो माफ हुआ है आमजन के लिए, क्या उसको आप जारी रखेंगे? इसका जवाब चुनाव में आपको पहले देना पड़ेगा, उसके बाद में आप चुनाव में जायेंगे।

आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर घर में, हर वर्ग में मुख्य मंत्री जी ने जो सौगातें दी हैं वो कल्पना से परे हैं हमारी। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, सामाजिक अधिकारिता मंत्री महोदय, आपसे कि कुछ समाज की मांगें हैं जो वास्तव में समाज से पिछड़े हुए हैं, मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं और उनकी जायज मांग है, मंत्री महोदय। सभापति महोदय, रावणा राजपूत, माली, कुम्हार, स्वामी, वैष्णव, दर्जी, नाई, जांगिड़, घांची इत्यादि अत्यन्त पिछड़ी जाति हैं। अत्यन्त पिछड़ी जाति हैं। इनका अगर वर्गीकरण नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आन्दोलन होगा जिसकी कल्पना आप और हम, कोई नहीं कर पाओगे। हम इनको बहुत छोटा तबका समझ रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है, उस शोषण के लिए आपने इनका अलग वर्ग बना कर इनको सुविधाएं और व्यवस्थाएं नहीं दीं तो आने वाला समय हमें दिखा देगा उनकी एकता, जो आज उनके जगह-जगह छोटी-छोटी मीटिंग हो रही हैं मैं उन मीटिंग में गया हूं, तो मैं चाहूंगा कि उसके लिए भी अलग से वर्गीकरण किया जाये और उनको वास्तव में मुख्य धारा में हम किस तरह ला सकें वह भी हमें सोचना होगा।

अभी चर्चा चल रही थी वाल्मीकि समाज की कि हमारे सफाई कर्मियों में उनको भर्ती किया जाये और वो ही रहें। मैं कहना चाहूंगा कि हम आये दिन सुनते थे पहले कि वाल्मीकि समाज मैला सिर पर ढोते थे, यह प्रथा थी। यह

(श्री खुशवीरसिंह)

प्रथा नहीं थी, एक व्यवस्था थी, संसाधन नहीं थे और वह गलत था लेकिन आज शर्म से सिर झुक जाता है हमारा जब वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, गटर हमारे खराब हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं तो सशरीर उसमें समा जाता है। सशरीर समा जाता है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात, आज आजादी के 75 वर्षों के बाद अगर इस तरह की घटना हो और वो उस गैस से मर जाते हैं। आये दिन खबरें सुनते हैं हम। यह हमारे लिए एक कलंक है। इस लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कलंक है।

मंत्री जी, आप मेरे जोजावर गांव में पधारे थे रैगर समाज के सामूहिक विवाह में। याद है आपको? और 80-80, 90-90 वर्ष के बुजुर्गों ने आपको क्या कहा कि, साहब, इनके पिताजी, हमारे लिए दूल्हे के लिए घोड़ा इनके घर से आता था। आपको बताया कि नहीं बताया 80-80 वर्ष के लोगों ने? मैं उस पिता का पुत्र हूं। 1952 से वो विधायक रहे। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, 56 नहीं 156 इंच सीना मेरा चौड़ा होता है।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा एक शब्द आज मुझे सुनाई दिया और उस शब्द की बहुत विवेचना होती रही है, उसको परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। कई ऐसे शब्दों से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वह शब्द, मैं एक मिनट का समय लूंगा सभापति महोदय, आज एक सामन्त शब्द सुनाई दिया मुझे कि जहां कहीं भी जुल्म अत्याचार हो जाता है तो हम सामन्त से उसको इंगित करते हैं कि यह सामन्तवाद, सामन्तशाही, मुझे बड़ा दुःख होता है, सभापति महोदय, कि यह सामन्त जो शब्द है इसकी परिभाषा को बदल कर आज दिन तक हमने वोट बटोरे हैं और कुछ नहीं किया उसके अलावा। मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, जो युद्ध में सर धड़ से अलग होने के बाद.. (व्यवधान) थोड़ी आवाज बंद करो, सर। प्लीज।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): जो सर धड़ से अलग होने के बाद में जो धड़ लड़ते थे उनको सामन्त जैसे शब्दों से सुशोभित किया जाता था और उनको सात पीढ़ी तक विशेष प्रोटोकाल मिलता था। जिस तरह आज सेना के अन्दर सर्वोच्च सम्मान जो परमवीर चक्र मिलता है, सभापति महोदय, उसी तरह वो सामन्त था। सामन्त कोई आततायी या आतंकवादी नहीं था, जो राष्ट्र के लिए कुर्बानी देते थे, उनको सामन्त जैसे शब्दों से कहा जाता था। इसलिये अगर आपको कुछ इंगित ही करना है तो आतंकवादी कह सकते हो, आततायी

(श्री खुशवीरसिंह)

कह सकते हो, लेकिन यह प्रात: स्मरणीय शब्द है, इसकी परिभाषा को हम नहीं बदलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर मांग संख्या 16-राजस्व और मांग संख्या 31-सामाजिक न्याय पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, मैं आसन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पन्द्रहवीं विधान सभा में यह दूसरा मौका है जब राजस्व पर इस विधान सभा में चर्चा का अवसर दिया। सभापति महोदय, आज जिन दोनों विषयों पर चर्चा हुई, अगर मैं समग्र रूप से कहूं कि राजस्थान की 82 परसेंट आबादी या तो किसान, किसानी, खेत और खलिहान से सम्बन्ध रखती है या हमारे वो वंचित लोग हैं जो समय की रफ्तार के साथ आज मुख्य धारा में इस प्रतिस्पर्धा के युग में हमसे भी आगे निकलने के प्रयास में पुरुषार्थ कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा हमारी आबादी बढ़ती चली गयी, खेत की जोत बढ़ती चली गयी और इसका नतीजा यह रहा, 2011 में जो राजस्थान में आर्थिक समीक्षा से मैंने यह आंकड़ा देखा कि कुल जोत की संख्या थी 68 लाख 88 हजार और 2020-21 में बढ़ कर हो गयी 76 लाख 55 हजार, यानी इस काल खण्ड के अन्दर राजस्थान में जमीन ही नहीं बढ़ी, प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया उसमें बढ़ाव हो भी नहीं सकता पर खेत पर दबाव बढ़ा, खेत की जोत बंटी और लगभग दस लाख नयी जोत आ गयी और जब ये खेत पर जोत बंटती है तो, सभापति महोदय, खाते का विभाजन भी होता है, नामान्तरण भी खुलता है, रास्ते का विवाद भी खड़ा होता है और इन सारी बातों को लेकर मैं समझता हूं कि जब निगाह चलती है तो निगाह रुकती है हमारे उन कानूनों पर जिनको हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के रूप में पिछले कई वर्षों से देखते हैं।

मुझे जन-घोषणा पत्र की वह घोषणा याद आ रही है जिसके अन्दर राजस्थान के इन जोतेदारों से वादा किया था कि हम सत्ता में आयेंगे तो हम इस राजस्व कानून की पेचीदगियों को दूर करेंगे, सरलीकरण करेंगे और यह भी कहा कि प्रचलित कानूनों की समीक्षा करेंगे और यह भी कहा कि इसके लिए हम एक विधि आयोग का गठन करेंगे और विधि आयोग का गठन करके अप्रासंगिक बातों को हटायेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, जब पहला बजट मुख्य मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे थे तो उस बजट में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में बड़ी तादाद में लम्बित तीन लाख पचास हजार प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु राजस्व कानून में संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा इसके लिए जिला कलेक्टर को अपीलीय अधिकार राजस्व अपील अधिकारी के स्थान पर सम्बन्धित सम्भागीय आयुक्त को दिये जाने की घोषणा करता हूं, ताकि अनावश्यक विवाद खतम हों।

सभापति महोदय, इस बात की जो बजट घोषणा की, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी को साढ़े तीन लाख मुकदमे जो आज राजस्थान के विभिन्न न्यायालयों में हैं उनमें उनको अधिकता लगी। सभापति महोदय, जब मैं आज देखता हूं चार साल खतम हो जाने के बाद तो इन मुकदमों की संख्या बढ़ कर हो गई 6 लाख 90 हजार। इसमें 65,726 मामले वो हैं, हम सब जानते हैं रेवेन्यू बोर्ड को कहते हैं कि यह राजस्व कानून का हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है। इस रेवेन्यू बोर्ड में 65,726 मामले चल रहे हैं।

सभापति महोदय, चिंता जब बढ़ जाती है, आज जिस बात का जिक्र हुआ चौथी पीढ़ी लड़ रही है। सबसे पुराना मामला, यू आई टी जोधपुर बनाम यासुद्दीन का, इसमें लिखा है कि 46 साल गुजर जाने के बाद चौथी पीढ़ी अब भी लड़ रही है।

सभापति महोदय, हमारे आंकड़े यह कहते हैं कि राजस्व न्यायालयों में जितने प्रकरणों का निष्पादन होता है, 60 परसेंट प्रकरण आकर और जुड़ जाते हैं। अभी जयपुर जिले के मैं आंकड़े देख रहा था। इस जयपुर जिले में 37 हजार राजस्व प्रकरण आज लम्बित हैं। इनमें 15 हजार प्रकरण पांच साल से पुराने हैं। तहसीलदार की कोर्ट में मामला जायेगा, वहां की अपील एस डी एम के पास होगी, आर ए ए के पास होगी, कलेक्टर के पास होगी, संभागीय आयुक्त के पास होगी और अंतिम पड़ाव में रेवेन्यू बोर्ड में जायेगा। अगर दुर्भाग्य से डिग्री पारित हो गई तो डिग्री पारित होने में भी गिरदावर से लेकर कलेक्टर तक के सफर में पीढ़ियां खप जाती हैं। सभापति महोदय, गांवों में कई बार लोग कहते हैं ऊपर तो करतार है और नीचे पटवार है। आज भी पटवारी की एक गलत एंट्री के दुरुस्तीकरण के लिये काश्तकार की कितनी पीढ़िया परेशान होती हैं, वह हमारे सामने है। आज राजस्थान के 68 लाख

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जोतेदारों का सीधा संबंध रोज पटवारी से पड़ता है और दुर्भाग्य से पटवारी का आज भी कोई कार्यालय फिक्स नहीं है। हम ग्राम सचिवालय की बात करते हैं और मंत्री महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी पटवारी ग्राम पंचायत में अपने दफ्तर में नहीं बैठकर तहसील मुख्यालय पर अपने वाहन में बस्ते को लादकर अपनी तहसील या जिला कलेक्टर में बैठकर सौदेबाजी करने में लगा है। मैं सुझाव दे रहा हूं, मैं आज कोई आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मैं उस परिवार से आता हूं जो खुद धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करते हैं। इसलिए मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं कि आप पाबंद करें, ग्राम सचिवालय के कंसेप्ट के आधार पर पटवारी निश्चित तौर पर अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में बैठे।

सभापति महोदय, मैं देख रहा था, मैं पेचीदगियां समझ रहा था, आपको आश्चर्य होगा, लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 और लैंड टीनेंसी एक्ट, 1955, यह जो मूल एक्ट बने, सभापति महोदय, इनमें आज तक 400 अमेंडमेंट हुए हैं। इस राजस्थान की विधान सभा ने 400 बार उन संशोधनों को पारित किया है। सभापति महोदय, इनका मूल रूप बिगड़ गया। आज आप सीकर की अदालत में जायेंगे, आपको आसानी से हाथ उठाकर हर कोई वकील कह देगा, मैं क्रिमिनल केस लड़ता हूं, मैं सिविल केस लड़ता हूं, लेकिन लैंड रेवेन्यू का मुकदमा लड़ने वाला यदा-कदा आपको वकील मिलेगा क्योंकि पेचीदगियां इतनी हो गईं। आज 62 परसेंट जनता से जुड़ा हुआ यह महकमा है। सभापति महोदय, इन राजस्व कानूनों में ताबड़तोड़ होने वाले संशोधनों में, लॉ के इंटरप्रिटेशन में इतनी गलियां छोड़ दीं, अभी मुझसे पहले सदन में जिन लोगों ने अपनी बात रखी, राजस्व मंडल से लेकर तहसीलदार तक, हर न्यायालय में भ्रष्टाचार की बात कही। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की जड़ है यह जो 400 अमेंडमेंट, जो अलग-अलग समय पर हुए, इन अमेंडमेंटों ने कानून में इतनी गलियां छोड़ दीं कि आज जो हुक्मरान बैठा है, वह किसी भी कानून का किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करके किसी भी पक्षकार को जो उसको राज़ी कर दे, खुश कर दे, जो चांदी के जूते के सामने नत मस्तक हो जाये, वह उस इंटरप्रिटेशन से एक को लाभ दे सकता है और कह देगा, मैंने तो अदालत में बैठकर न्याय की बात कही है। इसलिए इन सारी बातों के कारण से मैं कह सकता हूं कि इन पेचीदगियों में अगर कोई उलझा है तो वह काश्तकार उलझा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, आप भी इस बात के साक्षी रहे हैं, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। 1994 में पहली बार राजस्थान की विधान सभा में इस लैंड टीनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट को रीराइट करने की बात भैरोंसिंह शेखावत जी ने की। जब वह संशोधन लेकर इस विधान सभा में आये, सभापति महोदय, उस समय कई एतराज सामने आये। मामला सलेक्ट कमेटी के पास चला गया। 1996 में फिर भैरोंसिंह जी के कालखंड में दुबारा उन्होंने कहा। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि वह एक बात अपने भाषण में कहा करते थे कि यह जो लैंड रेवेन्यू एक्ट और लैंड टीनेंसी एक्ट का पोथा है, जिसकी पेचीदगियों को बड़े से बड़ा वकील भी नहीं समझ सकता, मैं इनको सरल भाषा में एक गुटके के रूप में छोटा बनाना चाहता हूं ताकि किसान का पढ़ा-लिखा बेटा अपने पिता को बता सके कि इसमें आपको यह अधिकार है और यह अधिकार नहीं है। 1996 में मामला आया और फिर सलेक्ट कमेटी में चला गया। दुर्भाग्य से 1998 में वह सरकार बदल गई और भैरोंसिंह जी का सपना अधूरा रह गया। सभापति महोदय, 2003 में फिर लैंड टीनेंसी एक्ट को लेकर विधान सभा में संशोधन विधेयक आया, फिर वह मामला सलेक्ट कमेटी के पास गया और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में 2008 में राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2008 रीड्राफ्टेड बिल विधेयक संख्या 17 सदन में आया, वह भी सलेक्ट कमेटी में चला गया। मंत्री महोदय, वादा आपने किया, वादा हम करें, कुछ भी करें, पर आज इन कानूनों की समीक्षा करके नये सिरे से रीराइट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अभी पुराने राजस्व मंत्री जी नहीं हैं, मैं उनका रिप्लाई पढ़ रहा था जो जुलाई, 2019 में उन्होंने दिया, उन्होंने भी इसी बात की दुहाई दी। सभापति महोदय, सिविल कोर्ट से रेवेन्यू कोर्ट को अलग करने की अवधारणा क्या थी? अवधारणा यही थी कि रेवेन्यू कोर्ट डेडीकेटेड उनका कोर्ट है, राजस्व न्यायालय में उनको त्वरित और सीधा न्याय मिले। सभापति महोदय, ये जो अमेंडमेंट हुए, आज इस धरती पर जमीन के नीचे पानी है, पानी को लेकर कानून बन गया। मिनरल्स हैं, मिनरल्स को लेकर कानून बन गया। एन जी टी तक का कानून आ गया। सभापति महोदय, इसलिए पेचीदगियां आ गई हैं। मंत्री महोदय, सिविल कोर्ट में मुकदमा चालू होता है तो उसकी वैलिडिटी 5 हजार रुपये की मिल्कियत से चालू होता है, 5 हजार रुपये मिल्कियत में सिविल कोर्ट में मामला दायर होता है। रेवेन्यू बोर्ड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में किसान की एक बीघा जमीन की कीमत भी लाखों में है और उसकी आजीविका भी खेती पर निर्भर करती है।

सभापति महोदय, राजस्व मंडल के बारे में अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बात कही। मैं एक मामले के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मुझे मालूम है कि आप बड़ी नम्रता से आंख मिलाकर उस बात को देखते भी हैं। राजस्व मंडल का ताजा फैसला जो 20 जनवरी, 2023 को आपके इलाके में आया, मंत्री महोदय, इस फैसले ने हिला कर रख दिया क्योंकि बिजौलिया क्षेत्र में 15 करोड़ रुपये बीघा की जमीन, 227 बीघा जमीन, 3400 करोड़ की जमीन और इस 227 बीघा जमीन में 80 फीसदी सैंड स्टोन है, एक लाख पेड़ लगे हैं। वहां पैंथर है, भालू है, सियार है, अजगर है, नील गाय है और 1945 में उदयपुर रियासत में पहाड़ दर्ज है। 1965 से वन विभाग में दर्ज है और 1965 से 55 साल तक लगातार वहां कोई खेती नहीं, किसी का कब्जा नहीं। 1984 में एक गोदनामा तैयार किया गया। गोदनामे के आधार पर एक वाद एस डी एम के पास दायर किया गया और उस वाद को 12 जून, 2014 को मांडल एस डी एम ने खारिज कर दिया। पुन: मामला अपीलेट कोर्ट में गया और 25 जून, 2019 को अपीलेट कोर्ट ने इस एस डी एम के कोर्ट को सैट-असाइड कर दिया। उसके विरुद्ध मामला रेवेन्यू बोर्ड में गया और रेवेन्यू बोर्ड ने इसी 20 जनवरी को आनन-फानन में 9 खातेदारों को, मैं खातेदारों का नाम बताऊंगा तो समय मेरा ही जाया होगा मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार एक गोदनामे के आधार पर, एक जैन परिवार है, एक राजपूत परिवार है, एक रावणा राजपूत परिवार है, मैंने गोदनामे के आधार पर यह पहला मामला देखा है, जिसके अन्दर तीन परिवारों का 34 सौ करोड़ रुपये का मामला है।

सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों में राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की लोक अदालत लगी है। मैं उसका आंकड़ा पढ़कर चौंक गया। यह माजरा क्या है कि इस अदालत में एक दिन के अन्दर 28 हजार प्रकरण कैसे निष्पादित हो गये? सभापति महोदय, मैंने जानकारी की है। इन अदालतों में जाने के लिए कलेक्टर को फरमान जारी है, कलेक्टर का नीचे फरमान जारी। लोक अदालत आ रही है, इसलिए आने वाले एक महीने में एक म्यूटेशन दर्ज मत करना, एक खाता विभाजन मत करना, रास्ते का विवाद मत सुलझा लेना और ये सारे मामले उस लोक अदालत में ले जाकर सिर्फ यह दिखाने के लिए कि हमने बहुत अच्छा कर लिया और इस बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, विधान सभा में आज दिन में एक मामला आया। विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य का तारांकित प्रश्न था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, रामगढ़ बांध, जिसमें एशियाड गैम की नौका की प्रतियोगिता हुई, उसका दम घोट दिया। रामगढ़ बांध में राजस्थान टीनेंसी एक्ट, 1955 के सेक्शन 16 का खुला उल्लंघन करके रसूखदारों को जमीन अलाट कर दी। सभापति महोदय, उसके बाद अब्दुल रहमान का प्रकरण आ गया। रेफरेंसेज हुए, गुलाब जी कोठारी की रिट पिटीशन पर। मैं गुलाब कोठारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी रिट पिटीशन पर कैचमेंट एरिया में अवैध तौर पर जो टेम्परेरी आबंटन हुआ, उसमें 638 रेफरेंसेज हुए। ये कब हुए? 2011 में, 11 साल पहले। यही रेवेन्यू बोर्ड 638 मामलों में से 338 पर 11 साल बाद फैसला करता है और 336 प्रकरण यथावत पड़े हैं। रामगढ़ का दम घोंटने के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?

सभापति महोदय, जब मैंने आपको कहा कि जनसंख्या बढ़ी, जोत बंटी, खेत पर दबाव बढ़ा, नामान्तरण खुले, खाता विभाजन, पत्थरगढ़ी, सीमा ज्ञान, सभापति महोदय, मैं आपको इन सारों में विलम्ब का कारण बताऊं। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। 10 जिलों के अन्दर दो सालों में, 2021 में सिर्फ खेत के अन्दर मेड़बन्दी को लेकर और रास्ते के विवाद को लेकर राजस्थान में जो हत्याएं हुई हैं, 2021 में 676 हत्याएं, 2020 में 645 हत्याएं। भरतपुर इसमें पहले पायदान पर रहा है, 187 हत्याएं भरतपुर में, 186 उदयपुर में, गंगानगर में 140, अलवर में 133, सीकर में 122, बीकानेर में 118, नागौर में 115, यह खून-खून का प्यासा हो गया, क्योंकि खेत का विभाजन हुआ, जोत बंटी, भाई-भाई में बंटवारा हुआ पर बीच का रास्ता नहीं। रास्ते के विवाद को राजस्व न्यायालय लेकर बैठ गया।

सभापति महोदय, जो बहनें हक त्याग करती हैं, अब हक लेने लग गयीं। इससे भी विवाद बढ़ गये। कोढ़ में खाज तब हो गया जब एस डी एम, ए सी एम और तहसीलदार इन सारे राजस्व मामलों में वर्षों तक फैसला नहीं करते। सभापति महोदय, ये जो एस डी एम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, महोदय विराजे हैं, मंत्री महोदय आ गये, प्रभारी मंत्री जी आ गये, वे सीमा पर लेने चले गये। ये प्रोटोकाल में लगे रहते हैं, मिज़ाजपुर्सी में लगे रहते हैं। हाईकोर्ट ने मजबूर होकर यह फैसला किया था। मैं आज फैसले की कापी भूल गया, लेकर नहीं आया 'कि हर राजस्व अधिकारी को सप्ताह में तीन दिन तक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अपनी अदालत में बैठना पड़ेगा' कोई नहीं बैठता। मैं समझता हूं कि न्यायालय में राजस्व अधिकारी नहीं बैठते। आपको डेडिकेटेड, अब वह समय आ गया है। मंत्री महोदय, अब राजस्थान में प्रोटोकाल के अन्दर आप अलग अधिकारी लगायें। राजस्थान में जो राजस्व न्यायिक विवाद हैं, उनको निपटाने के लिए आप अलग अधिकारी लगायें।

आजकल आप देखें रोज वी सी। हम अपने एस डी एम से बात नहीं कर सकते। आपका जिला कलेक्टर, जो उस जिले के राजस्व अपीलेट अथोरिटी का सबसे बड़ा अधिकारी है, जिसको रोज इजलास में बैठना चाहिए, वह 28 कमेटियों का चेयरमैन है। आपका एस डी एम 16 कमेटियों का चेयरमैन है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर आप निश्चित तौर पर विचार करें।

मैंने बढ़ती जोत की बात कही है। मंत्री महोदय, आप बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं। टीनेंसी एक्ट, 1955 के नियम 169 के तहत बना वह प्रारूप पी-267, सभापति महोदय, यह एक प्रारूप है, जिसमें जमाबन्दी को उसमें उतारने का प्रावधान है। इसमें जो क्षेत्रफल है, वह हैक्टेयर में इन्द्राज है, हैक्टेयर के हिसाब से है। अब जोत बंटती चली गयी। सभापति महोदय, मैं आज आपसे प्रार्थना करूंगा कि आज आप अपना खाता-खतौनी निकालकर देखना। संयुक्त परिवार का कोई आदमी, अपने खाता और खतौनी के आधार पर हैक्टेयर में इन्द्राज इस प्रारूप पी-267 के आधार पर अगर यह बता दे कि मेरी जमीन इस मुरब्बा नम्बर पर, इस खाता नम्बर पर इतने बिस्वा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन पुरानी परम्पराओं को बंद करें। अब बिस्वा और बीघा, क्योंकि जोत छोटी हो गयी है। आपको मालूम है कि राजस्थान में अभी 80 परसेंट लघु सीमान्त किसान हैं, दो हैक्टेयर से नीचे के किसान रह गये। सभापति महोदय, बहुत अन्याय हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हैक्टेयर की जगह पर आप बीघा और बिस्वा में करें।

मैं निवेदन करूं कि टीनेंसी एक्ट, 1955 है, उसमें जो रूल बने हुए हैं रूल 1831 में खाता विभाजन की प्रकिया दी है। खाता विभाजन का विवाद चला गया तो समझ लो कि इतनी पेचिदगियां हैं। मैं कोट कर रहा हूं, 'सेक्शन 53, रूल 1831' सभापति महोदय, इसका अन्तिम निस्तारण होता है, लड़ते-लड़ते लोग पहुंच जाते हैं मेरा हक इतना, तेरा हक इतना है, रेवेन्यू बोर्ड तक। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि खाता विभाजन करने वाला तहसीलदार या अधिकारी दोनों पक्षों के, दो पक्ष-चार पक्ष, उनके विभाजन के प्रस्ताव और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उनकी आपत्तियां तलब करेगा और खाता विभाजन से पहले मौके पर जायेगा, ताकि यह रास्ते का विवाद। सभापति महोदय, खून-खराबा रास्ते के कारण होता है। आज सुबह एक माननीय विधायक महोदय बोल रहे थे कि अगर दो भाई हैं, खाता विभाजन हो गया, एक कुआं है, कुआं एक भाई के खाते में चला गया, दूसरे भाई के खाते में नहीं आया, विवाद प्रारम्भ हो जायेगा। इसलिए मौके पर कोई अधिकारी नहीं जाता। इसलिए मेरा आपको सुझाव है, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अब जमाना डिजिटल इंडिया का है। अब ड्रोन से सर्वे का है। मौके पर आपके अधिकारी नहीं जाते हैं, या तो आप मौका कमिश्नर नियुक्त करना प्रारम्भ करें, ताकि विवाद नहीं हो, या ड्रोन से सर्वे कराकर इस खाता विभाजन के जो नियम बनाये हैं, टीनेंसी एक्ट, 1955 के सेक्शन 53 हैं, आप इसको करें।

आपने 2019-20 में क्या घोषणा की थी पैरा 165 में? 'अब नामान्तरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया कागज रहित ऑनलाइन हो जायेगी।' आपने ऑनलाइन चालू करवा दी? मंत्री महोदय, आपको मालूम है, यह जो लैण्ड टीनेंसी एक्ट, 1956 की धारा 133, 134 और 135, इसमें नामान्तरण दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। सभापति महोदय, उसके बाद 136 के अन्दर जिस दिन यह नामान्तरण खुलता है, उसी दिन तस्दीक करने का काम तहसीलदार का है। आपने तहसीलदार की तस्दीक के बाद उसको लॉक करने की बात भी लिखी है। आज मैं जयपुर की बात कर लूं। जयपुर के अन्दर 17 तहसीलें हैं। चार हजार से ज्यादा नामान्तरण, जब मैं इस सदन में अपनी बात कह रहा हूं। I may be wrong, I wanted to be wrong. अधिकारी लोग मेरी बात सुन रहे हैं। अगर जयपुर जिले के अन्दर 4 हजार से ज्यादा प्रकरण एक महीने से भी ज्यादा समय से लम्बित नहीं हैं तो आप मुझे कह दें। इसलिए मैं निवेदन करूं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए मैनेजमेंट सिस्टम को ऑनलाइन चालू किया है, सभापति महोदय, कोई काश्तकार यदि इसमें फंस गया तो चक्करघिन्नी बना रहता है। न तो इनका पोर्टल खुले, न उसको देख पाये कि मेरा मुकदमा कहां है। ऑफलाइन के अन्दर पेशकार भगवान है। पेशकारों ने किसान को, खातेदार को लूटने का जो काम किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो रास्ते का प्रकरण है, जिसके बारे में मैंने कहा है, टीनेंसी एक्ट के सेक्शन 251 (ए) में रास्ता निर्धारण करने के लिए 68 से 70 तक नियम बने हैं। 2012 में ही नियम बनाये थे। इसलिए बनाये थे, ताकि इसका विवाद ज्यादा नहीं बढ़े। आपके एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गिरदावर, एक तहसीलदार, क्योंकि उसमें प्रावधान है कि दोनों पक्षों को मौके पर जाकर रास्ते का करेगा, पर कोई एक आदमी और एक गिरदावर नहीं जाता है।

श्री सभापति: पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अभी तो बहुत कुछ है।

श्री सभापति: पांच मिनट में कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं मेरी राजस्व की बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय, आपका ध्यान तीन बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, मुझे थोड़ा-सा समय और दे दें।

जो चरागाह की बात मैंने कही, ये काश्तकारी अधिनियम, 1955 में सेक्शन 5(8) में चरागाह भूमि परिभाषित है। आज राजस्थान में 8 परसेंट चरागाह भूमि है। इसके प्रबन्धन का काम, अधिकार ग्राम पंचायत का है, परंतु चरागाह गायब, गोचर गायब, इनका सीमांकन नहीं, राजस्थान में इनकी पत्थरगढ़ी नहीं। इसका दोष आप पर नहीं, इसका दोष हमारे पर भी हो सकता है कि हम भी उधर बैठे थे। निशानदेही नहीं। आबादी विस्तार का प्रकरण आया तो चरागाह भूमि खतम। स्कूल का अगर मैदान बना तो चरागाह भूमि खतम, क्योंकि इस टीनेंसी एक्ट के चैप्टर 2 के सेक्शन 5 के सब-क्लाज 28 में और धारा 4 के सेक्शन 7 में किस्म परिवर्तन करने का अधिकार दे रखा है। आज पशुओं के लिए बैठने की जगह नहीं है।

एक ये अब्दुल रहमान का मामला आपके सामने आया। भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 16(2) में कृषि भूमि तब आबंटित नहीं की जा सकती जब वह नदी, नाले, तालाब में हो। इस मामले को लेकर 2004 में अब्दुल रहमान का मामला आया। अब्दुल रहमान के मामले के अंदर ये फैसला किया गया कि 15 अगस्त, 1947 की जो स्थिति थी, नदी, नाले अगर 1947 में बह रहे हों तो सारी जमीन को उसी रूप में किया जाए। हजारों रेफरेंसेज, ये जो 65,000 रेफरेंसेज रेवेन्यू बोर्ड में हैं, अब्दुल रहमान के प्रकरण के बाद हजारों रेफरेंसेज वहां चले गये।

सभापति महोदय, ये जो फैसला आया, ये जो एशियाड के अंदर रामगढ़ के अंदर जो हुआ, बाणगंगा का जो गला घोंटा गया, उसमें भी अगर ये गुलाब कोठारी जी के साथ अब्दुल रहमान का मामला नहीं आता तो ये जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

थोड़े-से अतिक्रमण हटे हैं, ये भी नहीं हटते। उसमें 2012 की खंड पीठ का फैसला आया। मंत्री महोदय, डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड डवलपमेंट वर्सेस स्टेट आफ राजस्थान, उसमें खंड पीठ ने कहा कि मौके पर अगर नदी, नाला नहीं है तो अब्दुल रहमान का लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2022 में अल्ट्राटेक वर्सेस राजस्थान सरकार में भी यही कहा, परंतु फिर भी आज जिस प्रकार हो रहा है और ये कोलोनाइजेशन एक्ट जो बना, उस कोलोनाइजेशन एक्ट के अंदर अब्दुल रहमान का प्रकरण लागू है ही नहीं। दुर्भाग्य की यह बात है कि आईजीएनपी रूल्स, 1975, भाखड़ा रूल्स, 1955 और उसके बाद भी उपनिवेशन क्षेत्र के अंदर हजारों रेफरेंसेज आपने वहां भेज दिये और किसान बर्बाद होता चला गया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि ये टहला वाला मामला तो आपको ध्यान होगा। टहला के अंदर जो भूमि आबंटन के नियम बने हुए हैं, 'प्रशासन गांवों के संग' के उस मामले में रसूखदारों ने जो जमीन की लूट की है, केशव कुमार, राजगढ़ के एस डी एम, उन्होंने ढाई सौ वर्ष पुराना शिव मंदिर तोड़ा, उन्हीं को पुरस्कृत किया। थानागाजी में लेकर चले गये और निलंबन हुआ 25 अप्रैल को, बैकडेट के अंदर इन्होंने 2,500 बीघा जमीन, 10 हजार करोड़ की जमीन नदी, नालों की जमीन को आबंटित करने का काम कर दिया। कलेक्टर ने कमेटी बनायी और कलेक्टर की कमेटी ने ये कहा कि 803 प्रकरणों में से 704 प्रकरणों में अनियमितता पायी गयी। आपने एक पटवारी, एक क़ानूनगो को निलंबित किया। 16 ग्राम पंचायतों में 17 पटवारी, 9 निरीक्षक, 2 तहसीलदार और 6 राजस्व अधिकारी, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराइए, मंत्री महोदय, ये रिपोर्ट मेरे सामने है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रकरण जब सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर बात खड़ी हो जाती है।

अंत में, मैं यही कहूंगा कि ये मंदिर माफी की जमीन की लूट जो मची हुई है, आपने खुद ने, एक बार आपके मंत्री महोदय ने जब दौसा में शंभू पुजारी का मामला आया था, 11/04/2021 को ये लिखित में वादा किया था कि हम राजस्व विभाग द्वारा मंदिर माफी की जमीन के संरक्षण हेतु विधिक और प्रशासनिक सुधार के संबंध में अधिनियम बनाने हेतु अन्य राज्यों का अध्ययन करेंगे। आज मैं निवेदन करूं, पूरी बात कहूंगा तो लंबा समय लग जाएगा। आपके आज सीकर हाईवे पर टांटियावास के अंदर ये आनंद लोक मुख्य स्कीम के अंदर मंदिर माफी की 100 करोड़ जमीन की टेम्परेरी एंट्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करके किसी के नाम चढ़ा दी। ये जितने पुजारी, और एक उच्च न्यायालय में तारा बनाम राजस्थान सरकार में जो आब्जर्वेशन दिये गये हैं पांच, सभापति महोदय, मुझे कहना बहुत था।

सभापति महोदय, मैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी, आपसे निवेदन करूंगा। आज सदन के अंदर धाणका और धानका, इस विवाद को लेकर कई माननीय सदस्यों ने बात की। मैं मेरी बात समाप्त करूं, इससे पहले आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, इसमें एस सी और एस टी का रिजर्वेशन हमारे संविधान के निर्माताओं ने दिया। आर्टिकल 342 के तहत जो शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब आर्डर अमेंडमेंट एक्ट, 1950 आया और 1979 के अंदर जिसका अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर एक एंट्री बनी है। उस एंट्री में धाणका, वह एंट्री नंबर 4 पर अनुसूचित जनजाति में है। सभापति महोदय, उसी के अंदर धानका और धानक्या, ये क्रम संख्या 19 और 20 में है। इसमें एक 09/08/2019 को समाज कल्याण ने आदेश जारी कर दिया कि धाणका इस लिस्ट में सम्मिलित है, इसलिए इनके सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दीजिए। आज हजारों व्यक्ति जिनको धानका लिखकर प्रमाण पत्र जारी हो गये, आज चक्करघिन्नी बने घूम रहे हैं।

सभापति महोदय, यही नहीं, इसी शिड्यूल के अंदर नायक और नायकड़ा, कितना बड़ा मजाक है। क्रम संख्या 57 पर थोरी और नायक एस सी में है और एस टी की क्रम संख्या 10 में नायकडा, चोली वाला नायक और कपाडिया नायका, ये एस सी में हैं। मैं समझता हूं कि ये कुछ ऐसी विसंगतियां हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को, जिन्होंने जब मीना और मीणा का विवाद हुआ, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर, परिपत्र जारी करके उस मामले को ठीक किया। आज इस मामले के अंदर निश्चित तौर पर आपको बात करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं मेरी बात को समाप्ति की ओर लेकर जाऊं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार अब जो राजस्थान डेट रिलीफ एक्ट लेकर आ रही है, आप लेकर आ रहे हैं, इससे पहले इसी सदन ने सिविल प्रोसिजर अमेंडमेंट एक्ट, 2020 पारित किया था। हमने सी पी सी के सेक्शन 60 की उपधारा (1) में एक परंतुक जोड़कर पांच एकड़ तक की भूमि को कुर्की से मुक्त रखा था। राजस्थान में 18 हजार किसानों की जमीनें नीलाम हो गयीं फसली ऋण नहीं चुकाने से। मैं समझता हूं कि, मंत्री महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 37 का अध्ययन जरूर करवा लें आप।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सेक्शन 37 ये कहता है कि राजस्थान के अंदर किसान की भूमि कुर्क नहीं की जा सकती, परंतु रोडा एक्ट ये कहता है, जो बना हुआ है, जिसको रिपील करना चाहिए कि, अगर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के सामने किसान डिफाल्टर है तो उसकी जमीन नीलाम होगी, इसलिए रोडा एक्ट को रिपील करने की बात कीजिए। ये नया एक्ट लाकर झुनझुना पकड़ाने की कोशिश मत कीजिए।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, ये जो पैरोकारी करते हैं राजस्व मंडल में, इनकी तनख्वाह है तीन हजार रुपये, पर वकील साहब जमे बैठे हैं, पैरोकारी वही करूंगा क्योंकि दूसरा मामला बहुत है। मतलब नरेगा के मजदूर से भी कम मजदूरी इनकी है।

मैं एक बात कह कर, ये जो कोलोनाइजेशन वाला मामला, कोलोनाइजेशन इलाके की बात सूरतगढ़ के एम एल ए साहब ने कही, उसमें एक हाई पावर कमेटी बनी थी। उसमें जोहड़ पायतन की किस्म उस वक्त बदल दी थी। कोलोनाइजेशन हुआ, नहरें आईं। जोहड़ और पायतन की आवश्यकता नहीं, डिग्गियां निर्माण हो गयीं। हजारों बीघा जमीन किसान को अलाट हो गयीं। जोहड़ पायतन की किस्म सरकार ने बदली, जमीन सरकार ने नीलाम की। अब अधिकारी चांदी कूटने के लिए रेफरेंसेज कर रहे है उन जमीनों को भी कि जोहड़ पायतन में किसानों को जमीन अलाट हो गयी। इसलिए, मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस मकड़जाल से किसान को बचाइए और विशेष तौर पर ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। अब तो मांग उठने लग गयी कि किसान को भी अब सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार हरियाणा की तरह सरकार दे। सिविल कोर्ट में किसान की लूट कम होगी, क्योंकि सारे एस डी एम कार्यालय लूट का अड्डा बन गये। सारे कलेक्टर्स सरकार की सरपरस्ती के अंदर, सरकार के आला-अधिकारियों के कारण, सचिवालय से निर्देश जारी होने लग गये। मैं दर्शक दीर्घा में उनको संबोधित नहीं करूंगा, परंतु उन्हें चेतावनी दे रहा हूं मैं, ये आप सचिवालय से आदेश कलेक्टर को करके जमीनों को खुर्द-बुर्द करने में और भ्रष्टाचार की गंगा के अंदर हाथ धोने का जो काम कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं हम आ रहे हैं ज्यादा समय नहीं है। नौ महीने बाद आएंगे, जुडिशियल कमीशन बनाएंगे और ये जमीनों की लूट को नाक से निकालकर रहेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हम आ गये हैं और हम ही रहेंगे, चिन्ता मत करो आप।

माननीय सभापति महोदय, आज बजट अनुदान की मांग संख्या 31 के अवसर पर आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री, आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने इस ऐतिहासिक बजट के अन्दर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भी ऐतिहासिक रूप से शामिल रखा।

बहुत ही लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी के द्वारा पिछले कार्यकाल के अन्दर पेंशन में जो सहूलियत दी गई, आम व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का पहला हथियार दिया गया, उसको बढ़ाकर इस बजट में एक हजार रुपये किया गया, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। यही नहीं, हर साल आटोमेटिक बिना किसी घोषणा 15 परसेंट पेंशन बढ़ाई जाएगी, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब तक जो पेंशन की राशि बढ़ाई है तथा जितनी सहूलियतें दी हैं, वे आदरणीय अशोक जी गहलोत द्वारा की गई हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं उप नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा, इसका सबसे बड़ा नतीजा है, चार साल के अन्दर साढ़े सैंतीस लाख नये पेंशन के साथी जुड़े हैं, जिनकी हमने मदद की है।

श्री सभापति: अब तो नेता बनने जा रहे हैं, उप नेता क्यों कह रहे हो। अब तो नेता बनने जा रहे हैं, उप नेता काहे को कह रहे हो।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बन जाएंगे जब। अब इनकी तरह बनने का बहुत ज्यादा शौक है, पता नहीं किस-किस लाइन में, कितने-कितने लोग लगे हुए हैं। यह फाइनल या तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आसन पर आप विराज रहे हैं। बाकी यह जरूर है कि उधर संघर्ष कड़ा है। कई बार संघर्ष में ही रह जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब यह पेंशन बनी तब पेंशन के लिए आम व्यक्ति को कभी पटवारी के, कभी सरपंच के, कभी बी डी ओ के, कभी एस डी एम के, कभी ट्रेजरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। दो महीने से लेकर दो साल तक उस व्यक्ति को परेशान होना पड़ता था। हमने हमारे पेंशनर्स की सुविधा के लिए जनाधार से इसको जोड़ा। मैं यह कहना

(श्री टीकाराम जूली)

चाहूंगा कि आज जो पेंशन बन रही है, मात्र दो मिनट में पेंशन बन रही है, मात्र दो मिनट में। अब हर महीने किसी व्यक्ति को ट्रेजरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, एस डी एम से बिल बनवाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही महीना पूरा होता है, उसकी पेंशन उसके अकाउंट में आ जाती है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अंदर हमने एक और अच्छा काम किया है। कई बार एक बात आती है जीवित प्रमाण पत्र की। जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए जो वेरिफिकेशन होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं। हमने अभी 15 दिन पहले मोबाइल के माध्यम से एक एप शुरू किया, फेस से ही वह पहचान लेगी और जीवित होने का प्रमाण पत्र दे देगी। इसका सफल होने का प्रमाण है, मैं आपको कहना चाहूंगा, 16 दिन के अन्दर 18 हजार लोगों ने घर बैठे अपने मोबाइल से अपना वेरिफिकेशन करा दिया। उसको ई-मित्र पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की सहूलियत हम विभाग के अन्दर दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं पालनहार योजना की बात करना चाहूंगा। यह योजना आपकी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी द्वारा शुरू की गई थी। उस समय इस योजना के अन्दर जो लाभार्थी थे, मात्र 368 बच्चे थे, जिनको आप लोगों ने लाभान्वित किया था। सभापति महोदय, उस समय 500 रुपये मिलते थे। यह योजना, आजकल कहते हैं न रेवड़ी, इस प्रकार से लागू की थी। सही मायने में इस योजना का लाभ हमने दिया है। इन चार साल में, सवा तीन लाख के आस-पास नये बच्चों को जोड़ा है। आज पौने सात लाख बच्चे पालनहार योजना का लाभ उठा रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट घोषणा के अन्दर, जो राशि है उसको बढ़ाया। 500 रुपये मिलते थे उसको 750 तथा एक हजार रुपये मिलते थे उसको एक हजार 500 रुपये उनके लिए किये हैं। जो अनाथ बच्चे हैं, कोरोना में यह स्कीम शुरू की गई थी, 2 हजार 500 रुपये, आज हम अनाथ बच्चों को 2 हजार 500 रुपये हर महीने पालनहार योजना के अन्दर दे रहे हैं। जिन बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया, कोरोना में जो लोग चले गये, वह कह रहे थे कि अब इन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, हमने एक कहावत सुनी है, गांव में एक बात होती है कि जब भगवान ने चोंच दी है तो चुग्गा भी देगा। आज इन अनाथ बच्चों का चुग्गा लेकर कोई आया है तो

(श्री टीकाराम जूली)

राजस्थान का यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक गहलोत आया है, जिसने कहा है कि अब इन बच्चों को नौकरी देंगे, 18 साल पूरे होने पर 5 लाख रुपये की मदद देंगे। मदद देंगे नहीं, मदद दे रहे हैं।

कोरोना के अन्दर क्या हुआ? कोरोना के अन्दर जो हालत बनी, किसी से छिपी हुई नहीं है। देश के प्रधान मंत्री को जो नियम पहले लागू करने चाहिए थे, बाहर से जो फ्लाइट्स आ रही थीं, जिनको रोकना चाहिए था, उनको नहीं रोका और कोरोना देश के अन्दर फैल गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस हिन्दू धर्म की आप बात करते हैं, जिस गंगा की बात करते हैं, यूपी के अन्दर गंगा में शवों को बहाया गया। लाशें गंगा के अन्दर डाल दी गईं आपके द्वारा। राजस्थान को आक्सीजन नहीं दी गई। हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया गया। इन हालात के अन्दर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोरोना सहायता के लिए, चाहे इंजेक्शन मंगाने के लिए अपना स्पेशल प्लेन भेजना पड़ा हो, चाहे आक्सीजन के लिए हमारे मंत्रियों को दिल्ली जाना पड़ा हो। हास्पिटल्स की चाक चौबंद व्यवस्था रही, ऐतिहासिक है। पूरे देश के अन्दर अगर मेडिकल की सबसे अच्छी सुविधाएं थीं तो राजस्थान के अन्दर थीं। बी जे पी शासित प्रदेशों के लोग, चाहे वे यू पी के हों, हरियाणा के हों, मध्यप्रदेश के हों, गुजरात के हों, वे लोग राजस्थान के हास्पिटल्स के अन्दर एडमिट हुए थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने सुबह एक फोटो का जिक्र किया। फोटो की कोई लालसा नहीं है। हमारा तो एक फोटो, अशोक गहलोत को सब लोग जानते हैं, उसी में सबकी श्रद्धा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लोगों को पूर्व मुख्य मंत्री जी के फोटो से क्या परहेज है? कल ही किसी बच्चे ने आपके कार्यालय पर लगा दिया, एक ही दिन में आपने होर्डिंग उतरवा दिया। आपके कार्यक्रमों में लग जाते हैं तो होर्डिंग उतार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, आपने इस ओर इशारा किया। मेरी फोटो जहां लगनी चाहिए, वहां लग रही है, बहुत अच्छे से लग रही है। मैं तो चाहता हूं कि मैं जहां पर आया हूं, दो लाइनों के साथ मैं कहना चाहूंगा।

"हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं,
जरूरतमंदों की जरूरत का सामान बन जाऊं,
बन के नेता, नेतागीरी करने का शौक नहीं है मुझे,
चाहत है समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं,

(श्री टीकाराम जूली)

दूसरा नाम बन जाऊं।

नाम की, फोटो की, चाहत की, आप लोगों को जरूरत है।"

माननीय सभापति महोदय, हमारी तीसरी स्कीम, जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसके लिए काफी माननीय सदस्यों ने कहा, वह है अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसकी संख्या अब 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दी है। माननीय सभापति महोदय, आई ए एस की कोचिंग के लिए 75 हजार तक। मेडिकल, इंजीनियरिंग के लिए 80 हजार रुपये प्रतिवर्ष तक। आर ए एस की कोचिंग के लिए 50 हजार रुपये तक। अन्य सभी पदों के लिए, अलग-अलग राशि हम डायरेक्ट कोचिंग को भुगतान करते हैं।

सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बच्चे बाहर से आकर वहां रहते हैं, उन कोचिंग करने वाले बच्चों को 40 हजार रुपये खाने-पीने के लिए हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से दिये जाते हैं। आपके समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने शुरू की। हमारे जो बच्चे हैं अगर वे किसी सरकारी संस्थान के अन्दर प्रवेश लेते हैं तो आज उनको प्रवेश लेने पर सरकार की तरफ से ...(व्यवधान)

(समय: 20.00 बजे)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपके कार्यकाल में जीरो-जीरो था। मैं यह कहना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। क्या हो रहा है यह? मंत्रीजी, एक मिनट। माननीय सदस्य, प्लीज आप विराजिये। आप इतने वरिष्ठ हैं कि मुझे कहते हुए भी संकोच हो रहा है। आप इतने वरिष्ठ हैं और इस तरह का आचरण है आपका? प्लीज, सहयोग करें। यह ठीक नहीं है इस तरह का आचरण आपका। मंत्री अपनी बात कह रहे हैं और आप बीच में बार-बार खड़े हो रहे हैं। प्लीज, सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले पांच साल में क्या हुआ। पेंशन नहीं बढ़ाई गयी। पालनहार के लाभार्थियों की स्कीम में किसी भी प्रकार की राशि और किसी भी प्रकार की श्रेणी नहीं बनायी गयी। एस.सी., एस.टी. वाल्मीकि कोष का गठन नहीं किया गया पिछली सरकार के अन्दर। राजस्थान में गरीब लोगों को जो अनुदानित लोन देते हैं उसके अन्दर किसी भी प्रकार का आपने आयोग का गठन नहीं किया। आपने विप्र बोर्ड का, केश कला बोर्ड का, डी.एन.टी. का, किसानों के लिए वीर तेजाजी बोर्ड का गठन आप लोगों ने नहीं किया, यह गठन हम लोगों ने किया है।

सारे लोग यह कह रहे थे कि हॉस्टल खराब है, हॉस्टल खराब है। चद्दरें गंदी हैं तो एक दिन में खराब हो गये क्या? हमारी सरकार आने के बाद में ही यह खराब हो गये क्या? आप लोगों ने इतने सालों से, यहां पर तो यह ट्रेंड रहा है कि एक बार ये रहे हैं और एक बार हम रहे हैं। अबकी बार यह ट्रेंड बदल रहा है, माननीय सभापति महोदय, आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। आपने न तो उनके खाने की राशि बढ़ाई, न हॉस्टल के अन्दर मरम्मत के लिए आपने पैसे दिये। हमने 58 करोड़ रुपये मरम्मत के हॉस्टल्स के अभी जारी किये हैं और 100 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अन्दर हॉस्टल्स की मरम्मत के लिए दिये हैं। आप हमारे हॉस्टल्स के अन्दर जाइये तो आपको वहां पर मैस मिलेगी, आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा, बच्चों को पढ़ने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा, एल.ई.डी. टी.वी. मिलेगा, वाटर कूलर मिलेगा, आर.ओ. का पानी मिलेगा और बच्चों को गर्म पानी के लिए गीजर मिलेगा। हमारे हॉस्टल के अन्दर आप जाकर देखें, ये सारी चीजें हमने शुरू कर दी हैं और हॉस्टल में इनका लगभग काम हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, बच्चों को खेलने के लिए 25 हजार रुपये खेलों के सामान के लिए हमने हर हॉस्टल के अन्दर दिये हैं। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों के समय में जो हमारे बच्चे थे उनके विकास के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। आपको मालूम है, कई लोग अभी हॉस्टल की डिमांड कर रहे थे कि हमारे यहां पर हॉस्टल बना दिये जाएं। आप लोगों ने पांच साल में कितने हॉस्टल बनाये? आपको नहीं पता है, मैं बताता हूं। आप लोगों ने 7 हॉस्टल बनाये हैं पांच साल

(श्री टीकाराम जूली)

के अन्दर, केवल 7 हॉस्टल और हम लोगों ने चार साल के अन्दर 59 हॉस्टल बनाये हैं और इस साल 30 हॉस्टल और हम बना रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमने गरीब की सोची है, उस मजदूर की सोची है, उस किसान की सोची है, उस पिछड़े की सोची है, हमने बराबरी की लड़ाई लड़ने की सोची है। आप लोग हमेशा बात करते हो अगड़ों की, पर हम बात करते हैं अगड़े और पिछड़े सब लोगों की। कांग्रेस की यह विचारधारा है कि सबको समान रूप से चलने के लिए आज 75 साल के बाद में अगर टीकाराम जूली यहां पर बैठा है, यहां पर बोल रहा है, कैबिनेट के अन्दर एस.सी. के अगर चार-चार मंत्री दिये हैं तो इस कांग्रेस सरकार ने दिये हैं। आप लोगों ने तो कितने मंत्री बनाये, यह आप खुद जानते हैं। 75 साल में पहली बार शिड्यूल्ड कास्ट का अगर चीफ सैक्रेटरी दिया है तो इस सरकार ने दिया है। पहली बार एस.सी., एस.टी. कानून इस विधान सभा के अन्दर अगर पारित कराया तो कांग्रेस सरकार की बदौलत है, जो यहां पर कानून पारित हुआ है कि एस.सी. की जनसंख्या, जिस आबादी के तहत इस स्टेट के अन्दर है, जो राज्य का बजट है उसी के माध्यम से यहां पर खर्च किया जायेगा।

आज प्रमोशन में आरक्षण आप लोगों ने दिया है? जिस सरकार ने हमें दिया है, आरक्षण दिया है, जमीन दी है, बराबरी का हमें आने का हक दिया है, अगर आरक्षण हमें दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपके नेताओं के तो साल छह महीने में एक-दो बयान आ जाते हैं कि हम आरक्षण को खतम करेंगे। आप लोगों ने तो एट्रोसिटी कानून को कमजोर करने की साजिश रची और पूरे देश के अन्दर जिस प्रकार से एस.सी. के लोग एकजुट हुए तब आप लोगों को पता चल गया। आप लोगों की सरकार की प्राथमिकता में हम लोग बहुत पीछे हैं, मैंने तो कल ही बताया था आपको। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आपने कल कहा कि पांच परसेंट वोट ही आप लोगों के इधर से उधर हुए हैं और एससी. अगर हमें वोट दे देती तो आज हम इधर नहीं बैठते। एस.सी. आपको वोट देगी भी नहीं। आप लोगों की यह मंशा है, आपने 50 परसेंट वोटों में आधा परसेंट छांट लिया। आपने कैसे छांट लिया? आपने यह कैसे छांट लिया कि आपको हराने में 36 बिरादरी का योगदान है और एस.सी. सबसे आगे रहेगी, क्योंकि बी.जे.पी. ने कभी भी एस.सी. के बारे में नहीं सोचा है। आपने कोई काम पिछले पांच वर्षों में नहीं किया। आज हमने सहूलियत दी हैं, वह गरीब आदमी, एस.सी. का आदमी

(श्री टीकाराम जूली)

वेरिफिकेशन नहीं करवा सकता, उसका पेंशन का फार्म सबसे लास्ट में भरा जाता था, उसके बच्चों को एडमिशन सबसे लास्ट में मिलता था। पालनहार योजना में वह चक्कर काटता था। कई लोगों ने कहा कि पालनहार में पैसा समय पर नहीं आता। आपके समय में दो-दो, तीन-तीन साल से पैसा नहीं आता था। हमारी सरकार ने इस प्रकार के प्रावधान किये हैं कि कोरोना के बाद में लगातार और कोरोना का भी पिछला पैसा हमने दिया है।

माननीय सभापति महोदय, केशोरायपाटन से आने वाली माननीय सदस्या ने यह कहा कि आप लोगों ने बजट घटा दिया। हमने बजट नहीं घटाया। 2019-20 में बजट इसलिए ज्यादा था कि हमारी सरकार बनने के बाद में पिछले दो वर्षों में एस.सी., एस.टी. के बच्चों को छात्रवृत्ति हमने दी, इसलिए उस साल वह बजट ज्यादा बढ़ा है। 25 के 25 सांसद यहां से जीतकर गये हैं। एट्रोसिटी का पैसा, एस.सी. की छात्रवृत्ति का पैसा और जो हमारी अन्य योजनाएं हैं, जिसमें भारत सरकार का पैसा हमें मिलता है, वह पैसा हमें नहीं मिल रहा है। दो-दो साल से नहीं मिल रहा है। आज ओ.बी.सी. के बच्चे छात्रवृत्ति के लिए परेशान हो रहे हैं, पर भारत सरकार से यह पैसा नहीं मिल रहा है। कभी नये अकाउंट खुलवाते हैं, कभी यह कहते हैं कि पहले आप पैसे डालो, कभी कहते हैं कि बच्चों की डिटेल डालो, यह कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ, जिस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज अगर सबसे ज्यादा कहीं पर कोई आंच आ रही है तो इस देश के संविधान पर आ रही है। संविधान को किसी न किसी तरीके से कमजोर किया जा रहा है और आज का जो हमारा विषय है समाज कल्याण, समाज कल्याण तब ही सही मायने में सही साबित होगा, जब हम सब लोगों को बराबरी में लाने की बात करेंगे।

मैं दो लाइनें बाबा साहब अंबेडकर की पढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने कहा कि- 'हर तबके का उत्थान होना जरूरी है, हर गरीब का सम्मान होना जरूरी है, भगवान होना तो दूर की बात है, पहले इंसान का इंसान होना जरूरी है।' आप देखिये कि ये लोग इंसान में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं?

(श्री टीकाराम जूली)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के द्वारा जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक सपना देखा है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि राहुल गांधीजी ने न्याय योजना की बात कही थी। वह भारत सरकार आने पर कही थी और भारत सरकार हमारी थी तो इस गरीब को सहूलियत देने के लिए आर.टी.ई., आर.टी.आई., खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा कानून जैसे कानून देकर इस गरीब को मजबूत करने का काम किया है तो हमारी भारत की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया और आज भी राजस्थान का सामाजिक सुरक्षा का जो मॉडल है, जिसके लिए अशोक गहलोतजी आज सब जगह कह रहे हैं, जिसकी तारीफ हो रही है, आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज यहां पर हम पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को दे रहे हैं, एकल नारी को दे रहे हैं, विशेष-योग्यजन को दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, पालनहार का लाभ हम दे रहे हैं। कन्यादान योजना के अन्दर हम सहयोग कर रहे हैं। वृद्धाश्रम, बाल गृह, नारी निकेतन हम बना रहे हैं। बेघर उत्थान पालिसी हम लेकर आये हैं और निर्माण श्रमिकों को यहां पर योजनाएं हम दे रहे हैं। सिलिकोसिस नीति उनके लिए दे रहे हैं, यह हमारी सामाजिक सुरक्षा है।

स्वास्थ्य के लिए 25 लाख रुपये का बीमा और दस लाख रुपये का एक्सीडेंटल क्लेम, निरोगी राजस्थान जैसी योजना, यह हमारी सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा है। 25 लाख का हमारा बीमा है, यह हमारी सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा है। बच्चा अगर एजुकेशन के लिए जाता है तो नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क यूनिफार्म, आवासीय विद्यालय, आवासीय हॉस्टल, छात्रवृत्ति, अनुप्रति योजना, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कालीबाई स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, दिव्यांगजन स्कूटी योजना, यह हमारा सामाजिक सुरक्षा मॉडल है राजस्थान का। आज हम पोषण की बात करें तो आंगनबाड़ी केन्द्र के अन्दर अनाज, स्कूल आंगनबाड़ी पर दोपहर का गर्म भोजन, मुख्यमंत्री बालगोपाल योजना, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, एक रुपये किलो गेहूं योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अब तो मुख्य मंत्रीजी ने पूरा रिकार्ड ही तोड़ दिया, अन्नपूर्णा पैकेट और पांच सौ रुपये में सिलेंडर की योजना, जो राजस्थान के अन्दर है, ऐसा मॉडल आपको और कहीं नहीं मिलेगा।

रोजगार के लिए महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना, इन्दिरा गांधी शहरी

(श्री टीकाराम जूली)

क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना और व्यवसाय हेतु किट और लोन, यह राजस्थान मॉडल है, यह है सामाजिक सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल जो राजस्थान अपना रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह मॉडल आपको देश के दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा जो हमने यहां पर करके दिखाया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्रीजी को भी पत्र लिखा है कि आप लोग यह व्यवस्था कीजिए।

आज बच्चे फार्म भरते हैं, छात्रवृत्ति के लिए पहले परेशान होते थे। आज जो ये बातें कह रहे हैं, वे सब पुरानी हैं। आज बच्चे को सिर्फ एप्लाई करना है। अपना जनाधार कार्ड डालेगा। उसका जितना भी डेटाबेस है, उसका जाति प्रमाण-पत्र, उसका निवास प्रमाण पत्र, उसका आय प्रमाण-पत्र, सीबीएसई बोर्ड, उसका राजस्थान बोर्ड, इन सबसे उसकी डिटेल हम लेंगे और बच्चे को एस एम एस से सूचित करेंगे। उसकी 50 हजार तक की स्कालरशिप सीधे उसके खाते में जायेगी। प्राइवेट अगर कालेज है तो फ्रीशिप कार्ड, एक प्रकार की गारंटी, पहले तो यह स्कीम थी कि बच्चा अपने पास से पैसा देता था फिर सरकार उसका पुनर्भरण करती थी, आज हम इस प्रकार की स्कीम लेकर आये हैं कि फ्रीशिप कार्ड देंगे। बच्चे की गारंटी देंगे कि इस बच्चे की स्कालरशिप हम देंगे। इसकी फीस हम देंगे। बच्चे को आप पढ़ाइये। इस प्रकार की योजनाएं यहां पर हैं।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना के समय में समाज कल्याण विभाग की तरफ से 5500-5500 रुपये गरीबों के खाते में हमने डाले। जिसको कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था, वह लाभ हमने उनको उपलब्ध करवाया। हमारे विशेष योग्यजन हैं, 100 परसेंट दिव्यांगजन हैं, मेरे एक साथी ने बात रखी थी कि उनको हजार रुपये की घोषणा की थी, वह घोषणा नहीं है, वह पैसा डल चुका है, उनके खाते में आने लग गया। आप चैक करवा लेना। यह पुरानी बात है, जो आप कह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, दो लाइनें और कहना चाहूंगा कि-

'मरहम लगा सको तो गरीब के जख्मों पे लगाना,
कि मरहम लगा सको तो गरीब के जख्मों पे लगाना,
हकीम बहुत हैं बाजार में, अमीरों के इलाज के लिए।'

(श्री टीकाराम जूली)

आप जिनके हेलीकाप्टर में घूम रहे हैं न, जो बातें आप कर रहे हैं वे चलने वाली नहीं हैं। आज जरूरत है, तो गरीब के लिए काम करने की है। आप ऐसी कोई एक स्कीम बता दीजिए जिसमें आपने गरीबों का भला किया हो। आपने हमेशा गरीबों की स्कीम्स को काटा है, उनको रोका है। रोकने का काम आप लोगों ने किया है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आपके समय में आपने समाज कल्याण को कभी भी समाज कल्याण विभाग नहीं समझा। आप लोगों का जो बजट होता था उसमें हमेशा समाज कल्याण विभाग की अनदेखी होती थी। उसको देखा नहीं जाता था, क्योंकि इनको पता है कि यह गरीब लोगों का विभाग है, इसमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सारे काम अब हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, हमारे भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात रखी थी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक यह लड़ाई जो असमानता की है, यह खतम नहीं होगी, तब तक यह लड़ाई हम और कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेंगे। आज देश की आधी पूंजी एक व्यक्ति के हाथ में है और किसान की आमदनी 27 रुपये रोज। यह नहीं दिखती आपको?

माननीय सभापति महोदय, जिस व्यक्ति ने यह कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, यह कही लाल किले की प्राचीर से। सबसे पहले वह लाल किला ही प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया। आज रेल आपने बेच दी, एल आई सी आपने बेच दी, भेल इण्डिया, गेल इण्डिया आपने बेच दी, एयरपोर्ट, बन्दरगाह, सारे आप लोगों ने बेच दिये, बी एस एन एल आपने बेच दी।

अभी एक साथी कह रहे थे आरक्षण। आरक्षण मांग लो। आरक्षण की जरूरत ही कहां रहेगी। नौकरियां तो सब प्राइवेट में चली गयीं। सरकारी कुछ बचेगा नहीं। दूर जाने की जरूरत नहीं है। जयपुर एयरपोर्ट पर चले जाओ। पहले सी आई एस एफ के पांच सौ लोग थे। अब पांच सौ के 250 कर दिये और उनको भी हटा कर प्राइवेट लोग आ जायेंगे। सरकारी लोगों की छुट्टी कर दी है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार का काम पैसा कमाने का नहीं होता है। सरकार का काम प्रदेश की जनता को, उनकी जो जरूरतें हैं चाहे वह शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे रोटी, कपड़ा और मकान की बात हो, ये सारे काम सरकार के हैं। प्रोफिट लाने के लिए नहीं हैं। हम रेलवे को इसलिए नहीं चला सकते कि हम इससे प्रोफिट कमायेंगे। रेलवे लोगों को सुविधा देने के लिए है, रोडवेज लोगों को सुविधा देने के लिए है। आप इन गरीब लोगों से प्लेटफार्म की टिकट मांग रहे हो। किराया आप बढ़ाते जा रहे हो। आपने दूध,

(श्री टीकाराम जूली)

छाछ, दही, नमक, कफन सब पर टैक्स लगा दिया। हिन्दू की बात करते हैं, अगरबत्ती पर भी टैक्स लगा दिया। यह हालत इन लोगों की है। इन गरीबों से पैसा लेकर क्या अमीर बनना चाहोगे?

माननीय सभापति महोदय, यहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करना चाहूंगा। आज कोई पेंडेंसी नहीं है। हमारी ज्यादातर योजनाएं जो हैं 99.99 परसेंटेज पर काम कर रही हैं। गलत आदमी एप्लाई नहीं कर सकता, सही आदमी रुक नहीं सकता। सीधा एप्लाई करेगा, उसके पैसे आयेंगे। छह महीने की छूट हमने पहले से दे रखी है। छह महीने के अलावा भी कोई आता है तो उसका फार्म स्वीकार करते हैं। कोई न कोई तो हमें गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी न कि कब तक एप्लाई कर सकता है। शादी आज कर ली और वह छह महीने तक भी फार्म नहीं लगाये, उसकी गलती है। फिर भी उसके बाद भी अगर कोई आता है तो हम उनको छूट देते हैं और उनका फार्म एक्सेप्ट करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने कहा कि नवजीवन योजना के कोई आपके फार्म हैं। नवजीवन योजना का सबसे अच्छा काम पाली में चल रहा है। बच्चों को वहां पर एडमिशन भी है, वहां पर बच्चों को ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। पाली का बहुत अच्छा हॉस्टल है, मैंने वहां खुद ने अधिकारी से बात की है। आगे भी अगर आप कोई बतायेंगे और कोई कमी रह गयी तो उसको भी हम पूरा करेंगे।

मैं फिर कहना चाहूंगा जिन-जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर बात रखी है अपने हॉस्टल्स के लिए, कुछ आप करो, कुछ मैं करता हूं। 30 परसेंट आप दो और 70 परसेंट मैं देता हूं। लो, कितने पैसे चाहिए आपको हॉस्टल्स के लिए। कराओ मरम्मत। आप आगे तो आओ। कुछ तो खुद भी करो। एस सी के 5 परसेंट वोट में आप हमें ढूंढ रहे हो। माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष, कुछ हमारी तरफ भी देख लो। समाज के जो गरीब लोग हैं जो सदियों से प्रताड़ित रहे, परेशान रहे।

माननीय सभापति महोदय, आज वृद्ध कल्याण योजना हमारी चल रही है। हमारे शक्ति सदन चल रहे हैं। नवजीवन योजना हमारी चल रही है। कोई भी ऐसी स्कीम, जिससे आमजन को लाभ मिलता हो, ऐसा कोई भी वर्ग हमने नहीं छोड़ा है कि वंचित तबकों को हम लाभ नहीं दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप एट्रोसिटी के मामले की बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हो। आप कहते हैं कि एट्रोसिटी सबसे ज्यादा राजस्थान में ही

(श्री टीकाराम जूली)

हो रही है। जो पीड़ित परिवार है, उसको जो लाभ मिलता है, वह पैसे दिये आपने? चार साल, पांच साल आपकी सरकार रही। आपने कभी सोचा कि उनको भुगतान कैसे हो? वह पीड़ित परिवार चक्कर काटता रहता था। आज उस परिवार को भी हमने डायरेक्ट थाने की एफ आई आर से जोड़ा है। एफ आई आर होते ही सीधे एप्लीकेशन कलेक्टर के पास आती है और वहां से यस होते ही हम पैसे का भुगतान कर रहे हैं। उसमें भारत सरकार का भी हिस्सा है। भारत सरकार नहीं देती है और हमें यह कहती है कि आप ही दो, हम पुनर्भरण करेंगे। आपको थोड़ी-सी भी राजस्थान की जनता की चिन्ता है तो मैं इस भरे सदन में एक बात कहना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरी एक-एक बात सही है। पेंशन आज हम लोगों को दे रहे हैं। जब पेंशन शुरू हुई थी तब उसका नाम इन्दिरा गांधी पेंशन योजना था और भारत सरकार उसके अन्दर मदद करती थी। आज उस पेंशन के अन्दर 94 लाख के लगभग परिवार हैं, उसके लिए मात्र 4 परसेंट पैसा भारत सरकार देती है और वह भी पुनर्भरण करवाती है। 100 परसेंट पैसा हम देते हैं। 4 परसेंट वापस देते हैं। 367 करोड़ रुपये मात्र देते हैं। कैपिंग है। जो व्यक्ति नियम में आ रहा है उसके बावजूद भी वह पेंशन का पात्र नहीं है। 367 करोड़ रुपये और 11 हजार कुछ की संख्या इन्होंने फिक्स कर दी। इससे ज्यादा को हम पेंशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? यह अजीब दादागीरी है। जो उसके अन्दर पात्र है, पात्र को भी आप लोग रोक रहे हैं। इसके लिए हमने आपसे कई बार पत्राचार किया, लेकिन आपके द्वारा कभी हमें इस चीज का दिल्ली से कोई जबाव नहीं आया।

माननीय सभापति महोदय, सविता बेन अम्बेडकर अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है। उसके अन्दर पहले हम 05 लाख रुपये देते थे, अब उस राशि को बढ़ा कर हमने 10 लाख रुपये कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं दिव्यांगजन की बात करना चाहता हूं। (व्यवधान) यही तो आपकी सोच है।

श्री सभापति: प्लीज। प्लीज। डिस्टर्ब नहीं।

एक माननीय सदस्य: 000

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सामंतवादी नहीं। जोजावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा दिव्यांगजनों के लिए

(श्री टीकाराम जूली)

आपने क्या किया? आज दिव्यांगजन के प्रति राजस्थान के अंदर सहानुभूति अगर किसी ने दिखाई है तो प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा दिखाई गयी है। मैं इस अवसर पर दो लाइन कहूं। शकुन्तला जी कह रही हैं कि दो लाइन कहो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि दिव्यांगजनों को 2 हजार स्कूटी हमने पिछले साल बांट दीं। मार्च तक 5 हजार स्कूटी, हम लगभग सारी बांट देंगे। 5 हजार स्कूटी अगले साल के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उन दिव्यांगजनों के लिये दीं। मेरे भी पैर में फर्क है, मैं समझता हूं एक दिव्यांग की भावना क्या होती है। आज उस दिव्यांग के लिये आरक्षण नहीं था। उस दिव्यांग के लिये अगर आरक्षण किया है तो अशोक जी गहलोत ने किया है। उस दिव्यांग को प्रमोशन में आरक्षण दिया है तो अशोक जी गहलोत ने दिया है। उसका जो भत्ता है, जो 40-50 रुपये मिलता था, उसको भी 400 और 500 किया है तो अशोक जी गहलोत ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि प्रदेश का पहला और देश का दूसरा बाबा साहब आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर बन रहा है, जिसका बिल हमने विधान सभा में भी पुर:स्थापित कर दिया है और बहुत ही जल्दी आपके आदेशों से वह लागू होगा। यह एक नई पहल है। यूनिवर्सिटी हम लाये हैं, दो-दो कालेज हम लेकर आये हैं। एक जयपुर के अंदर दूसरा जोधपुर के अंदर है। हमने इनके लिये स्कूल शुरू किये हैं। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिये कालेज हमने शुरू किया है। यहां पर बच्चों का बौद्धिक पुनर्वास केन्द्र बन रहा है। इसके लिये पौने 9 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गये हैं। टेंडर हो गये हैं और वहां पर काम चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, राजकीय बौद्धिक दिव्यांग प्रशिक्षण केन्द्र में विशेष शिक्षा के विद्यार्थियों के लिये श्रवण बाधित क्षेत्र में डिप्लोमा पहली बार शुरू हुआ है। बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में बीएड. पहली बार शुरू हुआ है। इस सरकार ने इस प्रकार के काम किये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक बहुत गंभीर बीमारी सिलिकोसिस के बारे में थोड़ा-सा जिक्र करना चाहूंगा। कई माननीय सदस्य इसके बारे में चिंतित रहते हैं और मैं भी कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसी बीमारी है कि कैंसर में भी आदमी हो सकता है बच जाये, लेकिन सिलिकोसिस के अंदर नहीं बचता है। यह बीमारी डस्ट से होती है। इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हो। समाज कल्याण को यह अभी मिली है। पहले कई प्रकार की परेशानियां थीं। हमने इसमें सहूलियत की है कि जहां भी इस प्रकार का कोई पेशेंट आता है, हास्पिटल के अंदर जायेगा, ऑनलाइन पूरा सिस्टम कर दिया। वहां पर उसका एक्स-रे होगा। एक्स-रे में अगर उसको सिलिकोसिस है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसकी पेंशन, उसको बी पी एल के समान सारे काम, उसके बच्चों के लिये पालनहार की योजना, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट अलग है। कई बार हम जोड़कर देखते हैं। लेबर डिपार्टमेंट का प्रोसेस नीचे का है। हमारे अगर वह हॉस्पिटल में आ गया तो उसके बाद हमारे पास आयेगा और उसकी पूरी व्यवस्था हम देखते हैं, उसको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के काम हम राजस्थान के अंदर कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, वैसे तो मैंने सारी तुलना इस सरकार की कर दी। अगर फिर भी आप कहेंगे तो मैं एक चीज यह बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इन्कम योजना, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरू की है, यह ऐतिहासिक है। सामाजिक सुरक्षा की हम बात करते हैं न, सामाजिक सुरक्षा एक तरह से नहीं आती, चारों तरफ से आती है। इसके अंदर प्रदेश के सभी परिवारों को 125 दिवस प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी, वृद्ध, दिव्यांग, एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम 1000 रुपये हर महीने गारंटी, यह कानून बना दिया राजस्थान में, 1000 से नीचे पेंशन किसी को नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही शहरी रोजगार गारंटी में भी इनका लाभ दिया जायेगा। इसके साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा-

'समाज सुधार की पहल जरूरी है,
छत मिले गरीब को, कहां महल जरूरी है,
खुशियां अमीरों को ही मत देना ऐ खुदा,
गरीब के घर में भी चहल-पहल जरूरी है।'

आपने अडाणी-अंबानी की तरफ सारा ध्यान दे रखा है, आप हमारी

(श्री टीकाराम जूली)

तरफ भी ध्यान दें। हमारे साथियों ने जो सुझाव रखे हैं, उनको अमल में लाया जायेगा और जितने भी कटौती प्रस्ताव आये हैं, उन सबके जवाब सबको आज या कल तक भिजवा दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक विषय जो बीच में बार-बार आ रहा था कि EWS को छात्रवृत्ति के अंदर सीमा 8 लाख की है और एस.सी., एस.टी. और ओबीसी की ढाई लाख की है। मैं यह क्लियर करना चाहूंगा कि EWS सर्टिफिकेट की जो सीमा है, वह 8 लाख है, छात्रवृत्ति की पात्रता के लिये तो वही ढाई लाख की सीमा है। इसलिए जो अभी देवली-उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य थे, उन्होंने यह बात कही थी। वह पिछली बार भी गलत कह गये। अख़बार में मेरी फोटो छप गयी, कह कोई और रहा था, उन्होंने मेरा नाम ले दिया। वह अपनी बात को सही कर लें और मेरी जहां जरूरत होगी, मैं उनका पूरा सहयोग करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था कि सफाई कर्मचारियों के बच्चों को 500 रुपये अतिरिक्त छात्रवृत्ति मिले, तो वह छात्रवृत्ति हम दे रहे हैं। इसके लिये योजना हमने इसी साल से प्रारम्भ कर दी, इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। बाकी सभी जो महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों के द्वारा आये हैं, उनका मैं जवाब जरूर भिजवाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है, वह आपके किसी काम की नहीं होती। इसलिये सामाजिक स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, कानून को कमजोर किया जा रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। आज उसको बदलने की जरूरत है। मैं इन्हीं बातों के साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारी जो मांग संख्या 31 है, उसको पारित किया जाये।

श्री सभापति: श्री रामलाल जाट।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने 'सेवा ही

(श्री रामलाल जाट)

धर्म, सेवा ही कर्म' मानकर बजट पारित किया और बजट में राजस्व विभाग के लिये वह सब घोषणाएं, जो राजस्थान की जनता की उन्नति और उत्थान के लिये जरूरत थी, उनको राजस्व के माध्यम से इस बजट में शामिल किया।

मांग संख्या 16 पर उन सभी माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से और यहां बोलकर अपने विचार रखे, निश्चित रूप से बहुत ही बहुमूल्य सुझाव थे मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे विभाग के अधिकारी अतिशीघ्र उनका जवाब भी भिजवा देंगे और जहां सुधार करने की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से उनकी भावनाओं के आधार पर, क्योंकि वह सब भी जनता से ही जीतकर आते हैं और जनता की भावनाओं को यहां रखते हैं, तो हम सब उनका सम्मान करते हुए कानून सम्मत या कानून में बदलाव करने की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से करेंगे और राजस्थान प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिये राजस्व विभाग पूरा प्रयास करेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग ऐसा विभाग है, देश और दुनिया में जब आदमी भी नहीं आये, उससे पहले ही यह जमीन थी। सारे धर्मों के अंदर जर, जोरू और जमीन की ही लड़ाई चली। हमारे सदस्यों ने ठीक चिंता जाहिर की कि कई मुकदमे लगे हुए हैं। मुकदमों का निस्तारण धीरे होता है, और भी कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आप काफी सीनियर है, इन चीजों से आप भी अवगत हैं। मैं ठेठ गांव से और किसान परिवार से आता हूं। मेरे जैसे कई सदस्य हैं उन परिवारों से आते हैं। कोई उस परिवार से नहीं है फिर भी उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस सदन में आते हैं। इस विभाग की कई अच्छाइयां भी हैं, तो कई कमियां भी हैं। यह आज से नहीं है। हर पांच साल में सरकार वोट के माध्यम से चुनी जाती है। वह सरकार बनने में निर्णय करती है। जन-घोषणा पत्र भी होता है। जन-घोषणा पत्र में भी मुख्य मंत्रीजी ने दस्तावेज बनाते हुए कैबिनेट में निर्णय लेकर चीफ सेक्रेटरी महोदय को सौंपा और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 80 प्रतिशत जन-घोषणाएं हम पूरी कर चुके हैं। राजस्व विभाग की भी उसके अंदर कई घोषणाएं हैं। कुछ घोषणाएं बाकी हैं जिनके लिये हम प्रयासरत हैं कि हम 100 प्रतिशत उन जन-घोषणाओं को पूरा करें।

माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने चिंता भी जाहिर की है, लेकिन इस जमीन के बारे में यह जरूर सोचना चाहिये। आज हर

(श्री रामलाल जाट)

आदमी अपनी फैक्टरी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट पैदा करता है, चाहे कपड़ा हो, घड़ी हो, जूते हो, तो उसकी एक निश्चित लागत और समय होता है कि कितने रुपये में कपड़ा बना, कितने रुपये में घड़ी बनी और कब तक उसका समय रहेगा। उसकी एक्सपायरी डेट भी रहती है, लेकिन एक जमीन ही एक ऐसी चीज है, जिसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं कि कौनसी फैक्टरी में बनी है, इसकी उम्र क्या है, यह कब तक चलेगी, इसकी कीमत क्या है। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसीलिए मनमर्जी जैसी स्थिति जमीन की मौके पर आती है, उसके आधार पर इसकी कीमत आंकी जाती है। कई बार इसमें आरोप भी लगते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान किये हैं। वह समय था जब जमीन के लिये लड़ाई लड़ी जाती थी। तब कई परिवारों के बच्चे बिछुड़ जाते, कई मां विधवा हो जातीं, तब जाकर जमीन मिलती।

आज मुझे इस सदन में यह कहते हुए खुशी है कि हमारी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आजादी के लिए संघर्ष करके वोट का लोकतंत्र लेकर आये हैं। लोकतंत्र आने की वजह से ही हम आज सभी लोग स्वतंत्र रूप से इन चीजों को रख रहे हैं।

आपके बाईं तरफ और हमारे दाईं तरफ जो लिखा हुआ है, कि 'सभा में या तो प्रवेश न किया जाये, यदि प्रवेश किया जाये तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाये, क्योंकि वहां न बोलने से या गलत बोलने से, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है', कई बार ऐसी चीजें आती हैं, इस विभाग में भी ऐसी चीजें हैं, जिनके आंकड़े मेरे पास हैं। फिर भी कई माननीय सदस्य इस तरह बोलते हैं जो आपका संदेश है, जो हमारे लोकतंत्र की खूबी है, उसको पूरी तरह से ध्यान में नहीं रख पाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि भारतीय इतिहास में भू-प्रबंधन का वर्णन पहली बार कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आया। जब राजा शेरशाह सूरी, जो कि अफगान था, 1540 से 1545 ईस्वी में उसने जमीनों का वर्गीकरण किया। उस समय जमीनों से ही हमारी सरकारें चला करती थीं, जमीन के टैक्स से, लगान से ही चलती थीं। कई राजा, कई मुगल, जो अत्याचार करते थे वे लगान वसूली में करते थे। उस समय उन्होंने वर्गीकरण किया। कहीं जमीन पड़त है, कहीं बंजर है। उसको कौटिल्य के

(श्री रामलाल जाट)

अर्थशास्त्र के माध्यम से ही इस धरती पर लाया गया। उसके बाद बादशाह अकबर के नौ रत्न में से राजा टोडरमल ने इस चीज को समझा और जरीब के माध्यम से हिन्दुस्तान में उस चीज को लागू किया। मुझे कहते हुए खुशी है कि उस समय भरतपुर की रियासत से कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के वृहत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। भरतपुर से इसकी शुरुआत की। सर्वप्रथम 1855 में भू-प्रबंध की कार्यवाही को व्यवस्थित रूप से शुरू किया। उसके बाद शनैः-शनैः कई तरह की ऐसी चीजें आयीं। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान को बनने में लगभग 8 वर्ष 7 माह लगे। उसमें 7 तरह से राजस्थान का निर्माण हुआ था। मैं आपके सामने वे चीजें बताऊंगा। 19 रियासतों और 3 ठिकानों के माध्यम से राजस्थान का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें रिकार्ड में उपलब्ध हैं।

सर्वप्रथम 18 मार्च, 1948 को जब हमारा मत्स्य संघ बना, जिसमें शोभाराम कुमावत, अलवर के मुख्य मंत्री बने थे। उस समय अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एक अलग राज्य बना था। द्वितीय, 25 मार्च, 1948 को पूर्वी राजस्थान, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, टोंक, किशनगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ ठिकाना, ये सारे मिलाकर कोटा, जिसमें गोकुल राव जी असावा हमारे मुख्य मंत्री बने। उसके बाद तृतीय, जब 18 अप्रैल, 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ, जिसमें पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर को मिलाकर माणिक्य लाल वर्मा जी इस राज्य के मुख्य मंत्री बने। उसके बाद चौथा, जब विलय हुआ 30 मार्च, 1949 को वृहत राजस्थान के रूप में निर्माण हुआ तो हमारे मुख्य मंत्री हीरालाल शास्त्री जी बने। वे संयुक्त राजस्थान के बने। माननीय सभापति महोदय, इन चीजों को आगे बढ़ाते हुए फिर भी राजस्थान का निर्माण पूरा नहीं हुआ। अलग-अलग जगह अलग-अलग कानून थे। कहीं जमीन पर लगान अलग तरह से था, कहीं दूसरी तरह का था। पांचवां 15 मई, 1949 में संयुक्त वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाकर हीरालाल शास्त्री जी मुख्य मंत्री बने, जब पंचम रूप से इसको शामिल किया। छठे रूप में राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। उसमें हीरालाल जी रहे। उसके बाद सप्तम 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान बना। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कितना संघर्ष करना पड़ा। आज हमारे कई नेता कहते हैं कि 70 साल में क्या किया? कितनी मुश्किल से इस राजस्थान को एक स्टेज के रूप में खड़ा किया, जो कि इस पवित्र सदन में ये चीजें रख रहे हैं। 1 नवम्बर,

(श्री रामलाल जाट)

1956 को राजस्थान संघ में अजमेर, मेरवाड़ा और आबू-देलवाड़ा, इन काफी गांवों को मिलाकर, कुछ गांव कोटा में चले गये, कुछ मंदसौर में चले गये। जब मोहन लाल जी सुखाड़िया मुख्य मंत्री बने। टीकाराम पालीवाल साहब, जयनारायण व्यास जी बने।

तमाम उन नेताओं ने एक रचना की। उनका एक विजन था। उन्होंने वृहत् सोचा कि राजस्थान को हमने इन 19 रियासतों और 3 ठिकानों को एक करके बना तो दिया, लेकिन इनको खिलायेंगे क्या, पिलायेंगे क्या। जब हमारे पूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इन सब चीजों को देखा और कई पुराने नेता हैं, लेकिन जो हमारे पदों पर रहे, मैं उन्हीं के नाम गिना रहा हूं। जब उन्होंने इन चीजों को सोचा तो राजस्थान में हमारा टीनेन्सी एक्ट 1955-56 जिसका जिक्र माननीय उप नेता कर रहे थे, यह सारी चीजें उस समय गठित की गयीं। राजस्थान में पहली बार हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किसान को जमीन का मालिक बनाया। यह वही पवित्र सदन है, इसी सदन में उस समय के माननीय सदस्यों को मैं याद करूंगा, जिन्होंने राजस्थान के किसानों को वे तमाम चीजें दीं, जिनके माध्यम से हम सारी चीजों की जानकारी यहां कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी जब पहली बार 1 नवम्बर, 1949 को इस राजस्थान को बनाने के लिये जो हमें परेशानियां आयी थीं उस समय कि किसको इसकी राजधानी बनायी जाये, किस तरह इस राज्य को एक रखा जाये तो पहली बार पी. सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में समिति गठित की। जिसकी सिफारिश में जयपुर को राजधानी घोषित किया गया। हाई कोर्ट जोधपुर को दिया गया। शिक्षा विभाग बीकानेर में दिया गया। खनिज, कस्टम, एक्साइज विभाग उदयपुर में; राजस्व विभाग अजमेर में; वन, सहकारी, कापरेटिव कोटा में एवं कृषि विभाग भरतपुर को देने का निर्णय उस समय लिया गया। इससे सभी रियासतों का एकीकरण करके इस वृहत् राजस्थान का निर्माण किया। जिसकी वजह से राजस्थान का राजस्व मंडल अजमेर में स्थापित हुआ।

कई बार ऐसी चीजें आती हैं, आज भी वह जिक्र आया, मैं उन चीजों को आपके सामने रखना चाहूंगा। ताली बजाने के लिये मैं कुछ ऐसी चीजें कहूंगा, जिससे ताली भी बज जायेगी। आक्रोश पैदा करने के लिये आक्रोश भी

(श्री रामलाल जाट)

पैदा हो जायेगा, लेकिन यह विभाग ऐसा है कि इसमें सभी को सहयोग करने की जरूरत है। सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। बाकी आंकड़ों से बात करें तो 4, 5 साल के मैं आंकड़े भी गिना दूंगा, लेकिन उससे राजस्थान के किसानों का भला नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, आरोप-प्रत्यारोप लगा देंगे, लेकिन राजस्थान के जो लोग यू-ट्यूब के माध्यम से विधान सभा की कार्यवाही को देख रहे हैं, अध्यक्ष महोदय व मुख्य मंत्री जी ने जो अलाउ किया, वह सुन रहे हैं तो वह देखेंगे और हमारे ऊपर हंसेंगे। हकीकत में हम ऐसा कन्क्लूजन निकालें, ऐसी चीजें निकालें जिससे राजस्थान के किसानों को फायदा हो।

आज राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को कार्यवाही करने के लिये छूट दी। इसका मतलब यह नहीं है कि भ्रष्टाचार में पकड़े गये तो कोई सत्ता पार्टी ने भ्रष्टाचार करवाया हो, लेकिन कार्यवाही की है। कार्यवाही करने के बाद ही तो ये लोग बोल पा रहे हैं। उनके सुझाव आने चाहिए कि बहुत अच्छा काम किया राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने। जो रेवेन्यू विभाग के राजस्व मंडल में इतनी बड़ी पोस्टों पर थे, उन पर भी हाथ डालने की हिम्मत की। अब आगे हम उसमें क्या सुधार करें?

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे वहां 20 पद हैं। मुकदमों का जो निस्तारण है, उसकी धीमी गति है। यह बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी इन 4 सालों में जो स्पीड बढ़ी है, उसका तो धन्यवाद करना चाहिए। राजस्व मंडल में टोटल मुकदमे, अधीनस्थ न्यायालय और सारा मिलाकर के 12 हजार राजस्व प्रकरण पर-मंथ दर्ज होते हैं, निस्तारण 8700 का ही होता है। यह बड़ी चिंता का विषय है कि इसका निस्तारण कैसे करें। इन 4 सालों में थोड़ी स्पीड बढ़ी है, लेकिन उससे पहले 5 सालों में बहुत धीमी गति थी, वह उसका एक कारण है। माननीय सभापति महोदय, उसका कारण यह है कि हमारे राजस्व मंडल के जो 20 पद हैं, वे कभी पूरे नहीं भरे गये। पहली बार हमने प्रयास करके, अभी भी हम 16-17 तक पहुंचे हैं। आज भी 2-3 पद खाली हैं। हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय में 10, 11 एवं 12 से आगे नहीं गये। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत वह थी।

दूसरा, रेवेन्यू बोर्ड में हमारे माननीय जज पेशी के लिये कुछ देर के

(श्री रामलाल जाट)

लिये ही बैठते हैं। जैसी कि सदस्यों ने चिंता जाहिर की, यह आपकी ही चिंता नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज साहिबान इसके बारे में चिंता कर चुके हैं। मुख्य मंत्री जी, हमारे लॉ सेक्रेटरी, हाई कोर्ट के जज इसके बारे में चिंता कर चुके हैं।

गत बार 12 मार्च को हमने ग्राम न्यायालय लगाये। यू पी ए सरकार के समय राजस्थान में 45 ग्राम न्यायालय खोले। वह किस वजह से खोले? इन मुकदमों का निस्तारण हो। रेवेन्यू बोर्ड को, हाई कोर्ट को, अधीनस्थ न्यायालयों को सपोर्ट मिले। इसमें बिना वकील भी अगर किसान की सहमति हो, हाई कोर्ट के जज साहब ने प्रावधान किया, लॉ सेक्रेटरी ने और मुख्य मंत्री जी ने उस पर सहमति दी। हमारे आर ए एस एसोसिएशन और मुंसिफ मजिस्ट्रेट वगैरह के जो विवाद थे, उनमें हमारे रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन, हमारे सेक्रेट्री सबने मिलकर उसका समावेश किया। उससे मुकदमों के निस्तारण में काफी तेजी आयी। फिर भी आज की स्थिति राजस्व मंडल में यह है कि 66 हजार मुकदमे पेंडिंग हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 5 लाख 40 हजार मुकदमे पेंडिंग हैं जो रूटीन में चलते रहते हैं। टोटल योग 6 लाख 6 हजार मुकदमे राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालय और रेवेन्यू बोर्ड में लम्बित हैं, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। इस पर क्या कांक्रीट चीज आये, जिससे उन किसानों का भला हो, उन मजदूरों का भला हो। सेवा ही धर्म और सेवा ही कर्म के भाव पर चलकर मुख्य मंत्रीजी इन कामों में सहयोग मांग रहे हैं, तो उसमें हम सपोर्ट करेंगे तो इस विधान सभा को हम ज्यादा निस्तारण में काम ले पाएंगे। फिर भी हमने राजस्व प्रकरणों में तीव्र गति से निस्तारण के काफी प्रयास किये हैं।

हमने सबसे पहले इसमें ऑनलाइन मुकदमों की जानकारी देना, ऑनलाइन व्यवस्था की है, जिससे काफी हद तक लोगों को पेशियों का पता लगने लग गया है। बाकी कई बार उनको पेशियों का पता ही लग पाता था और वे आगे से आगे बढ़ती जाती थीं। शीघ्र निस्तारण के लिए हमने दिनांक 06.08.2021 और 12.11.2021 को सभी न्यायालयों को समयबद्ध निस्तारण के लिए सी पी सी के प्रावधानों की पालना की। जो आप चिंता जाहिर कर रहे थे, सिविल कोर्ट की, हम चाहते हैं कि ये चीजें हों। कई बार वकील हड़ताल करते हैं, माननीय सदस्य कई बार सिफारिश लेकर आते हैं कि इन लोगों की इस कोर्ट को मत तोड़ो, हम कोर्ट नहीं तोड़ रहे हैं। आज आप हालात देखो

(श्री रामलाल जाट)

हिन्दुस्तान के अलग-अलग कोर्टों में तो आठ राज्यों में राजस्व मंडल है, ये हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ग्यारह राज्यों में राजस्व विभाग है, जिसमें हिमाचल, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा। बाकी अन्य राज्यों में लैंड रेवेन्यू और सेटलमेंट राजस्व और आपदा प्रबंधन के माध्यम से इनके कार्य होते हैं।

राजस्थान में हमारी सोच थी, हमारे पूर्व जन-घोषणा पत्र के आधार पर मुख्य मंत्रीजी ने एक कमेटी भी गठित की थी। हमारी उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई, लेकिन उस समय भी हमारे कई साथियों का सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए हमने उसको रोका, हम उसका विखंडन नहीं कर रहे हैं। लोगों में भ्रम और भ्रांति पैदा करते हैं कि अजमेर के बोर्ड को हटा रहे हैं। सामने कई माननीय सदस्य बैठे हैं, इनमें से कई लोग आये थे मेरे पास, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम जुडिशियल और प्रशासनिक चीज को अलग-अलग करना चाह रहे हैं, आफिस वहीं का वहीं है। उसकी प्रक्रिया को अलग करना चाह रहे थे, अगर उसमें आपका सहयोग हो तो मुकदमों के निस्तारण में काफी बड़ी हमारी मदद होगी, लेकिन उस समय भी आप लोगों के माध्यम से कई बार राजनीति हो जाती है। आप सब लोगों का सुझाव हमने माना तो हमारा सुझाव भी आप मानें, इन चीजों में आप सहयोग करें तो मुख्य मंत्रीजी एक मिनट में फैसला करेंगे। प्रशासनिक इकाई अलग हो, जुडिशियल इकाई अलग हो। अभी एक घंटे से अधिक वे जुडिशल कोर्ट में नहीं बैठ पाते, ये चीजें अख़बार के माध्यम से भी आती हैं और ये चीजें पेशी पर आने वाले कई लोगों के माध्यम से भी आती हैं, फिर भी हमने सी पी सी के प्रावधानों को इसमें जोड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, रिकार्ड जल्दी तलब करने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों में, राजस्व मंडल में शीघ्र भेजने के लिए दिनांक 17.09.2021 को निर्देश जारी किया है। टाइम बाउंड हमने किया है कि रिकार्ड की तुरंत जरूरत होती है, वह आप रेवेन्यू बोर्ड में भेजें। इसके साथ ही लोक अदालतें दिनांक 14.05.2022, 13.08.2022, 12.11.2022, 13.02.2023, हर तरीके से हमने पूरे राजस्थान में हर उप खंड पर एक बड़ी गाड़ी, वैन लगाकर उसके माध्यम से मुकदमों का निस्तारण करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को साथ बिठाया, हमारे एसडीएम को साथ बिठाया, गवर्नमेंट के पैसे से वकील किया, ताकि इन मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो। इससे इन मुकदमों के निस्तारण में तीव्रता आई।

(श्री रामलाल जाट)

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा बिन्दु संख्या 181 पर राजस्व न्यायालयों में ई-फाइलिंग व ई-समन व वी सी के माध्यम से हियरिंग की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस पर 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो चिंता जाहिर की, आने वाले समय में ये चीजें, हमारे बजट में भी प्रावधान हो गया, ई-फाइलिंग वाली व्यवस्था और हो जाएगी तो काफी हद तक मुकदमे जिस संख्या में दर्ज होते हैं उस संख्या में डिस्पोजल होगा तो इनकी संख्या आगे नहीं बढ़ पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, त्रैमासिक रिपोर्ट और वार्षिक ग्रेडिंग की व्यवस्था भी हमने की है। कई लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो मुकदमों का अच्छी संख्या में निस्तारण करते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों में उनको इनाम देने की प्रक्रिया भी चालू की है, जिसके माध्यम से हमारे मुकदमों का निस्तारण हो रहा है। इसी तरह से जनरलाइज कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमने चालू किया है 1 जुलाई, 2020 से राजस्व मंडल और अधीनस्थ न्यायालयों में, जिसके माध्यम से निर्णय इस पर अपलोड कर दिया जाता है, उसके माध्यम से वकीलों को भी जानकारी हो जाती है। हमारे मुकदमों में जो प्रार्थी हैं दोनों तरफ से झगड़ रहे हैं उनको भी बेंच आबंटन का मालूम पड़ जाता है। डेली की डेली बेंच अलाट होती है, वह ऑनलाइन सिस्टम से मालूम हो जाती है। ये सारी चीजें, हमने कैडर मैनेजमेंट के माध्यम से 27 मई, 2020 से मंडल में समस्त सेवा संवर्गो का प्रबंध कार्य का मैनेजमेंट पोर्टल के माध्यम से कर दिया है। इससे सारी जानकारियां हमारे लोगों को, किसानों को मिल पा रही हैं, लेकिन किसानों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से आज भी वह परम्परा है। पेशी पर पेशी, एक पिक्चर भी आई, तारीख पर तारीख, रेवेन्यू बोर्ड में कई स्टेटों में इन मुकदमों के लम्बित रहने के कारण पिक्चरें तक बन चुकी हैं। ऐसी स्थितियां हैं, जिन पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, 2023 से ई-फाइलिंग की सुविधा हो जाएगी, कार्य का मूल्यांकन सम्बन्धी ये चीजें हो रही हैं। आने वाले समय में हम रेवेन्यू बोर्ड में और अच्छे तरीके से जो हमारा डीआईएलआरएम प्रोग्राम है जो भारत सरकार ने, यू पी ए सरकार ने 2008 में घोषणा की और 2010 में ये लागू हुआ। माननीय सभापति महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में अगर यह चीज अच्छे तरीके से लागू हो गई तो, कई स्टेट्स ने अच्छा काम किया है।

(श्री रामलाल जाट)

राजस्थान में 2010 से शुरू हुआ लेकिन बहुत स्लोस्पीड थी। बीच में आप लोग भी आए, लेकिन उस तरह नहीं कर पाए। फिर कोविड जैसी परिस्थितियां आ गईं, कोरोना की महामारी की वजह से, लेकिन जब अपना खाता योजना और हमने जो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से इस डीआईएलआरएम प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसके माध्यम से हमारे भू-अभिलेखों को ऑनलाइन किया। आज हमारी सारी 392 तहसीलें, जिनमें 381 तहसीलों को हमने ऑनलाइन कर दिया। काफी हद तक फायदा हुआ है लोगों को, आज हम यह नहीं कह सकते हैं कि फायदा नहीं हुआ। आज बिना पटवारी, बिना तहसीलदार, बिना किसी आफिस के चक्कर लगाये नकल किसान स्वयं निकाल सकता है। यह प्रोविजन किसने किया? 'यह सेवा ही धर्म और सेवा ही कर्म' ने किया। यह अशोक गहलोतजी ने किया है, तभी जाकर आज राजस्थान में यह सुविधा मिली है। फिर भी ये जो नई तहसीलें बनने की वजह से, 11 तहसीलें हमारी बाकी हैं, बाकी ये तहसीलें भी हम बहुत जल्दी ऑनलाइन कर देंगे, जिससे किसी भी राजस्थान की तहसील में किसी भी किसान को अपनी नकल के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह व्यवस्था, उसी समय के भारत सरकार के उस समय के प्रोग्राम के माध्यम से राजस्थान सरकार ने की, जिसकी वजह से आज ये चीजें हो रही है।

इसी तरीके से हमारे खसरा नक्शों का डिजिटाइजेशन, राजस्व कार्यालयों के मध्य कनेक्टिविटी, डाटा सेग्रेगेशन का कार्य, माडर्न रिकार्ड रूम, क्योंकि रिकार्ड की बहुत दिक्कत होती थी, कई बार लट्ठे का, कपड़े का नक्शा होता है, चूहे कुतर जाते हैं, व्यवस्थाएं नहीं होतीं, छतों की रिपेयरिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वह गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जिसकी वजह से पानी टपक जाता है, जिसकी वजह से नक्शे खराब हो जाते थे। ये कई तरह की दिक्कतें थीं। आज माडर्न रिकार्ड रूम 253 तैयार कर दिए हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से और आने वाले समय में मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप राजस्थान के अंदर रिकार्ड के सम्बन्ध में, नकल के सम्बन्ध में किसी किसान को, किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा और सही रिकार्ड उसको अपने मोबाइल के ऊपर मिलेगा। ये चीजें हम करने जा रहे हैं, इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से स्वत: ही नामांतरकरण की जो हमारे बजट में घोषणा की गई, जो हमारे जन घोषणा पत्र में भी था, ठीक

(श्री रामलाल जाट)

कहा हमारे उप नेता ने कि मुख्य मंत्रीजी ने उस समय स्वत: नामांतरण ऑनलाइन 133 और 136 की धाराओं में करने का प्रावधान किया। जितना हम सोच रहे थे उतना तो हम नहीं कर पाये लेकिन हम 70 परसेंट तक पहुंच चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज स्वत: ऑनलाइन जो रजिस्ट्री करवाता है उसके नामांतरण की कार्यवाही हमने प्रारम्भ कर दी है और राजस्थान के पोर्टल पर हर तहसील में किसी आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। रजिस्ट्री वालों को हमने कर दिया और आने वाले समय में जो बड़ी दिक्कत आ रही है गिरदावरी की, माननीय सदस्य कई बार चिंता जाहिर करते हैं, ओले पड़ गये, टिड्डी आ गई, गिरदावरी के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने एक टीम भेजी महाराष्ट्र पैटर्न के लिए, जब पहले की सरकार थी उस समय शुरू हुआ था और इसी डीआईएलआरएम प्रोग्राम के माध्यम से ऑनलाइन गिरदावरी, ऑनलाइन गिरदावरी, जो अब स्वत: ही, हमने प्रोविजन तो कर दिया, लेकिन किसान ऑनलाइन गिरदावरी करेगा क्योंकि किसान का लड़का खुद हमारे एप पर डालेगा और वह मान्य होगी बिना किसी कलेक्टर के आदेश के, गवर्नमेंट के आदेश से कि उसका फसल खराबा हुआ है कि नहीं हुआ है। उससे हमें डबल फायदा होगा, हमारे राजस्थान में कौनसी जिंस है जो कितनी फसल हमने बोयी है उसका हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी पता लगेगा और हमारे को फर्टिलाइजर कितना चाहिए, हमारे को कितना बारदाना चाहिए, सपोर्ट प्राइस पर खरीदने के कितना चाहिए, कौन-कौनसी फसल राजस्थान के किस-किस हिस्से में बोयी है, इस ऑनलाइन गिरदावरी और जब स्वत: गिरदावरी के प्रावधान की हमने जो घोषणा की है वह आ रहा है बहुत जल्दी। हमारी टीम जाकर आ गई है, उसने देख लिया है, उसका प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बहुत जल्दी ही हम वो एप लांच करेंगे जिसमें आप सब लोगों को उसमें फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, अपना खाता, अपना पोर्टल यह 01.01.2020 से ऑनलाइन प्रोग्राम हमने जारी किया है, इसके माध्यम से खुद देख सकता है। ई-मित्र के माध्यम से भी जाकर वह अपना काम करवा सकता है। इसके साथ ही एक बड़ी योजना सर्वे, री-सर्वे, एक नया सैटलमेंट जो पहले अमीन आया करते थे, कई दिनों तक एक गांव में रहा करते थे, वो जरीब,

(श्री रामलाल जाट)

खूंटी रखते थे, जिसको लेकर आदमी घूमा करते थे खेतों में, वह इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अशोक गहलोतजी खतम करना चाह रहे हैं और अब नई चीज, नई चीज आई है, इन 33 ही जिलों में हमने आर्डर जारी कर दिये।

सैटेलाइट इमेज के माध्यम से आधुनिक उपकरणों से हम तहसील तक पहुंच चुके हैं गांवों तक जा रहे हैं। लगभग एक महीने का टाइम लगेगा। जो आप कह रहे हैं कि रिकार्ड में नाम अलग, मौके पर जमीन कम, रिकार्ड पर ज्यादा, किसी का नाम शुद्ध करना है, खेमा की जगह खेमराज होना चाहिए। पढ़ा लिखा नहीं था, घरवाले रामा कहते थे तो रामा हो गया। अब बच्चे भी पढ़-लिख गये तो नाम रामलाल हो गया तो वह रिकार्ड पर रामा ही बोल रहा है। आधार कार्ड नया बना, उसमें रामलाल है और पुराने टाइम में रामा बना हुआ है। चार नम्बर की पर्ची, पांच नम्बर की पर्ची किसान को स्वयं को देंगे। एक महीने का टाइम देंगे और उसकी ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा में वह आदमी सन्तुष्ट होगा कि मेरा नाम सही, मेरी जमीन सही। अगर उसे ऐतराज होगा तो हमारा अधिकारी बिना किसी आर्डर के, बिना किसी पैसे के स्वयं सही करके उसके रिकार्ड को देगा। यह काम हमने शुरू किया है सर्वे-री-सर्वे का, जिसके माध्यम से पूरे राजस्थान के किसानों का, नये तरीके का, जो आप चिन्ता जाहिर कर रहे थे, आने वाले समय में उसे नापने का काम भी, जो सीमाज्ञान करना, पत्थरगढ़ी करना, वह पूरा एक्यूरेट होगा। थोड़ी दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। उसमें आप लोगों का सहयोग होगा, तभी जाकर ये तमाम चीजें हम कर पाएंगे, लेकिन यह प्रोग्राम बहुत अच्छा है।

इसके साथ ही, शुरुआत में हमने इसमें 11 जिलों को लिया था- जयपुर, टोंक, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा, राजसमन्द, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़। अजमेर की चार तहसीलें हैं- अजमेर, पुष्कर, पीसांगन, नसीराबाद। इसका रिजल्ट 99 परसेंट तक अच्छा रहा। एक-आध परसेंट ही दिक्कतें आयीं। भीम से आने वाले माननीय सदस्य के यहां दिक्कत आयी। हमने दुबारा आर्डर किये। बाद में हमने 33 ही जिलों को, बाकी बचे हुए जिलों को भी इसके लिए आर्डर कर दिये। हमारी टीमें पहुंच चुकीं और सब जगह समयबद्ध तरीके से यह काम चालू है। मैं लगभग 20-22 जिलों में जाकर भी आ गया हूं। जिला कलेक्टर के माध्यम से उनकी मीटिंग्स भी हुई। जिस कम्पनी को 2016 में टैंडर दिया था DILRM प्रोग्राम के माध्यम से, वह काम ही नहीं कर पायी,

(श्री रामलाल जाट)

क्योंकि उसे पेमेंट ही नहीं हुआ। इस वजह से दिक्कत थी, लेकिन जैसे ही मुख्य मंत्री जी ने सत्ता सम्भाली, आते ही सबसे पहले इन्हें काम दिया। फिर भी कोरोना की वजह से डिले हुआ। उसके बावजूद भी हमारे अधिकारियों ने मीटिंग्स की हैं, उसके बाद सब लोगों को हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से मुख्य मंत्री जी को कहकर पैसा दिलवाया। तुरन्त वे सारी की सारी कम्पनियां आज मौके पर गांवों में काम को शुरू कर रही हैं और काम काफी हद तक हो गया, जिसमें आप सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में आपको सबसे बड़ी दिक्कत है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, वह लगभग खतम हो जायेगी। इसी की तरह जमाबन्दी, गिरदावरी के लिए मैंने बताया ही था आपको।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी 2023-24 के बजट में घोषणा की है कि नकल एवं सीमाज्ञान काश्तकारों का जो शुल्क लगता था, उसे माफ कर दिया गया है। अब उनको नकल के लिए, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी करने के लिए कहीं पैसा देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी तरह कृषि ऋण रहन पोर्टल चालू किया, जिसमे झुंझुनूं और जयपुर जिलों में हमने शुरुआत की है। अभी पायलट प्रोजेक्ट में है। इसके अन्दर किसान को अब आने वाले समय में कहीं दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर किसी को लोन लेना है तो वह बैंक में जायेगा। बैंक मैनेजर स्वतः चैक करेगा, उसकी रहन खुद दर्ज करेगा। अगर पैसा जमा करा देगा तो रहन हटाना, तमाम चीजें एक ही जगह बैठकर। किसी बैंक से नो इयूज लेना, कहीं और जगह घूमना, ये सारे चक्कर बंद हो जाएंगे इस एप के पूरी तरह से लागू होने के बाद में। इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी ने अभी बजट में कह दिया है। पायलट प्रोजेक्ट में घोषणा कर दी गयी है। हमारा काम चालू हो गया है और अब इसे बाकी जिलों में आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह कुछ गांव ऑनलाइन में, हमने 392 तहसीलों में से काफी तहसीलें कर दीं, लेकिन कई तहसीलों में गांव छूट गये, जिसका कोई रिकार्ड ही नहीं है। जैसे, दो पंचायतें छूट गयीं, कहीं चार गांव छूट गये। उसका अनसैटल्ड कैचमेंट एरिया प्रभावित है, उसके लिए टाइम लग रहा है, वहां नामान्तरण में दिक्कत आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, आने वाले समय में इन्हें किसी भी नामान्तरण के लिए कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। स्वतः ही होगा। आगे इसमें बताऊंगा आपको। इसके साथ ही, जो काफी वर्षों तक कर्मचारियों के पद रिक्त

(श्री रामलाल जाट)

पड़े थे, जिस कारण हमारे मुकदमे बढ़ रहे थे, लोगों की शिकायतें भी आती थीं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी पुरानी पेंशन जो लागू की, आरजीएचएस लागू किया, जिससे कर्मचारियों में हर्ष की लहर आयी, काम करने में भी वे आगे बढ़े। हमने पटवारियों के पद भी भरे। हमने नायब तहसीलदारों की 359 भर्तियां कीं। 111 के साक्षात्कार और चल रहे हैं, वे और आ जाएंगे। आपके टाइम में 123 नायब तहसीलदारों की भर्ती हुई थी। यह जो गैप आया, पिछली सरकार में कम भर्तियां होने की वजह से हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए इतना टाइम लगा।

अभी हमने नायब तहसीलदार को गजेटेड आफिसर का दर्जा दिया। इससे भी वे लोग दौड़कर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। काफी माननीय सदस्यों ने पटवारियों के रिक्त पदों के लिए चिन्ता जाहिर की। कई जगह दो-दो, तीन-तीन, चार-चार पटवार मण्डलों में पटवारी लगा करते थे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कुछ जगहें छोड़ दें, लगभग 10 परसेंट तो भर्तियों में वैकेंसी रहती ही रहती है, क्योंकि जब भर्ती की वैकेंसी हमने चयन बोर्ड में भेजी, उस समय हमारे जिला कलेक्टर्स ने मांगी थीं, वे भर्तियां हमने भेजीं। उसके बाद कोई रिटायर हो गया, किसी ने जोइन नहीं किया, कोई दूसरी नौकरी में चला गया। इस वजह से 13 परसेंट पटवारियों के पद खाली रहे, बाकी आपके जिलों में आप जाकर देखियेगा, 80-90 प्रतिशत पद भरे मिलेंगे। अगर कम हों तो आप मुझे बताइयेगा। पहले कई जिलों में 78 परसेंट खाली थे। आज 85 परसेंट पद भर चुके हैं। कई जगहों पर 90 परसेंट हैं, लेकिन 85 परसेंट से कहीं कम नहीं हैं। अभी जो ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, तो माननीय सदस्यों की चिन्ता थी कि हमारे पटवार मण्डल में, पंचायत भवन में पटवारी नहीं हैं। अभी मुख्य मंत्री जी ने 1035 पटवारियों की भर्ती और पटवार मण्डल खोलने की घोषणा की है। अब एक भी राजस्थान की ग्राम पंचायत ऐसी नहीं बचेगी, जिसमें पटवार मण्डल न हो। यह व्यवस्था कर दी। बहुत जल्दी हम आपके पटवारी उसमें कर देंगे। और तो और, पटवारियों को हम टैबलेट्स दे रहे हैं। जो आपकी समस्या है कि हैडक्वार्टर पर नहीं रहता, कल ही हम आर्डर जारी कर देंगे, उन्हें पाबन्द कर देंगे।

आपकी भावना हमने देखी कि पटवारी अपने मुख्यालय पर रहें। उन्हें मकान का अलाउंस मिलता है, सब चीजें मिलती हैं, आपके सरपंच के माध्यम से या तस्दीक के माध्यम से उन्हें पैसा मिलता है, फिर भी कई जगह

(श्री रामलाल जाट)

लापरवाही हो जाती है। कुछ तो अच्छा करते हैं, कुछ लापरवाही करते हैं। बजट में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की और प्रावधान किया, हम टैबलेट्स दे रहे हैं, जिससे आपको ऑनलाइन वे सारी सुविधाएं बिना पटवारी के ही मिल जाएंगी। फिर भी हम उन्हें पाबन्द करने के लिए कल ही आर्डर निकाल देंगे, ताकि सदस्यों की भावना के अनुसार वे पटवार भवन पर रहें।

इसी के तहत हमने पटवारियों के प्रमोशंस भी किये, कर्मचारियों की मांग आयी। पहले ''प्रशासन गांवों के संग'' अभियान चला, जिसमें काफी दिक्कतें आयीं। पटवारियों ने हड़ताल की। उनकी मांग थी, वरिष्ठ पटवारी बनाएं। हमने उनकी मांग को सुना, वरिष्ठ पटवारी बनाये। फिर भी पिछली सरकार के समय काफी पद खाली होने के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कोरोना भी एक कारण था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने ''प्रशासन गांवों के संग'' अभियान की घोषणा ही नहीं की, बल्कि 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी की जयन्ती के मौके पर उसकी शुरुआत भी की। 29 जिलों में उसी समय हमने शुरुआत कर दी थी। दो -तीन जिलों में चुनाव थे, आचार संहिता के कारण वहां बाद में शुरू हुए।

माननीय सभापति महोदय, पहली बार तीन तरह के कैम्प लगे। पिछली सरकार ने भी लगाया, पिछली गहलोत सरकार ने भी लगाया, लेकिन इस बार जो कैम्प लगे, यह नारा ऐसे ही नहीं दिया, ''सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म'', इस नारे के पीछे भावना यह थी कि एक-एक व्यक्ति को चिह्नित किया जाये। इस कारण फ्री कैम्प लगाये। ये लोगों को दिख नहीं रहे थे। जिसे काम था, उसी को दिख रहे थे। हमारे अधिकारियों की टीम गयी। आदमी का चयन किया कि किस आदमी को किस तरह की समस्या है और उन्हें चिह्नित करके मेन कैम्प में लेकर आये। उस कैम्प में उनका काम किया। फिर सोलो कैम्प में जो बच गये, उन लोगों का काम किया।

मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि लगभग 92 लाख 82 हजार लोग हमारे कैम्प्स में आये, जिन्हें फायदा मिला है। जिसमें राजस्व अभिलेखों के खातों में शुध्दिकरण, जिसकी कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की थी कि हमारे कैम्प्स में काम नहीं हुआ, औचक निरीक्षण हेतु मुख्य मंत्री जी स्वयं हेलीकाप्टर लेकर गये। मैं स्वयं भी गया, कैम्प्स में कई विधायक मुझे मिले। उसमें काफी लोग काफी खुश थे। हमारे फूल सिंह जी मीणा, मैं उदयपुर का प्रभारी हूं, इनके वहां मिले। दयाराम जी बैठे हैं, इनके वहां मिले। कई

(श्री रामलाल जाट)

जगह मैं गया तो खातों में शुध्दिकरण के लगभग 16 लाख मामले राजस्थान के हमने निपटाये हैं।

इसी तरह आबादी की माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की। ये कुछ प्रोविजंस हैं। इन्हें आपको समझना पड़ेगा। ग्राम सभा का प्रस्ताव दे आबादी का। सिवायचक जमीन है तो हम सीधी आबादी उसे दे देंगे, ताकि वह पट्टा दे दे। सीधी आबादी हम से मांगेंगे तो सीधा रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं दे पायेगा, न ही जिला कलेक्टर दे पायेगा। ग्राम सभा के प्रस्ताव के माध्यम से अगर आप आबादी मांगें, माननीय सभापति महोदय, होता है। इसमें क्या है, वह इसलिए नहीं

(समय: 21.00 बजे)

दे पाते कि गांव के अन्दर रिकार्ड में तो आबादी दर्ज है पर कई लोगों ने अवैध मकान बना लिये बिना पट्टे के। अब वह रिकार्ड में आबादी खाली बोल रही है और वह नई आबादी मांगता है तो उसको अधिकारी आबादी देते नहीं हैं जनसंख्या के अनुपात में। अगर उसको खर्च करके पट्टा बना दे, मान लो दो बीघा आबादी है, आलरेडी मकान बने हुए हैं और पुश्तैनी पट्टा बना दे तो वह खर्च बोलेगी तो नई आबादी उसको मिल जाएगी। इसके अन्दर जो सबसे बड़ी जड़ है और माननीय सदस्य अगर समझें तो जो आबादी पर मकान बने हुए हैं, रिकार्ड में आबादी बोल रही है लेकिन पट्टे नहीं दिये, इसलिए रेवेन्यू रिकार्ड में वह आबादी खाली बोलती है इसलिए नया एस डी एम, अधिकारी नई जगह को आबादी में कन्वर्ट नहीं करता। इसलिए आप पहले बसी हुई बस्तियों को पट्टा देने का काम करो, फिर आप आबादी चाहो तो जितनी आबादी चाहिए वह आपको मिलेगी। यह आबादी बढ़ रही है उसमें खाता विभाजन के भी हमने डेढ़ लाख से ज्यादा काम किये हैं तथा फोलो-अप कैम्प में दस हजार काम किये हैं। अगर एक-एक का मैं नाम लूं तो लाखों की संख्या में इन कैम्पों के माध्यम से लोगों को फायदा मिला। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनका निरीक्षण किया था।

इसके अलावा आज भी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारे कैम्प लगाने की आवश्यकता है। रायसिंहनगर, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, घोघरा जी ने भी कहा है और कई और माननीय सदस्यों ने भी कहा है तो मार्च, 2023 तक तो कैम्प ही हैं, आप कभी भी लगाओ, कोई मना नहीं कर रहा है। फिर भी किसी के दिक्कत है तो बताएं। जो माननीय सदस्यों

(श्री रामलाल जाट)

ने टी सी का मामला बताया तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कल ही आर्डर जारी करा दूंगा और कैम्प लगाकर आपके जितनी भी पट्टे की दिक्कतें हैं, लूथरा जी ने भी कहा है, पूनियां जी ने भी कहा है, और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है, तो हम जिला कलेक्टर को आर्डर कर देंगे, ताकि कैम्प लगाकर उस चीज को देखें।

इसके साथ ही प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार, माननीय सभापति महोदय, ये तमाम चीजें इसलिए कीं कि इन मुकदमों का निस्तारण हो, लोगों को राहत मिले। राजस्थान की जनता से जो मुख्य मंत्री जी ने वादा किया है उसमें आज माडल स्टेट ऐसे ही नहीं बना, उन्होंने जो चीजें कही हैं वे हो पाईं। चार सालों में वैश्विक महामारी के बावजूद भी हमने राजस्व इकाइयों का विकेन्द्रीकरण किया। माननीय सभापति महोदय, या तो राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय रेवेन्यू इकाइयों का गठन किया गया या अशोक गहलोत जी की यह सरकार जो चार सालों में आई है उसमें किया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि इन चार सालों में हमने 7 ए डी एम कार्यालय खोले जबकि इनकी सरकार थी तब 5 साल में एक भी नहीं खोला। हमने 4 साल में 7 ए डी एम कार्यालय खोले। इसी तरह अभी इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी 6 और दे दिये तो 7 और 6, 13 ए डी एम कार्यालय इस कार्यकाल में खोले हैं। इसी तरह सहायक कलेक्टर का हमने एक खोला, इन्होंने जीरो खोला और अभी हमने एक और कर दिया। इसी तरह उप खण्ड, 27 उप खण्ड आफिस इन चार सालों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय सदस्यों की मांग के आधार पर खोले हैं और 5 अभी खोले, यानी 32 एस डी एम आफिस इन चार सालों में अशोक गहलोत जी की सरकार ने खोले और पिछली सरकार में जीरो, एक भी एस डी एम आफिस नहीं खोला।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह 61 तहसीलें चार साल में खोलीं और अभी 17 और खोलीं, कुल 78 तहसीलें इन चार सालों में खोलीं और पिछली सरकार में 17 तहसीलें खुलीं। इसी तरह उप तहसील, माननीय सभापति महोदय, इस बजट की मिलाकर 106 उप तहसीलें खोली हैं जबकि इनके कार्यकाल में केवल 4 उप तहसीलें खुली हैं। इसी तरह 1062, यानी 1100 राजस्व गांव हम अब बना चुके हैं और बने हैं चार साल में और इनके टाइम में पांच साल में केवल 618 ही बने तो यह कहां आम जनता की, नीचे के लोगों की ये बात कह रहे हैं, वे सही साबित हो रही है? मैं आंकड़े दे रहा

(श्री रामलाल जाट)

हूं। मैंने पहले ही आपका लिखा हुआ स्लोगन पढ़ा है और इस स्लोगन के माध्यम से ही मैं ये चीजें कह रहा हूं कि या तो बोलूं ही नहीं और बोलूं तो सही बोलूं नहीं तो पाप का दोषी होऊंगा। अगर आप लोगों ने खोले हों तो बताओ। इसी तरह कुल 1292 राजस्व इकाइयों का गठन हम चार साल में अभी तक कर चुके हैं। इसी तरह, 1035 नये पटवार मण्डल खोले दिये। अब रही विकेन्द्रीकरण के तहत इन इकाइयों में जिले बनाने की बात। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में ये चीजें कही हैं। हमारे कई सदस्यों की मांग है तो हमने तीव्र गति से एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का टाइम भी 13.3.2023 ही है तो जैसे ही यह रिपोर्ट मुख्य मंत्री जी को सौंपेंगे तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर करेंगे।

माननीय सदस्यों ने काफी चिन्ता जताई है, मैं भी उनकी सिफारिश कर रहा हूं, लेकिन कमेटी गुणावगुण, मापदण्ड देखती है और उसके आधार पर खोलती है। निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा है कि वह कमेटी रिपोर्ट देगी तो जल्दी ही उन जिलों के ऊपर भी कार्यवाही होगी, लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करूंगा कि जो आपकी भावना है उसको मुख्य मंत्री जी तक जोरदार तरीके से पहुंचाऊंगा, ताकि इसका फायदा आपके एरिया के लोगों को मिले। इकाइयों का विकेन्द्रीयकरण होगा तो ज्यादा लोग उसका फायदा ले पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सदन के उप नेता ने ठीक बात कही है कि 1955 का टीनेंसी एक्ट, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, सीलिंग एक्ट पुराना 1973, इनको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने मंत्री बनते ही सबसे पहले चिट्ठी इसी चीज की लिखी है और हमारे जन-घोषणा पत्र में भी है। माननीय भैरोंसिंह जी साहब नहीं रहे लेकिन उनकी भी भावना थी। ये बहुत पुरानी चीजें हो चुकीं और आज के टाइम में लगभग इतने सर्कुलर हम निकाल चुके हैं कि उस मूल कानून की भावना का ही कोई उद्देश्य नहीं रहा, लेकिन इसमें समय चाहिए। कमेटी का गठन पहले भी हुआ है, कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, कई बार सलेक्ट कमेटी के पास भी गया, कई तरह की दिक्कतें आईं और अभी हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें भी जब हम बैठे थे तो इस पर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी चिन्ता जाहिर की तथा उनको वह चीज याद है। उन्होंने खुद ने आगे होकर यह चीज कही है, तो आपकी और सदन की भावना भी मैं पहुंचाऊंगा ताकि कमेटी जल्दी बनकर यह

(श्री रामलाल जाट)

चीज करें। फिर भी हमने नियमों में सरलीकरण किया है ताकि इन कैम्पों में या समस्याओं की जन-सुनवाई एस डी एम करते हैं, आप लोग जाते हो तो उसके लिए हमने काफी सरलीकरण किया है।

माननीय सभापति महोदय, 2018-19 से पूर्व का जो बकाया लगान था वह पहली बार हमने माफ किया है। 2018-19 से पूर्व का बकाया देय लगान भू-राजस्व का तमाम माफ कर दिया गया। इसी तरह फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 10 हैक्टेयर तक कन्वर्जन की फ्री के अन्दर छूट दी है। जो आपके 2007 के नियम थे उनमें संशोधन करके पहली बार इस चीज को हमने आगे बढ़ाया और 10 हैक्टेयर तक फ्री कन्वर्जन का किया, ताकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारे किसानों के बच्चों के लिए वहीं गांव में ही आ सके, यह व्यवस्था की है।

इसी तरह इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु कन्वर्जन का प्रावधान किया। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में कोई इकट्ठे होकर कालोनी काटते हैं तो उनको भी छूट का फायदा देने के लिए यह पालिसी लेकर आये हैं और नियमों में संशोधन किया है।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक एवं धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट को कन्वर्जन प्रभार से मुक्त किया। 17.8.2020 को जारी जो कन्वर्जन के नियम हैं उनमें संशोधन करते हुए चिकित्सा सुविधाएं हों, धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट हों, शैक्षणिक सुविधाएं हों, वृद्धाश्रम हो, अनाथालय हो, नारी निकेतन, लेप्रोसी सेंटर, असमर्थ व्यक्ति केन्द्र, व्यसन मुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह, इन तमाम चीजों को, कन्वर्जन का जो शुल्क लगता है, उससे माफ कर दिया। यह चीज भी पहली बार हुई है। इसी तरह स्टेडियम, खेल मैदान, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स को कन्वर्जन के लिए अनुमत कर दिया। हाइड्रो कार्बन एक्सप्लोरेशन हेतु खातेदारी को कन्वर्जन कर दिया। खातेदारी भूमि पर बायोगैस, बायोमास पावर प्लांट में कन्वर्जन छूट। ये जो विंड पावर प्लांट कोई लगाना चाहता है तो इन चीजों को भी कर मुक्त किया है। ये सब चीजें इसलिए की हैं कि इससे रोजगार भी बढ़े और किसान को फायदा भी हो तथा जो कानून में अनावश्यक जटिलताएं हैं उनसे उसको छुटकारा मिले। ऐसे ही लैण्ड कन्वर्जन पोर्टल की शुरुआत की है। अब लैण्ड कन्वर्जन के लिए सीधा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया जिसके माध्यम से आपकी वह चीजें स्वत: ही हो जाएंगी। इसी तरह गोशालाएं आबंटन के लिए 20 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया। इसी तरह नि:शक्तजनों के लिए भी किया।

श्री सभापति: पास कराइये अब।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): ऐसे कैसे पास होगा, जो छूटें की हैं वह बताऊंगा। आपको दिन भर मैंने सुना तो बोलना तो पड़ेगा। आप ही को-आपरेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माननीय सभापति महोदय, कई सदस्यों ने आबंटन पर चिन्ता जाहिर की। हमने एप्लीकेशन लगाने के बाद में 60 दिवस में उसके आबंटन का निस्तारण करने के लिए तय कर रखा है। इसी तरह नियमन अवधि में भी हमने छूट की है। जो दो तरह के नियमन थे, गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन जमीनों पर जो अतिक्रमण कर रखा है जहां खेतीबाड़ी नहीं होती है और एक सिवायचक भूमि जहां खेती होती है। उसकी जो तारीख 15.7.1994 थी उसको बढ़ाकर हमने 15.7.2004 की है। अलाटमेंट के लिए 1.1.2005 से बढ़ाकर 1.1.2015 की है। उन तमाम लोगों को जो जागरूक हैं और एम एल ए या आपकी कमेटी है वह वहां पर बैठकर अलाटमेंट करवाता है और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो हमें बतायें। जमीन उपलब्ध है, आपकी पी-14 की नकलें निकालवायें और 1.1.2015 से किसी की है और कोई एस डी एम नहीं कर रहा है तो आप बतायें, हमारे ध्यान में लायें, जिला कलेक्टर को बतायें और जिला कलेक्टर नहीं सुने तो हमें बतायें, हम उसका कन्वर्जन करवायेंगे ताकि उसके अलाटमेंट हो तो सरकार की मन्शा साफ है कि जो भूमिहीन है, सीमान्त है, लघु सीमान्त है उसको जमीन मिले इसके लिए हमने प्रोविजन किया है।

इसी तरह हमने पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन सेल का गठन किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने चिन्ता जाहिर की। पीएलपीसी कमेटी गठित की है, जिमसें हमारे 4 हजार 356 मामले आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, कई लोगों ने चिन्ता जाहिर की है कि हमारी चरागाह जमीन पर अतिक्रमण है तो इस तरह के मामले को निपटाने के लिए एक कमेटी गठित की है। एस सी, एस टी के भाइयों के लिए भी माननीय बैरवा जी, हरीश जी ने, कई सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। आप उन लोगों को लायें, उनके लिए 183बी कानून बना हुआ है, तुरन्त हटायेंगे। पीएलपीसी कमेटी और गठित कर दी है। इसमें 1 लाख 69 हजार प्रकरण राजस्थान में आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, 1 लाख 22 हजार में हमने 47 हजार

(श्री रामलाल जाट)

538 भूमि पर अतिक्रमण हटाया है। 4 हजार 356 में 1837 भूमि का नियमन किया है, इस पीएलपीसी कमेटी की माध्यम से तो ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं, काम हो रहा है, लेकिन जो जागरूक है, जो आगे दौड़कर काम करवा रहा है, उन लोगों के काम, बाकी कई अधिकारी अच्छे दौड़ते हैं, गांवों में जाते हैं तो काम होता है, कई नहीं जा पाते तो जन प्रतिनिधि जागरूक हैं तो हो पाता है।

इसी तरह गैर लाभकारी संस्थाओं को नि:शुल्क दो हजार स्क्वायर फीट तक जमीन देने का रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है। यह भी माननीय मुख्य मंत्री जी की देन की वजह से हुआ है।

रिप्स में हमने 2022 की इकाइयों को कन्वर्जन प्रभार से छूट कर दी। बिना आबंटन के इतना बड़ा निर्णय लिया, जो कहीं आबंटित नहीं हुई, लेकिन वह कब्जे में बैठा हुआ है। हमने उससे 1981 से 10 परसेंट डी एल सी रेट लेकर, उसके नाम पर जमीन खातेदारी देने का अधिकार किया है। अब आप उसके अन्दर भी आ सकते हो, लेकिन आपको जानकारी हो। इस कानून का उपयोग लेकर डी एल सी का 10 परसेंट, राजस्थान में 22 हजार किसानों को इसका सीधा फायदा मिला है। उनको पता भी नहीं होगा। उनके पास कोई रिकार्ड भी नहीं है, लेकिन सीधा फायदा एक ऑर्डर से ही दे दिया।

नामान्तरण शिविर खोलने के लिए पहले लगभग 47 दिन की अवधि थी। उसे हमने घटा कर 30 दिन की। सभापति महोदय, आपको जानकारी हो तो, पहले पटवारी के पास 7 दिन थे, हमने 5 दिन किये हैं। इसी तरह हमारी पंचायतों के पास 30 दिन थे, उनको 20 दिन किया है। नियमों में काफी हद तक सरलीकरण किया है। इसका फायदा मिल रहा है।

रही बात चरागाह पॉलिसी की। काफी सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। इसके लिए हमने कैबिनेट में निर्णय लिया था। उस कैबिनेट के निर्णय से राजस्थान में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, जो लोग मकान बनाकर घुमन्तू, अर्द्ध घुमन्तू या कमजोर वर्ग के लोग बसकर बैठे हुए हैं उनके लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 100 वर्गमीटर तक उनको नि:शुल्क दें। उनकी क्षतिपूर्ति करते हुए दें, लेकिन इसमें कोर्ट का स्टे आने की वजह से हमने उस पालिसी को रोक दिया। जब हमने दुबारा ए जी, ए ए जी के माध्यम से राय लेकर माननीय कोर्ट को निवेदन किया तो परसों ही हमारी राय भी आ गई। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि हम कल, परसों कलेक्टर

(श्री रामलाल जाट)

को चिट्ठी लिख रहे हैं। तमाम कलेक्टरों को कि जहां बसे हुए हैं, आप इसकी पालना, चरागाह पालिसी, जो कैबिनेट ने मंजूर की है, उसकी पालना के आधार पर कोई कलेक्टर आपको मना नहीं करेगा। चरागाह पर जो बसे हुए मकान हैं, 100 वर्गमीटर तक, उनको क्षतिपूर्ति करते हुए हम उसको पट्टा दे देंगे। चरागाह पालिसी के अन्दर कैबिनेट ने निर्णय लिया, पूरे राजस्थान के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम कैबिनेट ने किया है और उसको कोर्ट ने भी माना। हम उन्हीं नियमों के आधार पर गये, जो बलवान सिंह जी, 2011 का जिक्र कर रहे थे, गुलाब कोठारी जी का 2017-18 का जिक्र कर रहे थे, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने पालिसी बनाई और उस पालिसी का फायदा पूरे राजस्थान के लोगों को हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अब थोड़ा-सा ही बचा है।

श्री सभापति: पास करवाओ, हो गया।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैन काम तो अब आया है।

श्री सभापति: अब क्या मैन बाकी रह गया है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): कई चीजें आई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी 2023-24 के बजट में...

श्री सभापति: दो-तीन घन्टे और बढ़ा दें?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): अब जो नामान्तरण होंगे, विक्रय हक त्याग..

श्री सभापति: 12 बजे तक का कर दें सदन का समय?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, समय तो मांगें पारित होने तक बढ़ा हुआ है। मैंने सुना है तो मैं तो जाऊंगा नहीं भले ही आप जा सकते हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): हम तो बैठे हैं, चाहे 12 बजे, हम तैयार हैं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): विक्रय हक त्याग एवं उपहार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री होते ही स्वत: ही नामान्तरण दर्ज होगा। जब जो निर्णय हो रहा है, जमाबन्दी को अपडेट करने के प्रावधान कर दिये गये हैं। इसी के

(श्री रामलाल जाट)

साथ, बाकी अन्य मामले, जैसे विरासत आदि के नामान्तरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस कर रहे हैं। यह भी हमने निर्णय किया है, तो यह बहुत अच्छा काम आप लोगों के लिए हुआ है। इसलिए मैं ज़िद कर रहा हूं कि आप पूरी तरह से इन चीजों को सुनें। आपके काम आयेगी।

इसी तरह मैंने गिरदवारी का बताया, कई बार आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं। हमारे उप नेता, जब हमारे बजट पर बोल रहे थे, तब वे चीजें कहीं कि एक ही आदमी को जमीन अलाट करने का काम कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 2014 से 2018 तक किन-किन लोगों को सौर ऊर्जा के लिए जमीनें अलाट की हैं, कौन-कौन लोग थे, कितनी-कितनी जमीन की और इस सरकार के आने के बाद चार साल में कितने लोगों को कितनी-कितनी जमीन अलाट की, यह आंकड़ा मेरे पास है। आप कहें तो टेबल करूं और चाहे तो पढ़कर सुना दूं?

गत सरकार ने वर्ष 2014 से 2018 में राजकीय उपक्रम विभाग को जो आबंटन किया, सरकारी विभाग थे, एन टी पी सी, सौर ऊर्जा गवर्नमेंट के जोइंट वेंचर, उनको इन्होंने 11 हजार 305 बीघा की थी। अशोक गहलोत सरकार ने राजकीय उपक्रम विभाग को आबंटन किया 33 हजार 521 बीघा, चार साल में। आपसे डबल से भी ज्यादा सरकारी उपक्रमों को की। माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोत सरकार ने राजकीय उपक्रमों को तीन गुना, पिछले 5 साल के कार्यकाल से, इन चार सालों में आबंटित की है।

इसी तरह प्राइवेट कम्पनियों को आबंटन, इन्होंने 70 हजार 525 बीघा की और अशोक गहलोत सरकार ने 2019 से 2023 तक 36 हजार 841 बीघा की। मांग कोई भी करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कितनी आबंटित हुई, इन्होंने कुल 82 हजार 130 बीघा पिछले पांच साल के कार्यकाल में अलाट की। इस कार्यकाल में 70 हजार 362 बीघा अलाट की है, कांग्रेस सरकार ने। अब इसमें अडानी भी है, अब इसमें टाटा भी है, अब इसमें रिलायंस भी है, इसमें एक्मे भी है, इसमें अवाडा भी है, इसमें इडन भी है, कई ऐसी संस्थाएं हैं। आपके टाइम में वे संस्थाएं ज्यादा हैं, जो मोटे-मोटे, जिनकी मित्र मण्डली की बात आती है।

मैं तारीख भी बता दूं, अडानी को 05.07 को 20 हजार 414 बीघा अलाट की। ऐसे ही एस बी आई रिनुएबल को 5 हजार 124 बीघा की। मैसर्स

(श्री रामलाल जाट)

अडानी को 397 बीघा की, इडन को हमने 1795 बीघा की, राजस्थान सौलर पार्क को 10 हजार 470 बीघा की, ऐसे ही एन टी पी सी को की। ऐसे हर विभाग की, आपके कार्यकाल की और हमारे कार्यकाल की, इसलिए आप आरोप हम पर अन्यथा नहीं लगायें। मेरा कहने का अर्थ है कि हमने भी की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अडानी से नाराजगी तो नहीं है, न? अडानी से मित्रता तो हो गई न? यह तो रिकार्ड पर ले आओ।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं हैं। रिप्स में हमने पूरे राजस्थान के भले के लिए पूरे हिन्दुस्तान से ही नहीं, दुनिया के व्यापारियों को जा-जाकर बुलाया और वे आये। झगड़ा इस चीज का है कि हमने जो पालिसी बनाई है, जिसमें सब लोग आये और आपने ऐसी पालिसी बनाई, ताकि एक आदमी आये, झगड़ा यह है। माननीय सभापति महोदय, झगड़ा उस चीज का है। हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं हैं, पालिसी के खिलाफ हैं। पालिसी ऐसी बने, जिसमें सबकी भागीदारी हो। आज कल यूट्यूब पर, अख़बार में, टीवी पर जो चीजें आ रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, बेशर्मी शब्द का जो इस्तेमाल हुआ। ऐसे सदन में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। ऐसे पवित्र कानून बने हुए हैं। ऐसे में इसका सटीक उदाहरण, इस शब्द का संसद में देखने को मिला। सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ आदमी कहे, मैं अकेला, सब पर भारी। वह अकेला कहां हैं, उसके ई डी साथ, उसके सी बी आई साथ, उसके इन्कम टैक्स साथ, उसके आर एस एस साथ, उसके विश्व हिन्दू परिषद साथ, उसके साथ पूरी कारपोरेट लॉबी, उसके साथ अडानी, उसके साथ मीडिया के मालिक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या बात करते हो, साफ हो गये पता ही नहीं लगा।

श्री सभापति: मंत्री जी, प्लीज मांग पास करवाइये। एक मिनट, विराजिए। आप पास करवाइये। विराजिए, विराजिए। किसी का भी अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, वास्तव में अकेला तो राहुल गांधी है जिसके पीछे पड़ी इन्कम टैक्स, पीछे पड़ी ई डी, पीछे पड़ी सी बी आई, पीछे पड़े हैं सारे नेता, अकेला तो वह है, अकेला वो नहीं है तो ऐसे समय में तमाम शक्तियों का मुकाबला करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा निकाली जिसमें गरीब, दलित, किसान, मजदूर सारे लोग मिले हैं, व्यापारी भी मिले हैं, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी मिले हैं। ऐसे-ऐसे लोग मिले हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज शान्त रहो।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): वह अकेला आदमी है जिसके पीछे सब पड़े हैं और उस पर आरोप लगाते हैं इसलिये बेशर्मी का शब्द तो वह है, बेशर्मी यह नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: बैठ जाइये।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये तमाम चीजें मैंने इसलिये आपके समक्ष, आपके माध्यम से रखीं, फिर भी माननीय सदस्यों के जो कट मोशंस थे उनका तो मैं जवाब भेजूंगा ही, कुछ चीजें जो इन्होंने कही हैं जैसे 23 जनवरी का फैसला आया बिजौलिया का, एक मेरे जिले का जिक्र किया था, उसमें कहीं बदनीयती हो सरकार की, ऐसे फैसले कोर्टें करती हैं आज से नहीं दस-दस, बीस-बीस साल से केस चल रहे हैं और फैसले होकर आते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): एक मिनट। तो फैसले होते हैं अगर उसमें कोई आर्डर कर दिया हो, मैंने यह फैसला आने के चार दिन पहले सदन में एक प्रश्न में कहा था कि सरकार के खिलाफ कोई भी फैसला आता है, सरकार की जमीनों पर सरकार के खिलाफ कोई फैसला आता है तो उच्च अधिकारियों को सूचना करनी पड़ती है, अपील, नो अपील के प्रावधान हैं। ऐसे सीधी नहीं होती और इसमें भी वो ही चीज है। फैसला तो कोई भी करवाकर लाता है या करके आता है तो वकीलों के थ्रू आता है। हाईकोर्ट के भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी आते हैं, रेवेन्यू बोर्ड के भी आते हैं, आर ए ए के भी आते

(श्री रामलाल जाट)

हैं। इस केस में भी मैंने पता किया, आपके बोलने के बाद जाकर देखा तो तीन कोर्टों के फैसले हो रखे थे, उसके बाद आया तो कोई सरकार ने थोड़े फैसला करवा दिया लेकिन फिर भी ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिये।

दूसरा, आपने और भी जिक्र किया था अब्दुल रहमान के फैसले का भूमि आबंटन का, मन्दिर माफी का आपका कट मोशन भी था। मन्दिर माफी में हमने आर्डर जारी कर रखे हैं, फिर भी मैं अलग से उस चीज के लिए आर्डर भी भेज दूंगा जो आपकी भावना थी हमने ऑनलाइन करने के लिए उसमें पुजारी का नाम जो होता है, उसके साथ करने का है। इसलिये आप चिन्ता न करें, हमारी मंशा बिलकुल साफ है, एकदम क्लियर है कि जो माननीय सदस्य चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कोई भी बात रखे उसकी बात में सच्चाई है तो हम उसको मानेंगे। हमें अगर कानून में बदलाव करना होगा तो बदलाव करेंगे। यह मुख्य मंत्री जी ने छूट दे रखी है। कैबिनेट में रख कर हम यह करवाते हैं तो आपकी जो चीजें आयी हैं हम उनको ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों की भावना की कद्र करेंगे और राजस्थान का चहुंमुखी विकास हो, ऐसी कामना हम सब लोग मिलकर करेंगे और ये तमाम कार्य नियमों में सरलीकरण, इतने बजट में, जैसे हमारे मंत्री जी ने बोला, उसके बाद कोई बचा ही नहीं। हम ही आयेंगे, हम ही आयेंगे। आपने कहा हम ही आयेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 को पारित करायें।

मांग संख्या 16 - राजस्व का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 - राजस्व विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,35,20,11,000/- (बीस अरब पैंतीस करोड़ बीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री सभापति)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 79,16,13,04,000/- (उन्नासी अरब सोलह करोड़ तेरह लाख चार हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21:23 बजे शुक्रवार, 03 मार्च 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पुष्कर में रोडवेज बसों का पुन: संचालन

253. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत चार वर्षों में जिला अजमेर में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितनी बसें किस-किस मार्ग की बंद की गईं व कितनी नवीन बसों का संचालन किन-किन मार्गों पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में बंद की गई लम्बे मार्ग व लोकल रोडवेज बसों का पुनः संचालन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विगत 4 वर्षों में अजमेर जिले में बन्द की गई बस सेवाओं का विधान सभा क्षेत्रवार एवं मार्गवार विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा नवीन संचालित की गई बस सेवाओं का विधान सभा क्षेत्रवार एवं मार्गवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

निजी वाहन स्वामियों के आवेदन अनुसार निर्धारित मार्गों पर परमिट जारी तथा परमिट सरेण्डर किये जाते हैं। विगत चार वर्षों में अजमेर जिले में जारी परमिट व सरेण्डर की सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में बन्द की गई बस सेवाओं का निगम के सीमित संसाधनों के कारण पुन: संचालन किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण एवं सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बिलाड़ा में वाहनों के चालान

203. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के थानों में वर्ष 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक वाहनों के कितने चालान बनाये गये व वाहन चालकों से कितनी राशि वसूल की गई? पुलिस थानेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने वाहनों की पुलिस द्वारा जब्ती की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के थानों (बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, बोरून्दा) में वर्ष 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 17,747 (सत्रह हजार सात सौ सैंतालीस) वाहनों के चालान बनाये जिनसे 3,68,850 (तीन लाख अड़सठ हजार आठ सौ पचास) रुपये की कुल जुर्माना राशि वसूल की गई। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के विभिन्न थानों से अलग-अलग थानावार व वर्षवार चालानों एवं वसूली गई जुर्माना राशि का संख्यात्मक विवरण प्रपत्र-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के थानों (बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, बोरून्दा) में वर्ष 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 1,021 (एक हजार इक्कीस) वाहनों की जब्ती पुलिस द्वारा की गई। थानावार व वर्षवार संख्यात्मक विवरण प्रपत्र-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रायसिंहनगर के विद्यालयों में रिक्त पद

204. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों के वर्तमान में कितने-कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में माध्यमिक शिक्षा में रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:-

पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
शिक्षक ग्रेड-2	115	47	68
शिक्षक ग्रेड-3 लेवल 2 व समकक्ष	398	284	114
शिक्षक ग्रेड-3 लेवल 1 व समकक्ष	362	310	52
प्रशिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक	35	25	10
कुल रिक्त	**244**		

विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं, की विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(2) जी हां। शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पात्र एवं चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

खानपुर के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

205. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के माध्यमिक विद्यालयों में कितने पद किस-किस ग्रेड के स्वीकृत हैं तथा कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खानपुर विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में ग्रेडवाइज स्वीकृत तथा रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पात्र एवं चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पुष्कर के विद्यालयों में रिक्त पद

206. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में किस-किस वर्ग के कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में सभी रिक्त पदों पर कार्मिक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में माध्यमिक शिक्षा में रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत विद्यालयों में रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष	67	26	41
2	अध्यापक लेवल 2 व समकक्ष	234	208	26
3	अध्यापक लेवल 3 व समकक्ष	373	335	38
4	शारीरिक शिक्षक एवं समकक्ष	36	19	17
कुल		**710**	**588**	**122**

विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं, की विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पात्र एवं चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर के औझाजी का बाग, गांधी नगर में भूमि पर अतिक्रमण

207. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व के ग्राम भोजपुरा के खसरा नम्बर 477 से 481 की सिवाय चक भूमि जो कि वर्तमान में औझाजी का बाग, गांधीनगर मोड़, जयपुर में स्थित है, तथा उक्त भूमि का स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर वेयरहाउस, कैफे एवं बैकरी के मालिकों ने बिल्डिंग लाइन से आगे बढ़ते हुए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है तथा एक अन्य व्यक्ति ने आम रास्ते पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर, टीन-शैड के कमरे बनाकर सड़क मार्ग को अवरूद्ध कर दिया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण के संबंध में कालोनी के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरयुक्त शिकायती पत्र आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित किया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार अब कब तक उक्त अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम भोजपुरा के खसरा नं. 477 श्री दामोदर कुमार हल्दिया के नाम दर्ज है एवं खसरा नं. 478 से 481 जविप्रा के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसकी जमाबन्दी की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वेयरहाउस, कैफे, रेस्टोरेन्ट, बैकरी आदि बनाकर रोड सीमा में किये गये अतिक्रमण को चिन्हित किया जाकर जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 72 के पृथक-पृथक दो नोटिस क्रमश: दिनांक 10.02.2023 व

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

13.02.2023 को जारी किये गये हैं। जारी नोटिसों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। वेयरहाउस, कैफे, रेस्टोरेन्ट, बैकरी आदि बनाकर रोड सीमा में किये गये अतिक्रमण को चिन्हित किया जाकर जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 72 के पृथक्-पृथक् दो नोटिस क्रमश: दिनांक 10.02.2023 व 13.02.2023 को जारी किये गये हैं। जारी नोटिसों की प्रति संलग्न है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

गोल्यावास (सांगानेर) की आवासीय कालोनियों का नियमन

208. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में ग्राम गोल्यावास, तहसील सांगानेर (जयपुर) में किस-किस भूमिधारकों की हाउसिंग सोसायटी की आवासीय योजनाओं को स्वीकृत कर पट्टे जारी किये एवं कितनी आवासीय योजनाओं की स्वीकृति अब तक शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान के अन्तर्गत तहसील सांगानेर जयपुर स्थित हाउसिंग आवासीय सोसायटी के भूखण्डधारकों को जो कि वाद से अलग हैं, उनको पट्टा जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कीर्तिनगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की तिरूपति विहार आवासीय योजना किस खसरा नंबर में बसी हुई है? इसमें स्थित वाद से अलग भूखण्डों का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय), सांगानेर (जयपुर) के आदेश उक्त आवासीय योजना के नियमन नहीं करने हेतु जेडीए पर किन आदेशों, नियमों व कारणों से लागू होते हैं? उक्त आवासीय योजना के नियमन पर रोक संबंधी सिविल न्यायालय आदेश, विभागीय आदेश व नियमों तथा निदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

ग्राम गोल्यावास, तहसील सांगानेर (जयपुर) की 6 हाउसिंग सोसायटी की आवासीय योजनाओं को स्वीकृत कर पट्टे जारी किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है एवं उक्त ग्राम की 34 हाउसिंग सोसायटियों की आवासीय योजनाएं स्वीकृति से शेष हैं, जो परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान के अन्तर्गत तहसील सांगानेर, जयपुर स्थित हाउसिंग सोसायटी के भूखण्डधारियों को पी.टी. सर्वे करके परीक्षण उपरान्त नियमानुसार नियमन कैम्प आयोजित कर पट्टे जारी किये जा रहे है।

(3) कीर्ति नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की तिरूपति विहार आवासीय योजना ग्राम गोल्यावास के खसरा नंबर 518, 518/588 एवं 520 से 523 पर सृजित है। खसरा नम्बर 518, 520 से 523 पर माननीय न्यायालय उप खण्ड अधिकारी (द्वितीय), सांगानेर, जयपुर के निर्णय दिनांक 28.03.2022 से स्थगन आदेश जारी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान आदेश दिनांक 28.09.2021 के सामान्य बिन्दु के क्रम संख्या-7 के अनुसार सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रकार का वाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो ऐसे प्रकरणों में न्यायिक वाद प्रत्याहरित होने के बाद न्यायालय के निर्णय के अनुरूप निस्तारण किया जावे, तत्संबंधी आदेश की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। खसरा नं. 518/588 उक्त वाद से अलग है, जिसमें कुछ भूखण्डों का आंशिक भाग आता है, जिसको सम्पूर्ण योजना अनुमोदन होने पर ही अनुमोदित किया जा सकेगा, क्योंकि अलग से अनुमोदन करने पर योजना का आवासीय व सुविधा क्षेत्र का अनुपात नियमानुसार उपलब्ध नहीं हो पाता है।

(सूचियां और प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर के पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) की कालोनियों का नियमन

209. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पृथ्वीराज नगर, जयपुर के जोन दक्षिण (प्रथम) में वर्तमान में कितनी कालोनियां हैं जिनका नियमन शिविर अब तक नहीं लगाया गया व किन कारणों से उक्त कालोनियों का नियमन नहीं किया गया है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त जोन स्थित जयमाता वैष्णोनगर कालोनी (ख.नं. 56) का नियमन शिविर दिनांक 30-31 मई, 2022 को प्रस्तावित था? यदि हां, तो किन कारणों से उक्त नियमन शिविर स्थगित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में उक्त कालोनी (ख.नं. 56) पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पृथ्वीराज नगर, जयपुर के जोन दक्षिण (प्रथम) में कुल 58 कालोनियों का नियमन शेष है, जिनमें न्यायिक प्रकरण विचाराधीन होने, स्थगन आदेश प्रभावी एवं अन्य कारण से नियमन नहीं किया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयमाता वैष्णोनगर कालोनी (ख.नं. 56) का नियमन शिविर दिनांक 30-31 मई, 2022 को प्रस्तावित था, जिसका माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 04.05.2022 अपील संख्या 418/22 में स्थगन आदेश प्रभावी एवं अन्य कारण से नियमन नहीं किया गया। प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में उक्त कालोनी (ख.नं. 56) के संबंध में अपीलीय अधिकरण के समक्ष रेफरेंस संख्या 30/2023 कालूराम विचाराधीन है। उपरोक्त प्रकरण में प्राप्त निर्देशानुसार शिविर आयोजित किया जावेगा। प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। साथ ही खसरा नं. 56 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2023 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(सूची एवं प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सी-स्कीम योजना, जयपुर का अभिन्यास

210. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जक्शन): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सी-स्कीम योजना, जयपुर का अभिन्यास (Layout Plan) जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीरसिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अभिन्यास अंतर्गत आजाद मार्ग के एक हिस्से को अतिक्रमियों द्वारा अवैध कब्जा कर अवरुद्ध कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमियों से अवैध कब्जे को हटाकर उक्त रास्ते को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर सरकार द्वारा टी-क्लास भूखण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो कब व उक्त का नियमन कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सी-स्कीम योजना का ले-आउट प्लान दिनांक 29.06.1994 को जारी किया गया था तथा रिवाइज ले-आउट प्लान दिनांक 15.12.2015 को जारी किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) अनुमोदित मानचित्र के अनुसार "आजाद मार्ग" सड़क में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं पाया गया और न ही सड़क सीमा में अतिक्रमण है।

(3) जी हां। रिवाइज ले-आउट प्लान दिनांक 15.12.2015 को जारी किया गया है, जिसमें भूखण्ड संख्या-1 की लीजडीड दिनांक 06.08.2022 को एवं भूखण्ड संख्या-2 की लीजडीड दिनांक 23.02.1999 को जारी की जा चुकी है। अन्य प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सेवारामपुरा (टोंक) की अधिग्रहित भूमि

211. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के पत्र क्रमांक प. 7(6) नविवि/3/2010 दिनांक 24 फरवरी, 2010 के द्वारा ग्राम सेवारामपुरा (टोंक) में आवासीय योजना हेतु काश्तकारों की भूमि अवाप्त करने एवं भूमि को यथास्थिति में रखने के आदेश के उपरान्त अब तक अधिग्रहित भूमि पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण काश्तकारों को हो रहे नुकसान एवं योजना के प्रारम्भ से अब तक ब्याज, अधिभार एवं लागत में वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार के पत्र क्रमांक प. 6(29) नविवि/3/04/ पार्ट दिनांक 24 सितम्बर, 2020 के आदेश क्रमांक प. 7(1) नविवि/2019 दिनांक 13 सितम्बर, 2019 के तहत नये अवाप्ति नियम, 2013 की धारा 24(2) व धारा 101 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति से मुक्ति अथवा पुन: अवाप्ति की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने बाबत विभागों को निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो उक्त ग्राम की अधिग्रहित भूमि के संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग के पत्र क्रमांक प.7 (6) नविवि/3/2010 दिनांक 24 अक्टूबर, 2010 के आधार पर उक्त ग्राम की अधिग्रहित भूमि पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण क्या सरकार काश्तकारों के हित में उक्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार के पत्रांक प.7(6)नविवि/3/2010 दिनांक 24.02.2010 के द्वारा ग्राम सेवारामपुरा, टोंक में आवासीय योजना हेतु काश्तकारों की भूमि अवाप्त करने एवं भूमि यथास्थिति रखी गई थी, लेकिन खातेदारों से भूमि का कब्जा मण्डल द्वारा अभी तक नहीं लिया गया। खातेदारों द्वारा लगातार खेती की जा रही है। खातेदारों के भारी विरोध के कारण योजना प्रारम्भ नहीं की जा सकी।

(2) जी हां। इस परिपत्र के क्रम में मण्डल द्वारा अधिग्रहित भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने की कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है। अधिग्रहित भूमि पर वर्तमान में सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। भूमि नियोजन की कार्यवाही के पश्चात् शीघ्र ही योजना प्रारम्भ की जायेगी।

(3) इस बिन्दु का उत्तर प्रश्न के बिन्दु संख्या 02 के उत्तर में निहित है।

पाली में 'रूडिप' द्वारा जल कनेक्शन

212. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ज्ञानचंद पारख)

(1) रूडिप द्वारा नगर परिषद, पाली क्षेत्र में किस-किस उपभोक्ता को जल कनेक्शन हेतु राशि जमा कर उनके मीटर लगा दिये गये हैं किन्तु उक्त गली में कितने समय से किन-किन कारणों से पाइप लाइन नहीं बिछाई गई? मोहल्लेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में जिन उपभोक्ताओं को जल कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं, उनके गली-मोहल्ले में कितनी अवधि में पाइप लाइन बिछवा दी जायेगी?

उत्तर

(1) रूडिप द्वारा नगर परिषद, पाली क्षेत्र में तृतीय चरण के तहत स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार मुख्यतया उन सभी उपभोक्ताओं की गलियों में पेयजल वितरण पाइप लाइन बिछा दी गई है, जिन्होंने नियमानुसार नवीन जल संबंध हेतु आवेदन किया एवं आवश्यक राशि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जमा करवाई है। अत: सभी उपभोक्ताओं की गली में पानी की पाइप लाइन डाली जा चुकी है, जिन्होंने कनेक्शन हेतु राशि जमा करवायी है एवं मीटर फिटिंग का कार्य किया जा चुका है।

(2) रूडिप द्वारा मुख्यतया जिन उपभोक्ताओं को जल कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं, उनकी गली में पेयजल पाइपलाइन बिछा दी गई है।

बैराठ माता (भीलवाड़ा) के जंगल का विस्तार

213 श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के बदनोर कस्बे में बैराठ माता के जंगलों का कुल क्षेत्रफल कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सघन वन क्षेत्र को राजसमंद जिले के निकट अभयारण्य में जोड़कर उक्त का विस्तार करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा वन मण्डल की आसीन्द रेंज में बदनोर कस्बे में वन खण्ड बैराठ गिर्दन माता का क्षेत्रफल 1331 हैक्टेयर आरक्षित वन खण्ड है।

(2) भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के बदनोर कस्बे में बैराठ माता के जंगलों के नजदीक में राजसमंद जिले का कोई अभयारण्य स्थित नहीं है एवं ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी (द्वितीय) की पदोन्नति

214. श्री पृथ्वीराज (टोडाभीम): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी (द्वितीय) पद पर पदोन्नति वर्ष 2021-22 व वर्ष 2022-23 से क्यों लम्बित है? क्या विभाग उक्त दोनों वर्षों की डी.पी.सी. करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी (द्वितीय) के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी (द्वितीय) पद पर पदोन्नति वर्ष 2022-23 प्रशासनिक एवं न्यायिक कारणों से लम्बित है।

जी हां। वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी (द्वितीय) पद पर पदोन्नति वर्ष 2021-22 की डी पी सी दिनांक 22.02.2023 को आयोजित की जा चुकी है एवं वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी (द्वितीय) पद पर पदोन्नति वर्ष 2022-23 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) 01 जनवरी, 2023 को क्षेत्रीय वन अधिकारी (द्वितीय) के 269 पद रिक्त हैं।

डगिया तालाब (घाटोल) का पुनर्निर्माण

215. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल के अन्तर्गत माही विभाग बांसवाड़ा द्वारा घाटोल के पास नरवाला वितरिका के नाम अतिरिक्त कैनाल निकालने से घाटोल का डगिया तालाब क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के पुनर्निर्माण का विचार रखती है तथा जिन अधिकारियों की लापरवाही से उक्त तालाब क्षतिग्रस्त हुआ उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नरवाली वितरिका का बाईपास चैनल डगिया तालाब के किनारे पहाड़ी टो के नीचे से गुजरता है। बाईपास चैनल के ऊपर ग्राम पंचायत द्वारा तालाब के घाट का निर्माण किया गया था। भारी वर्षा के कारण घाट में पानी रिसने एवं घाट में सैटलमेंट होने से बाईपास चैनल 50 मीटर लंबाई में क्षतिग्रस्त हो

(जल संसाधन मंत्री)
गया, जिसके कारण तालाब में संग्रहित जल का कुछ भाग बाईपास चैनल के माध्यम से बह गया। तालाब के घाट/बाईपास चैनल के आवश्यक जीर्णोद्धार कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

नरवाली वितरिका के बाईपास चैनल के प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त होने से कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

डेगाना में रोडवेज आगार की स्थापना

216. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डेगाना की नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में रोडवेज आगार खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र से लम्बी दूरी की बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना की नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त स्थान पर निगम का आगार खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना होकर संचालित निगम बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र से होकर वर्तमान में संचालित निगम बस सेवाओं के अतिरिक्त नवीन बस सेवा संचालित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र में संचालित निजी वाहनों की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण एवं सूची पुस्तकालय में रखे गये)

मकराना उप खण्ड मुख्यालय से कुचामन रोडवेज बसों का संचालन

217. **श्री रूपा राम** (मकराना): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रूपा राम)

क्या सरकार उप खण्ड मुख्यालय मकराना से कुचामन वाया जूसरी, बुसू एवं बरवाला होते हुए रोडवेज बस का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उप खण्ड मुख्यालय मकराना से कुचामन वाया जूसरी, बरवाली, बुडसू, बरवाला होते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा आमजन की सुविधार्थ निम्नलिखित समय सारणी अनुसार संचालित है:-

मकराना	जूसरी	बरवाली	बुडसू	बरवाला	कुचामन
07:30	07:45	08:05	08:15	08:25	08:40

श्रीडूंगरगढ़ में खेल काम्प्लेक्स की स्थापना

218. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर में अब तक कितने खेल काम्प्लेक्स बनाने की स्वीकृति दी गई है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा खेल काम्प्लेक्स में कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार श्रीडूंगरगढ़ में खेल काम्प्लेक्स का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बीकानेर जिला मुख्यालय पर डा. करणी सिंह स्टेडियम खेल काम्प्लेक्स बना हुआ है, जिसमें विगत वर्षों में निम्न स्वीकृतियां जारी की गई हैं:-

क्र.सं.	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	करवाये गये कार्य
1	2015-16	200.00	बास्केटबाल, वालीबाल, मल्टीजिम हाल, क्रिकेट पिचेज एवं रिपेयर एथलेटिक ट्रैक
2	2016-17	183.00	बैडमिंटन, टेबल टेनिस एवं इन्डोर हाल
3	2021-22	750.00	मल्टीपरपज इन्डोर हाल (निर्माणाधीन)
4	2022-23	50.00	जिम फिटनेस सेन्टर भवन (निर्माणाधीन)

साथ ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2023-

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

24 में सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर में शूटिंग व तीरंदाजी की सुविधा विकसित की जाएगी तथा प्रत्येक संभाग मुख्यालय में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने के साथ बीकानेर में सिन्थैटिक एथलेटिक्स टैक एवं साइकिलिंग अकादमी की स्थापना की जावेगी।

(2) खेल काम्प्लेक्स के अन्तर्गत खेल स्टेडियम सहित आवश्यकतानुसार विभिन्न खेलों के खेल मैदान/सुविधाएं विकसित की जाती हैं।

(3) वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

मेजर ध्यानचंद योजना के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार विधायक-सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर/स्थानीय निकाय से अंशदान राशि प्राप्त होने पर योजना के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।

शेरगढ़ में ध्यानचंद स्टेडियम की स्थापना

219. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना के क्रियान्वयन में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की किस-किस पंचायत समिति मुख्यालय पर उक्त स्टेडियम बनाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के पंचायत समिति मुख्यालय पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की स्थापना क्यों नहीं की गई? क्या सरकार उक्त पंचायत समिति मुख्यालय पर उक्त स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मेजर ध्यानचंद योजना के अन्तर्गत शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किसी भी पंचायत समिति मुख्यालय पर कोई स्टेडियम नहीं बनाया गया है।

मेजर ध्यानचंद योजना के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार विधायक-सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर/स्थानीय निकाय से अंशदान राशि प्राप्त होने पर योजना के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के किसी भी पंचायत समिति मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण हेतु मेजर ध्यानचंद योजना के बिन्दु संख्या 9 के

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

अनुसार विधायक-सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर/स्थानीय निकाय से अंशदान राशि वर्तमान में प्राप्त नहीं हुई है।

जी हां। मेजर ध्यानचंद योजना के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार विधायक-सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर/स्थानीय निकाय से अंशदान राशि प्राप्त होने पर योजना के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।

चोप ग्राम (आमेर) में स्टेडियम का निर्माण

220. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक पंचायत समिति में खेल मैदान का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो जिला जयपुर की किन-किन पंचायत समितियों में कहां-कहां पर खेल मैदान का निर्माण कराया गया तथा कितने खेल मैदानों का निर्माण करवाया जाना प्रक्रियाधीन है? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति आमेर के ग्राम चोप में सरकार द्वारा बनाये जा रहे खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु कुल कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है तथा अब तक कितनी राशि के कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं व क्या-क्या कार्य शेष हैं तथा उक्त स्टेडियम कब तक बनकर तैयार हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर जिले में युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा निर्माण करवाये गये/करवाये जा रहे खेल मैदान वाली पंचायत समितियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	स्थान	स्वीकृत वर्ष	वर्तमान स्थिति
1	शाहपुरा, जयपुर	2011 2015-16 2016-17	निर्माण कार्य पूर्ण।
2	बगरू, जयपुर	2022-23	कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
3	जमवारामगढ़, जयपुर	2023-24	बजट घोषणा में स्वीकृत। कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
4	कंवर का वास, झोटवाड़ा, जयपुर	2023-24	बजट घोषणा में स्वीकृत। कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(2) पंचायत समिति, आमेर के ग्राम चोप में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

ग्राम चोप में खेल स्टेडियम का निर्माण राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा करवाया जा रहा है।

मदनपुर ग्राम पंचायत (धौलपुर) में थ्री-फेज लाइन चालू करने की योजना

221. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार ग्राम पंचायत मदनपुर, पं.स. सरमथुरा, जिला धौलपुर में थ्री फेज लाइन चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

धौलपुर जिले में विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में मदनपुर ग्राम पंचायत, पं.स. सरमथुरा में 22-24 घंटे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। ग्राम पंचायत, मदनपुर में 3 फेज कृषि कनेक्शन और 3 फेज औद्योगिक कनेक्शन नहीं हैं। भविष्य में किसी उपभोक्ता द्वारा 3 फेज कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर "विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें 2021" के प्रावधानुसार थ्री फेज लाइन खींच कर विद्युत कनेक्शन चालू किये जा सकेंगे।

नसीराबाद में लम्बित विद्युत कनेक्शन

222. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में कितने विद्युत कृषि कनेक्शन जारी किये गये व कितने आवेदन लम्बित हैं? लम्बित विद्युत कृषि कनेक्शन के कितने मांग पत्र जारी किये गये हैं व कितने शेष हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लम्बित विद्युत कृषि कनेक्शन के मांग पत्र जमा होने के पश्चात् भी कितने विद्युत कृषि कनेक्शन लम्बित हैं? श्रेणीवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

(3) उक्त लम्बित विद्युत कृषि कनेक्शनों को सरकार कब तक जारी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों में यथा वर्ष 2018-2019 से 31 जनवरी, 2023 तक विभिन्न योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में जारी विद्युत कृषि कनेक्शनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

विभिन्न योजनाओं में कृषि श्रेणी के लम्बित आवेदन, जारी मांग पत्र एवं कनेक्शन जारी करना शेष का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में लम्बित कृषि विद्युत कनेक्शनों का श्रेणीवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) वर्तमान में सामान्य योजना के कृषि आवेदकों के कृषि कनेक्शन घोषित कट आफ डेट 31.12.2015 के अनुसार मांग पत्र जमा आवेदकों को एवं अन्य श्रेणी के जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन वरीयतानुसार सतत प्रक्रिया के तहत जारी किये जा रहे हैं। साथ ही सामान्य योजना के दिनांक 01.01.2016 से 22.02.2022 तक के लम्बित कृषि आवेदकों को मांग पत्र जारी कर आगामी वर्ष 2023-24 में कृषि कनेक्शन जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर के महाविद्यालयों में रिक्त पद

223. श्री हरीश चौधरी (बायतू): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जिला बाड़मेर में विगत चार वर्षों में कितने सरकारी महाविद्यालय खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों के भवनों की स्थिति सहित निर्माण के लिए आबंटित व व्यय की गई राशि का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महाविद्यालयों में कितने शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत 04 वर्षों में बाड़मेर जिले में 12 राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला बाड़मेर में विगत 04 वर्षों में खोले गये राजकीय महाविद्यालयों के भवनों की स्थिति सहित निर्माण कार्य आबंटित व व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जिला बाड़मेर में विगत 04 वर्षों में खोले गये राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्ग में स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-2 व 3 पर संलग्न है।

नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राशमी व भोपालसागर में महाविद्यालयों की स्थापना

224. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उप खण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के नियम व मानदण्ड तय किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उप खण्ड मुख्यालय राशमी तथा भोपालसागर में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा अर्थात् "वर्तमान में महाविद्यालय से वंचित रहे उप खण्ड मुख्यालयों पर संभावनाओं के परीक्षण हेतु नई नीति लाकर चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालय खोले जाएंगे" की गयी थी।

उक्त घोषणा की अनुपालना में जारी नीति की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उप खण्ड मुख्यालय राशमी तथा भोपालसागर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रतापगढ़ में विधि महाविद्यालय की स्थापना

225. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जिला प्रतापगढ़ में विधि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रतापगढ़ जिले में विधि महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-01

मांग संख्या 16 - राजस्व पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जगदीश चन्द (सादुलशहर):

1. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में नये पटवार भवन व सर्किल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

2. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के चवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उप तहसील स्वीकृत करने, उप तहसील बिशाला का भवन निर्माण करने तथा शेष ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पटवार सर्किल खोलने के साथ ही पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

3. विधान सभा क्षेत्र चौहटन की विभिन्न ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि का सीमांकन करने, वन विभाग की भूमि का चिह्नीकरण करने के साथ ही चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

4. विधान सभा क्षेत्र दूदू की अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाकर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सम्बन्धितों को कब्जा दिलाने हेतु अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र दूदू में गिरदावर एवं पटवारियों के रिक्त पदों को भरने तथा भवन विहीन कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

6. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में मन्दिर माफी व डोली की भूमि जो बेचान हो गई, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराकर पुन: डोली व मन्दिर माफी में म्यूटेशन (नामान्तरण) करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

7. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी (धौलपुर) के अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों पर गैर अनुसूचित जाति द्वारा किये गये कब्जों को समयबद्ध सीमा में हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

8. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की जैतारण व रायपुर तहसील कार्यालय के नवीन भवन निर्माण करवाये जाने तथा सभी पटवार हलकों के क्षतिग्रस्त पटवार घरों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों पर स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में म्यूटेशन प्रकरण दर्ज करने की अवधि स्वत: एक महीने करने व लम्बे समय तक उक्त प्रकरणों को लम्बित रखने वाले कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. प्रदेश में गोचर जमीन पर किये गये अतिक्रमण एवं नदी, नाला, ओरण, अणगोर सहित अब्दुल रहमान प्रकरण में अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सेन्दड़ा उप तहसील को तहसील स्तर में क्रमोन्नत करने एवं आनन्दपुर कालू उप तहसील के नवीन भवन की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

13. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम वोपारी की सिवायचक भूमि खसरा नं. 108 व 378 पर अतिक्रमी द्वारा अवैध कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

14. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित गंभीरी एवं बेड़च नदियों के आस-पास की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

15. प्रदेश में चरागाह भूमि के किस्म परिवर्तन अथवा भू-रूपान्तरण के मामलों में शिथिलता हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

16. विधान सभा क्षेत्र नदबई की तहसील उच्चैन की ग्राम पंचायत सैदपुरा को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र नदबई की उप तहसील लखनपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

18. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की उप तहसील बसई नवाब को तहसील में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बाड़ी में नवीन मिनी सचिवालय भवन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के खुबचन्द का पुरा (बाड़ी) को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ग्राम बड़ी नगरिया (सैपऊ) को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ग्राम हरनाथ का नगला को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

23. प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पदों पर भर्ती करने एवं तहसीलदारों का 2 वर्ष तक स्थानान्तरण नहीं करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

24. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यालय पादरू एवं होडु को उप तहसील स्तर में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व गांवों की आबादी को विभाग द्वारा चिह्नित करके पंचायत को जानकारी देने अथवा पत्थरगढ़ी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. प्रदेश के राजस्व रिकार्ड को ऑनलाइन करने एवं भूमि का पुन: जीपीएस से सैटलमेन्ट किये जाने पर उत्पन्न कमियों को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. प्रदेश में खेत से खेत में जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में रास्तों का अमल-दर-आमद करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजकीय रास्तों एवं निर्मित ग्रेवल सड़कों पर उप खण्ड स्तर से स्थगन आदेश पारित किये जाने से आमजन को होने वाली असुविधा का निराकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

29. प्रदेश में कृषि भूमि की खातेदारी का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. प्रदेश की काश्तकारों की वर्षों पुरानी भूमियों की खातेदारी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

31. विधान सभा क्षेत्र नोखा के पांचू व जसरासर में स्वीकृत उप-तहसील कार्यालय को शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. राजस्थान में लम्बित भू-अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजस्व गांवों में आबादी भूमि के विस्तार के लिए अन्यत्र उपलब्ध अराजीराज व सिवायचक भूमि को गोचर/ओरण की क्षतिपूर्ति में सैट-अपार्ट के जरिये भू-रूपान्तरण कर आबादी भूमि का विस्तार करने तथा वर्तमान में अराजीराज व सिवायचक भूमि पर बसे परिवारों को पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र नोखा के ग्राम केशुपूरा ग्राम पंचायत रोड़ा खेतारों की ढ़ाणी, भोम ढाणी ग्राम पंचायत जांगलू, खीचड़ों की ढाणी ग्राम पंचायत बंधाला, नाइयों की ढाणी ग्राम पंचायत ढींगसरी, बांगूड़ों की ढाणी ग्राम पंचायत सांईसर, हनुमाननगर कड़ेलों की ढाणी, थड़ी में घवालों की ढाणी ग्राम पंचायत सारूण्ड़ा, राहड़ों की ढाणी, लोहियों की ढाणी, ग्राम पंचायत कक्कू, कुम्हारों की ढाणी, टेहला दावा, रिड़मलपुरा

ग्राम पंचायत कूदसू, धांकलनगर नाथूसर, रिड़मलपुरा ग्राम पंचायत कूदसू, धांकलनगर नाथूसर, शिवराज की ढाणी, जयसिंहदेसर मगरा, सियागों की ढाणी जांगलू, बरिंगावाली नाड़ी जांगलू, भादुओं की ढाणी, कूदसू, गोदारों की ढाणी, देसलसर, मेघवालों की ढाणी अमलाव तालाब पिथरासर, भाटिया मेघवालों की ढाणी ग्राम पंचायत मैनसर को राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र नोखा में पटवारियों व गिरदावरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुरा):

36. तहसील रामगढ़ (सीकर) में नायब तहसीलदार एवं अन्य पद नियमानुसार सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

37. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छीपाबड़ौद के ऑनलाइन रिकार्ड में हुई त्रुटियों को दुरुस्त करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा को शीघ्र ऑनलाइन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

39. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की उप तहसील सायरा को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के सभी पटवार सर्किल में रिक्त पटवारियों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की मेरपुर उप तहसील में उप पंजीयन कार्य हेतु स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की उप तहसील मेरपुर में पटवार सर्किल अनुसार पटवारी पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. प्रदेश में प्रत्येक वर्ष जिन्सों की जिन्सवारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

44. पाली जिले के जवाई बांध के पुनर्भरण योजना से अधिशेष जल को नया कमाण्ड एरिया सुमेर सागर (हेमावास) बांध व जवाई कमाण्ड

क्षेत्र के मध्य गांवों बिरामी, बड़ली घणा, लापोद, चाणोद, ठोला बालराई, गुड़ा ऐदला, गुंदोज डेडा, गिरवर इत्यादि गांवों को नया जवाई कमाण्ड में सम्मिलित करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में तहसील स्तर पर पर नये राजस्व ग्राम बनाने, लम्बित प्रस्तावों पर विचार करने तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय सबराड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन का नाम परिवर्तन कर शिवराजपुर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

46. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के ग्राम पंचायत सुकेत के आठ किलोमीटर परिधि में चरागाह, श्मशान, सिवायचक आबादी में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबु लाल (झाडोल):

47. विधान सभा क्षेत्र झाडोल के फलासिया में तहसील कार्यालय एवं आगण में उप तहसील कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

48. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम धोली कोठी में अग्रवाल मैमोरियल ट्रस्ट, लखनऊ को किये गये भू-आबंटन में आबंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के बाद भी भू-आबंटन निरस्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

49. विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्राम आकोला, पहुंना में नायब तहसील कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र कपासन में पटवारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र कपासन में बिलानाम कब्जेशुदा भूमियों के आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

52. चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम आजोलिया का खेड़ा व मेडीखेड़ा में सैटलमेन्ट के समय ओवरलैप खातों (तनाजा) के निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. प्रदेश के उप खण्ड कार्यालय तथा राजस्व अपील न्यायालयों में वर्षों से लम्बित दावों के समयबद्ध निस्तारण की कार्ययोजना (पालिसी) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

54. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के पिलानी में उप खण्ड अधिकारी (एसडीओ) का पद स्वीकृत कराने तथा पिलानी तहसील का फिलहाल प्रशासनिक नियंत्रण उप खण्ड अधिकारी, चिड़ावा के अधीन करने तथा कृषि उपज मण्डी, पिलानी एवं पॉलीटेक्निक कालेज पिलानी हेतु भूमि आबंटन करने के सम्बन्ध में।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

55. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में सारोला कलां उप तहसील को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी में उप खण्ड कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

57 प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु किसानों के आवागमन के लिए रास्तों को चिह्नित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. प्रदेश में राजस्व विभाग के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों को 2 वर्ष की समय सीमा में निर्णय कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमियों पर से भू-माफियाओं के कब्जे हटाकर खातेदारों को सुपुर्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. प्रदेश में स्थित सिवायचक भूमियों पर वर्षों से कृषि कार्य कर रहे किसानों को रिकार्ड के आधार पर आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. प्रदेश में शहरों में राजस्व विभाग की भूमियों पर निर्मित आवासों को पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

62. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के धमोतर में उप खण्ड कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के धमोतर में नया तहसील कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की तहसील डूंगला, बड़ी सादड़ी एवं भदेसर कार्यालयों में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

65. विधान सभा क्षेत्र मावली के फौजा बां का कुआं (मावली) को राजस्व गांव घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र मावली की बंजारा बस्ती (नांदवेल) में एक सौ वर्षों से चरागाह भूमि पर बसे निवासियों को पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र मावली के सुखेर औद्योगिक क्षेत्र में कृषि भूमि पर बने औद्योगिक इकाइयों का भू-रूपान्तरण कर नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र मावली के डबोक में तहसील कार्यालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

69. प्रदेश में "प्रशासन गांवों के संग" शिविर में किसानों को आबंटित की गयी कृषि योग्य बिलानाम भूमि (सिवायचक) को दो वर्ष तक गैर खातेदार रखकर खातेदारी हक देने के नियम को संशोधित कर विशेषकर टीएसपी क्षेत्र में आबंटन होते ही खातेदारी हक देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की जिन ग्राम पंचायतों में "प्रशासन गांवों के संग" अभियान शिविर के दौरान उप खण्ड अधिकारी, विधायक या अन्य अधिकारी के अनुपस्थित रहने से बिलानाम भूमि आबंटित नहीं हो पायी, ऐसी ग्राम पंचायतों में राजस्व ग्राम वाइज/वार शिविर का

आयोजन कर किसानों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के उप खण्ड प्रतापगढ़ के पानमोड़ी पटवार मण्डल एवं बारावरदा में उप तहसील कार्यालय खोलने तथा देवगढ़ जिला प्रतापगढ़ को तहसील में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मंजु देवी (जायल):

72. विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम जोधायासी को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

73. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के जर्जर पटवार भवनों को नाकारा घोषित कर नये पटवार भवन बनाने, शंखवास तथा पांचौड़ी में उप तहसील कार्यालय खोलने, नवसृजित ग्राम पंचायतों में पटवार मण्डलों का सृजन करवाने तथा पटवारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

74. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की उप तहसील मण्डार को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के गत 4 वर्षों से उप खण्ड कार्यालय रेवदर आबूरोड एवं जिला कलक्ट्रेट सिरोही में लम्बित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की ग्राम पंचायत वासन के गांव कोचरिया खेड़ा व ग्राम पंचायत अनादरा के गांव ठेका मजरा को राजस्व गांव घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के उप खण्ड आबू रोड कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय गिरवर पर उप तहसील कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजस्व गांवों में निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क, पानी, बिजली व अन्य विभागीय सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

79. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में राजस्व से सम्बन्धित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय व राजस्व अपील अधिकारी का कैम्प कार्यालय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में राजस्व से सम्बन्धित आबंटन के प्रकरणों की लम्बित पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के उपनिवेशन क्षेत्र में गजट में साया की हुई आबंटन के पात्र किसानों की भूमि गजट से बाहर निकालकर खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के बड़ोपल विरानी क्षेत्र के काश्तकारों व 1955 से पूर्व के अलाट में काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गोलूवाला एवं डबली उप तहसील को तहसील स्तर में क्रमोन्नत करने तथा जाखड़ा वाली (पीलीबंगा) एवं गन्धेली (रावतसर) को नई उप तहसील घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

84. विधान सभा क्षेत्र नोहर के पटवार मण्डल मोगराना, रामसरा (26 NTR), मंगुली, गोगाणा की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र नोहर के ग्राम मेघाना तहसील नोहर एवं ग्राम पोलखी तहसील पल्लू को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र नोहर के गांवों की आबादी भूमि के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

87. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में नई उप तहसील खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

88. विधान सभा क्षेत्र भादरा के करणपुरा, छानीबड़ी, रामगढ़ (नोहर) में पटवार मण्डल बड़े होने के कारण वहां दो-दो पटवार मण्डल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र भादरा की उप तहसील रामगढ़ को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भादरा में राजस्व अपील अधिकारी (R.A.A.) के कैम्प कोर्ट की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

91. प्रदेश में नये जिलों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. प्रदेश में ऑनलाइन से वंचित तहसीलों के अभिलेख को ऑनलाइन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. प्रदेश में म्यूटेशन हेतु लिये जाने वाले शुल्क को माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. प्रदेश में रिक्त पड़े राजस्व अधिकारियों एवं कार्मिकों (विशेषकर पटवारियों) के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की उप तहसील जसोल को तहसील में क्रमोन्नत करने एवं मण्डली में नवीन उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

96. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमंद, गिंगला और झल्लारा में रिक्त पड़े पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप तहसील गिंगला को तहसील में क्रमोन्नत कर भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. प्रदेश में रजिस्ट्री होने के बाद इंतकाल की समय सीमा तय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी व भू-रूपान्तरण

के शेष प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमंद, गिंगला, झल्लारा में गोचर भूमि पर लोगों के अतिक्रमण शीघ्र हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

101. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में "प्रशासन गांवों के संग" अभियान के तहत बिलानाम/पड़त जमीन पर कब्जाशुदा लोगों को आबंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

102. प्रदेश में पंजीकृत खसरे का नामान्तरण तत्समय कर क्रेता को परेशानियों से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र आहोर में अब्दुल रहमान के फैसले से पूर्व करीब 70 वर्षो से बसे ऐसे गांव जो ओरण एवं गोचर बसे हुए हैं उन्हें जमीन का पुनर्भरण करवाकर आबादी रूपान्तरित करके पट्टे दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र आहोर के पिछले 40 से 50 वर्षों से सिवायचक में बसे गांवों को आबादी में रूपान्तरित कर पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम सियाणा एवं चांदराई में नवीन उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपा राम (मकराना):

106. विधान सभा क्षेत्र मकराना के बुडसू में नवीन तहसील कार्यालय की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र मकराना की उप तहसील गच्छीपुरा को तहसील स्तर में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

108. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की तहसील रामगढ़ के अधीन बाम्बोली एवं नौगांवा तहसील के अधीन मुबारिकपुर को नयी उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) स्थित रामगढ़, नौगांवा, गोविन्दगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ में नवीन राजस्व ग्रामों को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

110. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में नये राजस्व ग्रामों व उप तहसील खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

111. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्षों से बंजर जमीन को उपजाऊ करके खेती कर रहे किसानों को जमीन आबंटित करके खातेदारी अधिकार दिये जाने, पटवारी के रिक्त पदों को भरने तथा अतिवृष्टि व ओलावृष्टि में प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के नाईगांव में उप तहसील कार्यालय खोलने एवं विभाग में सभी स्तर के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

113. विधान सभा क्षेत्र लूणी की उप तहसील गुड़ा विश्नोईयान को तहसील स्तर में क्रमोन्नत करने एवं केरू को उप तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

114. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में वर्ष 2022-23 की खरीफ फसल व वर्ष 2023-24 की रबी की फसलों में आपदा से हुए नुकसान की गिरदावरी व क्रोप कटिंग कराकर मुआवजा व बीमा क्लेम दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की सुमेरपुर, पाली, रानी, तहसीलों में उप खण्ड अधिकारी कार्यालयों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की सुमेरपुर पाली, रानी, तहसीलों में भवन रहित पटवार घरों पर नवीन भवन बनवाने व क्षतिग्रस्त पटवार घरों का नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की सुमेरपुर, पाली, रानी तहसीलों में आरआई व पटवारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सभी पटवार सर्किलों पर लम्बित पड़े फौत म्यूटेशन भरवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव):

119. बाड़मेर जिले की तहसील शिव के भींयाड में उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

120. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के रतनगढ़ शहर स्थित परमाणाताल पर किये गये कब्जों/भूमि किस्म परिवर्तन के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांवों में श्मशान व खेल मैदान हेतु भूमि आबंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में नये राजस्व गांव बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में आबादी भूमि काटने अर्थात् आबादी क्षेत्र का विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में कृषि भूमि पर लम्बे समय से बने मकान/कालोनियों के पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

125. राजस्व मण्डल अजमेर में व्यापक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. ग्राम "खान की झोपड़िया" को बारां जिले से हटाकर कोटा जिले में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम अरनिया के ग्रामवासियों का मताधिकार भी बारां विधान सभा क्षेत्र के स्थान पर सांगोद में ही सम्मिलित कराये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के सांगोद, कनवास एवं दीगोद तहसील में तहसीलदार का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

129. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में चरागाह भूमि एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्तों पर बढ़ रहे अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

130. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के टीएसपी क्षेत्र में हाईवे से सटे गांवों की जमीन का आबंटन करने एवं चरागाह भूमि पर बने मकानों का पट्टा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में मौके पर वर्षो से निवासरत काश्तकारों का सर्वे कराकर उनको खातेदारी हक दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

132. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू की ग्राम पंचायत बमोरी के डडवाड़ा के मजरा आडखण्ड को राजस्व ग्राम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू की ग्राम पंचायत रिछन्डा के ग्राम आमली खालसा के मजरा नयापुरा को नवीन राजस्व ग्राम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

134. विधान सभा क्षेत्र बाली की गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र बाली ग्राम पंचायत बेड़ा, दुदवी कोठार, भन्दर, लुन्दाड़ा में सिवायचक भूमि को गोचर में तब्दील करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र बाली में राजस्व रिकार्ड का सैग्रीगेशन व ऑनलाइन किये गये रिकार्ड की त्रुटियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र बाली में नये राजस्व गांव बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र बाली में "प्रशासन गांवों के संग" अभियान के दौरान प्राप्त प्रस्तावों के लिए भूमि आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

139. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के कई गांवों में नाथ (योगी) समाज के लोगों की मृत्यु उपरान्त समाधि दिये जाने हेतु भूमि समाधि स्थल के नाम से दर्ज नहीं होने से हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के सभी ग्रामों में तहसीलदार को निर्देश देकर श्मशान भूमि का सर्वे करवाकर भूमि को श्मशान के नाम दर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

141. राजकीय भोगीलाल पण्ड्या महाविद्यालय डूंगरपुर की जमीन नियमों के विरुद्ध जाकर नगर परिषद् के नाम आबंटन करने एवं राजकीय संस्कृत शास्त्री महाविद्यालय पीठ की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में बिलानाम, चरागाह एवं अन्य सरकारी भूमि पर काबिज लोगों को आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन को कौड़ियों के भाव भू-माफियाओं द्वारा खरीदकर, वहां मजदूरी करने वाले आदिवासियों के नाम रजिस्ट्री करवाकर तथा अपने रिश्तेदारों के नाम बख्शीशनामा करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

144. डूंगरपुर जिले में सीलिंग एक्ट के पूर्व तत्कालीन महाराजा द्वारा विभिन्न लोगों को दी गयी बख्शीश भूमि को पुन: उनके पुत्र के नाम पुश्तैनी जमीन में दर्ज करने एवं सीलिंग में ली गयी भूमि पर वापस अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

145. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में भवन विहीन पटवार मण्डल एवं कानूनगो कार्यालयों को भवन उपलब्ध करवाने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

146. सुल्तानपुर (कोटा) में सहायक कलेक्टर कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में तहसीलदार (भूमिधारी) कार्यालय द्वारा राजस्थान टीनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 61 के अनुसार कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

148. कार्यालय जिला कलेक्टर बून्दी में सहायक कार्यालय अधीक्षक (कार्यालय सहायक) के पद पर वर्ष 2015-16 में आवश्यक अनुभव नहीं होने पर भी 9 कार्मिकों को पदोन्नत किये जाने एवं पश्चात्वर्ती वर्षों में हुई त्रुटि को दुरुस्त नहीं किये जाने से राजकोष को हो रहे अनवरत नुकसान को रोक पाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

149. रायथल (बून्दी) में तहसील कार्यालय के लिए भवन निर्माण करवाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

150. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नवीन राजस्व गांव घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में राजस्व विभाग के समस्त रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

152. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में ग्राम भूमि के विस्तार हेतु लाल डोरे के विस्तार व पटवार मण्डल बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नये राजस्व ग्राम बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के तहसील कार्यालय के नये भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के सोडावास, ततारपुर एवं शाहजहांपुर को उप तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

156. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में अपवादित खातों को दुरुस्त करने, खाता तकसीम के प्रकरणों को निस्तारण तथा कस्टोडियन रकबा की खातेदारी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

157. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में नवसृजित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पटवार सर्किल स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में नवसृजित पंचायत समिति मुख्यालय सरनाऊ को उप तहसील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

159. विधान सभा क्षेत्र चूरू में पटवारियों के पद लम्बे समय से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

160. चूरू जिले में मन्दिर माफी की जमीन का पुजारियों के नाम उप खातेदार के रूप में इन्द्राज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

161. चूरू जिले में ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में आबादी विस्तार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र चूरू में वन भूमि के सीमांकन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

163. प्रदेश में रेवेन्यू बोर्ड में विगत 10 वर्षों से लाखों प्रकरणों का निष्पादन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

164. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

166. अजमेर के राजस्व मण्डल के फैसलों में उजागर हुए भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हुए सदस्यों के पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पदों को घटाकर वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा एवं वकील कोटे के पदों में बढ़ोतरी कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदस्थापन से पूर्व एवं वकील कोटे से की गयी नियुक्ति प्रक्रिया के समान ही पदस्थापन से पूर्व चयन प्रक्रिया अपनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. अजमेर स्थित राजस्व मण्डल के विचाराधीन प्रकरणों में भ्रष्टाचार के द्वारा निर्णयों को प्रभावित किये जाने वाले मामले में समय पर चालान प्रस्तुत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

168. अजमेर शहर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कब्रिस्तान, श्मशान, खातेदारी चांदमारी भूमि पर 100 वर्षों पूर्व बसी कालोनियों में नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिजली विभाग, पेयजल विभाग द्वारा विकास कार्य कराये जाने के बावजूद विधायक कोष से विकास कार्य नहीं करने देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण की ग्राम किरानीपुरा के खसरा नं. 1412 व खसरा नं. 1412/3716 की सरकारी भूमि को बचाने हेतु दीवानी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में ओआईसी की जवाबदेही तय करने व भूमि बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. अजमेर शहर में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय नगरा भजनगंज, चंदन निवास, पीपल का कुआं के भवन हेतु भूमि आबंटन के प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

171. प्रदेश के राजस्व कार्यालयों का निर्धारित समयावधि में लेखा जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित जर्जर पटवार भवन को दुरुस्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. प्रदेश के राजस्व भू-अभिलेख का सम्पूर्ण डिजिटलाइजेशन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित राजस्व कार्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में नवीन पटवार मण्डल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

176. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में कतिपय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण व अवैध निर्माण हटाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

177. प्रदेश में किसानों की भूमि का नामान्तरण की प्रक्रिया पश्चात् ऑनलाइन नामान्तरण खोलने में देरी होने से ऑनलाइन प्रक्रिया में विशेष कार्ययोजना बनाकर किसानों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

178. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के विधान सभा नगर धौलाई, मानसरोवर, जयपुर में वर्ष 1993 में खातेदारों द्वारा विक्रय की गयी भूमि को वर्ष 2017 में सांगानेर तहसील द्वारा गलत खोले गये नामान्तरण की सम्पूर्ण जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

179. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित पटवार भवनों में रंग-रोगन एवं फर्नीचर उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना उप खण्ड की उप तहसील 2 KLD (365 हैड) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पटवारी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के उप खण्ड के रामसिंहपुर को उप तहसील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. अनूपगढ़ तहसील के जर्जर भवन का पुन: निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

184. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की तहसील आंधी में एसडीएम कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की उप तहसील ताला को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के कस्बा रायसर में उप तहसील खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

187. विधान सभा क्षेत्र महवा को जिला बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र महवा में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

189. प्रदेश में नये राजस्व ग्राम घोषित करने की सुस्पष्ट नीति बनाने और विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में नये राजस्व ग्राम सृजित करने पर चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के गिलुंड एवं कुंवारिया में नये तहसील भवन निर्माण पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में भू-सम्पदाओं के आंकिकीकरण कार्य में शिथिलता एवं विगत 3 वर्षों में इस सम्बन्ध में किये गये कार्यों पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में पटवार मण्डल से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों की स्थिति एवं वहां पर पटवार मण्डल सृजित करने पर चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के गांवों में आवासीय क्षेत्र का विस्तार नहीं करने और इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट नीति के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

194. प्रदेश में नये जिले बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. प्रदेश में भू-राजस्व निरीक्षकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

196. प्रदेश में पटवारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

197. विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति जालसू की ग्राम पंचायत सिरसली में वर्षों से रह रहे गाड़िया लुहार परिवारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु भूमि चिह्नित कर आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. प्रदेश में घुमन्तू एवं अर्ध घुमन्तू परिवारों को स्थायी रूप से बसाये जाने हेतु जिलेवार भूमि का आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. प्रदेश में कृषकों द्वारा ऋण नहीं चुका पाने के कारण विगत चार वर्षों में उनकी नीलाम/कुर्क की गयी जमीनों को पुन: लौटाने एवं नीलामी/कुर्की की प्रक्रियाधीन कार्यवाही को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम हनुमान नगर (अचरोल) एवं कान्यावास (गोविन्दपुरा) सहित अन्य ग्रामों को शीघ्र नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र आमेर के विभिन्न ग्रामों में कृषकों के वर्षों से काबिज एवं जायज हक होने के बावजूद भी इनकी भूमियों पर मन्दिर माफी के नोट लगे होने के कारण कृषकों के समक्ष उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

202. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पंचायत मुख्यालय मांगलियावास को उप तहसील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

203. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के लाम्बाहरिसिंह को उप तहसील बनाने तथा उप तहसील डिग्गी को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

204. प्रदेश में राजस्व विभाग के सभी रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

205. प्रदेश में जर्जर पटवार भवनों की मरम्मत व नवीन पटवार भवनों का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में मालपुरा उप खण्ड में भू-प्रबन्धन (भू-सैटलमेंट) की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

207. प्रदेश में राजस्व विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों की वेतन विसंगतियां दूर करने व भत्तों में बढ़ोतरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

208. राजस्व विभाग में वर्षों से पैंडिंग चल रहे राजस्व मामलों का समय से निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी सचिवालय के समान पदनाम एवं वेतन भत्ते दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. राजस्व विभाग में कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. राजस्व न्यायालयों में सुधार हेतु उप खण्ड कार्यालयों में कार्यभार के अनुसार पदों में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. राजस्व विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को भू-प्रबन्धन एवं भू-मापन सहित फील्ड से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर):

213. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम भानीपुरा में नवीन क्रमोन्नत तहसील में राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय जैसे शिक्षा, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, उप कोष कार्यालय, समाज कल्याण विभाग, सांख्यिकी विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

214. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर स्थित तहसील कार्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए पांच वर्ष पूर्व भूमि आबंटित किये जाने के बाद भी भवन निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति तथा कार्यालय निर्माण हेतु स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

215. प्रदेश में राजस्व प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

216. प्रदेश में गोचर भूमि पर जन सहयोग से चल रही गोशालाओं एवं नन्दीशालाओं के नाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

217. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की पंचायत मुख्यालयों पर पटवार सर्किल न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

218. प्रदेश में पटवार मुख्यालयों पर पटवारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. ग्राम मेहर वाला तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ में 94 भूमि विहीन परिवारों को अलाट की गयी कृषि भूमि से बेदखली से उत्पन्न स्थिति,

बीकानेर जिले की पूंगल तहसील के दीनसर, लाखुसर, जालवाली व बराल गांवों के किसानों की जमाबंदी पर नोट लगाने से उत्पन्न स्थिति तथा सीकर जिले की धोद तहसील के गिरदावर सर्किल धोद के गिरदावर द्वारा सही क्रोप कटिंग न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

220. अलवर जिले के नीमराना फोर्ट एवं उससे लगती हुई जमीन पर हो रखे अतिक्रमण को शीघ्र हटाने तथा फोर्ट की जमीन की पुन: पैमाइश करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

221. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नवसृजित बोराड़ा उप तहसील के भवन निर्माण का बजट स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की ग्राम पंचायतें हरमाड़ा, त्योद तथा सुरसुरा को रूपनगढ़ उप खण्ड के स्थान पर किशनगढ़ उप खण्ड में शामिल करने के सम्बन्ध में।

223. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की सरवाड़ उप खण्ड में शामिल मनोहरपुरा, बरोल, ओराड़ा, डबरेला, कालीर एवं झिरोता ग्राम पंचायतों को अरांई उप खण्ड में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

224. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न तहसील कार्यालयों, पटवार मण्डलों की भवन विहीन तथा जर्जर भवनों के स्थान पर नये भवन निर्माण कराने की आवश्यता पर चर्चा के लिए।

225. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के मण्डा भीमसिंह तथा नरायना में नयी उप तहसील खोलने के सम्बन्ध में।

226. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विभाग के विभिन्न संवर्गो के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

227. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के खोह-दरीबा व मोतीवाड़ा में उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

228. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में राजस्व सम्बन्धी मामलों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में नये पटवार भवन निर्माण हेतु चर्चा के लिए।

230. जयपुर सांगानेर तहसील के ग्राम धौलाई में खसरा नं. 152 से 156 में स्थित सड़कें, गलियों को बंद कर देने एवं अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

231. प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पद भरने, राजस्व रिकार्ड में जमीन खसरा व रास्तों के गलत तरमीम करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

232. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के गांव बंघा, किस्तरीया के चक 1 बीएम से 5 बीएम के किसानों को खातेदारी अधिकार दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के पटवारियों को मुख्यालय पर भी ड्यूटी करने के लिए पाबंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में अधिकारियों (जिला एवं उप खण्ड) के द्वारा आबंटन सलाहकार समिति की बैठक नहीं रखने के कारण हजारों किसानों को खातेदारी अधिकार समय पर नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के रीको औद्योगिक क्षेत्र के समीप खसरा नं. 1047 (पुराना नं. 730/975), 290 बीघा एमएफएफआर के तहत भू-माफियाओं को आबंटित भूमि निरस्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. बीकानेर जिले में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (एमएफएफआर) के तहत पिछले 5 वर्षों में किये गये आबंटन की जांच करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

श्री छगनसिंह (आहोर):

237. ग्राम पंचायत सवना पंचायत समिति जालौर में प्रशासन गांवों के संग अभियान में करीब 50 वर्षों से रहवासी सिवायचक में पट्टा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

238. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से चरागाह में बसे परिवारों के नियमन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कृषि भूमि से कन्वर्ट होने वाली भूमि के आगे बेचान होने पर म्यूटेशन खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

240. जालौर जिले में 'शत्रु सम्पत्ति' के रूप में चिह्नित एवं दर्ज भूमि को व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम दर्ज करने का नियम विरुद्ध काम किये जाने से उत्पन्न स्थिति तथा उक्त भूमि को पुन: 'शत्रु सम्पत्ति' के रूप में दर्ज करवाने एवं उक्त नियम विरुद्ध कार्य करने/करवाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

241. जालौर शहर में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज सम्पत्तियों के सम्बन्ध में दर्ज सम्पत्ति की सूची एवं रकबा दर्ज रकबे से अधिक रकबे पर कब्जा हटाने, वक्फ सम्पत्ति पर व्यक्ति विशेष का अवैध कब्जा हटाने तथा वक्फ सम्पत्तियों का दुरुपयोग रोकने एवं उनका जनहित में सदुपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

242. जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आने वाले 12 गांवों की आबादी भूमि के समीप स्थित भूमि पर वर्षों से मकान बना निवास कर रहे व्यक्तियों की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

243. पाली जिले की रोहट तहसील के गांवों में गैर आबादी भूमि पर बसे परिवारों की भूमि को राज्य सरकार द्वारा किस्म परिवर्तन कर कब्जेधारियों को पट्टा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

244. पाली जिले की तहसील रोहट के गांव वींजा में आबादी भूमि से लगती सरकारी भूमि में अनेकों परिवार पक्का एवं कच्चा मकान बना वर्षों से निवास कर रहे हैं, को गांव के तीन कि.मी. दूर राजस्व रिकार्ड में आबादी भूमि होने से गांव के समीप की सरकारी भूमि को आबादी भूमि में एवं तीन कि.मी. दूर स्थित आबादी भूमि को सरकारी भूमि में रद्दोबदल करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

245. प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पद भरने व गैर खातेदार किसानों को खातेदारी अधिकार दिलवाने पर चर्चा के लिए।

246. विधान सभा क्षेत्र डग की भवानी मण्डी में एडीएम कार्यालय व मिश्रोली के उप तहसील खोलने पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

1. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के एस.सी.-एस.टी. छात्रावासों एवं एस.सी.-एस.टी. के बालिका छात्रावासों में सीटें बढ़ाने तथा भवनों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

2. प्रदेश में विभाग के छात्रावासों में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने तथा नि:शक्तजनों की पेंशन में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

3. सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों के भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण में हो रही विसंगतियों को दूर करने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों के भर्ती एवं पदोन्नति के रोस्टर निर्धारण की वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

5. विभाग में उप खण्ड स्तर पर कार्यालय सृजित करने, पेंशनरों को वर्तमान में मिल रही पेंशन से दुगुनी करने तथा कार्मिकों के पद बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

6. बाड़मेर जिले में पालनहार योजना से मिलने वाली सहायता राशि समय पर खातों में नहीं आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
7. वृद्धावस्था पेंशन के लिए फिंगर प्रिंट मशीन से पेंशनरों के फिंगर प्रिंट नहीं आने के कारण उम्रदराज वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. नि:शक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत नि:शक्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत की सूचना के आधार पर उनके निवास स्थान पर आकर बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना और वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना अलग-अलग होने पर भी व्यक्ति को इनका लाभ एक ही मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. बाड़मेर जिले में सहयोग एवं उपहार योजना के तहत मिलने वाली राशि के भुगतान की क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

11. विधान सभा क्षेत्र नोखा में श्री त्रिलोक मेघवंशी अनुदानित छात्रावास के साथ कन्या छात्रावास हेतु विधायक कोष से बने भवन में अनुदानित कन्या छात्रावास की सीटें आबंटन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

12. प्रदेश में दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया सरल करने और दिव्यांगों के अंग प्रत्यारोपण के लिए कैम्प लगाने तथा दिव्यांगों को कैम्प लगाकर स्कूटी वितरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

13. सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी लाभार्थियों के लगभग 30 प्रतिशत वृद्धजनों के अंगूठे के निशान का बायोमेट्रिक ऑनलाइन सत्यापन नहीं होने के कारण इसमें शिथिलता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. प्रदेश में नायक जाति को एस.टी. का प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

15. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में 8 बीघा बारानी जमीन की शर्त हटाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

16. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में बालक/बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

17. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा हेतु दिये गये सुझावों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

18. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में करदा क्षेत्र में एवं लोसिंग में नवीन छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के गोगुंदा लिए।

19. पालनहार योजना में दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित छात्रावासों में जर्जर भवनों का पुन: जीर्णोद्धार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्ड़ी):

21. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्ड़ी के खेडारूद्धा (Khera Ruddha), लरवारिया, रथकांकरा एवं फतेहपुर में विभाग द्वारा SC/ST के लिए छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

22. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में देवनारायण योजना के तहत राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

23. प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़े व्यक्तियों के जीवनस्तर को उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुरूप आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्तियों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

26. प्रदेश में समाज के पिछडे,. दलित, वंचित एवं विभिन्न वर्गों के गरीब व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार एवं सामाजिक उत्थान के संबंध में चर्चा के लिए।

27. गांवों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्य जातियों के लोगों द्वारा किये जा रहे भेदभाव को दूर करने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

28. प्रदेश के छात्रावासों में कई वर्षों से स्वीकृत रिक्त विभिन्न पदों पर शीघ्र भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
29. प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
30. प्रदेश में छात्र/छात्राओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नये छात्रावासों का निर्माण कर छात्रावासों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
31. विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के छात्र-छात्राओं के छात्रावासों को पूर्व की भांति अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों के लिए संचालन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
32. प्रदेश के विद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्ययन छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्तियों का समय पर भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

33. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विभाग में विभिन्न रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
34. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के डूंगला कार्यालय में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

35. प्रदेश में आर्थिक असहाय दिव्यांगजनों को ट्राई मोटर साईकिल वितरण करने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
36. प्रदेश में दिव्यांगजनों को बैंक से मिलने वाले ऋण में आ रही कठिनाइयों को दूर करने एवं 20% दिव्यांगजनों को प्रतिवर्ष ऋण उपलब्ध कराने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मंजु देवी (जायल):

37. विधान सभा क्षेत्र जायल में विकलांगों को स्कूटी वितरण कराने एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

38. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ब्लाक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय को यथास्थान रखने, महाविद्यालय स्तर पर, महिला छात्रावास खोलने, स्वीकृत छात्रावास की क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 करने, मूण्डवा ब्लाक मुख्यालय पर नवीन छात्रावास खोलने तथा नागौर जिले में दिव्यांगों को स्कूटी हेतु बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

39. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में गत 2 वर्षों से एवं कोविड-19 काल के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओ.बी.सी. वर्ग के छात्र-छात्राओं के लम्बित छात्रवृत्ति प्रकरण के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के दिव्यांगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की दयनीय स्थिति, गन्दगी, गुणवत्ताहीन भोजन व्यवस्था, स्वास्थ्य, मनोरंजन, अध्ययन-अध्यापन आदि की बिगड़ी व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पात्र-आवेदकों को विभाग द्वारा देय पेंशन एवं आर्थिक सुविधा के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, सहायता, पेंशन छात्रवृत्ति तथा SC\ST के उत्थान की स्कीम्स के निर्धारित लक्ष्य गत 4 वर्षों से अधूरे होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

44. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गोलूवाला, लिखमीसर, जाखड़ावाली व गंधेली (रावतसर) में नवीन अम्बेडकर छात्रावास खोलने एवं पीलीबंगा में नवीन कन्या छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के राजकीय अम्बेडकर छात्रावास पीलीबंगा पंडितावाली रावतसर में हो रही अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

46. पाली, जालौर एवं जोधपुर आदि जिलों में अनुसूचित जाति व

अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गोड़वाड़ अनुसूचित जाति व जनजाति सामाजिक न्याय बोर्ड के गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र भादरा की उप तहसील डूंगराना व छानीबड़ी में राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

48. प्रदेश में संचालित विभिन्न श्रेणी के छात्रावासों के लम्बे समय से रिक्त पड़े अधीक्षकों के पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. प्रदेश में कमजोर वर्गों जैसे-चाय की दुकान, थड़ी आदि संचालकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में सामाजिक सुरक्षा के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में संचालित विभिन्न श्रेणी के राजकीय छात्रावासों में बच्चों हेतु आवश्यक भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. प्रदेश में संचालित विभिन्न श्रेणी के छात्रावासों के विद्यार्थियों को भौतिक सुविधाएं देने एवं भत्तों को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीराराम (बिलाड़ा):

53. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के छात्रावास में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं नये छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

54. प्रदेश में दिव्यांग, परित्यक्ता, विधवा एवं वृद्धजन की पेंशन भुगतान में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमन्द एवं झल्लारा में दिव्यांग छात्र-छात्राएं दिव्यांगजन व्यक्तियों को पंचायत समितियों द्वारा ट्राई साइकिल व स्वचालित मोटर साइकिल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में दिव्यांगों हेतु नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र सूलम्बर सहित प्रदेश में पेंशन से वंचित विधवा, परित्यक्ता एवं वृद्ध महिलाओं को पेंशन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर सहित प्रदेश में रहने वाले निराश्रित, विधवा एवं दिव्यांग, परित्यक्ता को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

59. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में अनुसूचित जाति की आबादी को ध्यान में रखते हुए नवीन छात्रावास स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

60. विधान सभा क्षेत्र ओसियां मुख्यालय पर SC/ST छात्रावास के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

61. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में CDPO का रिक्त पद भरने सहित अन्य सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

62. प्रदेश के दिव्यांगजनों/विशेषजनों व दिव्यांग कर्मचारियों के भत्तों व पेंशन/परिलाभ/सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. प्रदेश में नायक समाज को ST (एस.टी.) वर्ग में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली छात्रवृत्तियों व अन्य लाभ समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

65. प्रदेश में अनाथ व बेघर लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. प्रदेश में दिव्यांगों को नि:शुल्क ट्राई साइकिल व स्कूटी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

67. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के रखरखाव नहीं होने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का समय पर वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

68. विभाग द्वारा प्रदेश के छात्रावासों में छात्र/छात्राओं को देय सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू महाराणा आवासीय विद्यालय अटरू में आधारभूत सुविधाओं पर बजट आबंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

71. विधान सभा क्षेत्र बाली के पालनहार योजना के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों के निस्तारण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र बाली में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

73. प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की अवधि छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र बाली में छात्रावासों के मरम्मत करवाने व छात्रावासों में सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

75. प्रदेश में अनाथ, बेघर एवं कोरोना मृतक दम्पत्ति के परिवारजनों तथा पुत्र-पुत्रियों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध करवाये जाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. प्रदेश में जंगलिया जाति को SC अथवा ST श्रेणी वर्ग में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में आयु वर्ग 45 वर्ष तक के सभी

आवेदनकर्ताओं को विभाग द्वारा स्कूटी एवं ट्राई साइकिल सहित अन्य उपकरण शीघ्र प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित सभी आवासीय छात्रावासों, अम्बेडकर छात्रावास, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय व छात्रावास में अध्ययनरत छात्रों तथा कार्यरत कार्मिकों के लिए पौष्टिक भोजन की मात्रा में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. प्रदेश में दिव्यांगजनों/विशेषजनों/दिव्यांग कर्मचारियों के भत्तों, पेंशन, परिलाभ व अन्य सुविधाओं में वृद्धि के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

80. डूंगरपुर जिले में दिव्यांग (विकलांग) छात्रों एवं व्यक्तियों को स्कूटी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

81. विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों को बिना किसी कारण के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में स्थानांतरण करने से कार्मिकों एवं छात्रों को हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वृद्धावस्था पेंशन एवं पालनहार योजना के अन्तर्गत आवेदकों को समय पर पैसा नहीं मिलने एवं नये आवेदकों को लाभान्वित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

83. डूंगरपुर जिले में बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के तहत योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्वीकृत राशि शीघ्र उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

84. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में पी.एम.ए.जी.वाई. योजना में स्वीकृत कराये गये कार्यों के लिए राशि उपलब्ध करवाकर कार्य करवाये जाने में बरती जा रही उदासीनता के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में अनेक दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक स्कूटी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के बड़ोद (कोटा) एवं रायथल (बून्दी) में छात्रावास निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में संचालित छात्रावासों में दैनिक

उपयोग एवं मूलभूत वस्तुओं के अभाव तथा उनकी खराब स्थिति से हो रही अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के एस.सी., एस.टी. एवं दिव्यांग तथा विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु ऋण सहायता/अनुदान आदि उपलब्ध कराने में विगत तीन वर्षों में की गई उपेक्षा पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

89. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में पात्र व्यक्तियों की वृद्धावस्था/ विकलांग पेंशन प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के समस्त आवेदक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

91. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में दिव्यांगजनों को सुविधा के लिए विशेष कैम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

93. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उप खण्ड मुख्यालय रानीवाड़ा में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के नवसृजित पंचायत समिति मुख्यालय सरनाऊ में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के जसवंतपुरा उप खण्ड मुख्यालय पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

96. प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में खाद्य सामग्री,

यूनिफार्म, स्कूल बैग, स्टेशनरी, मेडिकल व्यय, दैनिक भत्ता आदि के लिए निर्धारित दरों में जवाहर नवोदय विद्यालय की दरों के समान संशोधन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षकों के पद रिक्त होने के कारण छात्रावासों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए।

98. अजमेर में गाड़िया लुहारों एवं घुमन्तु वर्ग के लोगों को स्थायी आवास उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. पालनहार योजना के तहत की जाने वाली सहायता राशि को वर्तमान में बढ़ी हुई महंगाई की पृष्ठभूमि में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

100. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के दिव्यांग विशेष योग्यजन स्वरोजगार हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पात्र व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के अनुसूचित जाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार गृह बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में नये आवासीय विद्यालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को देवनारायण छात्र उच्च शिक्षा के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आदि का सर्वे करवाकर चयनित व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

105. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में संचालित छात्रावासों का नवीनीकरण कर छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. जिला चित्तौड़गढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की पिछले 4

वर्षों से रूकी हुई छात्रवृत्ति को बहाल कर वंचित छात्र-छात्राओं को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में बालिका संरक्षण हेतु संचालित शैल्टर होम को बंद किये जाने के कारण हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

108. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित छात्रावासों में मापदण्ड के आधार पर स्वीकृत पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का नया सर्वे करवाकर वृद्धावस्था पेंशन से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. उप खण्ड घड़साना की उप तहसील 2 KLD (365 हैड) में स्थित अम्बेडकर छात्रावास के जर्जर भवन को पुन:निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के छात्रावासों में फर्नीचर उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. श्रीगंगानगर जिले में बेरोजगारों को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत परिलाभ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

113. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

114. वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग एवं विधवा महिलाओं को भीलवाड़ा जिले में बढ़ी हुई पेंशन स्वीकृत कर वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (सहयोग योजना) के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी की पात्र कन्याओं एवं महिलाओं को हथलेवा आदि की वर्तमान दरों में अतिवृद्धि की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. जिला मुख्यालयों पर संचालित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय) में अध्ययनरत, SC, ST, OBC, MBC तथा EWS वर्गों के छात्रों को

आवासीय सुविधा हेतु प्रतिमाह 2000 दिये जाने की योजना उप खण्ड स्तर पर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. छुआछूत की घृणित प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रभावशाली सशक्त अभियान/आंदोलन शुरू करने और मुख्यमंत्री स्तर पर छुआछूत उन्मूलन के विभिन्न प्रयासों पर समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. वर्षों से चली आ रही छुआछूत की कुप्रथा को वैज्ञानिक ढंग से समाप्त करने के लिए समाज शास्त्रियों, समाज विज्ञानियों, नृवंश शास्त्रियों से विचार-विमर्श कर तद्नुसार दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

119. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नियमों में शिथिलता एवं बहुत अधिक संख्या में पात्र कन्याओं को योजना से वंचित रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

120. आर्थिक पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए गठित बोर्ड एवं विकास कोष के कार्यों में शिथिलता एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति कम अनुपात में दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द सहित जिले में लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान जीवनवृत्ति योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को पूरा लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द जिले में विधवा विवाह उपहार योजना के के अंतर्गत बड़ी संख्या में पात्र विधवाओं को योजना का लाभ नहीं मिलने एवं योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. प्रदेश में भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी योजना की क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

124. विधान सभा क्षेत्र आमेर में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत चार

वर्षों में छात्रवृत्ति के लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निपटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र आमेर में सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनान्तर्गत दिव्यांग, विधवा एवं वृद्धावस्था के पेंशन प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. राज्य में ई-मित्र के माध्यम से स्वालम्ब वेबसाइट पर यूनिक आई.डी. कार्ड के दिव्यांगों के आवेदन का निस्तारण नहीं किये जाने से दिव्यांगों के कार्ड नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनान्तर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं में अपात्र लोगों द्वारा पेंशन उठाये जाने की शिकायतों पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

128. प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए तहसील स्तर पर छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

129. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उप खण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह में भील समाज के छात्रों हेतु नि:शुल्क छात्रावास खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उप खण्ड टोडारायसिंह में बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में विभाग का सब डिवीजनल कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में बालक एवं बालिका छात्रावास में सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में सभी दिव्यांगों को नि:शुल्क आवश्यक उपकरण वितरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

134. अजमेर में समाज के वंचित, असहाय, निराश्रित एवं जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं संवेदनशीलता के साथ प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियम एवं प्रक्रियाओं को और अधिक सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत विभाग को मिलने वाले बजट को तय समय पर जरूरतमंदों पर खर्च किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी बजट घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. समस्त संचालित योजनाओं को प्रदेश स्तर पर आवेदन से लेकर लाभ प्रदान करने तक की प्रकिया ऑनलाइन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर):

139. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के वार्ड नं. 18 में बापा सेवा सदन में नवीन अम्बेडकर छात्रावास शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

140. विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के समाज कल्याण छात्रावास में भोजन की गुणवत्ता व भवन की कमी, जोधपुर में समाज कल्याण छात्रावास में खराब भोजन, छात्रवृत्ति के वितरण में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा वृद्धावस्था पेंशन 5000 रुपये प्रतिमाह करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

141. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नया कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विकलांगों को वितरित करने हेतु 100 स्कूटी के लिए बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

144. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में बजट घोषणा के अनुरूप विकलांगों को स्कूटी वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

145. विधान सभा क्षेत्र जनजाति बाहुल क्षेत्र थानागाजी में जनजाति छात्रावास खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

146. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद ब्लाक स्तर पर पेंशन भवन का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में वंचित अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति शीघ्र दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

148. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के बावड़ी उप खण्ड पर विभाग का छात्रावास खोलने तथा भोपालगढ़ एवं सालवा कलक्षेत्र में स्थित छात्रावास में पानी की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

149. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के अनुसूचित जाति बहुल गांवों में गरीब व वंचित परिवारों की शिक्षा में क्रांति लाने एवं पुस्तकालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में अनुसूचित जाति बहुल पंचायतों में अंबेडकर भवन खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नापासर कस्बे में अंबेडकर भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की ग्राम पंचायतों में अंबेडकर भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की ग्राम पंचायत लूणकरणसर के डा. भीमराव अंबेडकर छात्रावास का पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

154. विधान सभा क्षेत्र आहोर में संचालित अंबेडकर आवासीय विद्यालय आहोर (भैसवाडा) में लम्बे समय से प्रधानाचार्य एवं अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर हैं, लम्बे समय से कार्यरत अध्यापक एवं वार्डन द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र आहोर के डोडीयाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की 5 ग्राम पंचायत और 15 गांवों की संख्या अधिक होने से आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय हरियाल (आहोर) में स्वीकृत भवन एवं सड़क का काम स्वीकृति के चार वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र आहोर में दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

158. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. किशनगढ़ के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में आधारभूत सुविधाएं, कार्यालय भवन एवं स्टाफ के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई स्थित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में आधारभूत सुविधाओं व कार्यालय भवन तथा स्टाफ के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

161. विधान सभा क्षेत्र चूरू स्थित छात्रावासों की मरम्मत पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र चूरू में बड़ी संख्या में दिव्यांगों के उपकरणों हेतु दिये आवेदन पत्र लम्बित होने पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र चूरू में राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों को ब्लाक स्तर पर खोले जाने पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र चूरू में राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालक छात्रावास जिला मुख्यालय पर खोले जाने पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र चूरू में दिव्यांगों को दी जाने वाली स्कूटी की संख्या बढ़ाकर 250 किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

166. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

167. तिपहिया स्कूटी प्राप्त करने के पात्र समस्त व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से ई-स्कूटी प्रदान किये जाने एवं आयु सीमा हटाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र जालौर में घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु जातियों के बालक/बालिकाओं के लिए एक आवासीय विद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

169. जालौर में संचालित सावित्रीबाई फूले महिला महाविद्यालय छात्रावास में छात्राओं की संख्या बढ़ाने तथा अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र जालौर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु जीवाणा एवं पोलाणा में छात्रों के लिए सामला, उम्मेदाबाद एवं बाधरा में छात्राओं के लिए सायला में विशेष योग्य एवं दिव्यांग छात्राओं के लिए तथा किशनगढ़ में घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु परिवारों के बच्चों के लिए नवीन छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र जालौर में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में पर्याप्त संख्या में पंखे, कूलर, वाटर कूलर एवं फ्रीज उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

172. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की भांति पालनहार योजना में भी प्रतिमाह राशि देने हेतु।

173. नवजीवन योजना अंतर्गत आने वाले परिवारों की महिलाओं, युवतियों एवं युवाओं को उनके द्वारा चाहे जाने वाले कौशल में प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था करने हेतु।

174. नवजीवन योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चों को जो नजदीक के निजी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें निजी विद्यालयों में प्रवेश करवाने की अनुमति देने के संबंध में चर्चा के लिए।